(क) मूल विधि

भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता

❑ भारतीय दंड विधान, 1860

☞ **स्टीफेन** के अनुसार, ''**अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल, दोनों ही होता** है''।

☞ **केनी** ने अपनी पुस्तक '**आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ**' में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''**अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है, तो केवल सम्राट द्वारा**''।

☞ अपराध के निम्नलिखित **चार** आवश्यक तत्त्व हैं-

(i) मानव,

(ii) आपराधिक मन:स्थिति या दुराशय (Mensrea),

(iii) आपराधिक कृत्य, तथा

(iv) ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति।

☞ भारतीय दंड संहिता की **धारा 1** 'संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन (लागू) के विस्तार से' संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. को **1 जनवरी, 1862** से लागू किया गया।

☞ यह संहिता **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर लागू होती है।

☞ जम्मू-कश्मीर राज्य में '**रणबीर दंड संहिता**' लागू होती है।

UPSI 23 July 2017

☞ भा.दं.सं. की **धारा-2** के अनुसार, 'जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है, वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा'।

☞ इस संहिता की **धारा 4** के अनुसार, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे।

☞ भारतीय दंड संहिता की कोई बात **विशेष विधि या स्थानीय विधि** के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है।

☞ धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। '**पुरुष**' शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है चाहे वह एक दिन का हो या 100 वर्ष या उससे ऊपर। इसी प्रकार '**स्त्री**' शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।

☞ धारा 18 के अनुसार, भारत से तात्पर्य जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत से है।

☞ भारतीय दंड संहिता की **धारा 21 लोक सेवक** से संबंधित है।

☞ इस संहिता की धारा 24 में **बेईमानी से (dishonestly)** की परिभाषा दी गई है- जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो वह उस कार्य को ''**बेईमानी से**'' करता है।

UPSI 17 July 2017

UPSI 19 July 2017

☞ धारा 25 में कपटपूर्वक (fraudulently) को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी बात को **कपट करने** के **आशय** से करता है, तो यह कहा जाता है कि वह कपटपूर्वक किया है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 34** '**सामान्य आशय**' से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं-

(i) एक आपराधिक कृत्य,

(ii) एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो,

(iii) जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबसे सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

UPSI 18 July 2017

☞ **धारा 34** के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है- आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है।

☞ समान आशय (Similar Intention) एवं सामान्य आशय (Common Intention) में अंतर है-

सामान्य आशय में **पूर्वनियोजित योजना** एवं **पूर्व सहमति** होती है जबकि समान आशय में **पूर्वनियोजित योजना** एवं **दिमागों का सम्मिलन** नहीं होता है।

☞ **धारा 34** के अंतर्गत समान्य आशय से संबंधित महत्त्वपूर्ण वाद निम्नलिखित हैं-

1. महबूब शाह बनाम इंपरर
2. वारीन्द्र कुमार घोष बनाम इंपरर
3. श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य

☞ **धारा 40** में **अपराध** के बारे में वर्णन किया गया है।

☞ **धारा 41** के अनुसार, **'विशेष विधि'** वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है।

☞ **धारा 42** के अनुसार, **'स्थानीय विधि'** वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है।

☞ लॉर्ड कोक के अनुसार, कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मन:स्थिति से न किया गया हो। (Actus Reus non facit reum nisi mens sit rea) **मन:स्थिति (Mens rea)** पर प्रमुख वाद हैं-

(i) आर. बनाम प्रिंस,

(ii) क्वीन बनाम टाल्सन,

(iii) शेराज बनाम रूटजन एवं

(iv) नाथूराम बनाम म.प्र. राज्य।

☞ **धारा 52** में **सद्भावपूर्वक** शब्द परिभाषित है। इसके अनुसार, कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

☞ **धारा 53** में दंड के प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं-

(i) मृत्युदंड,

(ii) आजीवन कारावास,

(iii) कारावास, जो दो प्रकार का है अर्थात

(क) कठोर श्रम के साथ कारावास, तथा

(ख) सादा कारावास

(iv) संपत्ति का समपहरण (forfeiture) और

(v) जुर्माना।

UPSI 21 July 2017

☞ **धाराएं 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364-क** और **396** में **मृत्युदंड** दिए जाने का प्रावधान है।

☞ **धारा 54** के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, तो यदि 'समुचित सरकार' उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है।

☞ **धारा 57** के अंतर्गत दण्डावधियों की भिन्नों (fractions) की गणना करने में, आजीवन कारावास को **20 वर्ष** के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।

☞ धारा 63 के अनुसार, जहां जुर्माने की राशि बतायी नहीं गई है, वहां जुर्माना कुछ भी हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं होगा अर्थात् युक्तियुक्त होगा।

UPSI 20 July 2017

☞ **धारा 73** के अनुसार, अभियुक्त को एकांत परिरोध (solitary confinement) में रखने की अधिकतम **अवधि 3 मास** है।

☞ एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में **14 दिन** से अधिक नहीं होगा।

☞ यदि कारावास तीन मास से अधिक अवधि का है, तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध सात दिन से अधिक न होगा।

☞ भा.दं. संहिता के **अध्याय-IV** में **धारा 76 से 106** तक साधारण अपवादों (General Exceptions) से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं।

☞ **धारा 76 से 95** तक की धाराएं क्षमा योग्य बचावों से संबंधित हैं।

☞ **धारा 96 से 106** तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित हैं।

☞ **धारा 76** के अनुसार, तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है।

☞ **धारा 77** में प्रावधान है कि 'कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकत' : कार्य करते हुए, न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

☞ **धारा 78** के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है।

☞ 'क' एक पुलिस ऑफिसर **वारंट के बिना** 'य' को, जिसने हत्या की है, पकड़ लेता है। 'क' ने कोई अपराध नहीं किया।

☞ इस प्रकार एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, भा.दं.सं. की **धारा 78** के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 80** में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है।

UPSI 22 July 2017

☞ **दुर्घटना** एक अच्छी प्रतिरक्षा है किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो निम्न हैं-

1. कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो,
2. कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो,
3. कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो,
4. कार्य विधिपूर्ण हो।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 81** आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है।

☞ **'आर.बनाम डडले एंड स्टीफेन'** का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 82** के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो **7 वर्ष से कम आयु** के शिशु द्वारा की जाती है।

☞ **धारा 83** के अंतर्गत **7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु** के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 84** के अंतर्गत विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ऐसा होने पर वह दंडित हो जाएगा।

☞ **मैकनॉटन वाद, विकृत चित्तता** (Unsoundmind) के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है।

☞ भारतीय दंड संहिता की **धारा 85** में अनैच्छिक (अपनी इच्छा के विरुद्ध) मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा (बचाव) का प्रावधान करती है।

☞ **धारा 86** स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है। अर्थात् अपनी इच्छा से मत्त होकर अपराध करना बचाव नहीं है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 87** रोमन विधिशास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र 'वालेन्टी नॉन फिट इंजूरिया' पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है।

☞ **धारा 87** के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है-

1. सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो,
2. कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित करना आशयित न हो,
3. उपर्युक्त की संभाव्यता का ज्ञान न हो।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 94** के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर, वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है, अपराध नहीं होगा।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 95** के अनुसार, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह है, जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 96 से 106 तक** में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

☞ **धारा 100** के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है-

1. जब हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो,
2. जब हमले से घोर उपहति कारित होने की युक्तियुक्त आशंका हो,
3. बलात्संग के आशय से हमला,
4. प्रकृति विरुद्ध कामतृष्णा के लिए किया गया हमला,
5. व्यपहरण/अपहरण करने के लिए किया गया हमला,
6. सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला,
7. तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका हो।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 103** के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है-

(i) लूट,
(ii) रात्रौ गृहभेदन,
(iii) अग्नि द्वारा रिष्टि,
(iv) चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो।

UPSI 22 July 2017

☞ भा.दं.सं. की **धारा 107** में परिभाषित **दुष्प्रेरण (abetment)** का अपराध-

(i) **उकसाने** द्वारा,
(ii) **साशय सहायता** द्वारा, तथा
(iii) **षडयंत्र में शामिल होने से** घटित होता है।

☞ **जयदेव बनाम स्टेट वाद** का **संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है।**

☞ **भा.दं.सं. की धारा 120-A** में **आपराधिक षडयंत्र (Criminal conspiracy)** की परिभाषा दी गई है।

☞ **भा.दं.सं. की धारा 120-B** में **'आपराधिक षडयंत्र' के लिए दंड** का प्रावधान दिया गया है।

☞ **धारा 120-A** के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति-

(i) कोई अवैध कार्य अथवा

(ii) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति '**आपराधिक षडयंत्र**' कहलाती है।

UPSI 19 July 2017

☞ **विनायक दामोदर सावरकर** का वाद '**नासिक षडयंत्र**' के नाम से जाना जाता है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 121** में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 124-A** राजद्रोह **(sedition)** को परिभाषित करती है।

☞ धारा 124-A के अनुसार, जो **कोई बोले गए या लिखे** गए **शब्दों** द्वारा या **संकेतों** द्वारा या **दृश्यरूपेण** द्वारा या **अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा** या पैदा करने का **प्रयत्न** करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, **वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा लगाया जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।**

UPSI 20 July 2017

☞ भा.दं. सं. की **धारा 141** में '**विधि विरुद्ध जमाव**' **(Unlawful assembly)** को परिभाषित किया गया है।

☞ धारा 141 के अनुसार, **पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव** विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित होता है, सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 143** के अनुसार, जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी **अवधि 6 मास तक** की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 146** के अनुसार, पांच या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा **बलवा (Rioting)** का अपराध गठित करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 147** के अनुसार, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी **अवधि 2 वर्ष** तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

☞ भा.दं.सं.की धारा 149 '**संयुक्त दायित्व के सिद्धांत**' का प्रतिपादन करती है।

☞ संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा **सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए** कोई कार्य किया जाए।

☞ सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए **कम से कम 5 व्यक्ति** होने चाहिए।

☞ धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भा.दं.सं. की **धारा 153- क** में दंडित किया जाता है।

☞ राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भा.दं.सं. की **धारा 153 ख** में किया गया है।

☞ भा.दं.सं. की धाराएं **154, 155 तथा 156** दांडिक विधि में **प्रतिनिधिक दायित्व** को स्वीकार करती है।

☞ प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम **आर.बनाम हिगिंस, 1730** के वाद में प्रतिपादित किया गया था।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 159 दंगा (Affray)** को परिभाषित करती है जिसके अनुसार, जबकि **दो या अधिक व्यक्ति** लोक स्थान में लड़कर (झगड़कर) लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे '**दंगा**' करते हैं।

☞ **धारा 160** के अनुसार, दंगा के अपराध के लिए **एक माह तक के कारावास** या **सौ रुपये** जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 170** के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण (Personating) एक अपराध है।

☞ **मिथ्या सूचना (इत्तिला)** देने को भा.दं.सं. की **धारा 177** में दंडित किया गया है। छह मास का साधारण कारावास या एक हजार रुपये या दोनों से दंडित होगा।

☞ लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना **धारा 186** में 3 मास तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।

☞ **धारा 187** के अनुसार, सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोप करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

☞ 'मिथ्या साक्ष्य देना' भा.दं.सं. की **धारा 191** में परिभाषित है, जबकि **धारा 192** में 'मिथ्या साक्ष्य गढ़ना' परिभाषित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 193** मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार, न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को **7 वर्ष** तक कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।

☞ भा.दं. सं. की **धारा 195-क** मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 209** बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड (2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना) का प्रावधान करती है।

☞ बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन भा.दं.सं. की **धारा 228-क** के अंतर्गत दंडनीय है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 268 **लोक उपताप** (Public nuisance) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 277** जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 279** के अंतर्गत लोकमार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 279 के अंतर्गत छह माह तक कारावास या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

☞ भा.दं.सं. की धारा 294 अश्लील कार्य और गाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य या अश्लील गाना गाता है जिससे दूसरों को क्षोभ हो यह अपराध है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाती है। यह '**हिकलिन का नियम**' से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 299** '**आपराधिक मानव वध**' (Culpable Homicide) को परिभाषित करती है।

☞ **धारा 300** हत्या (Murder) से संबंधित है।

UPSI 24 July 2017

☞ **आर.बनाम गोविंदा** हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है।

☞ **विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य** का वाद हत्या से संबंधित है।

☞ **के.एम.नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र** का वाद भा.दं.सं की **धारा 300** के अपवाद (1) के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 302** हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है।

UPSI 24 July 2017

☞ **धारा 302** के अनुसार, जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

☞ **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'मृत्युदंड' विरले से विरलतम (rare of the rarest) अपराधों में ही दिया जाना चाहिए।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 301** में '**अंतरित विद्वेष का सिद्धांत**' (Doctrine of Transfer of malice) निहित है।

☞ **मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब** राज्य के वाद में भा.दं.सं. की **धारा 303** को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया कि यह धारा संविधान के **अनुच्छेद 14 एवं 21** द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 304-क** उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 304-ख** '**दहेज मृत्यु**' से संबंधित है।

UPSI 23 July 2017

☞ **धारा 304-ख** आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा जोड़ा गया।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 305** शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 306** आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 307** हत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 308** आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 309** 'आत्महत्या करने का प्रयत्न' से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 310** 'ठग' को परिभाषित करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 312** गर्भपात कारित करने से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 320** के अंतर्गत कुल 8 प्रकार की उपहति को '**घोर उपहति**' की श्रेणी में रखा गया है, जो निम्नलिखित हैं-

(i) पुंस्त्वहरण,

(ii) दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद,

(iii) दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद,

(iv) किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद,

(v) किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी नाश या स्थायी ह्रास,

(vi) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण,

(vii) अस्थि या दांत का भंग या विसंधान,

(viii) कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 323** स्वेच्छया उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 325** स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है।

☞ दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा भा.दं.सं. में **धारा 326-A** तथा धारा **326-B** अंत:स्थापित की गई है।

☞ धारा **326-A** तेजाब/अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना अपराध है।

☞ **धारा 326-B** के तहत स्वेच्छया तेजाब/अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 339 **सदोष अवरोध** से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 340 **सदोष परिरोध** से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 341** सदोष अवरोध के लिए एक माह के कारावास या पांच सौ रुपये के जुर्माने या दोनों से दंड का प्रावधान करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 342** सदोष परिरोध के लिए एक वर्ष के कारावास या एक हजार रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंड का प्रावधान करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 350** आपराधिक बल से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 351** हमला (Assault) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 354** स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है।

UPSI 24 July 2017

☞ धारा **354-क** लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड से संबंधित है।

☞ धारा **354-ख** निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है।

☞ धारा **354-ग दृश्यरतिकता (Voyeurism)** से संबंधित है।

☞ **धारा 354-घ पीछा करना (Stalking)** करने से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 359** के अनुसार, व्यपहरण (Kidnapping) दो प्रकार का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण।

☞ **धारा 360** भारत में से व्यपहरण तथा **धारा 361** विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण से संबंधित है।

☞ **वरदराजन बनाम राज्य** का वाद भा.दं.सं. की **धारा 361** से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 362 अपहरण** (Abduction) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 363 व्यपहरण** के लिए दंड का प्रावधान करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 363-क** भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 364** हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 364-क** फिरौती के लिए व्यपहरण से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 366-ख** विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 375** बलात्संग (Rape) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 376** बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 376-D** में **सामूहिक बलात्कार (Gang Rape)** के लिए सजा निहित की गई है।

☞ दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अनुसार, बलात्कार के अपराध में अब मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।

☞ **तुकाराम बनाम राज्य (मथुरावाद)** बलात्संग से संबंधित महत्त्वपूर्ण वाद है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 377** प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित है।

☞ उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 378** के अनुसार, चोरी के निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व हैं-

(i) कोई चल संपत्ति हो,

(ii) यह किसी के कब्जे में हो,

(iii) उसके कब्जे से बिना उसकी सहमति के,

(iv) बेईमानी से लेने के लिए एवं

(v) ऐसे लेने हेतु हटाई जाए।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 379** में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है।

☞ **धारा 379** के अनुसार, चोरी के अपराध के लिए **तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा।**

☞ भा.दं.सं. की **धारा 383** में उद्दापन (Extortion) परिभाषित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 387** का संबंध उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 390** में **लूट** परिभाषित है। इसके अनुसार, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

☞ **लूट का अपराध** अकेले एक व्यक्ति भी कर सकता है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 391** में **डकैती** को परिभाषित किया गया है।

☞ डकैती का अपराध गठित करने के लिए **कम से कम पांच या पांच से अधिक** व्यक्ति होने चाहिए।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 392** लूट के लिए दंड (10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना) का प्रावधान करती है।

☞ यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, तो कारावास **14 वर्ष तक** का हो सकेगा।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 393** के अंतर्गत लूट कारित करने का प्रयत्न दंडनीय है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 395** डकैती के लिए दंड (आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना) का प्रावधान करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 396** हत्या सहित डकैती से संबंधित है।

☞ हत्या सहित डकैती के अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कारावास या जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 399** डकैती करने के लिए तैयारी करना दस वर्ष के कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 403** संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग (Dishonest misappropriation of property) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 405 आपराधिक न्यासभंग** (Criminal breach of Trust) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दण्ड का प्रावधान करता है, जिसमें 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों है।

UPSI 23 July 2017

☞ भा.दं.सं. की **धारा 415 छल (Cheating)** को परिभाषित करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 417** छल के लिए दंड (1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों) का प्रावधान करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 425 रिष्टि (Mischief)** को परिभाषित करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 441 आपराधिक अतिचार** (Criminal Trespass) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 442 **गृह-अतिचार** (House Trespass) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 445 **गृह भेदन** (House Breaking) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 446 **रात्रौ गृह भेदन** (House-breaking by Night) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 463 **में कूट-रचना (Forgery)** की परिभाषा दी गई है।

☞ भा.दं.सं. की धारा 464 **मिथ्या दस्तावेज रचना** संबंधी अपराध का प्रावधान करती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 494** द्विविवाह (Bigamy) के लिए दंड (7 वर्ष का कारावास और जुर्माना) का प्रावधान करती है।

☞ **धारा 494** सभी हिंदुओं, ईसाइयों तथा पारसियों पर समान रूप से लागू होती है 'चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किंतु मुसलमानों में केवल' मुस्लिम स्त्रियों पर लागू होती है, मुस्लिम पुरुषों पर नहीं लागू होती है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 497 जारकर्म (Adultery)** को परिभाषित करता है।

☞ जब कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ उस पुरुष के सम्मति के बिना मैथुन (sexual intercourse) करता है, तो यह जारकर्म कहलाता है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 498-A** में किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में प्रावधान किया गया है।

UPSI 23 July 2017

☞ भा.दं.सं. की **धारा 498-A दहेज मृत्यु के मामले रोकने के लिए** अधिनियमित किया गया है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 499** मानहानि (Defamation) से संबंधित है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 499** में परिभाषित मानहानि के अपराध के **कुल 10 अपवाद** हैं।

☞ मानहानि के दंड **धारा 500** (2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों) में दिया गया है।

☞ भा.दं.सं. की **धारा 511** में **आपराधिक प्रत्यन** के अपराध को वर्णित किया गया है।

☞ **अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य** आपराधिक प्रयत्न का एक महत्त्वपूर्ण निदर्शक वाद (Leading Case) है।

❑ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

☞ दं.प्र.सं. को राष्ट्रपति, द्वारा स्वीकृति **25 जनवरी, 1974** को प्राप्त हुई।

☞ दं.प्र.सं. **1 अप्रैल, 1974** को लागू हुई।

UPSI 23 July 2017

☞ दं.प्र.सं. में कुल **37 अध्याय और 484 धाराएं** हैं।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2(a)/2 (क) जमानतीय अपराध (Bailable Offence)** को परिभाषित करती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2 (c)/2 (ग) संज्ञेय अपराध** (Cognizable Offence) को परिभाषित करती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2 (d)/2 (घ) में परिवाद (Complaint)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2 (g)/2 (छ)** में **जांच (Inquiry)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की धारा 2 (h)/2 (ज) में **अन्वेषण (Investigation)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र. सं. की धारा 2(l)/2 (ठ) में **असंज्ञेय अपराध (Non-cognizable Offence)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2 (n)/2 (ढ)** में '**अपराध**' **(Offence)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की धारा **2 (o)/2 (ण)** में '**थाने का भारसाधक अधिकारी**' **(Officer in charge of Police Station)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2 (r)/2 (द)** में '**पुलिस रिपोर्ट**' **(Police Report)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2 (s)/2 (ध)** में '**पुलिस थाना**' **(Police Station)** को परिभाषित किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की **प्रथम अनुसूची** अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की मुख्य विशेषता **न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक** करना है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2(u)/2 (प)** 'लोक अभियोजक' (Public Prosecutor) को परिभाषित करती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2(wa)/2** (ब क) '**पीड़ित' (Victim)** को परिभाषित करता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 2(w)/2** (ब) समन मामला (Summons Cass) को परिभाषित करता है।

☞ दं.प्र.सं. की धारा 2 (x)/2 (भ) '**वारंट मामला' (Warrant-Case)** को परिभाषित करता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 8** के अनुसार, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करेगी जब उसकी आबादी **10 लाख** से अधिक हो।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 24 की उपधारा 3** के अनुसार, प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 25** सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) की नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 25-A** में '**अभियोजन निदेशालय**' की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 28 (1)** के अनुसार, उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 28 (2)** के अनुसार, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 28 (3)** के अनुसार, सहायक सेशन न्यायाधीश **10 वर्ष** तक की अवधि के लिए कारावास दे सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 29 (1)** के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय **7 वर्ष** तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 29 (2)** के अनुसार, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय **3 वर्ष** तक के कारावास या **दस हजार रुपये तक** जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 29 (3)** के अनुसार, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय **1 वर्ष** तक का कारावास या **पांच हजार रुपये** तक जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 36** वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 37** जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 39** कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा किए जाने से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 41** पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित है।

☞ दं.प्र. सं. की **धारा 41(c)/41 (ग)** राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (Police Control Room) की स्थापना का प्रावधान करती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 41 (d)/41 (घ)** गिरफ्तार किए गए, व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने के अधिकार का प्रावधान करती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 45** सशस्त्र बलों (Armed Forces) के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 48** के अनुसार, पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 57** के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को **24 घंटों** के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 58** के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने थाने में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना **जिला दंडाधिकारी** (**जिला मजिस्ट्रेट**) को या उसके ऐसा निर्देश देने पर **उपखंड मजिस्ट्रेट** (**Sub Divisional Magistrate-SDM**) को देंगे।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 70** के अनुसार, प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए या वह निष्पादित न कर दिया जाए।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 77** के अनुसार, गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।

☞ जब किसी अभियुक्त को एक जिला की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे जिला में ले जाया जाता है, तो इसे '**ट्रांजिट रिमांड**' कहा जाता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 82** के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के (हाजिर होने) के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 83** फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 93** के अंतर्गत '**तलाशी वारंट**' जारी किया जाता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 97** (1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विधि-विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 97** का प्रावधान **बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट** के समान है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 107** परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (Security) से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 108** में राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (security) से संबंधित प्रावधान है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 109** में संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (security) से संबंधित प्रावधान है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 110** में आभ्यासिक अपराधियों (habitual offenders) से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान है।

☞ जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला (सूचना) मिलती है कि संभावना कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट **धारा 107** के अंतर्गत उस व्यक्ति से एक वर्ष तक के लिए बंधपत्र (Bond) भरने का आदेश दे सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 125** भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 125(1) (घ)** के अन्तर्गत पुत्र एवं पुत्री अपने माता-पिता के भरण-पोषण के जिम्मेदार हैं, यदि माता-पिता स्वयं सक्षम नहीं हैं।

UPSI 17 July 2017

☞ **धारा 125** के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता-पिता जो भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, घर के ही सक्षम व्यक्ति से न्यायालय द्वारा भरण-पोषण दिलाया जाता है।

☞ दं.प्र.सं. की धारा 129 के अनुसार, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी विधि विरुद्ध जमाव को सिविल बल के प्रयोग द्वारा तितर-बितर कर सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 133** उपताप (Nuisance) हटाने के आदेश से संबंधित है।

☞ जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी से या अन्यथा सूचना प्राप्त होता है कि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अवरोध खड़ा कर दिया है, तो धारा 133 के अंतर्गत उसे हटाने का आदेश दिया जाएगा।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 144** के अंतर्गत आशंकित खतरे या उपताप/अवरोध (nuisance) रोकने के लिए जिला **मजिस्ट्रेट**, **उपखंड मजिस्ट्रेट** या **राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट** आदेश दे सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 149** के अंतर्गत **पुलिस अधिकारी** संज्ञेय अपराधों का **निवारण** करती है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप करेगी और अपनी पूरी सामर्थ्य से निवारित कर सकेगी।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 151** के अंतर्गत **पुलिस अधिकारी** संज्ञेय अपराधों को किए जाने से पहले **गिरफ्तार** कर सकती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारण्ट की आवश्यकता नहीं होगी।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 152** के अंतर्गत **पुलिस अधिकारी लोक संपत्ति की हानि का निवारण** कर सकती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 153** थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने की सीमाओं के अंदर **बाट एवं मापों** के निरीक्षण से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 154** के अंतर्गत **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** केवल **संज्ञेय अपराध** के संबंध में दी जा सकती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 154 (3)** के अनुसार, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इंकार करने के कारण व्यथित है, तो वह सूचना का सार डाक द्वारा **पुलिस अधीक्षक** को भेज सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 155** असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना एवं कुछ मामलों में जांच पड़ताल से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 162(1)** के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन लेखबद्ध किया जाता है, तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 164** के अंतर्गत **संस्वीकृतियों और कथनों** को **न्यायिक मजिस्ट्रेट** अभिलिखित करेगा।

☞ **धारा 167** के अनुसार, पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों की स्वीकृत की जा सकती है।

☞ 15 दिनों से अधिक का निरोध पुलिस अभिरक्षा में न होकर **न्यायिक अभिरक्षा** (Judicial Custody) में होती है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 167 (2-क)** के अनुसार, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम **7 दिन** तक पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 172** अन्वेषण (Investigation) में **कार्यवाहियों की डायरी (केस डायरी)** से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 173** में थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा हो जाने पर न्यायिक माजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट

भेजी जाती है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेते हैं।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 174** आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करने और रिपोर्ट करने से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 198** में विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 262(2)** के अनुसार, एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में **3 माह** से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है।

☞ दं.प्र.सं. के **अध्याय 21-क** की **धारा 265-क से 265-ठ** तक में **अभिवाक् सौदेबाजी (Plea bargaining)** के संबंध में प्रावधान है।

☞ अभिवाक् सौदेबाजी में अभियुक्त और अभियोजन दोनों पक्ष आपस में समझौता कर न्यायालय द्वारा मामले को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन न्यायालय में देना होगा।

☞ अभिवाक् सौदेबाजी में **सात वर्ष तक** की सजा वाले आपराधिक मामले को समाप्त किया जा सकता है, परंतु देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध या किसी स्त्री के विरुद्ध अपराध या चौदह वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध अपराध अभिवाक् सौदेबाजी से परे है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 300** के अंतर्गत एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के समान है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 304** कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता से संबंधित है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-A के समान है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 357-क पीड़ित प्रतिकर योजना** से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 357-ग** पीड़ितों के उपचार से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 358** निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर (1000 रु. तक का) दिलाने से संबंधित है।

☞ दं.प्र.सं. की **धारा 438** के अंतर्गत अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति **सत्र न्यायालय** और **उच्च न्यायालय** को प्राप्त है।

☞ उत्तर प्रदेश में **'अग्रिम जमानत'** के उपबंध वर्ष 1976 से प्रवर्तनीय नहीं है।

☞ दं.प्र.सं. में कुल 484 धाराएं, 37 अध्याय, 2 अनुसूची (Schedule), 56 प्रारूप (form) हैं।

UPSI 23 July 2017

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का प्रवर्तन **1 सितंबर, 1872** को हुआ था।

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर **जेम्स स्टीफेन** ने तैयार किया था।

☞ **आर.एम.मलकानी बनाम महाराष्ट्र** राज्य के वाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया।

☞ **रेस जेस्टे का सिद्धांत** को साक्ष्य अधिनियम की **धारा 6** में लिपिबद्ध किया गया है।

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 8, हेतु तैयारी** तथा पूर्ववर्ती या **पश्चातवर्ती आचरण** के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है।

☞ '**शिनाख्त परेड**' संबंधित नियम साक्ष्य अधिनियम की **धारा 9** में प्रावधानित है।

☞ **शिनाख्त परेड** पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किंतु पहचान कार्यवाहियां करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी।

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 11** में **अन्यत्र उपस्थिति (प्ली ऑफ एलिबी)** संबंधी प्रावधान दिया गया है।

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 17** में 'स्वीकृति' को परिभाषित किया गया है।

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 25** के अनुसार, किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी।

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 26** के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है, भले ही वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए की गई हो।

☞ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 32** (1) के अधीन मृत्यु कालिक कथन दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में ग्राह्य है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त (लागू) हुई-

(a) 6 अक्टूबर, 1860 से (b) 6 दिसंबर, 1860 से

(c) 1 जनवरी, 1861 से (d) 1 जनवरी, 1862 से

UPSI 23 July 2017

उत्तर—(d)

भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन (enforcement) 1 जनवरी, 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर, 1860 को ही मिल गई थी।

2. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 1 संबंधित है-

(a) अपराध की परिभाषा से

(b) संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से

(c) संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

भा.दं.सं. की धारा 1 'संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से' संबंधित है।

3. 'मेंस रिया' से तात्पर्य है-

(a) आशय (b) ज्ञान

(c) हेतु (d) दुराशय

उत्तर—(d)

अपराध के चार आवश्यक तत्त्व होते हैं—(1) मानव, (2) आपराधिक मन:स्थिति या दुराशय (Mensrea), (3) आपराधिक कृत्य तथा (4) ऐसे (आपराधिक) कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति। कार्य का 'हेतु' (Motive) अपराध का आवश्यक तत्त्व नहीं हैं।

4. भारतीय दंड संहिता में 'स्त्री' शब्द द्योतक है-

(a) 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का

(b) 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का

(c) 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का

(d) जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का

उत्तर—(d)

भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार, 'स्त्री' शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो।

5. भा.दं.सं. में शब्द 'स्त्री' द्योतक है—

(a) वयस्क स्त्री (b) अविवाहित स्त्री

(c) किसी भी आयु की स्त्री (d) विवाहित स्त्री

उत्तर—(c)

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. भारतीय दंड संहिता की किस धारा में 'भारत' को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 16 (b) धारा 17

(c) धारा 18 (d) धारा 19

उत्तर—(c)

भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में 'भारत' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, 'भारत' से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय (छोड़कर) भारत का समस्त राज्य-क्षेत्र अभिप्रेत है।

7. सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान IPC के किस धारा में दिए गए हैं?

(a) धारा 34 (b) धारा 149

(c) धारा 297 (d) धारा 316

उत्तर—(a)

सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य, धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अतिचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित हैं।

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है-

(a) मैकनॉटन का वाद

(b) रेग बनाम गोविंदा

(c) वारीन्द्र कुमार घोष बनाम इंपरर

(d) के.सी. मैथ्यू का वाद

उत्तर—(c)

वारीन्द्र कुमार घोष बनाम इंपरर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है।

9. अपराध की परिभाषा दी गई है–

(a) भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 2 में

(b) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (एन) में

(c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर–(b)

अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (एन) में दिया गया है, जिसके अनुसार, अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है जबकि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है किंतु इस अध्याय की धारा 6 से 52-क के बीच में अनेक शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 40 में 'अपराध' को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 जो अधिनियम का परिभाषा खंड है, में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है।

10. भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त 'स्थानीय विधि' कहां पर लागू होगी?

(a) संपूर्ण भारत पर

(b) भारत के किसी विशिष्ट भाग पर

(c) भारत के किसी भी भाग पर

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(b)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 42 के अनुसार, 'स्थानीय विधि' वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है।

11. भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है?

(a) दो (b) पांच

(c) चार (d) सात

उत्तर–(b)

भा.दं.सं. की **धारा 53** के अनुसार, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है, वे इस प्रकार हैं-
पहला- मृत्युदंड, **दूसरा-**आजीवन करावास,
तीसरा- कारावास, जो दो भांति का है–अर्थात-
(1) कठिन, अर्थात कठोर श्रम के साथ,
(2) सादा
चौथा- संपत्ति का समपहरण, **पांचवां-** जुर्माना या अर्थदंड।

12. एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, भा.दं.सं. की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है ?

(a) धारा 97 (b) धारा 78

(c) धारा 79 (d) धारा 80

उत्तर–(b)

भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए अपराध नहीं है।

13. निम्न में से कौन-सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है ?

(a) आर. बनाम डडले एंड स्टीफेन

(b) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजीक्यूशन बनाम बियर्ड

(c) मैकनॉटन का वाद

(d) आर. बनाम गोविंदा

उत्तर–(c)

मैकनॉटन (Macnaughtan) 1843 का वाद उन्मत्तता (Insanity) के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है।

14. भारतीय दंड संहिता की कौन-सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है ?

(a) धारा 84 (b) धारा 85

(c) धारा 86 (d) धारा 87

उत्तर–(b)

भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा (बचाव) का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में विकृत चित्तता के आधार पर बचाव, धारा 86 में ऐच्छिक मत्तता तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय या संभावना के बिना, उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है।

15. निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा 'दुष्प्रेरण' का अपराध किया जा सकता है ?

(a) षडयंत्र (b) तैयारी

(c) धमकी (d) प्रयत्न

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध तीन तरीकों से किया जा सकता है- (1) उकसाने द्वारा, (2) षडयंत्र द्वारा तथा (3) सहायता द्वारा। अतः षडयंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है।

16. भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में 'आपराधिक षडयंत्र' के लिए दंड दिया गया है?

(a) धारा 120-बी (b) धारा 124

(c) धारा 120-ए (d) धारा 121-ए

उत्तर—(a)

आपराधिक षडयंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी में किया गया है जबकि धारा 120-ए में आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा, धारा 121-ए में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षडयंत्र और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि को दंडनीय बनाया गया है।

17. नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है-

(a) युद्ध फैलाने के लिए

(b) दुष्प्रेरण के लिए

(c) राजद्रोह के लिए

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

भा.दं. सं. की धारा 124-क राजद्रोह को परिभाषित करती है जिसके अनुसार, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहां यह स्पष्टकरणीय है कि 'अप्रीति' पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त दृष्टांत में इस धारा के अंतर्गत नितेश द्वारा किया कार्य राजद्रोह के अपराध के अधीन आता है तथा नितेश इसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा।

18. विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं-

(a) सात (b) पांच

(c) दस (d) छः

उत्तर—(b)

भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है।

19. 'बलवा' के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है?

(a) 6 माह (b) 2 वर्ष

(c) 3 वर्ष (d) केवल जुर्माना द्वारा

उत्तर—(b)

भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

20. सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए ?

(a) 2 (b) 4

(c) 5 (d) 10

उत्तर—(c)

विधि विरुद्ध जमाव हेतु आवश्यक है कि वे पांच या पांच से अधिक व्यक्ति हों। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए।

21. राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है?

(a) धारा 154 (b) धारा 153 क

(c) धारा 153 ख (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में वर्णित है जबकि धारा 153 क में धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य तथा धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है।

22. निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन-सी धारा 'दंगा' की परिभाषा करती है?

(a) धारा 159 (b) धारा 160

(c) धारा 161 (d) धारा 148

उत्तर—(a)

'दंगा' को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है जबकि धारा 160 में दंगा के लिए दंड, धारा 161 निरसित हो चुका है और धारा 148 में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है।

23. लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, अंतर्गत धारा-

(a) 182, भारतीय दंड संहिता

(b) 184, भारतीय दंड संहिता

(c) 186, भारतीय दंड संहिता

(d) 188, भारतीय दंड संहिता

उत्तर—(c)

भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

24. 'मिथ्या साक्ष्य देना' का अपराध परिभाषित है भा.दं.सं. की-

(a) धारा 181 में (b) धारा 182 में

(c) धारा 191 में (d) धारा 192 में

उत्तर—(c)

मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना परिभाषित है।

25. बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है?

(a) धारा 228 (b) धारा 228 क

(c) धारा 376 क (d) धारा 376 ख

उत्तर—(b)

भारतीय दंड संहिता की धारा 228 क बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने को दंडनीय घोषित करती हैं।

26. निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था ?

(a) आर. बनाम डडले एंड स्टीफेन

(b) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजीक्यूशन बनाम बियर्ड

(c) के.एम. नानावती बनाम बंबई राज्य

(d) रेग बनाम गोविंदा

उत्तर—(d)

'रेग बनाम गोविंदा' के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित 'सदोष मानव वध' तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया है। मेलविल जज इस मामले में न्यायाधीश थे।

27. 'के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र' एक प्रमुख वाद है-

(a) विकृतचित्तता के संबंध में

(b) दुर्घटना के संबंध में

(c) कूट रचना के संबंध में

(d) गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में

उत्तर—(d)

के.एम.नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 (हत्या) के अपवाद (1) के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन (Grave and Sudden Provocation) के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे।

28. 'मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए', अभिनिर्धारित किया गया था—

(a) बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में

(b) रामेश्वर बनाम उ.प्र. राज्य में

(c) टी.वी. वथेस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में

(d) उ.प्र. राज्य बनाम एम.के. एंथोनी में

उत्तर—(a)

प्रस्तुत समस्या 'बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य' पर आधारित है। इस वाद में यह धारित किया गया कि मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए।

29. भा.दं.सं. की किस धारा में 'दहेज मृत्यु' संबंधी विधि अंतर्विष्ट है?

(a) धारा 304 ख (b) धारा 304

(c) धारा 299 (d) धारा 302

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार, जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा तथा जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा।

30. भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है?

(a) धारा 364 (b) धारा 362

(c) धारा 363 क (d) धारा 364 क

उत्तर—(d)

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध करती है।

31. निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं ?

(a) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

(b) ऐपरल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ए.के. चोपड़ा

(c) चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चन्द्रिका दास

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(a)

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1997 सु.को. 3011 के वाद में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के समापन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया है।

32. भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है—

(a) धारा 378 (b) धारा 391

(c) धारा 380 (d) धारा 396

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अधीन चोरी परिभाषित है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति (movable property) बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उस सम्पत्ति को हटाता है, वह चोरी करता है।

33. भारतीय दंड संहिता मे लूट परिभाषित है -

(a) धारा 378 में (b) धारा 383 में

(c) धारा 390 में (d) धारा 391 में

उत्तर—(c)

'लूट' का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है। धारा 378 में चोरी, धारा 383 में उद्दापन और धारा 391 में 'डकैती' का अपराध परिभाषित है

34. 'डकैती' का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है?

(a) चोरी (b) उद्दापन

(c) छल (d) चोरी या उद्दापन

उत्तर—(d)

भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। धारा 391 के अनुसार, डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी या उद्दापन का उग्र रूप है। अतः डकैती में चोरी और उद्दापन दोनों ही सम्मिलित हैं।

35. राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा?

(a) धारा 97 (b) धारा 98

(c) धारा 100 (d) धारा 96

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के तहत किसी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है।

धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो **विकृतचित्त** आदि हो। धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्राप्त है।

36. किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा?

(a) लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य
(b) आपराधिक अतिचार को रोकने में
(c) जंगम संपत्ति की रक्षा में
(d) उपरोक्त सभी में

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा (आत्मरक्षा) का कोई अधिकार नहीं है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। यदि ऐसा कोई कार्य या प्रयत्न लोक सेवक के निदेश से किया जाता है, तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसी दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा।

37. आत्मरक्षा का अधिकार है-

(a) अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा
(b) दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा
(c) चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा
(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से धारा 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में उपबंध करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह-

पहला-मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे;

दूसरा- किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या इन अपराधों को करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम, चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प (d) सही उत्तर है।

38. महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है-

(a) भारतीय दंड संहिता में
(b) दंड प्रक्रिया संहिता में
(c) भारतीय संविधान में
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(a)

महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिसमें 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

39. प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है?

(a) शरीर से
(b) संपत्ति से
(c) शरीर व संपत्ति दोनों से
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसरण में, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है।

40. भा.दं.सं. की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?

(a) दहेज मृत्यु (Dowry death)
(b) बलात्कार (Rape)
(c) हत्या (Murder)
(d) कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide)

उत्तर—(b)

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 'बलात्संग (बलात्कार) के लिए दंड' से संबंधित है। धारा 375 में बलात्संग की 7 परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें बलात्संग के अपराध का गठन होता है।

41. भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराधिक षडयंत्र को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 120-क
(b) धारा 121
(c) धारा 154
(d) धारा 159

UPSI 20 July 2017

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 120-क में 'आपराधिक षडयंत्र' (Criminal Conspiracy) को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति (i) कोई अवैध कार्य अथवा (ii) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति 'आपराधिक षडयंत्र' कहलाती है।

42. भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा (Affray) परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 159 (b) धारा 160

(c) धारा 161 (d) धारा 148

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा (Affray) को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जबकि दो या अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर (झगड़कर) लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे 'दंगा' करते हैं। धारा 160 के अनुसार, दंगा के अपराध के लिए एक माह तक के कारावास या सौ रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

43. निम्न में से कौन-सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है?

(a) धारा 301 (b) धारा 303

(c) धारा 306 (d) धारा 314

उत्तर—(b)

'मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। धारा 303 के अनुसार, जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए, हत्या करेगा, वह मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

44. छल की सजा का संबंध निम्न में से आई.पी.सी. की किस धारा से है?

(a) धारा 415 (b) धारा 417

(c) धारा 416 (d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

भारतीय दंड संहिता की धारा 417 छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

45. निम्न में से कौन-सा अपराध है जिसकी तैयारी आई.पी.सी. में दंडनीय है?

(a) हत्या

(b) दहेज हत्या

(c) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना

(d) चोरी

उत्तर—(c)

भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है।

46. आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण (abetment) की सजा का प्रावधान आई.पी.सी. की किस धारा में किया गया है?

(a) धारा 306 (b) धारा 307

(c) धारा 308 (d) धारा 309

उत्तर—(a)

आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण (Abetment) की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में किया गया है इसके अनुसार, जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा।

47. आई.पी.सी. की धारा 320 में गहरी चोट (Grievous Hurt) में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है?

(a) 5 (b) 6

(c) 7 (d) 8

उत्तर—(d)

भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट (Grievous Hurt) में 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है।

48. आई.पी.सी. की किस धारा में विधि-विरुद्ध जमाव (Unlaw ful assembly) को परिभाषित किया गया है?

(a) 141 (b) 142

(c) 146 (d) 149

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि-विरुद्ध जमाव (Unlawful Assembly) को परिभाषित किया गया है।

49. एस. वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है?

(a) धारा 366-ए आई.पी.सी.

(b) धारा 364-ए आई.पी.सी.

(c) धारा 363 आई.पी.सी.

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

एस. वरदराजन बनाम स्टेट नामक वाद का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है।

50. रामू, सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन-सा अपराध किया?

(a) अतिचार (Trespass)

(b) गृह अतिचार (House trespass)

(c) सेंधमारी (House breaking)

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(c)

उक्त समस्या में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत 'सेंधमारी/गृह भेदन (House breaking) का अपराध किया।

51. निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है?

(a) मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में

(b) आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में

(c) उक्त दोनों

(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 यह स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से बच रहे किसी अभियुक्त, जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, मृत्यु कारित करने का अधिकार रहता है।

52. निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन (Unsound mind) का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है?

(a) मैकनॉटन केस

(b) आर.वी. प्रिंस केस

(c) आर.वी. डडले और स्टीफेन केस

(d) वी. गोविंदा

उत्तर—(a)

मैकनॉटन के केस में अस्वस्थ मन (Unsound mind) का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

53. निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है?

(a) जयदेव बनाम स्टेट

(b) महबूब शाह बनाम इंपरर

(c) आर. बनाम प्रिंस

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(a)

जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है।

54. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई?

(a) 1 जनवरी, 1973 (b) 1 अक्टूबर, 1973

(c) 1 जनवरी, 1974 (d) 1 अप्रैल, 1974

उत्तर—(d)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अप्रैल, 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी। यह उपबंध संहिता की धारा 1(3) में किया गया है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त हुई।

55. जमानतीय अपराध कौन-से हैं?

(a) दं.प्र.सं. की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है

(b) सभी समन्स विचारण के प्रकरण

(c) सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण

(d) सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं

उत्तर—(a)

'जमानतीय अपराध' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और 'अजमानतीय अपराध' से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है [धारा 2 (क)]।

56. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(c) परिभाषित करती है—

(a) जमानतीय अपराध (b) गैर-जमानतीय अपराध

(c) संज्ञेय अपराध (d) असंज्ञेय अपराध

उत्तर—(c)

दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 2(c)** में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है।

57. दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है–

(a) केवल मजिस्ट्रेट द्वारा

(b) पुलिस अधिकारी द्वारा

(c) सत्र न्यायालय द्वारा

(d) मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा

उत्तर–(d)

जांच (Inquiry) से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए धारा 2(छ)। अतः स्पष्ट है कि 'जांच' मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है।

'विचारण' (Trial) शब्द संहिता की धारा 2(छ) में प्रयोग किया गया है किंतु इसे पृथकतः परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी आपराधिक अभियोग को सिद्ध या असिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया 'विचारण' कहलाती है।

58. असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है, ऐसा अपराध जिसमें–

(a) एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता।

(b) एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है।

(c) एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है।

(d) परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है।

उत्तर–(a)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(ठ) 'असंज्ञेय अपराध' को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से अभिप्रेत है ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता है।

59. एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है-

(a) तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का

(b) पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का

(c) सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से, जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का

(d) सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या एक लाख रुपये के अनधिक जुर्माने का या दोनों का

उत्तर–(c)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के अतिरिक्त कोई ऐसा दंडादेश पारित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है।

60. कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है?

(a) मृत्युदंड

(b) किसी भी अवधि के लिए कारावास

(c) ऐसी अवधि के लिए कारावास जो तीन वर्षों से अनधिक हो

(d) ऐसी अवधि के लिए कारावास जो दो वर्षों से अनधिक हो

उत्तर–(c)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 की उपधारा (2) के अनुसार, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष तक की अवधि का कारावास या दस हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का दंडादेश पारित कर सकता है।

61. द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में कौन-सा दंडादेश पारित किया जा सकता है?

(a) दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास

(b) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास

(c) छः महीने से अनधिक अवधि के लिए कारावास

(d) केवल पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माना

उत्तर–(b)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29(3) के अनुसार, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है।

62. पुलिस अधिकरी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा-

(a) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है

(b) जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो

(c) जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्त्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता है

(d) उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में

उत्तर–(d)

धारा 41 उन परिस्थितियों की बात करती है जब एक व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट के आदेश व वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। विकल्प (a) धारा 41(1) (क) के अनुसार, विकल्प (b) 41 (1) (ग) के अनुसार तथा विकल्प (c) 41(1) (ड.) के अनुसार उचित है। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

63. दंड प्रकिया संहिता की धारा 41(ग) के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी?

(a) केवल जिला स्तर पर

(b) केवल राज्य स्तर पर

(c) केवल कमिश्नरी स्तर पर

(d) राज्य तथा जिला स्तर पर

उत्तर—(d)

दंड प्रक्रिया संहिता की 41 (ग) में पुलिस 'नियंत्रण कक्ष' का प्रावधान है जो राज्य सरकार (i) प्रत्येक जिले में तथा (ii) राज्य स्तर पर, स्थापित करेगी इन पुलिस नियंत्रण कक्षों में गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम आदि के ब्यौरे संगृहीत रहेंगे।

64. दंड प्रक्रिया संहिता की कौन-सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है?

(a) धारा 41 (b) धारा 45

(c) धारा 46 (d) धारा 50

उत्तर—(b)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 सशस्त्र/सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उपबंध का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है उक्त उपबंध लागू होंगे और केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार समझा जाएगा।

65. बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है?

(a) 12 घंटे

(b) 24 घंटे

(c) अपराध की संस्वीकृति तक

(d) चोरी की गई वस्तु बता देने तक

उत्तर—(b)

बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना, पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि 24 घंटे हो सकती है, किंतु इस निरुद्धि काल (Detention Period) की गणना में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाने में की गई यात्रा के समय की गणना नहीं की जाएगी (धारा 57)।

66. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है-

(a) उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जिसने वारंट जारी किया

(b) सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में

(c) राज्य के किसी भी स्थान पर

(d) भारत में किसी भी स्थान पर

उत्तर—(d)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 77 वारंट के निष्पादन के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 77 के अनुसार, गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।

67. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी है?

(a) मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम

(b) मोहम्मद उमर खान बनाम गुलशन बेगम

(c) सुबाना उर्फ सैरा बानू बनाम ए.एम. अब्दुल

(d) सिराज मोहम्मद खान बनाम हफीजुन्निशा यासीन खान

उत्तर—(a)

मो. अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 सु.को. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान सभी धर्मावलंबियों पर एक समान लागू होते हैं। अतः मुस्लिम महिला भी इसके अंतर्गत भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

68. विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने का समादेश कौन दे सकता है?

(a) कार्यपालक मजिस्ट्रेट (b) न्यायिक मजिस्ट्रेट

(c) थानेदार (d) (a) अथवा (c)

उत्तर—(d)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 129(1) के अंर्तगत किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने का समादेश कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, दे सकता है।

69. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है-

(a) केवल अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में

(b) किसी भी अपराध के संबंध में

(c) केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में

(d) केवल लिखित में

उत्तर—(c)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 (1) के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को केवल संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना लिखित या मौखिक रूप से दी जाती है।

70. निम्नलिखित में से कौन-सा एक वाद 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' पर एक दिग्दर्शक वाद है?

(a) ललिता कुमारी बनाम उ.प्र. राज्य

(b) मोती राम बनाम म.प्र. राज्य

(c) अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य

(d) नीलम कटारा बनाम भारत संघ

उत्तर—(a)

ललिता कुमारी बनाम उ.प्र. राज्य का वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पर एक दिग्दर्शक वाद है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करना आवश्यक है।

71. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत, बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा?

(a) थाने का प्रभारी अधिकारी

(b) उप-पुलिस अधीक्षक

(c) उपनिरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं

(d) महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी

उत्तर—(d)

दं.प्र.सं., 1973 के तहत धारा 157 'अन्वेषण के लिए प्रक्रिया' का उपबंध करती है। धारा 157(1) (ख) के परन्तुक [2008 (संशोधन) अधिनियम द्वारा अंत:स्थापित] के अनुसार, बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन उसके निवास पर या उसके इच्छा के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लेखबद्ध किया जाएगा। अत: विकल्प (d) सही है।

72. अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है—

(a) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष

(b) उच्च न्यायालय के समक्ष

(c) सत्र न्यायालय के समक्ष

(d) (b) और (c) दोनों के समक्ष

उत्तर—(d)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में किसी अजमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय से 'अग्रिम जमानत' (Anticipatory Bail) लेने का उपबंध है। अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को है। अग्रिम जमानत के प्रावधान को 1 मई, 1976 में उ.प्र. में निरसित कर दिया गया है जिसे पुन: प्रवर्तित किए जाने पर विचार चल रहा है।

73. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है-

(a) असंज्ञेय अपराध से

(b) केवल संज्ञेय अपराध से

(c) असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 'असंज्ञेय अपराध के विषय में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण' से संबंधित है।

74. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (सी)/2(ग) में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है?

(a) जमानती अपराध

(b) गैर-जमानती अपराध

(c) प्रसंगेय अपराध

(d) अप्रसंगेय अपराध

उत्तर—(c)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(सी)/2 (ग) 'संज्ञेय अपराध' (Cognizable offence) को परिभाषित करती है।

नोट- मूल प्रश्न में प्रसंगेय या अप्रसंगेय शब्द का उपयोग किया गया है जो सही नहीं है। सही शब्द संज्ञेय या असंज्ञेय है।

75. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (h)/2 (ज) में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है?

(a) अन्वेषण (b) दोष

(c) जांच (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(a)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (h)/2 (ज) में 'अन्वेषण' (Investigation) को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, अन्वेषण की कार्यवाहियां साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती हैं।

76. दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है?

(a) धारा 196

(b) धारा 197

(c) धारा 198

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है।

77. दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है, तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा?

(a) धारा 161 (b) धारा 162

(c) धारा 163 (d) धारा 164

उत्तर—(b)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है, तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।

78. निम्न में से सत्य कथन चुनिए-

(a) संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है।

(b) उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय

(c) उक्त दोनों

(d) केवल (a)

उत्तर—(c)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ग) के अनुसार, 'संज्ञेय अपराध' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। धारा 2 (ङ) के अनुसार, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय। अतः उक्त दोनों कथन सत्य हैं।

79. अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगेय है अथवा अप्रसंगेय, जमानती है अथवा गैर-जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में उल्लेखित प्रावधान से होता है-

(a) भारतीय दंड संहिता

(b) साक्ष्य अधिनियम

(c) पुलिस रेग्युलेशन

(d) दंड प्रक्रिया संहिता

उत्तर—(d)

अपराधी द्वारा कारित अपराध 'संज्ञेय' है अथवा 'असंज्ञेय', जमानती है अथवा 'गैर-जमानती', इसका निर्धारण दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधान से होता है।

नोट- मूल प्रश्न में प्रसंगेय या अप्रसंगेय शब्द का उपयोग किया गया है जो सही नहीं है। सही शब्द संज्ञेय या असंज्ञेय है।

80. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1) (घ) के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता-पिता के भरण-पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता-पिता स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं?

(a) केवल पुत्र (b) केवल पुत्री

(c) पुत्र एवं पुत्री दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1) (घ) के अंतर्गत पुत्र एवं पुत्री दोनों अपने माता-पिता के भरण-पोषण के जिम्मेदार हैं, यदि माता-पिता स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है।

81. एक फरार अपराधी वह होता है जो-

(a) घर से भाग कर छिप गया हो

(b) विवेचक को पुष्ट सूचना है कि वह फरार हो गया है

(c) पड़ोसियों व उसके साथियों का बयान है कि वह भाग गया है

(d) जिसके विरुद्ध धारा 82 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो

उत्तर—(d)

एक फरार अपराधी वह होता है जिसके विरुद्ध धारा 82 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो।

82. लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है?

(a) जिला जज

(b) जिला मजिस्ट्रेट

(c) डी.जी. प्रोजीक्यूशन

(d) पुलिस जिला प्रभारी

उत्तर—(b)

लोक अभियोजक जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करते हैं।

83. जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है, तो-

(a) थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा

(b) थाना प्रभारी द्वारा जमानत न दिए जाने के कारण को रोजनामचा आम में इन्द्राज करना आवश्यक होगा

(c) उक्त दोनों

(d) थाना प्रभारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा

उत्तर—(a)

जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है, तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा।

84. बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है?

(a) किसी की नहीं

(b) जिलाधिकारी की

(c) पुलिस अधीक्षक की

(d) न्यायालय की

उत्तर—(d)

किसी बंदी को न्यायालय में हथकड़ी लगाकर लाना- ले जाना या रस्सियों से बांधना उसके प्रति अमानवीय बर्ताव है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा सुनील बत्रा केस में कहा तथा यह भी निर्देश किया नियमित तौर पर किसी बंदी को हथकड़ी लगाकर नहीं रखा जाए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि केवल अपवादिक परिस्थितियों में हथकड़ी लगाने की स्थिति में भी पहले न्यायिक अनुमति लिया जाना चाहिए। अतः उक्त निर्णय के प्रकाश में विकल्प (d) सही है।

85. संक्षिप्त विचारण (Summary trial) में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है?

(a) तीन माह से अधिक नहीं

(b) छः माह से अधिक नहीं

(c) एक साल से अधिक नहीं

(d) दो साल से अधिक नहीं

उत्तर—(a)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 (2) के अनुसार, संक्षिप्त विचारण में तीन माह तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है।

86. जी.डी. तथा सी.डी. के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है?

(a) पुलिस अधीक्षक

(b) पुलिस आयुक्त

(c) पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय

(d) किसी की नहीं

उत्तर—(a)

जी.डी. (General Diary) तथा सी.डी. (Case Diary) के प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की मुहर लगी होती है।

87. दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है?

(a) धारा 151 (b) धारा 161

(c) धारा 165 (d) धारा 197

उत्तर—(a)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है।

88. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) कारावास के दंड की सजा दे सकता है-

(a) 7 वर्ष से अधिक नहीं

(b) 7 वर्ष से अधिक

(c) आजीवन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(a)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(1) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास के दंड की सजा दे सकता है।

89. पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है?

(a) रक्त जांच (b) डी.एन.ए. जांच

(c) ब्रेन मैपिंग (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(b)

पैतृकता का निर्धारण अब डी.एन.ए. जांच द्वारा संभव है।

90. अपराध अन्वेषण में डी.एन.ए. टेस्ट क्या सिद्ध करता है?

(a) अपराधी की आकृति

(b) अपराधी की संभावित लंबाई

(c) जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान

(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

अपराध अन्वेषण में डी.एन.ए. टेस्ट जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान सिद्ध करता है।

91. पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है?

(a) रक्त जांच

(b) डी.एन.ए. जांच

(c) लाई डिटेक्टर जांच

(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में डी.एन.ए. जांच में स्वीकार किया जाता है।

92. अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है?

(a) नार्को टेस्ट (b) ब्रेन मैपिंग टेस्ट

(c) पोलीग्राफ टेस्ट (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट तथा पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है।

93. कैदी शिनाख्त अधिनियम (Identification of Prisoners Act) की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है?

(a) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

(b) मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी

(c) कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(d) जिला मजिस्ट्रेट

उत्तर—(a)

कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करता है।

94. वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए-

(a) सत्य और निश्चित (b) मानवीय

(c) सुविधाजनक (d) उक्त सभी

उत्तर—(a)

वैज्ञानिक साक्ष्य सत्य और सुनिश्चित होते हैं।

95. पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त 'अ' ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति (Confession) की। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अनुसार, यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है?

(a) धारा 26 (b) धारा 27

(c) धारा 25 (d) धारा 29

उत्तर—(a)

पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त 'अ' ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति (Confession) की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के अनुसार, यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है।

महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान

महिला संरक्षण : विधिक प्रावधान

❑ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (The Dowry Prohibition Act, 1961)

☞ इस अधिनियम का नाम **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है।

☞ **अधिनियम 20 मई, 1961** को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ।

☞ **अधिनियम 1 जुलाई, 1961** से लागू है।

☞ **हरबंश सिंह बनाम गुरचरण कौर** के वाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी।

दहेज की परिभाषा (Definition of dowry) [धारा 2]- दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय-

(i) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या

(ii) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दिए जाने का करार किया गया है।

☞ **अधिनियम की धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति (Penalty for giving or taking dowry)** का प्रावधान है।

UPSI 17 July 2017

☞ यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात **दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरण करेगा** वह दंड के लिए दायी होगा।

☞ दंड के रूप में वह **कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो पन्द्रह हजार रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, दोनों में जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा।**

UPSI 18 July 2017

UPSI 21 July 2017

☞ **अधिनियम में धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के लिए शास्ति (Penalty for demanding dowry) का प्रावधान है।**

☞ यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति, वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी **दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा** तो दंड का भागी होगा।

☞ **धारा 4** के अधीन कम से कम छह मास और अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा।

☞ **विनय कुमार बनाम उ.प्र. राज्य** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के **सात वर्ष के भीतर** ही मर गई और तंग किए जाने और क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दिया था वहां, अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि मान्य है।

☞ दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है। ऐसा करने पर कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो **पन्द्रह हजार रुपये** तक का हो सकता है दंडनीय होगा [धारा 4- क]।

☞ दहेज देने या लेने के लिए **करार शून्य** होगा [धारा 5]।

☞ पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय में पत्नी को नहीं दे दिया जाता तो कारावास से जो **न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष तथा जुर्माने से जो 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक हो सकेगा**, इस दंड का प्रावधान धारा 6 में है।

☞ धारा 7 के अधीन **अपराधों का संज्ञान** लिया जाता है।

☞ **महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट** अपराध का विचारण करेगा।

☞ न्यायालय अपराध संज्ञान निम्नलिखित परिस्थितियों में लेगा-

(i) पुलिस रिपोर्ट के आधार पर,

(ii) न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर,

(iii) व्यथित व्यक्ति या उसके माता-पिता या उसके अन्य नातेदार के परिवाद पर, एवं

(iv) किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर।

☞ इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक **अपराध अजमानतीय (Non-Bailable) और अशमनीय (Non-Compoundable)** होगा [धारा 8]।

☞ जब कोई व्यक्ति **धारा 3** के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या **धारा 4** के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है तब यह **साबित करने का भार** उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है [धारा 8- क]।

☞ **राज्य सरकार** जितनी आवश्यकता हो उतनी दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। [धारा 8-ख]।

☞ **दहेज प्रतिषेध अधिकारी** निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगा-

(i) यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है,

(ii) दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथा संभव रोकना,

(iii) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो आदि।

☞ राज्य सरकार **दहेज प्रतिषेध अधिकारी** को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है।

☞ केंद्रीय सरकार **धारा 9** के अंतर्गत नियम बना सकती है।

☞ **धारा 9** के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष **तीस दिन की अवधि के लिए** रखा जाएगा।

☞ राज्य सरकार **धारा 10** के अंतर्गत नियम बना सकेगी।

☞ राज्य सरकार द्वारा **धारा 10** के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

❑ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from domestic violence Act, 2005)

☞ इस अधिनियम का नाम **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है।

☞ इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति **13 सितंबर, 2005** को मिली।

☞ यह अधिनियम **17 अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त (लागू)** है।

☞ यह अधिनियम **परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित** महिलाओं के लिए है।

☞ **महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए** यह अधिनियम निर्मित है।

☞ इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं-

व्यथित व्यक्ति (Aggrieved Person)- व्यथित व्यक्ति से आशय ऐसी **पीड़ित महिला** से है जो प्रत्युत्तरदाता (Respondent) की घरेलू नातेदारी में है या रही है।

प्रत्युत्तरदाता (Respondent)- प्रत्युत्तरदाता से कोई वयस्क पुरुष जाना जाता है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की मांग की है।

घरेलू घटना रिपोर्ट (Domestic incident report)- घरेलू घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के किसी परिवाद (Complaint) पर प्राप्त हुआ है।

घरेलू नातेदारी (Domestic Relationship)- घरेलू नातेदारी से **दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी जानी जाती है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं।** वे आपस में रक्त संबंध द्वारा, विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण जैसी प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं।

दहेज (Dowry)- दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

मौद्रिक अनुतोष (Monetary Relief)- मौद्रिक अनुतोष ऐसा प्रतिकर (Compensation) है जो घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए आवेदन की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्युत्तरदाता को आदेशित किया जाता है।

साझी गृहस्थी (Shared Household)-साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी जानी जाती है जहां व्यथित व्यक्ति रहती है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्युत्तरदाता के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुकी है। इसमें ऐसी गृहस्थी भी आती है जिसमें व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता के संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराएदारी हो।

आश्रय गृह (Shelter Home)- आश्रय गृह से ऐसा गृह जाना जाता है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आश्रय गृह होना अधिसूचित करे।

घरेलू हिंसा की परिभाषा (Definition of domestic Violence) [धारा3]- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्युत्तरदाता (Respondent) का कोई कार्य, लोप (कोई कार्य करना चाहिए परंतु नहीं करना) या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह- व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करता है।

● संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं इत्यादि की शक्तियां और कर्त्तव्य (Powers and duties of Protection Officers, Service Providers etc)

☞ **कोई व्यक्ति**, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह इससे जुड़े अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। (धारा 4)

☞ **जिस व्यक्ति ने सद्भाव में** ऐसी सूचना दी है उसे किसी सिविल या दांडिक दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा।

☞ जब किसी **पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट** को किसी घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त होता है तो उनका कर्त्तव्य है कि वह व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में जानकारी दें-

(i) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की;

(ii) संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की;

(iii) निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की;

(iv) भारतीय दंड संहिता की **धारा 498-क** के अधीन परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार की।

☞ यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से उसको (व्यथित व्यक्ति) आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है तो उसे **आश्रय प्रदान किया जाएगा**।

☞ **राज्य सरकार** प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितना वह आवश्यक समझे (धारा 8)।

☞ संरक्षण अधिकारी **यथासंभव महिलाएं होंगी** और उनके पास ऐसी योग्यताएं एवं अनुभव होगा, जैसा कि प्रावधानित किया गया है।

☞ **संरक्षण अधिकारियों के कर्त्तव्य और कृत्य** संरक्षण अधिकारियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे-

(i) किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना;

(ii) मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत होने पर घरेलू घटना की रिपोर्ट करना;

(iii) भारसाधक पुलिस अधिकारी तथा उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को हिंसा की शिकायत की प्रतियां अग्रसारित करना,

(iv) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है,

(v) सभी सेवा प्रदाताओं, विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले आदि की एक सूची रखना।

☞ **सरकार के कर्त्तव्य**- केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित सुनिश्चित करने का सभी उपाय करेगी-

(i) इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर सार्वजनिक माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। समाचार माध्यम में **टेलीविजन, रेडियो और मुद्रण** आते हैं।

(ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों जिसके अंतर्गत **पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य** भी हैं उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है।

● अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया (Procedure for obtainnig orders of Relief)

☞ **मजिस्ट्रेट को आवेदन**- मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख निश्चित करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक पश्चात् की तारीख नहीं होगी (धारा 12)।

☞ मजिस्ट्रेट दिए गए प्रत्येक आवेदन को **प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निस्तारण** करने का प्रयास करेगा (धारा 12)।

☞ **सूचना की तामीली (Service of Notice)**- सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी।

☞ संरक्षण अधिकारी इस सूचना को प्राप्ति की तारीख से अधिकतम **दो दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्तियुक्त समय के भीतर** जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाए प्रत्युत्तरदाता (Respondent) को तामील करवाएगा।

☞ **कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना (Proceedings to be held In Camera)**- यदि कोई पक्षकार इस कार्यवाही को बंद कमरे में कराने की इच्छा मजिस्ट्रेट से करे तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है (धारा 16)।

☞ **संरक्षण आदेश**- मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर व्यथित व्यक्ति के पक्ष में तथा प्रत्युत्तरदाता को निम्न हेतु निषिद्ध करते हुए संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा-

(i) घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना;

(ii) घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरित करना;

(iii) व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में प्रवेश करना;

(iv) यदि व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां व्यथित व्यक्ति बार-बार आता-जाता है, प्रवेश करना आदि।

☞ **धनीय अनुतोष (Monetary Relief) (धारा 20)**- आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और उसके किसी संतान को नुकसान की पूर्ति के लिए धन संबंधी अनुतोष प्रत्युत्तरदाता से करवाएगा। ऐसे अनुतोष निम्नलिखित हैं-

(i) उपार्जनों की हानि;

(ii) चिकित्सकीय खर्चे;

(iii) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि;

(iv) उसकी संतान, यदि कोई हो तो उसके साथ-साथ व्यथित व्यक्ति के लिए भरण-पोषण;

(v) भरण-पोषण के लिए समुचित एकमुश्त या मासिक राशि देने का आदेश दिया जा सकता है।

☞ **प्रतिकर आदेश (Compensation Orders)**- अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक संकट आदि के लिए प्रत्युत्तरदाता को प्रतिकर और नुकसानी देने का आदेश पारित कर सकते हैं (धारा 22)।

☞ **अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति (Power to grant interim and ex parte order)**- मजिस्ट्रेट अपने समक्ष किसी कार्यवाही में ऐसा अंतरिम आदेश जो उचित और न्यायोचित हो पारित कर सकता है।

☞ कुछ परिस्थितियों में **मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी अर्थात् प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश भी दे सकता** है।

☞ **अधिकारिता (Jurisdiction)**- प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश, अपराधों का विचारण आदि के लिए सक्षम न्यायालय होगा।

☞ इस अधिनियम के अधीन किया गया **आदेश संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय** (लागू) होगा।

☞ **अपील (Appeal) (धारा 29)**- मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी (Respondent) दोनों में से जिसे वाद में तामील किया गया है, उस तारीख से **तीस दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी**।

● **प्रकीर्ण (Miscellaneous)**

☞ **प्रत्युत्तरदाता द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति (Penalty for breach of protection order by respondent) [धारा 31]**- प्रत्यर्थी (Respondent) द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश को भंग करना अपराध होगा।

☞ इसके लिए अपराधी को ऐसे कारावास से **जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये** तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

संज्ञान और सबूत (Cognizance and Proof)-

☞ अपराध **संज्ञेय और अजमानतीय (Cognizable and non-bailable)** होगा।

☞ व्यथित व्यक्ति के **एकमात्र साक्ष्य** पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है।

☞ **संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति (Penalty for not discharging duty by protection officer) [धारा 33]**- यदि कोई संरक्षण अधिकारी, संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित अपने कर्त्तव्यों में असफल रहता है तो उसे ऐसे कारावास से जो **एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये** तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

☞ **संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान:**-संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद दाखिल नहीं किया जाता है।

☞ अधिनियम की **धारा 37** के अनुसार केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

☞ इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष **तीस दिन की अवधि** के लिए रखा जाएगा।

❑ स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 [Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986]

☞ अधिनियम का नाम **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986** है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है।

☞ अधिनियम **2 अक्टूबर, 1987** से लागू है।

☞ **अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं [धारा 2]**

(क) विज्ञापन (Advertisement)- विज्ञापन के अधीन कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज अथवा ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण जाना जाता है।

(ख) वितरण (Distribution)- वितरण के अंतर्गत नमूने के रूप में वितरण शामिल है चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा।

(ग) स्त्री अशिष्ट रूपण (Indecent representation of Women) - स्त्री अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत है स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो। जिससे दुराचार भ्रष्टाचार या लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचाने की संभावना हो।

(घ) लेबल (Label) - लेबल से अभिप्रेत है कोई पैकेट, लिखित, चिह्नित, सील द्वारा मुद्रित, रेखाचित्र आदि कोई सामग्री।

(ड़) पैकेज (Package) - पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टून, टिन या अन्य पैकेट शामिल हैं।

☞ कोई व्यक्ति **किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा न करवाएगा** जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो। [धारा 3]।

☞ कोई व्यक्ति किसी **ऐसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या न उसमें भाग लेगा** जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो।

☞ कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पत्रिका, पेपर, स्लाइड, लेखन फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र, छायाचित्र, रूपण या चित्र जिसमें स्त्री का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो उसका-

(i) न तो उत्पादित करेगा न कराएगा,

(ii) न तो विक्रय करेगा और न उसे किराए पर देगा,

(iii) न तो उसका वितरण करेगा या न डाक द्वारा भेजेगा।

(iv) परंतु यदि लोकहित में न्यायोचित हो तो प्रकाशन करेगा। इसी प्रकार धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी करेगा। [धारा 4]।

☞ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई **राजपत्रित अधिकारी** अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां उसके विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध घटित किया जा रहा है तो वहां **प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा** [धारा 5]।

☞ कोई विज्ञापन या पुस्तक, फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र आदि को **जब्त कर सकेगा**।

☞ कोई **रिकॉर्ड रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य कोई मौलिक पदार्थ** जो साक्ष्य के रूप में काम दे जब्त कर सकेगा।

☞ किसी निवास गृह में **बिना वारंट प्रवेश नहीं** करेगा।

☞ इस अधिनियम के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करने पर

(i) प्रथम दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास से जो **2 वर्ष तक की हो सकेगी और दो हजार रुपये तक जुर्माना से दंडनीय** होगा।

(ii) **द्वितीय और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में** ऐसे कारावास से जो न्यूनतम छह महीने तथा अधिकतम 5 वर्ष तक और जुर्माने से जो न्यूनतम 10 हजार एवं अधिकतम एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा [धारा 6]।

☞ कंपनियों द्वारा ऐसे अपराध को किए जाने पर **कंपनी तथा वह व्यक्ति जो कंपनी के उत्तरदायी पद पर तैनात है** दोनों दायी होंगे।

☞ अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तथा यह सिद्ध हो जाता है कि **किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव आदि के उपेक्षा के कारण** हुआ है तो सिर्फ वही व्यक्ति दायी होंगे।

☞ इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध **जमानतीय** होंगे [धारा 8]।

☞ इस अधिनियम के अधीन अपराध **संज्ञेय** होंगे [धारा 8]।

☞ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध **सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी**।

☞ **केंद्रीय सरकार** इस अधिनियम के उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी।

❑ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 [Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956]

☞ यह अधिनियम अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 कहा जाता है।

☞ **अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है।**

☞ अधिनियम को **30 दिसंबर, 1956** को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और तुरंत इसी तारीख से लागू हो गया।

☞ **अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं [धारा 2]**

(i) **वेश्यागृह (Brothel) -** वेश्यागृह के अंतर्गत कोई घर, कमरा, सवारी (Conveyance) या स्थान अथवा इसका कोई भाग अभिप्रेत है। इसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(ii) **बालक (Child)-** बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। (यहां बालक से मतलब बालक एवं बालिका दोनों से है।)

(iii) **सुधार संस्था (Corrective Institution) -** सुधार संस्था से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध रखा जाता है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत वह आश्रय भी है जहां विचारणीय व्यक्तियों को रखा जाता है।

(iv) **वयस्क (Major)-** वयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(v) **अवयस्क (Minor)-** अवयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(vi) **वेश्यावृत्ति (Prostitution)-** वेश्यावृत्ति से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग तात्पर्यित है।

(vii) **संरक्षा गृह (Protective home)-** संरक्षा गृह ऐसी संस्था है जिसमें अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों जिनकी देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, रखा जाता है।

(viii) **सार्वजनिक स्थान (Public Place)-** सार्वजनिक स्थान से ऐसा कोई स्थान जाना जाता है जो जनता के प्रयोग के लिए आशयित हो या जहां तक जनता की पहुंच हो।

☞ कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है अथवा उसको चलाने या उसके प्रबंध में काम करता है या सहायता करता है वह-

(i) **प्रथम दोषसिद्धि पर** न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष तक कठोर कारावास से तथा दो हजार रुपये तक जुर्माना से दंडित होगा।

(ii) **द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में** न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और दो हजार रुपये तक जुर्माने से दंडनीय होगा [धारा 3]।

☞ किसी किराएदार, पट्टेदार, अधिभोगी, मालिक, या अभिकर्ता द्वारा परिसर का वेश्यागृह हेतु उपयोग करना या अनुज्ञा देना **प्रथम दोषसिद्धि पर** 2 वर्ष तक के कारावास तथा 2000 तक जुर्माने से तथा **द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर** '5 वर्ष तक के' कठोर कारावास तथा 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

☞ **18 वर्ष की आयु से अधिक** का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की **वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर** पूर्णतः या भागतः जीवन निर्वाह करेगा वह-

(i) ऐसे कारावास से जो **2 वर्ष तक का होगा या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।** [धारा 4]।

☞ जब इस प्रकार का उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है, वहां वह **न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से** दंडित होगा।

☞ **18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के बारे में** वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जानबूझकर जीवन निर्वाह करने के रूप में माना जाएगा जब वह निम्नलिखित कोई कार्य करे-

(i) किसी वेश्या के साथ निवास करता है या अभ्यासतः उसके संग रहता है,

(ii) किसी वेश्या की गतिविधियों का ऐसी रीति से नियंत्रण या निदेशन करता है कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए सहायता दे रहा है या विवश कर रहा है,

(iii) किसी वेश्या के दलाल के रूप में कार्य करता है।

☞ जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को **चाहे उसकी सम्मति से या सम्मति के बिना** वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा वह निम्नलिखित दंड से दंडित होगा [धारा 5]-

(i) **न्यूनतम तीन वर्ष** और **अधिकतम 7 वर्ष** का कठोर कारावास और दो हजार रुपये तक जुर्माना भी।

(ii) यदि ये अपराध इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो **न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास।**

(iii) उपरोक्त अपराध में यदि बालक (Child) है तो **न्यूनतम 7 वर्ष का कठोर कारावास जो बढ़कर आजीवन** भी हो सकता है।

(iv) उपरोक्त अपराध में यदि **अवयस्क** है तो न्यूनतम 7 वर्ष का कठोर कारावास जो बढ़कर 14 वर्ष तक हो सकता है।

☞ कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या सम्मति के बिना निम्न कार्य करेगा-

(i) **किसी वेश्यागृह** में निरुद्ध करेगा;

(ii) किसी परिसर में इस आशय से निरुद्ध करेगा कि वह दूसरे के साथ मैथुन करे **जबकि वे दोनों पति-पत्नी नहीं** हों तो वे निम्नलिखित दंड से दंडित होंगे; या

(iii) **सादा या कठिन कारावास** जो कम से कम 7 वर्ष जो बढ़कर आजीवन भी हो सकता है और जुर्माने से भी [धारा 6]।

☞ वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति सार्वजनिक स्थल के समीप की जाएगी वह **तीन मास तक के कारावास से दंडनीय** होगा।[धारा 7]।

☞ **सार्वजनिक स्थल** के समीप का अर्थ है- धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्यागृह (nurshing home) या अन्य कोई ऐसे सार्वजनिक स्थान से दो सौ मीटर की दूरी के अंदर हो।

☞ उपर्युक्त अपराध यदि **किसी बालक या अवयस्क** के साथ हो रहा है तो अपराधी सादा या कठिन कारावास से जो न्यूनतम 7 वर्ष जो बढ़कर 10 वर्ष तक का या आजीवन भी हो सकेगा दंडित किया जाएगा साथ में जुर्माना भी देय होगा।

☞ किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रय लेने देगा वह-

(i) प्रथम दोषसिद्धि पर **तीन मास तक का कारावास या दो सौ रुपये तक का जुर्माना या दोनों से** दंडित होगा।

(ii) द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में **छह मास तक का कारावास और दो सौ रुपये तक के जुर्माने** से दंडित होगा।

(iii) सार्वजनिक स्थान या परिसर में यदि होटल हो तो ऐसे होटल का कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस **न्यूनतम तीन माह और अधिकतम एक वर्ष** के लिए निलंबित रहेगा।

(iv) यदि अपराध किसी होटल में किसी **बालक या अवयस्क** के साथ होता है तो होटल का लाइसेंस रद्द हो जाएगा।

☞ जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान से दिखाई देते हुए या ऐसी रीति से जिसमें दिखाई या सुनाई दे निम्न कोई कार्य करे तो उसे अपराधी माना जाएगा [धारा 8]-

(i) **कोई शब्द, अंग-विक्षेप, अपने शरीर को जानबूझकर दिखाना** ताकि किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए लुभाया जा सके; या

(ii) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति से **याचना करेगा या छेड़छाड़ करेगा अथवा घूमता-फिरता रहेगा**।

☞ उपर्युक्त अपराध के प्रथम दोषसिद्धि **पर छह मास तक के कारावास से या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से** दंडनीय होगा।

☞ द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में **एक वर्ष तक के कारावास और पांच सौ रुपये तक** जुर्माने से दंडनीय होगा।

☞ यदि अपराध करने वाला व्यक्ति पुरुष है तो कारावास **न्यूनतम 7 दिन तथा अधिकतम 3 माह तक** का हो सकेगा।

☞ कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा या देख-रेख रखते हुए उस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभित किए जाने देगा या उसमें सहायता करेगा वह सादा या कठिन कारावास से जो **न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा** [धारा 9]।

☞ **राज्य सरकार** इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे [धारा 13]।

☞ **विशेष पुलिस अधिकारी** पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

☞ राज्य सरकार इस काम के लिए **सेवानिवृत्त पुलिस या सेना अधिकारी** को नियुक्त कर सकती है परंतु ये पुलिस निरीक्षक या कमीशंड अधिकारी से नीचे का नहीं होगा।

☞ किसी क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए इतने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी दिए जाएंगे जितनी **राज्य सरकार उचित समझे**।

☞ अधीनस्थ अधिकारी में **स्त्री पुलिस अधिकारी** भी रहेंगी, जरूरत पड़ने पर।

☞ पुलिस अधिकारी को सलाह देने के लिए **एक अशासकीय सलाहकार निकाय** रहेगी जो पांच सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता से मिलकर बनेगी जिसमें जरूरत रहने पर स्त्री सामाजिक कल्याणकर्ता भी होंगी।

☞ इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध **संज्ञेय अपराध** माना जाएगा [धारा 14]।

☞ **वारंट के बिना गिरफ्तारी** केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके निदेश अथवा उसके पूर्व अनुमोदन के अधीन की जाएगी [धारा 15]।

☞ जब कभी विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि किसी परिसर में अपराध हो रहा है या होने वाला है और वारंट लेने में विलंब हो जाएगा तो उस परिसर में **वारंट के बिना प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा**।

☞ तलाशी करने से पूर्व यथास्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी तलाशी लेने वाले स्थान से **दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों (जिनमें से कम-से-कम एक स्त्री होगी)** को हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने के लिए लिखित आदेश देगा।

☞ जब पुलिस से प्राप्त सूचना या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति **वेश्यागृह में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है या करवाई जा रही है** तो मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देगी कि वह वेश्यागृह में प्रवेश कर उस व्यक्ति को वहां से हटाए और मेरे समक्ष पेश करे [धारा 16]।

☞ पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हटाने के पश्चात् तुरंत उसे **मजिस्ट्रेट के समक्ष** पेश करेगा।

☞ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके **माता-पिता, संरक्षक या पति को सौंपने के पूर्व** उसके असलीपन के बारे में किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण कराकर अपना समाधान कर सकेगा।

☞ मजिस्ट्रेट को जब पुलिस से या अन्यथा यह सूचना मिल जाती है कि **किसी सार्वजनिक स्थान से दो सौ मीटर की दूरी के अंदर किसी घर, कमरे या स्थान में या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यागृह चलाया जा रहा है अथवा वेश्याओं द्वारा व्यापार चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है,** तब मजिस्ट्रेट ऐसे घर के स्वामी, अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति को सूचना देगा [धारा 18]।

☞ सूचना प्राप्ति के **सात दिन के अंदर** कारण बताने के लिए कहेगा कि क्यों न उसके अनुचित उपयोग के कारण घर को कुर्क कर दिया जाए।

☞ संबंधित व्यक्तियों को सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाने पर कि उस घर, कमरे या उसके किसी भाग का प्रयोग वेश्यागृह चलाने के लिए किया जा रहा है तब मजिस्ट्रेट आदेश पारित करेगा कि **आदेश से सात दिन के अंदर** उस घर, कमरे या उसके किसी भाग के अधिभोगी को बेदखल कर दिया जाए।

☞ जब मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान में रहने वाला या प्रायः जाने वाला **कोई व्यक्ति वेश्या** है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को सूचना भेजेगा कि वह मेरे समक्ष हाजिर हो [धारा 20]।

☞ सूचना में यह बात लिखी रहेगी कि **वह अपने आप हट जाएं नहीं तो उसे क्यों न पुनः प्रवेश से रोक दिया जाए**।

☞ सुनवाई के बाद दोषी पाने पर उसे **7 दिन** में वहां से हटने का आदेश देगा।

☞ आदेश का अनुपालन न होने पर वह **200 रुपये जुर्माने** से दंडित होगा।

☞ अपराध लगातार जारी रहने की दशा में प्रथम दिन के पश्चात् **प्रत्येक दिन 20 रुपये के अतिरिक्त दंड** से दंडित होगा।

☞ राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जितने **संरक्षा गृह और सुधार संस्थाएं**, आवश्यक समझती है स्वविवेकानुसार स्थापित कर सकेगी [धारा 21]।

☞ इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण निम्न दंडाधिकारी करेंगे -

(i) **महानगर मजिस्ट्रेट; या**

(ii) **प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट** [धारा 22]।

☞ जब राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि किसी जिला या महानगर क्षेत्र में अपराधों के **शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए** विशेष न्यायालय की आवश्यकता है तब राज्य सरकार **उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात** उस जिला या महानगर क्षेत्र में यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगर मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी [धारा 22 (क)]।

☞ यदि **केंद्रीय सरकार** को यह समाधान हो जाता है कि एक से अधिक राज्यों में किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय की आवश्यकता है तब वह संबंधित राज्य के **उच्च न्यायालय से परामर्श** के पश्चात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगर मजिस्ट्रेटों का एक या अधिक न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

☞ **राज्य सरकार** आवश्यक समझे तो संक्षिप्त विचारण करवा सकती है।

☞ संक्षिप्त विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दंड तीन मास तक ही होता है परंतु इस अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त विचारण में **दंड एक वर्ष तक हो** सकता है (धारा 22 - ख)।

☞ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम बनाने का उद्देश्य **वेश्यावृत्ति को समाप्त करना** है।

बालक संरक्षण : विधिक प्रावधान

❑ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)

☞ अधिनियम का संक्षिप्त नाम **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है।

☞ अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति **19 जून, 2012** को प्राप्त हुई।

☞ अधिनियम **14 नवंबर, 2012 से प्रवृत्त (लागू)** है।

☞ संविधान के **अनुच्छेद 15 का खंड (3)** राज्य को महिला एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है।

☞ संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को भारत सरकार ने भी **11 दिसंबर, 1992 को अंगीकृत** किया है।

☞ **लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य** के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम बना है।

☞ **बालकों का लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग** जघन्य अपराध है, उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

☞ **अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं-**

बालक (Child)- बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु **अठारह वर्ष से कम** है। **बालक से मतलब बालक एवं बालिका** दोनों से है।

घरेलू संबंध (Domestic Relationship)- घरेलू संबंध का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा से **महिला संरक्षण अधिनियम, 2005** में दिया गया है।

साझी गृहस्थी (Domestic Relationship)- साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहता है या किसी समय रह चुका है।

● बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध (Sexual Offences Against Children)

☞ **प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault)**- जब कोई व्यक्ति अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक/बालिका (Child) की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या किसी अन्य व्यक्ति से बालक/बालिका (Child) को करवाता है तो इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं [धारा 3]।

☞ **जब कोई व्यक्ति**, बालक/बालिका (Child) के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या किसी व्यक्ति से बालक से ऐसा करवाता है तो भी इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं।

☞ जो कोई **प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा**, वह सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि **सात वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास तक** हो सकती है **और जुर्माने** से भी दंडित हो सकता है (धारा 4)।

☞ **लैंगिक हमला (Sexual Assault)**:- जो कोई, बालक/बालिका (Child) की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से बालक/बालिका (Child) से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें लिंग का प्रवेशन हुए बिना शारीरिक संपर्क होता है, उसे **लैंगिक हमला** कहते हैं [धारा 7]।

☞ **लैंगिक हमला करना** सादा या कठिन कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं किंतु पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

● गुरुतर लैंगिक हमला (Aggravated Sexual Assault) [धारा 5]

☞ निम्न परिस्थितियों में **गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा**-

(i) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए या लोक सेवक होते हुए बालक/बालिका (Child) पर लैंगिक हमला करता है, वह **गुरुतर लैंगिक हमला** करता है।

(ii) जो कोई, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (Remand Home), संरक्षक गृह आदि का संरक्षण होते हुए बालक/बालिका पर लैंगिक हमला करता है, वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है।

(iii) जो कोई, किसी अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आदि का प्रबंधक या कर्मचारीवृंद होते हुए किसी बालक/बालिका पर लैंगिक हमला करता है, वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है।

(iv) बालक/बालिका (Child) पर सामूहिक लैंगिक हमला या बालक/बालिका की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए उस पर लैंगिक हमला करता है, वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है।

जो **कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला** करेगा वह **कठोर कारावास** से जिसकी अवधि **10 वर्ष से कम की नहीं** होगी किंतु जो **आजीवन कारावास तक** हो सकती है **और जुर्माने** से भी दंडित किया जायेगा [धारा 6]।

☞ जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा **वह सादा या कठिन कारावास** से जिसकी अवधि **पांच वर्ष से कम नहीं किंतु सात वर्ष तक** हो सकेगी **और जुर्माने** से भी दंडित होगा। [धारा 10]।

लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)- जब कोई व्यक्ति, किसी बालक/बालिका पर निम्नलिखित रूपों में कुछ करता है तो उसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है-

(i) कोई शब्द कहे और बालक/बालिका उसे सुने, अंग विक्षेप करे और बालक/बालिका उसे देखे या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग अश्लील उद्देश्य से बालक/बालिका को दिखाए।

(ii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक/बालिका को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

☞ जो कोई व्यक्ति, **किसी बालक/बालिका पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा** वह सादा या कठिन **कारावास** से जिसकी अवधि **तीन वर्ष तक** हो सकेगी **और जुर्माने** से भी दंडित होगा।

● अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक/बालिका का उपयोग और उसके लिए दंड (Using Child for Pornographic Purposes) [धारा 13]

☞ जो कोई, किसी बालक/बालिका का मीडिया के किसी भी रूप में **लैंगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग** करता है, वह इस अपराध का दोषी है जैसे-

(i) बालक/बालिका के जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना,

(ii) बालक/बालिका का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना;

(iii) बालक/बालिका का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना आदि।

☞ **दंड**-सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि **पांच वर्ष तक की** हो सकेगी और **जुर्माने से दंडित** होगा।

☞ **पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा** में सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

☞ कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक/बालिका को सम्मिलित करते हुए **अश्लील सामग्री का भंडारण** करेगा। वह सादा या कठिन कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

☞ अधिनियम के अधीन अपराध की रिपोर्ट करने में असफलता या रिपोर्ट लिखने में असफलता के लिए **6 मास तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का** प्रावधान है।

● बालक/बालिका के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया (Procedures for Recording Statement of the Child)

☞ बालक/बालिका के कथन को बालक/बालिका के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा [धारा 24]।

☞ **किसी महिला पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक से नीचे की न हो द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।**

☞ **बालक/बालिका के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।**

☞ किसी बालक/बालिका को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

☞ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा बालक/बालिका के माता-पिता या बालक/बालिका के भरोसे लायक किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में बालक/बालिका जैसा बोले उसी के अनुरूप उसका कथन लिखा जाएगा।

☞ जहां तक संभव हो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक/बालिका का कथन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए।

● विशेष न्यायालय (Special Court)

☞ **राज्य सरकार**, त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले में किसी **सेशन न्यायालय को** विशेष न्यायालय बनाएगी [धारा 28]।

☞ प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए **एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति** होगी।

☞ विशेष लोक अभियोजक वही अधिवक्ता बन सकेंगे **जिन्होंने सात वर्ष तक** विधि व्यवसाय किया हो।

☞ विशेष न्यायालय अभियुक्त का विचारण **परिवाद प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट** प्राप्त होने पर करेगा।

☞ विशेष न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे विचारण के दौरान **बालक/बालिका के लिए विराम आदेशित कर सकता** है।

☞ विशेष न्यायालय बालक/बालिका के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार जिसमें बालक/बालिका का भरोसा और विश्वास है, बालक/बालिका के लिए **मैत्री-पूर्ण वातावरण सृजित करेगा**।

☞ विशेष न्यायालय, यह सुनिश्चित करेगा कि बालक/बालिका को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए **बार-बार नहीं बुलाया जाए**।

☞ विशेष न्यायालय, विचारण के दौरान **आक्रामक या बालक/बालिका के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए** अनुमति नहीं देगा।

☞ विशेष न्यायालय, यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक/बालिका की **पहचान प्रकट नहीं की जाए**। यदि बालक/बालिका के हित में हो तो प्रकटन किया जा सकता है।

☞ समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बालक/बालिका पर कारित किसी **शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या पुनर्वास के लिए** प्रतिकर आदेशित कर सकेगा।

☞ विशेष न्यायालय द्वारा बालक/बालिका के साक्ष्य को अपराध का संज्ञान लिए जाने के **तीस दिन के भीतर** अभिलिखित किया जाएगा।

☞ विशेष न्यायालय, यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से **एक वर्ष की अवधि के भीतर** विचारण पूरा करेगा।

☞ विशेष न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बालक/बालिका को किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक/बालिका का **कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में** है।

☞ विशेष न्यायालय, मामलों का **विचारण बंद कमरे** में और बालक/बालिका के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक/बालिका का विश्वास या भरोसा है।

☞ केंद्रीय सरकार इस अधिनियम की **धारा 45** के अधीन इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

☞ इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष **तीस दिन की अवधि के लिए** रखा जाएगा।

Note:-इस अधिनियम में बालक/बालिका (child) शब्द में बालक एवं बालिका दोनों शामिल हैं। इसलिए संदर्भानुसार शब्द एवं वाक्य पर ध्यान देते हुए बालक का अर्थ बालिका समझें।

❑ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

☞ इस अधिनियम का नाम **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006** है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** पूरे भारत पर होगा।

☞ यह अधिनियम **भारत के बाहर** समस्त भारतीय नागरिकों पर भी लागू है।

☞ अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति **10 जनवरी, 2007** को मिली।

☞ अधिनियम **1 नवंबर, 2007** से प्रवर्तन में है।

अधिनियम का उद्देश्य- बाल विवाह का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक (Incidental) मामलों का उपबंध करने हेतु अधिनियम।

अधिनियम के अधीन महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं-

☞ **बालक (Child)**- बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है, तो **इक्कीस वर्ष** या यदि महिला है, तो **अठारह वर्ष** की आयु पूर्ण न की हो।

☞ **बाल विवाह (Child Marriage)**- बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें कोई **लड़का** या **लड़की या दोनों बालक हों**।

☞ **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer)**- इस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से है।

☞ **जिला न्यायालय (District Court)**- जिला न्यायालय से तात्पर्य कुटुम्ब न्यायालय का प्रधान सिविल न्यायालय से है।

☞ कोई बाल विवाह चाहे अधिनियम के पूर्व का हो या पश्चात का **पक्षकारों के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा**, ऐसा पक्षकार जो विवाह के समय बालक था [धारा 3]।

☞ यदि याचिका दाखिल के समय याची अवयस्क है, तो याचिका उसके **संरक्षक, न्याय मित्र** या **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम** से दाखिल की जा सकती है।

☞ याचिका किसी भी समय किंतु याचिका दाखिल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के **दो वर्ष** पूर्व दाखिल किया जा सकेगा।

☞ बाल विवाह की महिला पक्षकार को **भरण-पोषण** तथा **आवास** की व्यवस्था की जाएगी।

☞ भरण-पोषण की धनराशि का **मासिक या एकमुश्त रकम भुगतान** किए जाने का निर्देश किया जा सकेगा।

☞ बाल विवाह से उत्पन्न हुए संतानों की अभिरक्षा के लिए **जिला न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकेगा**।

☞ जिला न्यायालय विवाह के पक्षकारों या उनके **माता-पिता या संरक्षक द्वारा ऐसे संतान (जिसका बाल विवाह हुआ है) के भरण-पोषण की व्यवस्था करने के लिए** समुचित आदेश कर सकेगा।

☞ बाल विवाह के शून्य घोषित होने के बाद भी संतान की धर्मजता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। **ऐसी संतान धर्मज संतान ही मानी जाएगी** [धारा 6]।

☞ अधिनियम के अधीन अनुतोष पाने के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया जा सकेगा।

☞ अधिकारिता वाला न्यायालय निम्न होगा-

(i) प्रतिवादी या संतान जहां निवास करते हों,

(ii) जहां विवाह अनुष्ठित किया गया हो,

(iii) जहां पक्षकारगण एक साथ अंतिम बार निवास किया था,

(iv) जहां याचिका प्रस्तुत करते समय याची निवास कर रहा हो।

● बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड

☞ जो कोई भी **18 वर्ष से ऊपर आयु का पुरुष वयस्क** बाल विवाह की संविदा करता है, वह इतनी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक या दोनों से दंडित होगा [धारा 9]।

➲ जो कोई व्यक्ति **बाल विवाह को संपन्न, संचालित,निर्देश या दुष्प्रेरित करता** है, वह 2 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया जाएगा [धारा 10]।

☞ जहां बालक के माता-पिता या संरक्षक या विधि विरुद्ध या वैध व्यक्तियों के किसी संगठन का सदस्य ऐसे विवाह में सम्मिलित होकर प्रेरित करता और **अनुष्ठान की अनुमति देता है, तो वह 2 वर्ष तक कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा**।

☞ **निम्न परिस्थितियों मे विवाह आरंभ से ही शून्य होगा** [धारा 12]-

(i) यदि बालक अवयस्क है और विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाया जाता है।

(ii) किसी स्थान से उसे ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है।

(iii) किसी बालक का विवाह प्रयोजन के लिए विक्रय किया जाता है।

☞ यदि **प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट** या **महानगर मजिस्ट्रेट** को बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर या किसी व्यक्ति के परिवाद या अन्य सूचना से यह समाधान हो जाता है, कि अधिनियम के उल्लंघन में कोई बाल-विवाह व्यवस्थित की गई है, तो न्यायालय व्यादेश (injunction) जारी कर उस बाल विवाह को रोक देगा।

☞ कतिपय तिथियों जैसे अक्षय तृतीया पर सामूहिक बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजन से **जिला मजिस्ट्रेट** को उन समस्त शक्तियों सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा।

☞ जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकने या निवारण करने की **अतिरिक्त शक्तियां** होंगी तथा न्यूनतम अपेक्षित बल का प्रयोग कर सकेगा।

☞ जो कोई **व्यादेश की अवज्ञा करेगा** उसे 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। परंतु स्त्री को कारावास से दंडित नहीं की जाएगी।

☞ व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाह प्रारंभ से **शून्य** होगा।

☞ इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध **संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।** [धारा 15]।

☞ राज्य सरकार, राज्य के संपूर्ण या उसके किसी भाग में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिसे **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के** रूप में माना जाएगा।

☞ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे-

(i) बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी कार्यवाही करे, जैसा उचित समझे, **बाल विवाह अनुष्ठान का निवारण करे**।

(ii) प्रभावी अभियोजन के लिए **साक्ष्य एकत्र करे।**

(iii) बाल विवाह के बिंदु पर **समुदाय को संवेदनशील बनाए**।

☞ **धारा 18** के अंतर्गत सद्भावना में की गई कार्यवाही को संरक्षण प्राप्त होगा।

☞ **धारा 19** के तहत राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति है।

❑ अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 [Young Persons (Harmful Publications) Act, 1956]

☞ यह अधिनियम **अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956** कहा जाएगा।

☞ अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति **28 दिसंबर, 1956** को मिली।

☞ अधिनियम **1 फरवरी, 1957** से प्रवर्तन (लागू) में है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है।

☞ अधिनियम का उद्देश्य **अल्पवय व्यक्तियों के लिए अपहानिकर प्रकाशनों के प्रसार** को रोकना है।

अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं [धारा 2]।

अपहानिकर प्रकाशन (Harmful Publication)- अपहानिकर प्रकाशन से तात्पर्य ऐसी पुस्तक, पत्रिका, पुस्तिका, पत्रक, समाचार-पत्र या ऐसा ही कोई अन्य प्रकाशन है जिसमें चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना कही गई कहानियां हैं जो किसी अल्पवय व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएं तो-

(i) वह कोई अपराध कर सकता है, या
(ii) हिंसा या क्रूरता का कार्य कर सकता है; या
(iii) भयावह प्रकार की घटना, कारित कर सकता है।

अल्पवय व्यक्ति (Young person) - अल्पवय व्यक्ति से तात्पर्य **20 वर्ष से कम आयु** का कोई व्यक्ति है।

● **अपहानिकर प्रकाशनों के विक्रय आदि के लिए शास्ति (Penalty for sale, etc of harmful publication) [धारा 3]।**

(i) यदि कोई व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन को बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा आदि; या
(ii) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए किसी अपहानिकर प्रकाशन को मुद्रित, उत्पादित या अपने कब्जे में रखेगा; अथवा
(iii) विज्ञापन छपवाएगा कि कोई अपहानिकर प्रकाशन किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है तो **वह 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित** किया जाएगा।

☞ इस दोषसिद्धि के बाद न्यायालय उस अपहानिकर प्रकाशन की **सब प्रतियां नष्ट करने का आदेश** देगा जो न्यायालय की अभिरक्षा में हैं या सिद्धदोष व्यक्ति के कब्जे में हैं।

☞ राज्य सरकार किसी अपहानिकर प्रकाशन की **प्रत्येक प्रति को जब्त करने का आदेश** दे सकती है।

☞ उपर्युक्त आदेश तब दिया जाएगा जब राज्य सरकार को **प्रधान विधि अधिकारी जैसे महाधिवक्ता या ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श के पश्चात्** यह ज्ञात हो जाए कि कोई प्रकाशन अपहानिकर प्रकाशन है [धारा 4]।

☞ राज्य सरकार के जब्ती आदेश से व्यथित व्यक्ति **उच्च न्यायालय में अपील** कर सकता है [धारा 5]।

☞ अपील, आदेश की तारीख से **60 दिनों के अंदर** होगी।

☞ कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जो राज्य **सरकार द्वारा सशक्त** हो, अपहानिकर प्रकाशन को जब्त कर सकेगा।

☞ **प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट पर** उपनिरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश कर तलाशी ले सकेगा जहां अपहानिकर प्रकाशन होने का युक्तियुक्त संदेह हो यदि पुलिस अधिकारी की राय में वह प्रकाशन अपहानिकर हो तो वह उसे जब्त कर लेगा।

☞ यथाशीघ्र वह जब्त प्रकाशन **वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष** पेश की जाएगी।

☞ यदि वह प्रकाशन उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में अपहानिकर प्रकाशन है तो **न्यायालय उसे नष्ट करा सकेगा**।

☞ किसी बात के होते हुए भी इस **अधिनियम के अधीन दंडनीय** कोई अपराध संज्ञेय होगा [धारा 7]।

❑ किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 [The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015]

☞ अधिनियम का नाम किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** पूरे भारत पर है।

☞ इस अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति **31 दिसंबर, 2015** को प्राप्त हुई।

☞ अधिनियम **15 जनवरी, 2016** से प्रवृत्त (लागू) है।

☞ इस अधिनियम के उपबंध जरूरतमंद बालकों के देख-रेख और संरक्षण तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे।

☞ विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना आदि अधिनियम का उदेश्य है।

☞ देख-रेख और संरक्षण के जरूरतबंद बालकों के पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलाना आदि आता है।

☞ इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के सर्वोत्तम हित में बृहत दृष्टिकोण अपनाते हुए उसका विकास, उपचार और मूलभत जरूरतों को पूरा करना है।

☞ **अधिनियम के अधीन कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं** [धारा 2]।

☞ **परित्यक्त बालक (Abandoned Child)**:- परित्यक्त बालक से अपने जैविक या दत्तकग्राही माता-पिता या संरक्षक द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक बोध है जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के बाद परित्यक्त किया गया है।

☞ **दत्तकग्रहण (Adoption)**:-दत्तकग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दत्तक बालक को उसके जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और दत्तक लेने वाले माता-पिता के सभी अधिकार और विशेषाधिकार जुड़ जाते हैं।

☞ **बालक (Child)**- बालक में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किए हैं।

☞ **देख-रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक (Child in need of care and Protection)**:- देख-रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक से ऐसा बालक समझा जाता है जिसके कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है। जिसके पास जीवन निर्वाह का कोई स्थान नहीं है।

☞ **बाल गृह (Children's Home)**- बाल गृह से ऐसा गृह समझा जाता है जो राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले में बालक के प्रयोजनों हेतु रजिस्ट्रीकृत हो।

☞ **बालक न्यायालय** (Children's Court):-बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय समझा जाता है।

☞ **बालक देख-रेख संस्था (Child Care Institution)**:- बालक देख-रेख संस्था से बालगृह (Children Home), खुला आश्रम (Open Shelter), संप्रेक्षण गृह (Observation Home), विशेष गृह (Special Home), सुरक्षा स्थान (Place of Safety), विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (Specialised Adoption Agency) और उन बालकों की देख-रेख और संरक्षा, जिन्हें ऐसी सेवाओं की जरूरत है, मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा दिया गया है।

☞ **जघन्य अपराध (Heinous Offences)**:- जघन्य अपराध उसे कहते हैं जिसमें न्यूनतम दंड 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास होता है।

☞ **किशोर (Juvenile):**-किशोर से 18 वर्ष से कम आयु का बालक जाना जाता है।

☞ **छोटे अपराध (Petty Offences)**:-छोटे अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसमें अधिकतम तीन वर्ष तक का कारावास होता है।

☞ **घोर अपराध (Serious Offences)**:- घोर अपराध से ऐसा अपराध जाना जाता है जिसके अधीन दंड 3 से 7 वर्ष के बीच का कारावास होता है।

● किशोर न्यायिक बोर्ड (Juvenile Justice Board)

[धारा 4]

किशोर न्यायिक बोर्ड-राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना करेगी।

☞ इस अधिनियम के अधीन **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में** यह बोर्ड अपने कृत्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा।

☞ किशोर न्याय बोर्ड ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से बनेगा जिनके पास **कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो तथा दो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनमें कम से कम एक महिला हो।**

☞ सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनके पास **कम से कम 7 वर्ष तक** बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी जानकारी हो।

☞ **ऐसा कोई बालक** जिसे अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया है और उसका जांच एवं विचारण शुरू है और तब 18 वर्ष का पूरा हो जाता है तो भी उसे किशोर ही माना जाएगा। (धारा 5)।

☞ **बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व**-बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में सभी कार्यवाहियों को **अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति** होगी [धारा 8]।

☞ बोर्ड के कृत्य और उत्तरदायित्त्व के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे-

(i) प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक और माता-पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की गिरफ्तारी , जांच, पुनर्वास आदि की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा हो।

● विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Relation to Children in Conflict with Law)

☞ विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे **विशेष पुलिस बल एकक या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन** रखा जाएगा [धारा 10]।

☞ गिरफ्तार बालक को, यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर **गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के अंदर** बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

☞ **किसी भी दशा में** विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा।

☞ जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा गया गया है उसकी जिम्मेदारी ऐसी होगी **जैसे उसके माता-पिता** की होती है।

☞ यदि बोर्ड की यह राय है कि **माता-पिता या कोई अन्य व्यक्ति** ऐसे व्यक्ति का प्रभार लेने के लिए उपयुक्त है तो बालक को उसके पास रहने दिया जाएगा।

☞ जब बालक ने **जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया** है तो उसे प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।

☞ बालक द्वारा किए गए **जघन्य अपराध की दशा में** जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष से अधिक आयु का

है बोर्ड द्वारा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा।

☞ बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसे **21 वर्ष की आयु का होने तक** जेल स्थानांतरित कर दिया जाए।

☞ **विधि के अधीन उल्लंघन करने वाला कोई बालक** जब किसी विशेष गृह, संप्रक्षेण गृह आदि से भगोड़ा हो जाता है तो उसे पुनः पकड़कर उसी गृह में रखा जाएगा जेल नहीं भेजा जाएगा।

☞ **भगोड़े बालक पर** कोई अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।

● बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee)

☞ राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के संबंध में **एक या अधिक बाल कल्याण समितियों** का गठन करेगी [धारा 27]।

☞ बाल कल्याण समिति, **एक अध्यक्ष** और **चार अन्य सदस्यों** से मिलकर बनेगी।

☞ समिति में कम से कम **एक सदस्य महिला** होंगी।

☞ समिति में एक सदस्य **बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ** होगा।

☞ समिति में **राज्य सरकार द्वारा एक सचिव** नियुक्त किया जाएगा।

☞ समिति के सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें **कम से कम 7 वर्ष** तक के बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों का अनुभव हो।

☞ किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में **तीन वर्ष** से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

☞ **समिति का**, देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देख-रेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने का प्राधिकार होगा।

● देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Relation to Children in Need of Care and Protection)

☞ देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा [धारा 3] -

(i) किसी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक या बालक कल्याण पुलिस के अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा;

(ii) किसी लोक सेवक द्वारा;

(iii) किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन या अभिकरण द्वारा;

(iv) बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;

(v) किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा;

(vi) स्वयं बालक द्वारा;

(vii) किसी नर्स, डॉक्टर, नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंधक द्वारा।

☞ **24 घंटे की अवधि के भीतर** यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

☞ समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद है तो निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगी-

(i) बालक के देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद होने की घोषणा,

(ii) दीर्घकालिक या अस्थायी देख-रेख के लिए 'योग्य व्यक्ति' के पास बालक को भेजना;

(iii) पोषण देख-रेख का आदेश आदि।

☞ **अनाथ और परित्यक्त बालक को** समिति दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी।

☞ 2 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए घोषणा उनके पेश किए जाने के **2 माह के अंदर** तथा 2 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए **4 माह के भीतर** की जाएगी।

● पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना (Rehabilitation and Social Re-Integration)

☞ इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा [धारा 39]।

☞ किसी भी बाल-गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या खुले आश्रम का प्राथमिक कर्त्तव्य है कि **बालक को वापस अपने घर के लोगों से मिलाए**।

☞ किसी बालक को घर के लोगों के पास वापस ले जाने में **घर के लोगों में** शामिल हैं-माता-पिता, दत्तक माता-पिता, पोषक माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति।

☞ बाल देख-रेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है अन्यथा **एक वर्ष तक कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से** दंडित किया जाएगा [धारा 41]।

☞ संस्था के रजिस्ट्रीकरण की मान्यता **5 वर्ष** तक होती है।

☞ राज्य सरकार, बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए **जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से** पोषण प्रदान करेगी।

संप्रेक्षण गृह (Observation Home)- राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी और उनका रख-रखाव करेगी।

☞ **जांच के लंबित रहने के दौरान** विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को अस्थायी रूप से रखने एवं उसकी देख-रेख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

विशेष गृह (Special Home)- राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से **विशेष गृह स्थापित करेगी और उनका रख-रखाव करेगी**।

☞ विशेष गृह में ऐसे बालकों को रखा जाएगा जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है फलस्वरूप पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है।

सुरक्षित स्थान (Place of Safety)- राज्य सरकार राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी।

☞ सुरक्षित स्थान में **18 वर्ष से अधिक आयु** के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या सिद्धदोष ठहराया गया है, रखा जा सकता है।

बाल गृह (Children's Home)- राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से बाल गृह स्थापित करेगी और उनका रख-रखाव करेगी।

☞ बाल गृह में बालकों को **देख-रेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए** देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को रखने के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

● दत्तक ग्रहण (Adoption)

☞ दत्तक ग्रहण **अनाथ (Orphan), परित्यक्त (Abandoned) और अभ्यर्पित (Surrendred)** बालकों के लिए परिवार के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा [धारा 56]।

☞ अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा **दत्तक ग्रहण** किया जाएगा।

☞ एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण **धर्म को बिना विचार में लिए** किया जाएगा।

☞ इस अधिनियम की कोई बात **हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956** के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी।

☞ दत्तक ग्रहण के लिए **पति-पत्नी दोनों की सहमति** आवश्यक होगी।

☞ कोई एकल पुरुष **किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए** पात्र नहीं है।

☞ जिस तारीख को दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक दत्तक **माता-पिता का बालक** हो जाएगा।

☞ दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने **बालक को पैदा किया** है।

● बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध (Other Offences against Children)

☞ बालक के किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में **किसी समाचार, पत्रिका, दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप** में पहचान प्रकट नहीं की जाएगी [धारा 74]।

☞ अपराध का प्रकटन करने वाला व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि **छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से** दंडनीय होगा।

☞ जो कोई बालक पर वास्तविक नियंत्रण रखता है और तब बालक पर क्रूरता करता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि **तीन वर्ष तक हो सकेगी या एक लाख रुपये तक जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा**।

☞ जो कोई **भीख मांगने के प्रयोजन** से बालक को नियोजित करता है वह पांच वर्ष तक कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।

☞ जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन से बालक का **अंग विच्छेद** करता है वह न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

☞ किसी बालक को **मादक द्रव्य, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि देना** 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है।

☞ जो कोई नियोजनकर्ता बालक को **बंधुआ के रूप में** रखेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा व कठिन कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

☞ **शारीरिक दंड (Corporal Punishment)**- किसी बालक देख-रेख संस्था का भारसाधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जान बूझकर किसी को शारीरिक दंड देगा वह-

(i) **प्रथम दोषसिद्धि पर** दस हजार रुपये के जुर्माने से और

(ii) **प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए** ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। [धारा 82]।

☞ **वैकल्पिक दंड (Alternative Punishment)**:- जहां कोई ऐसा अपराध गठित हुआ है जो इस अधिनियम और किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है तो अपराधी ऐसी विधि के अधीन दंड का भागी होगा जो मात्रा में अधिक है [धारा 88]।

● प्रकीर्ण/विविध (Miscellaneous)

☞ समिति या बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश से **30 दिन के भीतर** जिला मजिस्ट्रेट या बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। [धारा 101]

☞ **जघन्य अपराध** में बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी।

☞ उच्च न्यायालय **स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर** किसी भी समय किसी समिति, बोर्ड या बालक न्यायालय के आदेश की वैधता या औचित्यता के संबंध में पुनरीक्षण कर सकेगा [धारा 102]।

अनुसूचित जाति संरक्षण : विधिक प्रावधान

❑ अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है।

☞ यह अधिनियम **11 सितंबर, 1989** को अधिनियमित हुआ।

☞ अधिनियम **30 जनवरी, 1990** से प्रवृत्त (लागू) है।

☞ यह अधिनियम **अनुसूचित जातियों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए** बनाया गया है।

☞ अपराधों के विचारण के लिए **विशेष न्यायालय की स्थापना** की जाएगी।

☞ **अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का, उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए** यह अधिनियम बनाया गया है।

☞ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम (2015) 26 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ है।

● अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं- [धारा 2]

☞ **अत्याचार (Atrocity)**:- अत्याचार धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध है।

☞ **संहिता (Code)**:- संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है।

☞ **आश्रित (Dependent)**:- आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता-पिता भाई और बहिन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं।

☞ **लोक सेवक (Public Servent)**:- भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक समझा जाएगा।

☞ **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Castes and scheduled tribes)**- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में है।

☞ **सामाजिक बहिष्कार (Social Boycott)**:- कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उनसे प्राप्त करने के लिए मना कर देना सामाजिक बहिष्कार है।

☞ **पीड़ित (Victim)**:- पीड़ित से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय (monetary) हानि की क्षति उठाने वाला है।

☞ **साक्षी (Witness)**:- साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है।

● अत्याचार के अपराध (Offences of atrocities)

☞ **अत्याचार के अपराधों के लिए दंड (Punishment for offencers of atrocities)**- अधिनियम की **धारा 3** के अनुसार कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और निम्नलिखित अत्याचार करता है-

(i) अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, या

(ii) अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के परिसर में या उसके प्रवेश द्वार पर मल-मूत्र, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा; या

(iii) अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्द्ध-नग्न घुमाएगा; या

(iv) अनुसूचित जाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना; या

(v) अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति या कुटुम्ब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा आदि, तो वह **न्यूनतम छह मास और अधिकतम पांच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा**।

☞ कोई व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और निम्नलिखित प्रकार से अपराध करता है तो उसका दंड भी निम्नलिखित प्रकार से दिया जाएगा-

(i) **मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा** जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है तो वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(ii) आगे यदि अनुसूचित जाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो **मिथ्या साक्ष्य देने वाले को मृत्युदंड से दंडित** किया जाएगा।

(iii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति के सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जिससे उसे सात वर्ष या उससे अधिक कारावास हो सकता है, दोषसिद्ध कराना है तो उसे **न्यूनतम छह मास का किंतु जो सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा**।

☞ **अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि (Mischief)** करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है तो वह न्यूनतम छह मास और अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

☞ अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति के मानव आवास को नष्ट करना है तो वह **आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा**।

☞ कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो और उसके साथ भारतीय दंड संहिता के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया गया तो वह **आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा**।

☞ **कर्त्तव्य उपेक्षा के लिए दंड (Punishment for neglect duties):-** कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है अपने कर्त्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो उसे **कम से कम छह मास और अधिक से अधिक एक वर्ष तक के कारावास** से दंडनीय होगा [धारा 4]।

☞ कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन पहले से दोषसिद्ध है और उसे पश्चातवर्ती दोषसिद्धि होती है तो **उसे कम से कम एक वर्ष का कारावास जो आगे बढ़कर उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक** हो सकता है [धारा 5]।

● **विशेष न्यायालय (Special Court)-** शीघ्र विचारण करने के लिए **राज्य सरकार**, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी [धारा 14]।

☞ इस अधिनियम के अधीन **मामले यथासंभव दो मास की अवधि** के **भीतर निपटाए जाएंगे**।

☞ विशेष न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर होगी।

☞ राज्य सरकार विशेष न्यायालय में **एक लोक अभियोजक** की नियुक्ति करेगी।

☞ लोक अभियोजक ऐसे अधिवक्ता होंगे जिन्होंने **कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप** में विधि व्यवसाय किया है।

☞ यदि विशेष न्यायालय को परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अपराध करेगा वहां न्यायालय लिखित आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति उस क्षेत्र की सीमा से **तीन वर्ष के लिए** हट जाएं [धारा 10]।

☞ वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि **एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से** दंडनीय होगा।

● **पीड़ित और साक्षी के अधिकार (Rights of Victims and Witnesses)-** यह राज्य का उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य होगा कि वह किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों, और साक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था करें।

☞ पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा।

☞ विचारण करने वाला विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या सांक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा-

(i) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण;

(ii) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण-पोषण व्यय; और

(iii) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास।

(iv) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियां वीडियो अभिलिखित होंगी।

(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सकेगी।

☞ अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का **गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार** होगा।

● **प्रकीर्ण/विविध (Miscellaneous)**

☞ **राज्य सरकार** को इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने की शक्ति होगी।

☞ अनुसूचित जाति या जनजाति से भिन्न व्यक्ति द्वारा यदि उसके क्षेत्र में कोई अपराध करने की संभावना हो तो उस क्षेत्र को **अत्याचार क्षेत्र** घोषित किया जा सकता है।

☞ अत्याचार क्षेत्र में **शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए** आवश्यक निवारक कार्रवाई की जा सकती है।

☞ इस अधिनियम के उपबंध कुछ परिस्थितियों में **अन्य विधियों पर प्रभावी** होंगे।

☞ राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों की **आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार** की व्यवस्था करे।

☞ इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के विरुद्ध **केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी के विरुद्ध** कोई अभियोजन नहीं चलेगा।

☞ **केंद्रीय सरकार** को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है-

(a) दहेज लेने पर प्रतिबंध करना
(b) दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना
(c) (a) और (b) दोनों
(d) दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना

उत्तर—(c)

दहेज एक सामाजिक बुराई है जिससे निपटने के लिए 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' अधिनियमित पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज देने व दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना है।

2. दहेज की परिभाषा दी गई है-

(a) धारा 2 (b) धारा 3
(c) धारा 4 (d) धारा 5

उत्तर—(a)

दहेज को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, 'दहेज' से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय-
(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को; या
(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,
उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है।

3. दहेज में क्या शामिल नहीं है?

(a) विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार
(b) विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना
(c) विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा
(d) मेहर

उत्तर—(d)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित 'दहेज' में, उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है।

4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ?

(a) 1 जुलाई, 1962 (b) 1 फरवरी, 1961
(c) 20 मई, 1961 (d) 5 जून, 1961

उत्तर—(c)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई, 1961 को अधिनियमित हुआ।

5. मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है-

(a) दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में
(b) धारा 2 के स्पष्टीकरण में
(c) भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में
(d) दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में

उत्तर—(c)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, 'मूल्यवान प्रतिभूति' पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है।

6. दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो, तब किसे अंतरित होगी?

(a) माता-पिता को (b) यदि संतान है, तो उसे
(c) दोनों सही हैं (d) पति को

उत्तर—(c)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार, जहां किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे-
परंतु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो जाती है वहां, ऐसी संपत्ति;
(क) यदि उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसके माता-पिता को अंतरित की जाएगी, या
(ख) यदि संतान है, तो ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी।

7. दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है?

(a) दहेज प्रतिषेध अधिकारी
(b) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट
(c) द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट
(d) कोई मजिस्ट्रेट

उत्तर—(b)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है।

8. दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन-देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैइयत निम्न में से क्या होगी?

(a) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी
(b) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा

(c) दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के आलोक में शून्य होगी
(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(a)

दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन-देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैइयत दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी।

9. दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है?
(a) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
(b) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
(c) भारतीय दंड संहिता, 1860
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(a)

दहेज लेना तथा देना 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' के अंतर्गत अपराध है।

10. दहेज अपराध (धारा 304-ख, भा.द.वि.) की विवेचना किसके द्वारा की जाती है?
(a) थाना प्रभारी
(b) निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी
(c) पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी
(d) किसी भी विवेचनाधिकारी द्वारा

उत्तर—(c)

दहेज अपराध (धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता) की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

11. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है/हैं-
(a) आर्थिक दुरुपयोग (b) यौन दुरुपयोग
(c) (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3 में परिभाषित 'घरेलू हिंसा में महिलाओं का 'शारीरिक दुरुपयोग', 'लैंगिक दुरुपयोग; 'मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग' तथा 'आर्थिक दुरुपयोग' शामिल हैं।

12. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अधिनियमित हुआ था-
(a) 12.8.2005 को (b) 13.9.2005 को
(c) 12.7.2005 को (d) 12.5.2005 को

उत्तर—(b)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 13 सितंबर, 2005 को अधिनियमित हुआ तथा 17 अक्टूबर, 2006 से लागू हो गया।

13. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है?
(a) संरक्षा अधिकारी
(b) व्यथित महिला
(c) व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष (राहत) को ईप्सा (चाह) के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

14. घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रयगृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है-
(a) मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर
(b) मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर
(c) किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर
(d) पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर

उत्तर—(d)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, यदि कोई व्यथित (पीड़ित) व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी अधिसूचित आश्रयगृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आश्रयगृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को आश्रयगृह में आश्रय प्रदान करेगा।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है?
(a) भावात्मक दुरुपयोग (b) मौखिक दुरुपयोग
(c) आर्थिक दुरुपयोग (d) मानसिक दुरुपयोग

उत्तर—(d)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित 'घरेलू हिंसा' की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में 'शारीरिक दुरुपयोग', 'लैंगिक दुरुपयोग', मौखिक और भावात्मक दुरुपयोग' तथा 'आर्थिक दुरुपयोग' शामिल हैं। जबकि इसमें 'मानसिक दुरुपयोग' शामिल नहीं है।

16. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा-
(a) असंज्ञेय और गैर-जमानतीय
(b) असंज्ञेय और जमानतीय
(c) संज्ञेय और जमानतीय
(d) संज्ञेय और गैर-जमानतीय

उत्तर—(d)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 32 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के हुए भी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर-जमानतीय होगा।

17. घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा-

(a) मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया
(b) मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया
(c) जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में
(d) समस्त भारत में

उत्तर—(d)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 27(2) के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा।

18. घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें 'घरेलू हिंसा' पद को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 1 (b) धारा 3
(c) धारा 4 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(b)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, अधिनियम की धारा 3 में 'घरेलू हिंसा' पद को परिभाषित किया गया है।

19. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का विस्तार है-

(a) संपूर्ण भारत पर
(b) जम्मू-कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत
(c) केवल केंद्र शासित राज्यों पर
(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का विस्तार जम्मू-कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

20. निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन-सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया है?

(a) महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम
(b) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम
(c) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम
(d) कारखाना अधिनियम

उत्तर—(c)

महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) विधेयक, 2012 को लोक सभा द्वारा 3 सितंबर, 2012 को तथा राज्य सभा द्वारा 26 फरवरी, 2013 को पारित किया गया। इस विधेयक को 23 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात यह 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न' (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के रूप में 9 दिसंबर, 2013 को लागू हुआ।

21. बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था?

(a) वर्मा कमीशन (b) रामास्वामी कमीशन
(c) महिला कमीशन (d) अल्पसंख्यक कमीशन

उत्तर—(a)

16 दिसंबर, 2013 को दिल्ली में हुई बलात्कार की नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलना या उनमें संशोधन करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 दिनों में, 630 पन्नों में पूरी करके सौंप दिया।

22. स्त्री का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम कब अधिनियमित हुआ?

(a) 10 सितंबर, 1988 (b) 20 अक्टूबर, 1987
(c) 23 दिसंबर, 1986 (d) 12 जुलाई, 1980

उत्तर—(c)

इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 23 दिसंबर, 1986 को अपनी स्वीकृति दी अर्थात् यह अधिनियम 23 दिसंबर, 1986 को अधिनियमित हुआ माना जाता है।

23. स्त्री का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम कब लागू हुआ?

(a) 2 अक्टूबर, 1987 (b) 26 नवंबर, 1986
(c) 10 सितंबर, 1990 (d) 13 अगस्त, 1989

उत्तर—(a)

स्त्री का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम को सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 2 अक्टूबर, 1987 को लागू किया।

24. स्त्री के अशिष्ट रूपण से अभिप्राय है-

(a) स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो
(b) स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति
(c) स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

अधिनियम की धारा 2 (ग) में 'स्त्री अशिष्ट रूपण' की परिभाषा दी गई है। परिभाषा के अनुसार 'स्त्री अशिष्ट रूपण' से अभिप्रेत है, उस स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने या अल्पीकृत करने पर या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो या जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचाने की सम्भावना हो।

25. कौन-सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाली विज्ञापनों पर रोक लगाती है?

(a) धारा 3 (b) धारा 4
(c) धारा 5 (d) धारा 6

उत्तर—(a)

अधिनियम की धारा 3 प्रावधानित करता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा और न ही करायेगा जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण अन्तर्विष्ट हो।

26. किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है?

(a) धारा 2 (b) धारा 3
(c) धारा 4 (d) धारा 5

उत्तर—(c)

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पत्रिका, पेपर, स्लाइड, लेखन फिल्म, रेखाचित्र, रंग चित्र, छायाचित्र, रूपण या चित्र जिसमें स्त्री का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, न तो उत्पादित करेगा और न ही उत्पादित करायेगा, न तो विक्रय करेगा और न उसे किराये पर देगा तथा न तो उसका वितरण या परिचालन करेगा या डाक द्वारा भेजेगा।

27. किन तथ्यों के संदर्भ में धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(a) लोकहित में ऐसा लेखन, रेखाचित्र, आकृति जो विज्ञान, साहित्य, कला के सामान्य प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं,
(b) जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो;
(c) ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमोटोग्राफ अधिनियम, 1952 के भाग दो के उपबंध लागू हो;
(d) उपर्युक्त सभी पर

उत्तर—(d)

इस अधिनियम की धारा 4 के परन्तुक में उपर्युक्त तीनों विकल्प दिया हुआ है जिस पर धारा 4 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

28. प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है?

(a) धारा 5 (b) धारा 6
(c) धारा 7 (d) धारा 8

उत्तर—(a)

इस अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो प्रवेश कर तालाशी ले सकता है?

29. जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा, वह दण्डित हो सकेगा-

(a) 2 वर्ष तक के कारावास से और 2,000 रुपये तक के जुर्माने से,
(b) 5 वर्ष तक के कारावास तथा 15,000 रुपये तक के जुर्माने से,
(c) 7 वर्ष तक के कारावास तथा 20,000 रुपये तक के जुर्माने से,
(d) 20 वर्ष तक के कारावास से

उत्तर—(a)

अधिनियम की धारा 6 शास्ति के बारे में प्रावधानित है। इसके अनुसार प्रथम बार दोषसिद्धि पर सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

30. अधिनियम की धारा 3 या 4 के उपबंधों का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है, तो वह दण्डित होगा-

(a) ऐसे कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा और 15,000 रुपये तक जुर्माना भी,
(b) ऐसा कारावास से जो 6 माह से कम का न होगा किन्तु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 10,000 रुपये से कम नहीं किंतु 1,00,000 रुपये तक जुर्माने से,
(c) आजीवन कारावास से,
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(b)

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में विकल्प (b) के अनुसार दंडित होगा।

31. नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम में किसे प्राप्त है?

(a) उच्च न्यायालय को (b) उच्चतम न्यायालय को
(c) केंद्रीय सरकार को (d) राज्य सरकार को

उत्तर—(c)

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को दी गई है।

32. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम प्रवृत्त हुआ-

(a) 30.11.1956 (b) 30.12.1956
(c) 30.07.1956 (d) 30.07.1966

उत्तर—(b)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 30 दिसंबर, 1956 को प्रवृत्त (लागू) हुआ।

33. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम का विस्तार है-

(a) जम्मू-कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में
(b) संपूर्ण भारत में
(c) किसी अधिसूचित राज्य में
(d) संघ राज्य क्षेत्र में

उत्तर—(b)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

34. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है-

(a) धारा 3 में (b) धारा 2(ख) में
(c) धारा 2(क)(क) (d) धारा 2(क) में

उत्तर—(d)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 2(क) में वेश्यागृह परिभाषित है।

35. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है?

(a) जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
(b) जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
(c) जो 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
(d) जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो

उत्तर—(a)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 2(ca)/(ग क) में 'वयस्क' परिभाषित है। इसके अनुसार, वयस्क से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

36. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है-

(a) धारा 2 घ में (b) धारा 2(च)
(c) धारा 2(ज) (d) धारा 2(झ)

उत्तर—(b)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, की धारा 2(च) में 'वेश्यावृत्ति' परिभाषित है।

37. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है-

(a) व्यक्तियों का लैंगिक शोषण
(b) लैंगिक शोषण या दुरुपयोग
(c) वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग
(d) स्त्रियों पर लैंगिक हमला

उत्तर—(c)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार, वेश्यावृत्ति से अभिप्राय व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग से है।

38. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन-निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है, तो वह दंडित होगा धारा-

(a) धारा 5 से (b) धारा 4 से
(c) धारा 3 से (d) धारा 6 से

उत्तर—(b)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 4 में वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णतः या भागतः जीवन निर्वाह करेगा, वह 2 वर्ष के कारावास या 1 हजार रुपये जुर्माने या दोनों से, दंडनीय होगा और जहां ऐसे उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित हैं, वहां वह न्यूनतम 7 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा।

39. अनैतिक व्यापार (निवारण) की धारा 7 (1) के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है?

(a) 500 मीटर (b) 1 किमी.
(c) 200 मीटर के अंदर (d) 100 मीटर

उत्तर—(c)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अनुसार, सार्वजनिक धार्मिक पूजास्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्या या किसी अन्य प्रकार के ऐसे सार्वजनिक स्थान में 200 मीटर के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है।

40. यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है, तो दंडित होगा-

(a) 1 वर्ष से कम के कारावास से और 2 हजार रु. जुर्माने
(b) 1 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 3 वर्ष अधिकतम तक का हो सकेगा और 2 हजार रु. जुर्माना
(c) 2 वर्ष न्यूनतम कारावास से और 2 हजार जुर्माने से
(d) 2 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 2 हजार रु. जुर्माने

उत्तर—(d)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है अथवा उसको चलाने या उसके प्रबंध में काम करता है या सहायता करता है तो प्रथम दोषसिद्धि पर 1 वर्ष न्यूनतम कठोर कारावास से जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी जो 2 हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 2 वर्ष न्यूनतम कठोर कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा तथा 2 हजार रुपये जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

41. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा?

(a) कोई पुलिस अधिकारी
(b) कोई लोक सेवक
(c) कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभीभूत कोई नागरिक
(d) उक्त में से कोई भी

उत्तर—(d)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 32 (1) के अनुसार, देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा-
(i) कोई पुलिस अधिकारी;
(ii) कोई लोक सेवक;
(iii) एक पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन, चाइल्डलाइन या ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;
(iv) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक; या
(v) स्वयं बालक द्वारा।

42. कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए?

(a) 15 वर्ष (b) 25 वर्ष
(c) 19 वर्ष (d) 21 वर्ष

उत्तर—(a)

15 वर्ष के आयु तक के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके स्थान पर होना चाहिए।

43. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है, उन्हें कहा गया है-

(a) अपचारित किशोर
(b) संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर
(c) विधि संघर्षित किशोर
(d) बाल अपराधी

उत्तर—(c)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है, उन्हें 'विधि संघर्षित किशोर' या 'विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर' कहा गया है।

44. अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 कब अधिनियमित हुआ?

(a) 29 जुलाई, 1955 (b) 26 अगस्त, 1956
(c) 28 दिसंबर, 1956 (d) 29 जनवरी, 1957

उत्तर—(c)

अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 28 दिसंबर, 1956 को अधिनियमित हुआ।

45. अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है?

(a) ऐसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार-पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हों,
(b) ऐसी पुस्तक, पत्रिका का प्रकाशन जिसे पढ़ने से किसी अल्पवय में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़े
(c) ऐसी चित्रित कहानियां जिसे पढ़ या देखकर अल्पवय को भ्रष्ट करने में योगदान मिले
(d) ऐसी बिना चित्र की कहानियां जिससे अल्पवय में हिंसा या क्रूरता के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़े।

उत्तर—(a)

अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम की धारा 2 (क) के अनुसार 'अपहानिकर प्रकाशन' से कोई ऐसी पुस्तक, पत्रिका, पुस्तिका, पत्रक, समाचार-पत्र या अन्य वैसा ही प्रकाशन अभिप्रेत है जिसमें चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना अथवा पूर्णरूपेण चित्रों में कही गई कहानियां हैं जिसे पढ़ने या देखने से अल्पवय में **अपराध करने की प्रवृत्ति**, भ्रष्ट या हिंसा या क्रूरता के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़े।

46. अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय है-

(a) 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
(b) 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
(c) 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
(d) 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति

उत्तर—(c)

अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम की **धारा 2(ग)** के अनुसार, 'अल्पवय व्यक्ति' से 20 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

47. राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है?

(a) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
(b) केंद्रीय सरकार के परामर्श से
(c) किसी अधिवक्ता के निवेदन पर
(d) महाधिवक्ता के परामर्श से

उत्तर—(d)

अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार, राज्य सरकार महाधिवक्ता के परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

48. अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है-

(a) धारा 2 (ख) (b) धारा 2 (क)
(c) धारा 2 (ग) (d) धारा 2 (घ)

उत्तर—(b)

अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम की **धारा 2 (क)** 'अपहानिकर प्रकाशन' को परिभाषित करती है।

49. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है?

(a) सुरक्षा परिषद् का मानव रक्षा उपाय हेतु
(b) सेव दि चिल्ड्रेन के बाल कल्याण के क्षेत्र में
(c) यूनिसेफ की नीति पर
(d) संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से

उत्तर—(d)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव का परिणाम है, जिसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर, 1992 को स्वीकार किया गया है।

50. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की थी?

(a) 5 जून, 2012 (b) 29 नवंबर, 2012
(c) 19 जून, 2012 (d) 14 नवंबर, 2012

उत्तर—(c)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति ने 19 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की थी।

51. किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा-

(a) लैंगिक हमला
(b) लैंगिक उत्पीड़न
(c) गुरुतर लैंगिक हमला
(d) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग

उत्तर—(b)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11(iii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment) कहलाता है।

52. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है?

(a) लैंगिक हमला रोकने हेतु
(b) लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने हेतु
(c) बालकों का अपराधी बनने से रोकने हेतु
(d) लैंगिक हमले के शिकार बालकों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय गठन हेतु

उत्तर—(c)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य बालकों पर लैंगिक हमला रोकना, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के प्रकाशन को रोकना तथा लैंगिक हमले के शिकार बालकों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय का गठन करना आदि। जबकि बालकों का अपराधी बनने से रोकना, इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं है।

53. लैंगिक परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएंगे-

(a) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना
(b) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों (प्रवेशन के साथ या बिना) करना,
(c) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलपूर्ण प्रदर्शन करना
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(d)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत लैंगिक परितोषण में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना;
(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना;
(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्वक प्रतिदर्शन करना।

54. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 कब अधिनियमित हुआ?

(a) 1 अप्रैल, 2015 (b) 30 जनवरी, 2015
(c) 31 दिसंबर, 2015 (d) 1 मार्च, 2015

उत्तर—(c)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 31 दिसंबर, 2015 को अधिनियमित हुआ।

55. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू होता किस मामलों में?

(a) किशोरों के विरोध अभियोजन में
(b) किशोरों के किसी भी शास्ति या कारावास के दंड से संबंधित मामलों में

(c) किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में
(d) उपर्युक्त सभी मामलों में

उत्तर—(d)

किशोर न्याय, बालकों की देख-रेख और संरक्षण अधिनियम, 2015, की धारा 1(4) के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंध देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे, जिनके अंतर्गत-
(i) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना;
(ii) देख-रेख और संरक्षा के जरूरतमंद बालकों के पुनर्वासन, दत्तक ग्रहण समाज में पुनः मिलाने और वापसी की प्रक्रियाएं और विनिश्चय अथवा आदेश भी है।

56. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम का उद्देश्य है?
(a) किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए
(b) संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु
(c) न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए
(d) उपर्युक्त सभी के लिए

उत्तर—(d)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित है-
(i) किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति करना;
(ii) संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित करना;
(iii) न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना आदि।

57. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम लागू हुआ-
(a) 1 मार्च, 2015
(b) 1 अप्रैल, 2015
(c) 15 जनवरी, 2016
(d) 30 दिसंबर, 2015

उत्तर—(c)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 15 जनवरी, 2016 को लागू हुआ।

58. दत्तक ग्रहण परिभाषित है-
(a) धारा 2 (1) (b) धारा 2 (2)
(c) धारा 2 (3) (d) धारा 2 (4)

उत्तर—(b)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(2) में दत्तक ग्रहण परिभाषित है। इसके अनुसार, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम में दत्तक बालक को उसके जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया गया है और वह अपने दत्तक माता-पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और दत्तरदायित्वों सहित, जो किसी वैध बालक से जुड़े हों, जैविक बालक बन जाता है।

59. भीख मांगना परिभाषित है-
(a) धारा 2 (6) (b) धारा 2 (8)
(c) धारा 2 (5) (d) धारा 2 (4)

उत्तर—(b)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(8) में 'भीख मांगना' को परिभाषित किया गया है।

60. यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो विचारण के दरम्यान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की कार्यवाही-
(a) वयस्कों की भांति चलेगी
(b) अभी भी किशोरों के भांति ही चलेगी
(c) कार्यवाही पहले किशोर अधिनियम के अंतर्गत बाद में Cr.P.C. के अधिनियम से
(d) Cr.P.C. के धारा 8 के अंतर्गत

उत्तर—(b)

यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो और विचारण के दरम्यान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की कार्यवाही अभी भी किशोरों की भांति चलेगी।

61. संप्रेक्षण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है?
(a) विधि के अंतर्गत दंड पाए किशोरों को रखा है
(b) विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है
(c) किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष किशोर को रखा जाता है
(d) ऐसे किशोरों को जिनको देख-रेख की आवश्यकता है

उत्तर—(b)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 के तहत संप्रेक्षण गृह में जांच लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखा जाएगा।

62. बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे?
(a) समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे
(b) समिति के सदस्यों में एक महिला भी होगी
(c) Cr.P.C. के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 (2) के अनुसार, बाल कल्याण समिति, एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी और अन्य, बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। धारा 27(9) के अनुसार, समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

63. विशेष गृह में कौन-से किशोर रखे जाते हैं?

(a) ऐसे किशोर जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा है
(b) ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्धदोष कर दिए गए हैं
(c) ऐसे किशोर जो पुलिस द्वारा विधि विरोधी किशोर के रूप में गिरफ्तार किए जाते हैं
(d) ऐसे किशोर जिनके देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकताएं हैं

उत्तर—(b)

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के अनुसार, विशेष गृह में ऐसे बालकों को रखा जाएगा, जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन किए, गए आदेश के अधीन वहां पर रखे गए हैं।

64. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ?

(a) 10 जनवरी, 2006 (b) 10 जनवरी, 2007
(c) 10 फरवरी, 2007 (d) 10 फरवरी, 2008

उत्तर—(b)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जनवरी, 2007 को मिली। अतः यह अधिनियम 10 जनवरी, 2007 को ही अधिनियमित हुआ।

65. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित है-

(a) 18 वर्ष तक की (b) 16 वर्ष तक की
(c) 21 वर्ष से कम (d) 21 वर्ष से अधिक

उत्तर—(c)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 में परिभाषा खंड है। धारा 2 (क) में बालक की परिभाषा दी गई है। परिभाषा इस प्रकार है- 'बालक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है, तब उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा यदि महिला है तब उसने 18 वर्ष आयु पूर्ण न की हो। अर्थात् बालक पुरुष के संदर्भ में आयु 21 वर्ष से कम होगी।

66. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अवयस्क की परिभाषा दी गई है-

(a) 2(ट) (b) 2(च)
(c) 2(ङ) (d) 2(घ)

उत्तर—(b)

बाल विवाह अधिनियम, 2006 में अवयस्क की परिभाषा धारा 2 (च) में दी गई है, जो इस प्रकार है- 'अवयस्क' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसके विषय में वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाए कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं कर ली है। अर्थात् अवयस्क वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो लेकिन यदि किसी अवयस्क के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है तो वह 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

67. बाल विवाह शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी?

(a) जिला न्यायालय
(b) उच्च न्यायालय
(c) जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के यहां
(d) किसी भी न्यायालय में

उत्तर—(a)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक बाल विवाह, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठित किया गया हो, ऐसे संविदाकारी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जो विवाह के समय बालक था। बाल विवाह शून्य कराने के लिए याचिका जिला न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा।

68. बाल विवाह शून्य करवाने की याचिका कब तक ही दाखिल की जा सकती है?

(a) वयस्क होने के बाद कभी भी
(b) वयस्क होने के 5 वर्ष के अंदर तक
(c) वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर
(d) वयस्क होने के 3 माह के भीतर

उत्तर—(c)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में ही बाल विवाह शून्य करवाने की अवधि के बारे में दिया गया है। इस धारा के अधीन याचिका किसी भी समय किंतु याचिका दाखिल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूर्व दाखिल किया जा सकेगा।

69. बाल विवाह की महिला के भरण-पोषण की जिम्मेदारी होगी-

(a) अवयस्क पुरुष पक्षकार की

(b) अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता-पिता की

(c) वयस्क पुरुष की

(d) विकल्प (b) एवं (c) दोनों की

उत्तर—(d)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में बाल विवाह की महिला के भरण-पोषण एवं आवास के लिए व्यवस्था का प्रावधान है। बाल विवाह के कारण जब विवाह शून्य हो गया हो तब जिला न्यायालय बाल विवाह के पुरुष पक्षकार को और यदि पुरुष पक्षकार अवयस्क है तब उसके माता-पिता या संरक्षक को आदेश देगा कि वह बाल विवाह के महिला को उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण का भुगतान करे।

70. बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा-

(a) 2 वर्ष तक कारावास 1 लाख जुर्माना

(b) 2 माह का कारावास

(c) 6 माह का कारावास 2 लाख जुर्माना

(d) 3 वर्ष तक का कारावास 1 लाख जुर्माना

उत्तर—(a)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अनुसार बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना के रूप में दंडित किया जाएगा।

71. किन परिस्थितियों में अवयस्क का विवाह आरंभ से शून्य होगा-

(a) यदि अवयस्क बालक को विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले जाया जाता है

(b) उसे ले जाने के बल का प्रयोग या प्रवंचनापूर्ण उपयोग से उत्प्रेरित करने पर

(c) विवाह के प्रयोजन से विक्रय कर दिया जाता है और उस अवयस्क का विवाह कर दिया जाता है। तत्पश्चात् उसे अनैतिक प्रयोजन से विक्रय किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 12 में अवयस्क का विवाह शून्य होने की परिस्थितियां दी गई हैं। जिनमें तीन परिस्थितियां दी गई हैं जो प्रश्न में भी विकल्प के रूप में दिया गया है।

72. बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा-

(a) 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से

(b) 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रु. जुर्माना या दोनों से

(c) 6 माह तक कारावास और 5 लाख का जुर्माना

(d) 10 वर्ष तक कारावास 50 हजार रु. जुर्माना

उत्तर—(b)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 में बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड की व्यवस्था की गई है जो कोई 18 वर्ष से ऊपर आयु का पुरुष वयस्क बाल विवाह की संविदा करता है, वह कठोर कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना एक लाख रुपये तक का या दोनों से दंडित होगा।

73. व्यादेश कौन जारी कर सकता है?

(a) कोई भी मजिस्ट्रेट

(b) जिला मजिस्ट्रेट

(c) प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट

(d) द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट

उत्तर—(c)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 में न्यायालय को व्यादेश जारी करने की शक्ति है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को व्यादेश जारी करने की शक्ति है।

74. बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी?

(a) विवाह के पक्षकारों या माता-पिता को

(b) केवल माता-पिता को

(c) केवल स्त्री पक्षकार को

(d) केवल पुरुष पक्षकार को

उत्तर—(a)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 5 में बाल विवाह की संतानों की अभिरक्षा तथा भरण-पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार जिला न्यायालय विवाह के पक्षकार या उनके माता-पिता या संरक्षक द्वारा बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा तथा भरण पोषण करने का आदेश देंगे।

75. यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ रखता है, या ऐसे सदस्य को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा वह दंडित होगा-

(a) 6 मास से कम की अवधि के कारावास से

(b) कम से कम 6 मास के कारावास और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के कारावास से

(c) कम से कम 3 मास के कारावास से
(d) कम से कम 2 वर्ष के कारावास से जो 5 वर्ष तक हो सकेगा

उत्तर—(b)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (क) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

76. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम में की गई है-

(a) धारा 2 में (b) धारा 3 में
(c) धारा 4 में (d) धारा 5 में

उत्तर—(b)

अपराधों के दंड की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 में की गई है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। धारा 4 में कर्त्तव्य उपेक्षा के लिए दंड है तथा धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड की व्यवस्था की गई है।

77. सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है-

(a) रुढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए
(b) अन्य व्यक्तियों से अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इंकार करना
(c) धारा 2 (ङ) (ख) के अधीन परिभाषित बहिष्कार
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 2 (ङ ख) में सामाजिक बहिष्कार (Social boycott) को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इंकार करना अभिप्रेत है।

78. पीड़ित से अभिप्रेत है-

(a) मानसिक रूप से अनुसूचित जाति की हानि
(b) शारीरिक रूप से अनुसूचित जनजाति की क्षति
(c) कोई धनीय हानि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

पीड़ित की परिभाषा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 2 (ङ ग) में दिया गया है। परिभाषा इस प्रकार है- पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं।

79. पीड़ित को परिभाषित किया गया है-

(a) धारा 2 (ङ) (ग)
(b) धारा 2 (ङ) (घ)
(c) धारा 3 (ङ) (च)
(d) धारा 2 (ङ) (ख)

उत्तर—(a)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2 (ङ ग) में पीड़ित को परिभाषित किया गया है।

80. आश्रित से अभिप्राय है-

(a) पति या पत्नी
(b) बालक, माता-पिता, भाई और बहन
(c) जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण-पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है
(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2 (ख ख) में आश्रित को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है- 'आश्रित' से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है, आश्रित कहलाता है।

81. विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है-

(a) सेशन न्यायालय (b) कोई न्यायालय
(c) जिला न्यायालय (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(a)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित ज़नजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 में विशेष न्यायालय का प्रावधान है। इसके अनुसार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी।

82. लोक सेवक परिभाषित है-

(a) धारा 2 के तहत
(b) धारा 2 (छ) के तहत
(c) धारा 2 (ङ) के तहत
(d) धारा 2ङ (ख) के तहत

उत्तर—(a)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2 (ख छ) में परिभाषित है।

83. इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था-

(a) अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार रोकने हेतु
(b) विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु तथा अपराधों के विचारण के लिए
(c) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुनर्वास संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए
(d) उपर्युक्त सभी उद्देश्यों के लिए

उत्तर—(d)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की उद्देशिका में इस अधिनियम का उद्देश्य दिया हुआ है। उद्देशिका के अनुसार, 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का, उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।' इस उद्देशिका में विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा जोड़ा गया है।

84. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अपराध निषेध) अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है?

(a) छः मास का कारावास
(b) दस वर्ष का कारावास
(c) मृत्युदंड
(d) आजीवन कारावास

उत्तर—(c)

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (i) में अधिकतम दंड मृत्युदंड का प्रावधान है। धारा 3 (2) (i) के अनुसार- कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी अपराध में फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिसका दंड मृत्युदंड से दंडनीय होगा या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। इस प्रकार यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को दोषसिद्धि कर फांसी दी जाती है तो उस व्यक्ति को जिसने ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

85. किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है?

(a) संसद
(b) विधान सभा
(c) राष्ट्रपति
(d) सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर—(c)

किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है [भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341(1)]।

86. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्त्तव्यों की जानबूझ कर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा?

(a) कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।
(b) ऐसे लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।
(c) उक्त दोनों।
(d) उक्त में से कोई नहीं।

उत्तर—(a)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्त्तव्यों की जानबूझ कर उपेक्षा करने पर कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, दंड के भागी होंगे [धारा 4]।

पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण

❑ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (The Environment Protection Act, 1986)

☞ मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार के लिए **जून, 1972 स्टॉकहोम (स्वीडन)** के सम्मेलन में अनेक विनिश्चय हुए।

☞ भारत **स्टॉकहोम सम्मेलन** का सदस्य था और उसमें हुए विनिश्चयों के प्रति शपथबद्ध।

☞ सम्मेलन के विनिश्चयों तथा **भोपाल गैस त्रासदी** के पश्चात पर्यावरण संरक्षण हेतु विधि की आवश्यकता हुई।

☞ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम **वर्ष 1986** में पारित हुआ।

☞ अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति **23 मई, 1986** को मिली।

☞ **19 नवंबर, 1986** से यह अधिनियम लागू हुआ।

☞ यह अधिनियम **संपूर्ण भारत पर लागू** होता है।

☞ अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को विभिन्न तिथियों व क्षेत्रों में लागू किए जाने की शक्ति **केंद्रीय सरकार** की है।

☞ अधिनियम में कुल **4 अध्याय** तथा **26 धाराएं** हैं।

☞ अधिनियम की **धारा 2** में महत्त्वपूर्ण पदों की परिभाषा दी गई है।

☞ **धारा 2(क)** में जल, वायु और भूमि तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में और उनके बीच विद्यमान अंतर्संबंध को **'पर्यावरण'** कहा गया है।

☞ **'पर्यावरण प्रदूषक'** से अर्थ ऐसे ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थ से है जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक है या क्षतिकारक हो सकते हैं **[धारा 2(ख)]**।

☞ **'पर्यावरण प्रदूषण'** से तात्पर्य है पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना **[धारा 2(ग)]**।

☞ **धारा 2(ङ)** के अनुसार, कोई ऐसा पदार्थ या निर्मिति जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक गुणों के कारण या किसी संव्यवहार के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीव, संपति या पर्यावरण को हानि पहुंचाता हो **'परिसंकटमय पदार्थ'** कहा जाता है।

☞ पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण हेतु एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण हेतु सभी प्रकार के उपाय करने की शक्ति धारा 3 में **केंद्रीय सरकार** को दी गई है।

☞ इन उपायों में राज्य सरकारों, अधिकारियों व प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों का समन्वय, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना निर्माण व निष्पादन, विभिन्न आयामों की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, प्रदूषकों के उत्सर्जन का मानक निर्धारण, विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थों की जांच, समस्याओं का अन्वेषण और अनुसंधान, प्रयोगशालाओं की स्थापना, पर्यावरणीय विषयों की सूचनाएं एकत्र करना तथा प्रचार-प्रसार करना तथा प्रदूषण निवारण हेतु **नियम, पुस्तिकाएं, संहिताएं या मार्गदर्शिकाएं तैयार करना व अन्य उचित कार्यवाही करना** शामिल है।

☞ धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग व कृत्यों के निर्वाह के लिए **केंद्र सरकार** प्राधिकरणों का गठन कर सकती है [धारा 3(3)]।

☞ **राष्ट्रीय हरित अधिकरण** धारा 3 के अधीन ही स्थापित किया गया है।

☞ **धारा 4** केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों के विषय में है।

☞ **धारा 5** के अनुसार, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या अधिकारी को लिखित निदेश दे सकती है जो बाध्यकारी होते हैं।

☞ **लिखित निदेशों** में किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बंद, प्रतिषिद्ध या विनियमित करने तथा विद्युत, जल या अन्य किसी सेवा को बंद या विनियमित करने का निदेश शामिल हो सकता है।

☞ धारा 5 में दिए गए किसी निदेश की अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के पारित होने पश्चात से **हरित अधिकरण** में की जाएगी।

☞ धारा 6 में पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति **केंद्र सरकार** को प्राप्त है।

☞ **धारा 7** में उद्योगों, संक्रिया या प्रक्रिया को निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में उत्सर्जन या निस्सारण करना प्रतिषिद्ध किया गया है।

☞ परिसंकटमय पदार्थों से संव्यवहार करते समय रक्षा उपायों तथा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा **[धारा 8]**।

☞ किसी घटना, दुर्घटना अथवा आकस्मिक कृत्य के कारण मानक से अधिक निस्सारण होने पर उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारित प्राधिकारी अथवा अभिकरण को सूचना देगा तथा मांग किए जाने पर सभी प्रकार की सहायता देगा **[धारा 9]**।

☞ उपचारात्मक कार्यवाही में हुए खर्च को (ब्याज के साथ) भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जा सकता है **[धारा 9(3)]**।

☞ **धारा 10** केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है।

☞ किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से जल, वायु, मिट्टी या अन्य पदार्थ का विहित तरीके से नमूना, केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा सशक्त किसी अधिकारी की शक्ति **धारा 11** में दी गई है।

☞ धारा 12 केंद्रीय सरकार द्वारा **पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं** स्थापित करने की बात करती है।

☞ पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए **सरकारी विश्लेषक** नियुक्त किए जा सकते हैं **[धारा 13]**।

☞ **सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट** साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकेगी **[धारा 14]**।

☞ अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और निदेशों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान **धारा 15** में दिया गया है।

☞ प्रत्येक उल्लंघन या असफलता के लिए **पांच वर्ष तक** का कारावास या **1 लाख रुपये** का जुर्माना या **दोनों** का दंड दिया जा सकता है।

☞ यदि उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, तो अतिरिक्त जुर्माने के रूप में दोषसिद्धि (प्रथम असफलता की) के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए **पांच हजार रुपये तक** के हिसाब से जुर्माने से दंडित किए जाने की व्यवस्था है।

☞ यदि दोषसिद्धि की तिथि से 1 वर्ष के पश्चात भी असफलता जारी रहती है, तो कारावास की अवधि **7 वर्ष तक** की हो सकेगी।

☞ **कंपनियों द्वारा अपराध** किया जाना धारा 16 में दंडनीय है।

☞ धारा 17 **सरकारी विभागों द्वारा अपराध** को दंडित बनाती है।

☞ धारा 18 **सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही** के लिए संरक्षण अर्थात कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही न चलाने का उपबंध देती है।

☞ न्यायालय अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान **केंद्रीय सरकार** अथवा **प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी** के परिवाद पर करेगा।

☞ परिवाद किए जाने के आशय की लिखित सूचना **साठ (60) दिन से कम** की नहीं होगी।

☞ धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, 1860 की **धारा 21 के अनुसार लोक सेवक** होंगे [धारा 21]।

☞ सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन **धारा 22** में दिया गया है।

☞ धारा 23 के अनुसार, केंद्रीय सरकार आवश्यक लगने पर **किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण** को अपनी शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित कर सकती है।

☞ प्रत्यायोजित करने वाली शक्तियों में धारा 3 के अधीन **अधिकरण गठित करने की शक्ति** तथा धारा 25 में दी गई **नियम बनाने की शक्ति** शामिल नहीं है।

☞ इस अधिनियम के प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम अन्य अधिनियम से **असंगत होते हुए भी अभिभावी** होंगे।

☞ धारा 25 केंद्रीय सरकार की **नियम बनाने की शक्ति** का प्रावधान है।

● अन्य उपयोगी तथ्य

☞ **पृथ्वी सम्मेलन** रियो डी जिनेरियो, ब्राजील में वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था।

☞ **सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन** वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ था।

☞ वर्ष 2012 में रियो डी जिनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास पर सम्मेलन **पर्यावरणीय संरक्षण हेतु प्रयास** के उदाहरण हैं।

☞ **एजेंडा 21** भी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र की गैर-बाध्यकारी कार्य योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु हैं।

☞ भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 51क के खंड (छ)** में प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के

प्रति दया भाव रखना प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्त्तव्य बताया गया है।

☞ संविधान का **अनुच्छेद 48-क** पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में शामिल करता है।

☞ धारा 25 के अधीन बनाए गए नियम संसद के समक्ष जबकि वह सत्र में हो **30 दिनों के लिए** रखे जाएंगे **[धारा 26]**।

☞ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक **29 मार्च, 1981** को प्राप्त हुई।

☞ यह अधिनियम दिनांक **15 मई, 1981** से संपूर्ण भारत में लागू है।

☞ **धारा 39** वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के उल्लंघन को दंडनीय बनाती है।

☞ शास्ति या दंड का प्रावधान न होने पर ऐसे निदेश के उल्लंघन के लिए **तीन माह तक का कारावास** या **10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों** के दंड की व्यवस्था दी गई है।

☞ यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माना जो **10,000 रुपये तक** का हो सकता है, लगाया जाएगा।

☞ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को राष्ट्रपति की सहमति **23 मार्च, 1974** को मिली।

☞ **जल अधिनियम, 1974** प्रथमतः असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हुआ।

☞ अन्य राज्यों में इसका प्रवर्तन संविधान के **अनुच्छेद 252 (1)** के अनुरूप अंगीकार किए जाने की तिथि से माना जाता है।

☞ अधिनियम की धारा 20 के अधीन किसी निदेश के उल्लंघन या असफलता की स्थिति में दंड **तीन माह तक के कारावास** या **10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों** का हो सकता है।

☞ अपराध जारी रहने पर **अतिरिक्त जुर्माना 5,000 रुपये तक** प्रतिदिन के हिसाब से हो सकेगा।

☞ धारा 32 या 33 या 33क के अधीन निदेश के उल्लंघन या असफलता पर कारावास **1 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष तक तथा जुर्माने** से दंडनीय होगा।

☞ उक्त अपराध जारी रखने पर प्रत्येक दिन के लिए **5,000 रुपये तक के** हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा।

☞ यदि अपराध का जारी रखना 1 वर्ष से अधिक अवधि हेतु है, तो **न्यूनतम कारावास 2 वर्ष का होगा जो 7 वर्ष तक अधिकतम हो सकेगा तथा जुर्माने से भी** दंडित किया जाएगा।

☞ **धारा 42** के अनुसार, भूमि पर लगाए किसी स्तंभ; थम्ब या खूंटे को या प्रस्तुत अंतर्लिखित या रखी गई किसी सूचना को नष्ट करना, गिराना, हटाना आदि, किसी प्राधिकृत व्यक्ति के कर्त्तव्य पालन में बाधा डालना, अपेक्षित जानकारी को न दे पाना या किसी दुर्घटना या घटना की सूचना देने में असफल रहना या मिथ्या रूप में देना **तीन माह तक के कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने** या **दोनों से** दंडनीय है।

☞ धारा 24 के अधीन प्रतिषेध के उल्लंघन में प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन के लिए सरिता या कुएं का उपयोग करना, धारा 25 में बिना बोर्ड की पूर्व सहमति के नए निस्सरणों या निकासों की स्थापना तथा धारा 26 के अधीन किसी नदी या कुएं या मलनल या भूमि पर कोई मल या व्यावसायिक बहिःस्राव करना क्रमशः धारा 43 तथा 44 के अधीन **1 वर्ष 6 माह न्यूनतम तथा 6 वर्ष अधिकतम कारावास तथा जुर्माने से** दंडनीय है।

❑ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wild Life Protection Act, 1972)

☞ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 **9 सितंबर, 1972** को बना।

UPSI 17 July 2017

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर** पूरे भारत पर है।

☞ इस अधिनियम में कुल **7 अध्याय** तथा **66 धाराएं** हैं।

☞ **धारा 2** कुछ महत्त्वपूर्ण पदों की परिभाषा देती है।

☞ अधिनियम में **'पशु'** में स्तनधारी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, अन्य **कॉर्डेटास** और बिना रीढ़ वाले तथा उनके बच्चे व अंडों को शामिल किया गया है।

☞ **'पशु वस्तु'** से अर्थ पशुओं के अतिरिक्त कोई चीज जिसके निर्माण में पशु के या उसके किसी भाग का प्रयोग किया गया हो, तथा इसमें भारत में आयात किया गया हाथी दांत या उससे बनी कोई वस्तु शामिल है।

☞ **'सर्कस'** से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जो चाहे स्थिर हो या अस्थिर, पशुओं के प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त होता है।

☞ पशुओं के संबंध में **'व्यापारी'** से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो किसी

पशु या वस्तु को खरीदने या बेचने का कारोबार करता है।

☞ **'आखेट'** का अर्थ किसी वन्य पशु अथवा बंधुआ पशु को मारना विष देना और ऐसा करने के लिए प्रत्येक प्रयास करना, उनको पकड़ना, पीछा करना, फुसलाना, फंदा डालना, हांकना, कष्ट पहुंचाना या इनका प्रयास करना, वन्य पशु आघात पहुंचाना, नष्ट करना या उसके शरीर के किसी भाग को ले जाना या वन पक्षी या रेंगने वाले के अंडों को क्षति पहुंचाना या उसके घोंसले व अंडों को नुकसान पहुंचाना शामिल है **[धारा 2 (16)]** ।

☞ **'पशु धन'** से तात्पर्य फार्म पशु जो कि भैंस, सांड़, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरी, भेड़, घोड़े, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, कलहंस, मुर्गी और उनके बच्चे से है **[धारा 2 (18)]** ।

☞ **धारा 2(20)** के अनुसार, **मांस** से वर्मिन से अन्यथा खाल के साथ या बिना खाल के चाहे कच्चा अथवा पक्का किसी वन्य पशु अथवा बंधुआ पशु का रक्त, हड्डी, स्नायु, अंडे, छिलका अथवा कारपस, चर्बी और मांस शामिल हैं।

☞ धारा 2(30) के अनुसार, **'चर्म प्रसाधन'** से तात्पर्य ट्राफी को औषधि लगाना, तैयार करना, संरक्षित करना या मढ़ना है।

☞ **'ट्राफी'** का अर्थ हानि पहुंचाने वाले पशु के अतिरिक्त किसी भी बंदी या अन्य पशु का पूरा या कोई भाग जो किसी भी तरह प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से रखा गया हो या सुरक्षित किया गया हो **[धारा 2 (31)]**।

☞ 'ट्राफी' के अंतर्गत चर्म प्रसाधन द्वारा चमड़ा और कथित पशु के नमूने पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मढ़े गए हों, बारहसिंगें की सींग, हड्डी, कारपस, छिलका, सींग, गेंडे की सींग, बाल, खाल, नाखून, दांत, हाथी दांत, कस्तूरी, अंडे, घोंसले और मधुमक्खी का छत्ता शामिल होते हैं।

☞ **'आयुध'** के अंतर्गत गोली-बारूद, तीर-धनुष, विस्फोटक, आग्नेयआस्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने योग्य हो शामिल है **[धारा 2 (35)]**।

☞ **'राष्ट्रीय उद्यान'** से अर्थ धारा 35 या 38 या 66 (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया क्षेत्र से है **[धारा 2 (21)]**।

☞ **'अभ्यारण्य'** को **धारा 2(26)** में परिभाषित किया गया है।

☞ वन्य जीव परिरक्षण निदेशक (1), सहायक निदेशक (1) तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति **केंद्रीय सरकार** द्वारा धारा 3 के अंतर्गत की जाती है।

☞ राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक, वन्य जीव अभिरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव अभिरक्षक तथा आवश्यक अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति **धारा 4** में दी गई है।

☞ धारा 5 यह कहती है कि **निदेशक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से** तथा **मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति** से अपनी शक्तियों व कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेंगे।

☞ वन्य जीव हेतु **राष्ट्रीय परिषद** का गठन धारा 5क के अधीन किया जाता है।

☞ इस राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** तथा वन और वन्य जीव का प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होगा।

☞ राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की स्थापना **धारा 5ख** के अधीन होती है।

☞ राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति में **न्यूनतम 10 सदस्य** होंगे जो राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

☞ वन्य जीव हेतु **राज्य परिषद** का गठन धारा 6 में दिया गया है।

☞ वन्य जीव हेतु राज्य परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री तथा वन एवं वन्य जीव प्रभार मंत्री उपाध्यक्ष होता है।

☞ राज्य परिषद की बैठक **वर्ष में कम से कम दो बार** राज्य सरकार द्वारा आदेशित स्थान में होती है **[धारा 7]**।

☞ धारा 9 **आखेट पर प्रतिषेध** लगाती है।

☞ जहां **मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक** संतुष्ट है कि वन्य पशु मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका है या वह इतना अशक्त या रोगग्रस्त है कि पुनः स्वस्थ होने के अयोग्य है, वहां ऐसे पशु के आखेट की अनुमति दे सकेगा **[धारा 11]**।

☞ **स्वयं की रक्षा या किसी व्यक्ति की रक्षा में** किसी वन्य पशु को सद्भावना से मारना या घायल करना अपराध नहीं होता **[धारा 11(2)]**।

☞ अधिनियम की **धारा 12** विहित फीस का भुगतान किए जाने पर तथा मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के लिखित आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर विशेष प्रयोजनों हेतु वन्य पशु आखेट को अनुज्ञेय करता है।

☞ **विशेष प्रयोजन में** शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंध, नमूनों का संग्रह तथा जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण के लिए सांप से जहर निकालना या उससे तैयार करना शामिल है।

☞ किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचित वनस्पतियों, किसी वन भूमि या किसी अन्य क्षेत्र से जानबूझकर खोदना या उखाड़ना, क्षति करना, नष्ट करना, अर्जित या संग्रहित करना, किसी वनस्पति (जीवित या मृत) के किसी भाग या उसके उत्पाद को कब्जे में रखना, विक्रय करना या प्रस्थापना करना, दान या अंतरण करना **धारा 17क** में प्रतिबंधित है।

☞ अनुसूचित जाति के सदस्य पर धारा **17-क लागू नहीं** होती है।

☞ **लाइसेंस के बिना** विनिर्दिष्ट (Specific) प्रकार की वनस्पति की कृषि नहीं जा सकती [धारा 17 (ग)]।

☞ धारा 17ज हर प्रकार की विनिर्दिष्ट वनस्पतियों या उसके भाग या उत्पाद इत्यादि को **सरकार की संपत्ति** घोषित करती है।

☞ किसी आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग या टेरीटोरियल वाटर के अतिरिक्त किसी क्षेत्र को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा **वन्य जीव शरण स्थल** घोषित कर सकती है [धारा 18]।

☞ धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य घोषित आरक्षित क्षेत्र के संरक्षण हेतु **कलेक्टर की नियुक्ति** राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

☞ आरक्षित क्षेत्र या उस पर किसी अधिकार का विनिश्चय **कलेक्टर द्वारा** किया जाता है।

☞ उत्तराधिकार, वसीयती या गैर-वसीयती संबंधी अधिकार, जो अधिसूचना के पूर्व अर्जित हो, के सिवाय **अधिकार के अर्जन पर रोक** धारा 20 में है।

☞ किसी क्षेत्र के संबंध में धारा 18 के अधीन अधिसूचना जारी होने के **60 दिन के भीतर** कलेक्टर क्षेत्रीय भाषा में उद्घोषणा प्रकाशित कराता है।

☞ **कलेक्टर द्वारा किसी दावे की जांच** धारा 22 में की जाती है।

☞ धारा 25-क के अनुसार, अधिकारों के अर्जन, दावों का विनिश्चय इत्यादि कलेक्टर द्वारा **अधिसूचना जारी होने के 2 वर्षों के भीतर** किया जाएगा।

☞ धारा 26 कलेक्टर को **अपनी शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन की शक्ति** देता है।

☞ धारा 27 **वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित** करती है।

☞ कार्यरत लोक सेवक, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वन्य जीवन शरण स्थल की सीमा के अंदर रहने के अनुमन्य व्यक्ति, सीमा के अंदर किसी अचल संपत्ति पर कोई अधिकार रखने वाले, **उपरोक्त के आश्रित या एक छोर से दूसरे छोर पर अभ्यारण्य के माध्यम से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के अतिरिक्त** कोई भी इसमें प्रवेश, निवास नहीं करेगा।

☞ वन्य जीव शरण स्थल में अध्ययन, फोटोग्राफी वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन इत्यादि हेतु प्रवेश **मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक की आवेदन-पत्र पर अनुज्ञा द्वारा** किया जा सकता है।

☞ धारा 30 **वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लगाने को निषिद्ध** करती है।

☞ वन्य जीव अभ्यारण्य में बिना मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के **आयुध सहित प्रवेश प्रतिबंधित** है [धारा 31]।

☞ अभ्यारण्य के भीतर रासायनिक, विस्फोटक पदार्थ या अन्य क्षतिकारक पदार्थ का प्रयोग **धारा 32** के अधीन प्रतिषिद्ध है।

☞ धारा 33 के अनुसार, **वन्य जीव अभ्यारण्य का नियंत्रण** मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के अधीन होगा।

☞ **पशुधन का टीकाकरण** धारा 33-क में उपबंधित है।

☞ धारा 33-ख के अधीन **सलाहकार समिति** का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

☞ **वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों से अतिक्रमण हटाने** की व्यवस्था धारा 34-क में दी गई है।

☞ **अतिक्रमण हटाने हेतु** वनों का सहायक संरक्षक दर्जे से अन्यून कोई अधिकारी प्राधिकृत है।

☞ राष्ट्रीय उद्यान के रूप किसी क्षेत्र को **राज्य सरकार द्वारा** घोषित किया जाता है [धारा 35]।

☞ जिस क्षेत्र में राज्य सरकार शिकार को किसी अवधि के लिए बंद घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दे वह '**बंद क्षेत्र**' कहलाता है **[धारा 37]**।

☞ केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रों को **अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति** धारा 38 में है।

☞ **केंद्र सरकार** केवल उन्हीं क्षेत्रों के संबंध में ऐसी घोषणा कर सकती है जो राज्य के अभ्यारण्य क्षेत्र में न आता हो तथा जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पट्टे पर या अन्यथा हस्तांतरित किया हो।

☞ **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन** केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

☞ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में **कुल 12 व्यक्ति** (अध्यक्ष, सचिव तथा 10 से अनधिक अन्य सदस्य) हो सकते हैं [धारा 38 क]।

☞ अध्यक्ष या अन्य सदस्यों (सचिव को छोड़कर) का कार्यकाल केंद्र सरकार विहित करती है जो **3 वर्ष से अधिक** नहीं होता।

☞ **अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना त्यागपत्र** केंद्र सरकार को संबंधित करता है।

☞ अध्यक्ष या किसी सदस्य को प्राधिकरण की **लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर** पद से हटाया जाता सकता है [धारा 38-ख]।

☞ कोई भी चिड़ियाघर **बिना प्राधिकरण की मान्यता** के नहीं चलाया जाएगा। [धारा 38-ज]।

☞ **प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना** किसी वन्य पशु को या पकड़े गए पशु का अर्जन, विक्रय या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। [धारा 38-झ]।

☞ कोई व्यक्ति चिड़ियाघर में **शोर मचाकर या चिढ़ाकर** पशुओं को परेशान नहीं करेगा न पशुओं को **घायल** करेगा [धारा 38-ञ]।

☞ **धारा 38-ठ के अधीन** 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

☞ पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष** होता है।

☞ प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल **3 वर्ष** का होता है [धारा 38-ड]।

☞ प्राधिकरण का कोई कर्मचारी जो ऐसा होने में इच्छुक नहीं है वह इच्छुक न होने की तिथि से **6 माह की अवधि के अवसान तक** पद धारण करेगा [धारा 38-ढ]।

☞ राज्य सरकार द्वारा गठित **'विषय निर्वाचन समिति' का अध्यक्ष** राज्य का मुख्यमंत्री होता है [धारा 38-प]।

☞ किसी क्षेत्र को बाघ आरक्षित तथा बाघ संरक्षण योजना **राज्य सरकार द्वारा घोषित तथा तैयार** किया जाता है [धारा 38-फ]।

☞ बाघ आरक्षित की सीमाओं में परिवर्तन **बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद** के अनुमोदन पर किया जाता है। [धारा 38-ब]।

☞ बाघ आरक्षित क्षेत्र के संबंध में कोई अधिसूचना **केवल लोक हित** में रद्द की जा सकती है।

☞ बाघ तथा जैव-विविधता के संरक्षण हेतु बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान **राज्य सरकार द्वारा** स्थापित किया जाता है [धारा 38-भ]।

☞ बाघ तथा संकटापन्न जाति **अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन** केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है [धारा-38-म]।

☞ **ब्यूरो का निदेशक** पदेन वन्य जीव संरक्षक तथा पुलिस महानिरीक्षक सहायक निदेशक होगा।

☞ धारा 39 के अनुसार, वन्य प्राणी इत्यादि **सरकारी संपत्ति** हैं।

☞ **धारा 44** के अधीन बिना अनुज्ञप्ति ट्राफी और पुश वस्तुओं से व्यवहार प्रतिबद्ध है।

☞ **लाइसेंसों का प्रदत्त करना, नवीकरण, निलंबन तथा निरस्तीकरण** मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है [धारा-45]।

☞ **लाइसेंस देने के इंकार आदेश या नवीकरण से इंकार या निरस्तीकरण या निलंबन के विरुद्ध अपील** मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के समक्ष होती है यदि आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया है।

☞ अपील राज्य सरकार को होगी **यदि आदेश मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक द्वारा** पारित किया गया है [धारा-46]।

☞ अपील आदेश की तारीख से **30 दिनों के भीतर** की जानी चाहिए।

☞ **धारा 60** किसी व्यक्ति या उसकी अभिरक्षा या कब्जे के पशुधन, लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों की तलाशी, स्थानों में प्रवेश, गिरफ्तारी व निरोध की शक्ति के बारे में बताती है।

☞ **उपरोक्त शक्ति** निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या मुख्य वन्य जीव संरक्षक या कोई वन अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक से निम्न पंक्ति का न हो, द्वारा प्रयोग की जा सकती है।

☞ धारा 51 '**दंड**' का प्रावधान देती है।

☞ अध्याय 5-क के उपबंधों के अधीन किसी नियम या आदेश के उल्लंघन **3 वर्ष तक के कारावास या 25,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से** दंडनीय है।

☞ पश्चातवर्ती किसी अवसर पर दोषसिद्धि पर कारावास **3 वर्ष से कम** नहीं होगा किंतु **7 वर्ष तक का** हो सकेगा तथा **जुर्माना 25,000 रुपये से कम नहीं** होगा।

☞ जो व्यक्ति अध्याय 5-क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह **न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास** से तथा **न्यूनतम 10,000 रुपये के जुर्माने से** दंडित किया जाएगा।

☞ धारा 38-ञ के प्रावधानों का उल्लंघन **6 माह तक के कारावास से या 2000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से** दंडनीय है।

☞ बाघ आरक्षित क्षेत्र में शिकार या क्षेत्र की सीमा परिवर्तन से संबद्ध व्यक्ति प्रथम दोषसिद्धि पर **न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना न्यूनतम 25,000 रुपये तथा अधिकतम 2 लाख रुपये** से दंडित किया जाता है।

☞ **पश्चातवर्ती दोषसिद्धि** पर कारावास **न्यूनतम 7 वर्ष** तथा जुर्माना **न्यूनतम 5 लाख** रुपये जो अधिकतम 50 लाख हो सकेगा, के दंड का प्रावधान है।

☞ दुष्प्रेरण हेतु पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर **1 वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये के जुर्माने** का उपबंध है।

☞ धारा 51-क **गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत** से संबंधित है।

☞ धारा 53 गलत अभिग्रहण हेतु **6 माह तक के कारावास से या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से** दंडित किए जाने की व्यवस्था देती है।

☞ **'अपराधों का शमन'** धारा 54 में किया जाता है।

☞ न्यायालय द्वारा **अपराधों का संज्ञान** परिवाद पर किया जाता है।

☞ किसी व्यक्ति द्वारा **कम-से-कम 60 दिनों के नोटिस तथा परिवाद करने की अपने आशय की सूचना** केंद्रीय या राज्य सरकार को देकर, परिवाद किया जा सकता है।

☞ अधिनियम में **उपधारणा** धारा 57 में प्रावधानित है।

☞ धारा 58 **कंपनियों द्वारा अपराध** से संबंधित है।

☞ अध्याय 6-क, धारा 58-क से 58-म तक '**अवैध शिकार और व्यापार से प्राप्त की गई संपत्ति का समपहरण**' के लिए है।

☞ धारा 58-ग **अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने का प्रतिषेध** है।

☞ आरोप लगाने की तिथि से **6 माह पूर्व अर्जित की गई संपत्ति** जब्त नहीं की जाएगी।

☞ धारा 58 (च) **अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने या रोक लगाने हेतु** उपबंध देती है।

☞ **समपहरण** की सूचना की अवधि 30 दिन होती है।

☞ एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने से पूर्व **30 दिनों का** कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए।

☞ **धारा 58-ढ** के अनुसार अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या होने के लिए अर्हित व्यक्ति हो सकेगा।

☞ अपील आदेश की तिथि से **45 दिनों के** भीतर की जाएगी [धारा 58-ण]।

☞ धारा 58-फ के अनुसार, अभिलेख से प्रकट किसी भूल को ठीक करने हेतु आवेदन आदेश की तिथि से **1 वर्ष के भीतर** किया जाना चाहिए।

☞ धारा 59 कहती है कि अधिनियम के अधीन सभी सदस्य **लोक सेवक** होंगे।

☞ धारा 60 **सद्भावपूर्वक कार्यवाही** को संरक्षित करती है।

☞ अपराधियों को पकड़वाने वाले व्यक्ति को अपराधी पर लगाए **जुर्माने का 50 प्रतिशत** तक ईनाम दिया जा सकेगा [धारा 60-क]।

☞ अपराध का पता लगाने या अपराधी की गिरफ्तारी में सहायता देने वाले व्यक्ति को **न्यूनतम 10,000 रुपये** पुरस्कार स्वरूप देने हेतु राज्य सरकार मुख्य वन्य जीव संरक्षण को सशक्त कर सकेगी [धारा 60-ख]।

☞ **वन पशुओं को हानिकारक पशु घोषित करना** धारा 62 में केंद्रीय सरकार की शक्ति है।

☞ **केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति** धारा 63 में है।

☞ धारा 64 **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** है।

☞ अनुसूचित जनजाति-अधिकारों का संरक्षण **धारा 65** में उपबंधित है।

☞ अधिनियम में **6 अनुसूचियां** हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. 'पर्यावरण प्रदूषण' से क्या अभिप्राय है?

(a) ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है।

(b) ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है।

(c) ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है।

(d) उपरोक्त सभी 'पर्यावरण प्रदूषक' हैं।

उत्तर—(d)

पर्यावरण प्रदूषण में ठोस, द्रव तथा गैसीय प्रदूषण सभी सम्मिलित होते हैं क्योंकि भूमि, जल तथा वायु तीनों ही पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

2. 'पर्यावरण' (संरक्षण) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

(a) धारा 2 (a) के अंतर्गत

(b) धारा 2 (b) के अंतर्गत

(c) धारा 2 (c) के अंतर्गत

(d) धारा 2 (d) के अंतर्गत

उत्तर—(a)

'पर्यावरण', पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 (a)/(क) में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि तथा जल, भूमि और वायु तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में और उनके बीच विद्यमान अंतर्संबंध सम्मिलित हैं।

3. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं-

(a) चेयरमैन और 13 सदस्य

(b) चेयरमैन और 16 सदस्य

(c) चेयरमैन और 17 सदस्य

(d) चेयरमैन और 11 सदस्य

उत्तर—(b)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक चेयरमैन तथा 16 अन्य सदस्य होते हैं अर्थात कुल 17 सदस्यीय बोर्ड। बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी।

4. भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया?

(a) संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976

(b) संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978

(c) संविधान (54वां संशोधन) अधिनियम, 1986

(d) संविधान (43वां संशोधन) अधिनियम, 1977

उत्तर—(a)

भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा पर्यावरण के लिए उपबंध किए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 48-क जोड़ा गया जो राज्य का पर्यावरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करता है तथा अनुच्छेद 51-क जोड़कर खंड (छ) के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्त्तव्य का उल्लेख किया गया है।

5. 'छत्रधारी कानून' (Umbrealla legislation) किसको कहते हैं?

(a) राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम, 2010

(b) जैव विविधता अधिनियम

(c) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(d) वन संरक्षण अधिनियम, 1927

उत्तर—(c)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, ऐसे ही अनेक अन्य अधिनियमों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार की गतिविधियों में समन्वय के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एक समग्र तथा व्यापक उपबंध देता है। अतः इसे **'छत्रधारी कानून'** भी कहा जाता है।

6. पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है?

(a) इंग्लैंड (b) अमेरिका

(c) ऑस्ट्रेलिया (d) भारत

उत्तर—(d)

भारत में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय विधि के उल्लंघन पर दांडिक तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। संकटकारी पदार्थों के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों पर दायित्व निर्धारण तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण 'कठोर दायित्व के सिद्धांत' के आधार पर की जाती है।

7. पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है?

(a) असंगत औद्योगीकरण

(b) अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि

(c) आधुनिक प्रौद्योगिकी

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

पर्यावरणीय प्रदूषण के कारणों में असंगत औद्योगीकरण, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, कृषिक गतिविधियां इत्यादि हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प में दिए गए तीनों कारण सही हैं।

8. ऐसा पदार्थ या निर्मिति जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक गुणों का हथालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण की अपहानि कारित कर सकती है, कहलाता है-

(a) हानिकारक पदार्थ

(b) परिसंकटमय पदार्थ

(c) प्रदूषित पदार्थ

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

उल्लिखित पदार्थ को 'परिसंकटमय पदार्थ' कहा जाता है। परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा पर्यावरण (संरक्षण) निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 2(ङ) में दी गई है।

9. 'पर्यावरण प्रदूषक' परिभाषित है-

(a) धारा 2(क) के अंतर्गत

(b) धारा 2(ख) के अंतर्गत

(c) धारा 2(ग) के अंतर्गत

(d) धारा 2(घ) के अंतर्गत

उत्तर—(b)

पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख) में परिभाषित है। परिभाषा के अनुसार, 'पर्यावरण प्रदूषक' से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ के ऐसे सांद्रता में उपस्थिति जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद हो या जिसका हानिप्रद होना संभाव्य हो।

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य है-

(a) अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना

(b) मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना

(c) पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उद्देशिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सभी उद्देश्य अधिनियम में समाहित हैं।

11. किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया है-

(a) हथालना

(b) परिसंकटमय पदार्थ

(c) पर्यावरण प्रदूषण

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(a)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(घ) में 'हथालना' की परिभाषा दी गई है। प्रश्नगत संक्रिया हथालना है।

12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ?

(a) 19 मई, 1986 (b) 19 नवंबर, 1986

(c) 26 अगस्त, 1987 (d) 19 नवंबर, 1987

उत्तर—(b)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 19 नवंबर, 1986 से प्रभावी हुआ। अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 23 मई, 1986 को प्राप्त हुई थी।

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का विस्तार है-

(a) संपूर्ण भारत पर

(b) जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर

(c) जम्मू-कश्मीर व नगालैंड राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर

(d) मध्य प्रदेश राज्य पर

उत्तर—(a)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 1 (2) के अनुसार, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र पर है।

14. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्त्तव्य के रूप में विहित किया गया है?

(a) अनुच्छेद 51 (b) अनुच्छेद 48-क

(c) अनुच्छेद 39 (d) अनुच्छेद 51 क (छ)

उत्तर—(d)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51क (छ) यह कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव हैं, रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्त्तव्य है।

15. पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है?

(a) राज्य सरकार में (b) केंद्रीय सरकार में

(c) (a) तथा (b) दोनों में (d) या तो (a) या (b) में

उत्तर—(b)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अनुसार, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है।

16. भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन-सा अनुच्छेद है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 15

(c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 48-A

उत्तर—(d)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48-A राज्य के नीति निदेशक तत्त्व से संबंधित है। अनुच्छेद 48-A के अनुसार, राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

17. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं?

(a) 3 अध्याय, 3 धाराएं (b) 5 अध्याय, 24 धाराएं

(c) 6 अध्याय, 25 धाराएं (d) 4 अध्याय, 26 धाराएं

उत्तर—(d)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में कुल 4 अध्याय तथा 26 धाराएं हैं।

18. पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है?

(a) ठोस (b) द्रव

(c) गैस (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 (ख) में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार, पर्यावरण प्रदूषक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं।

19. जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा-

(a) 5 वर्ष तक के कारावास या 50,000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

(b) 7 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

(c) 5 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

(d) 10 वर्ष तक के कारावास या 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

उत्तर—(c)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में 5 वर्ष तक के कारावास या एक लाख तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। जहां उल्लंघन या असफलता जारी रहती है वहां अतिरिक्त जुर्माना जो 5 हजार रुपये प्रति दिन होगा, से भी दंडित किया जाएगा।

उपधारा (2) के अनुसार, यदि उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है।

20. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया?

(a) स्टॉकहोम घोषणा (b) क्योटो घोषणा

(c) नैरोबी घोषणा (d) कोकोयाक घोषणा

उत्तर—(a)

जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण पर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक विनिश्चय किए गए। भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ था तथा सम्मेलन में हुए विनिश्चयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को यथार्थ रूप देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया गया।

21. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 कब अधिनियमित हुआ?

(a) 23 मई, 1986 (b) 24 अप्रैल, 1987

(c) 20 मार्च, 1989 (d) 25 फरवरी, 1986

उत्तर—(a)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 मई, 1986 को प्राप्त हुई। इसी तिथि को अधिनियमित तिथि भी कहते हैं।

22. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है?

(a) धारा 7-17 तक

(b) धारा 18-26 तक

(c) धारा 3-6 तक

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अध्याय 2 में धारा 3-6 तक केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का प्रावधान है जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां, निदेश देने की शक्ति आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

23. पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है?

(a) केंद्रीय सरकार (b) राज्य सरकार

(c) न्यायालय (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(a)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 के अधीन केंद्रीय सरकार को पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं में स्थापित करने की शक्ति है।

24. अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है?

(a) धारा 15 (b) धारा 19

(c) धारा 21 (d) धारा 23

उत्तर—(b)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 में संज्ञान (Cognizance) वर्णित है। अपराधों का संज्ञान परिवाद पर लिया जाएगा।

25. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू (प्रवृत्त) है-

(a) संपूर्ण भारत पर

(b) नगालैंड राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर

(c) जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर

(d) जनजातीय क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर

उत्तर—(c)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 1 में अधिनियम का विस्तार तथा प्रारंभ के बारे में प्रावधान है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है।

26. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की किस धारा में प्राणी (Animal) शब्द को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 3 (b) धारा 2 (1)

(c) धारा 2 (3) (d) धारा 2 (2)

उत्तर—(b)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (1) में प्राणी अथवा पशु शब्द को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है- ''प्राणी या पशु'' में स्तनधारी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली और बिना रीढ़ वाले सम्मिलित होते हैं। इसमें उनके बच्चे और अंडे भी सम्मिलित हैं।

27. प्राणी के अंतर्गत आते हैं-

(a) स्तनी, अंडे (b) पक्षी, मत्स्य

(c) सरीसृप, जलस्थल चर (d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (1) में प्राणी की परिभाषा दी गई है जिसमें स्तनी, अंडे, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, जलस्थल चर, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, बिना रीढ़ वाले प्राणी एवं उनके बच्चे सभी सम्मिलित हैं।

28. 'निवास स्थान' (Habitat) के अंतर्गत आते हैं-

(a) भूमि जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है

(b) वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है

(c) भूमि, जल, वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (15) में 'निवास स्थान' की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है- निवास स्थान में भूमि, जल अथवा वनस्पति स्थान शामिल हैं जो किसी वन्य जीव का प्राकृतिक निवास स्थान है।

29. पशुधन (Livestock) से अभिप्रेत है-

(a) पालतू पशु

(b) कृषि के उपयोग आने वाले पशु

(c) जंगली पशु

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(b)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (18- क) में पशुधन को परिभाषित किया गया है। पशुधन से तात्पर्य ऐसे पशुओं से है जो कृषि में काम आते हैं और इसके अंतर्गत भैंस, सांड़, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरी, भेड़, घोड़े, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, हंस, मुर्गी और उनके बच्चे सम्मिलित हैं।

30. वन्य जीव (Wild life) के अंतर्गत आते हैं-

(a) भूमि वनस्पतिक प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है

(b) जलीय प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग

(c) ऐसे प्राणी जो केवल जंगलों में रहते हैं

(d) विकल्प (a) और (b) दोनों

उत्तर—(d)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (37) में वन्य जीव को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई पशु, जलीय जंतु अथवा भूमि वनस्पतिक प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, वन्य जीव है।

31. वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है-

(a) राज्य सरकार द्वारा

(b) केंद्र सरकार द्वारा

(c) उक्त दोनों द्वारा

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 में निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

32. निम्नलिखित में से कौन धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है?

(a) मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक

(b) वन्य प्राणी अभिरक्षक

(c) अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4 में मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित की नियुक्तियां कर सकती है-

(i) एक मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक;

(ii) वन्य जीव अभिरक्षक;

(iii) अवैतनिक वन्य जीव अभिरक्षक; और

(iv) ऐसा अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो आवश्यक हो।

33. राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं?

(a) एक (b) दो

(c) तीन (d) चार

उत्तर—(c)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5-क में वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन संबंधी प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से होंगे।

34. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?

(a) राज्य सरकार (b) केंद्रीय सरकार

(c) राष्ट्रपति (d) समुचित सरकार

उत्तर—(b)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38-ठ में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी।

मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका एवं महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

❑ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993)

☞ इस अधिनियम का नाम **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** है।

☞ अधिनियम का विस्तार **संपूर्ण भारत** पर है।

☞ अधिनियम **28 सितंबर, 1993** से लागू है।

☞ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 8 अध्याय तथा कुल 43 धाराएं हैं।

UPSI 18 July 2017

☞ **अधिनियम के अधीन कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं-**

(i) **सशस्त्र बल (Armed Forces)**- सशस्त्र बल से सेना, नौसेना और वायु सेना अभिप्रेत हैं तथा इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है।

(ii) **अध्यक्ष (Chairperson)**- अध्यक्ष से केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(iii) **मानव अधिकार (Human Right)**- मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में समाहित हैं और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

(iv) **अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenants)**- संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई एवं अन्य प्रसंविदा या अभिसमय जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा कहा जाता है।

☞ **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**- संविधान में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है।

☞ **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**- संविधान में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजति आयोग अभिप्रेत है।

☞ **राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Woman)**- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन गठित महिला आयोग अभिप्रेत है।

☞ **लोक सेवक (Public Servant)**- लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है।

● राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन [धारा 3]

☞ केंद्रीय सरकार, **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन** करेगी।

☞ आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(i) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;

(ii) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(iii) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति है या रहा है,

(iv) दो सदस्य, ऐसे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

☞ **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग** (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) और **राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष** कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के पदेन सदस्य समझे जाएंगे।

☞ एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य **कार्यपालक अधिकारी** होगा।

☞ राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय **दिल्ली** में होगा।

☞ **राष्ट्रपति** अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र (Warrant) द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा।

☞ उपर्युक्त की नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(i) प्रधानमंत्री - अध्यक्ष

(ii) लोक सभा का अध्यक्ष - सदस्य

(iii) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री - सदस्य

(iv) लोक सभा में विपक्ष का नेता - सदस्य

(v) राज्य सभा में विपक्ष का नेता - सदस्य

(vi) राज्य सभा का उप सभापति - सदस्य

☞ **अध्यक्ष या सदस्य, अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित लिखित सूचना द्वारा** अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

☞ अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को **केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर** (उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर) राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

☞ कुछ अन्य कारणों से भी उन्हें **राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है,** जैसे-दिवालिया होना, अपने पद के अतिरिक्त किसी सवेतन नियोजन में होना, मानसिक या शारीरिक शिथिलता एवं विकृतचित्त का होना।

● अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि [धारा 6]

☞ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति, **पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या सत्तर वर्ष, दोनों में जो पहले हो** तक पद धारण करेगा।

☞ सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, पद ग्रहण की तारीख से **पांच वर्ष तथा पांच वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति** का भी पात्र होगा, परंतु कोई सदस्य अधिकतम सत्तर वर्ष की आयु तक ही पद धारण करेगा।

☞ **अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर** भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र न होगा।

☞ अध्यक्ष और सदस्य को **केंद्र सरकार द्वारा** नियत वेतन और भत्ता मिलेगा।

● राष्ट्रीय आयोग के कृत्य और शक्तियां

☞ आयोग के निम्नलिखित कृत्य हैं [धारा 12]-

(i) **स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा** उसके सामने प्रस्तुत की गई अर्जी पर मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण या उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करेगा।

(ii) **किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही** में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कथन है, उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना।

(iii) किसी जेल या अन्य संस्था जहां के निवासियों को जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, **निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना**।

(iv) मानव अधिकारों के क्षेत्र में **अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना**।

(v) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच **मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना**।

(vi) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए **उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना**।

(vii) मानव अधिकारों के क्षेत्र में **कार्यरत गैर-सरकारी संगठन और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना**।

☞ आयोग को किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जैसे-

(i) **साक्षियों को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना**,

(ii) किसी दस्तावेज को प्रकट करना और पेश करने की अपेक्षा करना,

(iii) **शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना**,

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए **कमीशन निकालना** आदि।

(v) **ऐसे भवन या स्थान में** जहां जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और उसे प्राप्त कर सकेगा।

(vi) जांच से संबंधित अन्वेषण के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के **किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग** कर सकेगा।

(vii) आयोग यथास्थिति केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को **वार्षिक रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट** प्रस्तुत करेगा।

● राज्य मानव अधिकार आयोग

☞ धारा 21 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(i) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है;

(ii) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय या उस राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है (जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो)।

(iii) एक सदस्य, जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

(iv) एक सचिव जो राज्य आयोग का **मुख्य कार्यपालक अधिकारी** होगा।

☞ राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार निश्चित करे।

☞ **राज्यपाल** अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र (Warrant) द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा परंतु यह नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएंगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(i)	मुख्यमंत्री	-	अध्यक्ष
(ii)	विधान सभा का अध्यक्ष	-	सदस्य
(ii)	संबंधित राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री	-	सदस्य
(ii)	विधान सभा में विपक्ष का नेता	-	सदस्य

☞ जिस राज्य में विधान परिषद है वहां उस **परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता भी** समिति के सदस्य होंगे।

☞ राज्य आयोग का **अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर से लिखित में** राज्यपाल को संबोधित कर त्याग-पत्र दे सकता है।

☞ आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को **केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर** (उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर) राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है।

☞ **कुछ अन्य परिस्थिति में भी** अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है जैसे-दिवालिया होने पर, अपनी पदावधि की दौरान किसी सवेतन नियोजन में लगे रहना, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण, विकृत्त चित्तता आदि।

☞ अध्यक्ष अपने **पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु तक** इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

☞ सदस्य अपने **पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा** परंतु सत्तर वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा।

☞ **अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने के बाद** राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।

☞ अध्यक्ष और सदस्य को **राज्य सरकार द्वारा नियत वेतन एवं भत्ता मिलेगा**।

☞ राज्य आयोग, **राज्य सरकार** को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

● मानव अधिकार न्यायालय (Human Rights Courts)

☞ मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्‌भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए राज्य सरकार **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति** से प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय का गठन करेगी [धारा 30]।

☞ **किसी सेशन न्यायालय** को मानवाधिकार न्यायालय बनाया जा सकता है।

☞ राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक **लोक अभियोजक (Public Prosecutor)** नियुक्त करेगी।

☞ ऐसे अधिवक्ता **जो सात वर्ष तक** विधि व्यवसाय किए हैं, लोक अभियोजक नियुक्त हो सकते हैं।

● प्रकीर्ण/विविध (Miscellaneous)

☞ **केंद्रीय सरकार**, संसद में सम्यक् विनियोग के पश्चात् राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है।

☞ **राज्य सरकार**, विधानमंडल में सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान प्रदान कर सकती है।

☞ राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित हुआ है, **1 वर्ष के समाप्ति** पर किसी विषय की जांच नहीं करेगा।

☞ **धारा 40** के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए नियम बना सकती है जैसे अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते, प्रशासनिक, वैज्ञानिक प्रबंध आदि के लिए।

☞ **धारा 40** के अंतर्गत बना नियम कुछ परिस्थितियों में भूतलक्षी हो सकता है।

☞ **धारा 41** के अधीन राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बना सकती है।

❑ जनहित याचिका (Public Interest Litigation)

☞ जनहित याचिका जिसे संक्षेप में PIL (Public Interest Litigation) कहते हैं वह याचिका है, जो कि जन (लोगों) के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है।

☞ कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्त्व के किसी मामले के विरुद्ध, जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है।

☞ जनहित याचिका भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 32** के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।

☞ जनहित याचिका भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 226** के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।

☞ जनहित याचिका निम्नलिखित परिस्थितियों में दायर की जा सकती है-

☞ जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि **लोगों का सामूहिक हित** हो जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना, जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो।

☞ किसी व्यक्ति के **मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी** जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

☞ कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो, वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि **उसका व्यक्तिगत हित भी सम्मिलित हो**।

☞ जनहित याचिका **केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद** और किसी भी **सरकारी विभाग** के विरुद्ध दायर की जा सकती है।

☞ यह याचिका **किसी निजी पक्ष के विरुद्ध** दायर नहीं की जा सकती है।

☞ लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस पक्ष या कंपनी को **सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में** सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे- यदि कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो, तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे-

(i) उत्तर प्रदेश राज्य/भारत संघ जो आवश्यक हो अथवा दोनों भी हो सकते हैं,

(ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(iii) निजी कारखाना।

● जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया

☞ जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर की जाती है, **जिस प्रकार से रिट (आदेश) याचिका दायर की जाती है**। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

☞ उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जारी है-

(i) प्रत्येक याचिका की एक छायाप्रति होगी;

(ii) यह छायाप्रति अधिवक्ता के लिए बनाई गई छायाप्रति या अधिवक्ता की छायाप्रति होती है;

(iii) एक छायाप्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छायाप्रति की देय रसीद लेनी होती है;

(iv) दूसरे चरण में जनहित याचिका की दो छायाप्रति, प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में देनी होती है।

☞ उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए **याचिका की 5 छायाप्रति दाखिल करनी होती है**।

☞ **प्रतिवादी को याचिका की छायाप्रति** सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है।

☞ जनहित याचिका **एक पत्र के द्वारा भी** दायर की जा सकती है लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की गई हो-

(i) व्यथित व्यक्ति द्वारा;

(ii) सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा;

(iii) उन लोगों के अधिकारों के लिए जो कि गरीबी या किसी और कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते हैं।

☞ जनहित याचिका में न्याय का प्रारूप प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है-

(i) **सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश-** इनमें प्रतिकर, औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश आदि होते हैं।

(ii) **अंतिम आदेश-** जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने व समय-सीमा जिसके अंदर लागू करना होता है।

☞ जनहित याचिका के लिए **वकील** होना जरूरी है।

☞ राष्ट्रीय/राज्य या जिला विधिक विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत **सरकार के द्वारा** वकील की सेवाएं प्रदान कराए जाने का प्रावधान है।

☞ **निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है-**

1. जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो;
2. जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो;
3. जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो;

4. जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो;
5. जब सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न हो, जिससे आने-जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो;
6. जब कहीं रात में ऊंची आवाज में गाने-बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो;
7. जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित कर रहा हो;
8. जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े;
9. जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए;
10. बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ;
11. लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए;
12. उच्च स्तरीय राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए;
13. सड़क एवं नालियों के रख-रखाव के लिए;
14. व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए, ताकि यातायात में कठिनाई न हो।

☞ **जनहित याचिका (जहिया)**, भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का विस्तार बहुत हद तक समानांतर रूप से हुआ है। जनहित याचिका को मध्यम वर्ग ने सामान्यत: स्वागत और समर्थन किया है।

☞ जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह **उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से** व्युत्पन्न है।

☞ इस प्रकार की जनहित याचिकाओं का विचार **अमेरिका में** जन्मा वहां इसे 'सामाजिक कार्यवाही याचिका' कहते हैं।

☞ यह **न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि** है।

☞ भारत में जनहित याचिका **पी.एन. भगवती** ने प्रारंभ की थी।

☞ जनहित याचिका का लक्ष्य **तीव्र तथा सस्ता न्याय** एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है।

☞ ये '**समूह हित**' में काम आती है ना कि व्यक्ति हित में।

☞ यदि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाए तो **याचिकाकर्ता पर** जुर्माना तक किया जा सकता है।

☞ जनहित याचिका को स्वीकारना या अस्वीकारना **न्यायालय पर निर्भर** करता है।

☞ जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु **उच्चतम न्यायालय** ने कुछ नियम बनाए हैं-

1. लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकता है।
2. कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट याचिका मानकर इसे जारी की जा सकती है।
3. कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे।
4. ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी लाई जा सकती है।

● जनहित याचिका से लाभ

(i) इस याचिका से जनता में **स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका** के बारे में चेतना बढ़ती है।

(ii) यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को **बृहद** बनाती है।

(iii) इसमें व्यक्ति को कई **नए अधिकार मिल जाते** हैं।

(iv) यह **कार्यपालिका तथा विधायिका को** उनके संवैधानिक कर्त्तव्य करने के लिए बाधित करती है।

(v) यह **भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता** करती है।

(vi) **एस.पी.गुप्ता बनाम भारत संघ, न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती** ने प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ है, तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में आवेदन दे सकता है। उच्चतम न्यायालय में **पत्र लिखकर** भी उपचार की मांग कर सकता है।

☞ न्यायमूर्ति भगवती ने आगे यह भी कहा कि न्यायालय की इस उदारता का **अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता**।

☞ **दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्य से** इस याचिका का लाभ नहीं लिया जा सकता।

● भारत में जनहित याचिका के विकास के कारण

☞ न्यायमूर्ति पी.एन भगवती ने कहा कि-''**न्यायपालिका को शक्ति के दुरुपयोग को रोक कर** जनमानस को ऐसा उपचार प्रदान करना होगा जिसमें दलित एवं कमजोर वर्ग का शोषण व अन्याय समाज से समूल समाप्त हो जाए चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक आविष्कार क्यों न करना पड़े।''

☞ उपर्युक्त **विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए तथा न्याय की महत्ता को बनाए रखने के लिए** जनहित याचिका का विकास हुआ।

☞ भारत में इसके विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. संविधान के **अनुच्छेद 38** में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह समाज के सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय स्थापित करे।
2. न्याय की **प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण** कोई न्याय से वंचित न रह जाए।
3. संविधान के **अनुच्छेद 39-A** में यह निहित किया गया है कि समाज के गरीब वर्ग को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
4. जनहित में **लोगों के हितों की रक्षा** की जाए।
5. **'जहां अधिकार वहां उपचार'** को विस्तृत रूप में प्रयोग में लाना।
6. न्याय को व्यावहारिक बनाना।
7. प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों को मान्यता देना।

● जनहित याचिका का उद्‌भव एवं उद्देश्य

☞ 1960 के दशक में **U.S.A (United State of America)** में जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों से काफी विस्तार हो गया था।

☞ इस याचिका के द्वारा वकील **कमजोर, पिछड़े एवं उपेक्षित लोगों के मुद्दों को** न्याय व्यवस्था के समक्ष रखते थे।

☞ जनहित के वकील किसी **व्यक्ति या समूह की समस्याओं को** व्यवस्थित ढंग से पेश करने में सहायता प्रदान करते थे, जिससे उन्हें न्याय मिल सके।

☞ अमेरिका में लोकहित याचिकाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण जनता की समस्याओं का निदान करने में **प्रशासनिक एजेंसियों की चूक** थी।

यूनियन कार्बाइड निगम बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति रंगनाथ ने इस बात पर जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना तथा उन्हें उपयुक्त उपचार दिलाना है साथ ही जो विधि के ज्ञाता हैं, उनको समाज को शिक्षित करना चाहिए ताकि उनमें कर्त्तव्य बोध जगे और वे गुमराह होने से बचें।

● जनहित याचिका द्वारा न्यायिक सक्रियता

☞ न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रियता को प्राप्त करने में सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण योगदान **जनहित याचिका** को जाता है।

☞ **वर्ष 1986** में सभी प्रक्रिया के तकनीकी नियमों को ताक पर रखकर न्यायमूर्ति भगवती ने **मात्र एक 'पोस्ट कार्ड' को** याचिका के रूप में मान्यता प्रदान कर न्याय प्रदान किया।

☞ इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इसमें **'पत्रात्मक अधिकारिता'** के तहत अनेक महत्त्वपूर्ण तथा न्यायिक मामलों को निर्णीत किया।

एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ के वाद में निर्धारित किया गया कि कोई भी निर्धन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है। केवल उस न्यायमूर्ति के नाम जो उसके राज्य से आया हो। पत्र के साथ शपथ का होना आवश्यक नहीं है।

☞ **एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ के वाद में** उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे उन्हें शहर से हटाकर दिल्ली मास्टर प्लान में स्थानों को आवंटित करने का निर्देश दिया।

☞ **सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के वाद में** एक 9 वर्ष के बालक की मृत्यु पुलिस के मारने के कारण हो गई थी। न्यायालय ने मृतक की मां को 75,000 रुपये उदाहरणात्मक प्रतिकर देने का निर्देश दिया। मां की ओर से याचिका महिलाओं की '**सहेली**' नामक संस्था के द्वारा संस्थित की गई थी।

☞ जनहित याचिका हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में व्याप्त **भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने और इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने में** सबसे सशक्त साबित हुआ।

☞ **जनहित याचिका** के कारण हवाला कांड, सेंट किट्स कांड, बिहार का चारा घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरहसिम्हा राव से धन प्राप्त कर संसद में उनके बहुमत को सिद्ध करने का कांड, यूरिया कांड, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक घोटाला, दिल्ली में सरकारी भवनों का आवंटन घोटाला, पेट्रोल पंपों के आवंटन घोटाले इत्यादि कांडों को न्यायालय के समक्ष उठाया गया उनमें से कुछ की जांच हो गई और कुछ की हो रही है।

● महिलाओं के कल्याण में जनहित याचिका की भूमिका

☞ महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय दिलाने तथा उसके संरक्षण हेतु न्यायालयों के द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से किए गए प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित मामला उल्लेखनीय है-

गौरव जैन बनाम भारत संघ के वाद में न्यायालय ने अवलोकन किया कि राज्य, गैर-सरकारी संगठनों और जनहित भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्त्तव्य है कि वे-

(i) इनकी (देह व्यापार में संलग्न महिला की) सहायता के लिए आगे आएं।

(ii) उन्हें अभियोचित होने से बचाएं, उनके पुनर्वास में मदद करें ताकि वे पुनः गरिमायुक्त जीवन जी सकें।

(iii) वे पुनः लालबत्ती क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए ना सोचें।

(iv) उनके विवाह की व्यवस्था की जाए।

(v) उनके बच्चों को समाज सुरक्षा और आदर प्रदान करे।

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वूमन्स फोरम बनाम भारत संघ जनहित याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय ने अनेक मापदंडों का निर्धारण किया-

1. मामले के प्रारंभ से अंत तक पीड़ित (महिला) की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। ऐसा यौन शोषण की शिकार महिलाओं की मनोदशा एवं व्यथा के लिए आवश्यक है।
2. सुनवाई बंद कमरे (In camera) में की जाएगी।
3. अभियुक्त को दंडित एवं पीड़िता को उचित प्रतिकर दिलाया जाए।
4. पूछताछ के दौरान सक्षम अधिवक्ता और महिला पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
5. राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति (Maternity) सहायता के लिए उपलब्ध कराएगा।
6. महिलाओं के अधिकारों, हितों, निजता (Privacy), मान-सम्मान, गरिमा आदि के लिए राज्य एवं अन्य व्यक्ति कदम उठाएं।

● बच्चों के कल्याण के लिए जनहित याचिका की भूमिका

☞ जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने बालकों के शोषण को रोकने के लिए कई उचित निर्णय एवं आदेश दिए-

एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दियासलाई बनाने वाले कारखाने में जहां तीली में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है, बच्चों को नियोजित न किया जाए।

परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक रोगी चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जवान हो या बूढ़ा अथवा बच्चा तुरंत चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए।

शीला बार्से बनाम भारत संघ के वाद में निर्णीत हुआ कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जेल में न रखा जाए।

☞ अन्य कई जनहित याचिकाओं में न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया-

(i) सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को वहां से हटाया जाए एवं उनकी सुरक्षा की जाए।

(ii) बच्चों को काम के अनुसार मजदूरी दी जाए।

(iii) बच्चों के लिंग संबंध शोषण को रोका जाए।

☞ **जनहित याचिका की आलोचना-**

(i) यह याचिका सामान्य न्यायिक संचालन में बाधा डालती है।

(ii) इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति परवान पर है। अतः उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कुछ बंधन इसके प्रयोग पर लगाए हैं।

❑ महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

(Landmark Judicial Judgement)

● गिरफ्तारी के संबंध में निर्णय

1. **डी.के.बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के वाद** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) गिरफ्तारी करने वाला या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का सही पदनाम प्रकट तथा स्पष्ट होना चाहिए।

(ii) इस अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र किसी को दी गई है।

(iii) गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसके मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसको वह जानता हो, को सूचना दी जाए।

कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

(i) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

(ii) विहित अवधि से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को निरोध में नहीं रखा जा सकता है।

डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बनाम दीपक महाजन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) गिरफ्तारी केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा ही नहीं बल्कि कुछ दशाओं में अन्य व्यक्तियों द्वारा भी की जा सकती है।

(ii) गिरफ्तारी के बाद किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में लाना आवश्यक है।

शौकीन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) यदि अभियुक्त 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में शामिल पाया जाता है, तो सामान्य तौर पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) यदि 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है, तो उसके लिए केस डायरी में विनिर्दिष्ट कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए।

रसिक लाल बनाम किशोर खानचंद वाधवानी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की पुनः गिरफ्तारी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) किसी जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

(iii) जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को सुनना भी आवश्यक नहीं है।

● आरोप से संबंधित निर्णय

शांति बनाम स्टेट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

दहेज मृत्यु के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं-

(i) एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो;

(ii) ऐसी मृत्यु, सामान्य मृत्यु से भिन्न अर्थात जलने या शारीरिक क्षति द्वारा या अन्यथा कारणों से हुई हो;

(iii) ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के **7 वर्षों** के भीतर हुई हो;

(iv) ऐसी महिला के साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता किया गया हो या उत्पीड़न किया गया हो;

(v) ऐसी क्रूरता आदि दहेज की मांग के संबंध में किया गया हो।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एन.ई.पी.सी.लिमिटेड के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक न्यास-भंग-भारतीय दंड संहिता की **धारा 405** में परिभाषित न्यास-भंग के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व हैं-

(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त किया गया हो,

(ii) ऐसे व्यक्ति ने बेईमानी से संपत्ति को दुर्विनियोग किया हो या अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तन किया हो,

(iii) ऐसा दुर्विनियोग, सम्परिवर्तन, प्रयोग या व्ययन किसी विहित विधि या संविदा के उल्लंघन में किया गया हो।

साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक षड्यंत्र-**भारतीय दंड संहिता की धारा 120A** में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए निम्न तत्त्वों को साबित करना आवश्यक है-

(i) दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसे कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत हुए हों,

(ii) सभी षड्यंत्रकारी एक-दूसरे की बातों को जानते हों और वे षड्यंत्र के मुख्य प्रयोजन में सह-अभियुक्त हों,

(iii) करार के सभी पक्षकार षड्यंत्र के दोषी होंगे चाहे भले ही अवैध कार्य न किया गया हो,

(iv) प्रथमदृष्टया यह दर्शित होना चाहिए कि व्यक्ति कारित अपराध के पूर्व षड्यंत्र का एक पक्षकार था।

● मृत्युदंड के संबंध में निर्णय

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां हत्या करने का ढंग व तरीका अत्यंत वीभत्स, पैशाचिक और बर्बर हो, तो मृत्युदंड दिया जा सकता है, जैसे-

(i) जबकि किसी पीड़ित व्यक्ति के घर में आग इस प्रयोजन से लगाई गई हो कि वह (पीड़ित) व्यक्ति उसमें जिन्दा ही जल-भुन जाए,

(ii) जबकि किसी पीड़ित व्यक्ति को क्रूर व अमानवीय दुष्कृत्यों के अधीन इस दुर्भावना से रखा जाता है कि वह ऐसे यातनाओं से तड़प कर मर जाए,

(iii) जबकि पीड़ित व्यक्ति के शरीर को टुकड़े-टुकड़े में काट दिया गया हो ताकि उसकी पहचान संभव न हो,

(iv) जबकि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर हो, जैसे एक साथ कई हत्याएं जैसे कि डकैती अथवा पुश्तैनी शत्रुता के मामले में एक ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या।

महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

(i) सामान्यतया कारावास का दंड देना एक सामान्य नियम है कि मृत्यु दंड देना एक अपवाद है, अतः मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए।

(ii) मृत्युदंड देते समय विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि -

(i) क्या अपराध के संबंध में कोई असमानता है जिस कारणवश आजीवन कारावास का दंड अनुपयुक्त ठहरता हो और मृत्युदंड अपरिहार्य हो।

(ii) क्या अपराधी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मृत्युदंड के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं है अर्थात विरल से विरलतम मामला।

● महिलाओं से संबंधित अपराध

शिवानंद मलप्पा कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

(i) भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में क्रूरता का अपराध उपबंधित है। क्रूरता के अंतर्गत विशेष रूप से दहेज की मांग करना ही सम्मिलित नहीं है।

(ii) यदि किसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की विधि विरुद्ध मांग भी की जाती है, तो यह क्रूरता है।

प्रिया बनाम शिबी, केरल के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि दहेज के रूप में दिए गए नकद एवं सोने के आभूषणों का दावा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है।

विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) सामूहिक बलात्संग के अपराध में सभी अभियुक्तों को सामान्य आशय एक-दूसरे से मिलना आवश्यक नहीं है,

(ii) सामूहिक बलात्संग के अपराध में सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जा सकता है,

(iii) यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की **धारा 376** का सामान्य आरोप लगाया है तो यदि तथ्य साबित हो जाए तो अभियुक्त को सामूहिक बलात्संग के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है।

स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) बलात्कार के पीड़ित महिला को न केवल शारीरिक क्षति होती है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती है। हत्या के अपराध में उसके शरीर का विनाश होता है किंतु बलात्कार के मामले में पीड़िता की प्रतिष्ठा सदैव के लिए चली जाती है। विचारण न्यायालय को अभियोक्ती के साक्ष्य का मूल्यांकन, संपूर्ण मामले के पृष्ठभूमि में करना चाहिए।

(ii) साक्ष्य अधिनियम की **धारा 114-A** संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और यह प्रावधान किया गया कि सामान्यता बलात्संग के मामलों में पीड़िता की सहमति न होने की उपधारणा की जाएगी।

आसिफा खातून बनाम रूबिना के वाद में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन पीड़िता अपने पति के माता-पिता से दूर रहकर आवास का दावा कर सकती है। न्यायालय पीड़िता को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा।

● महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण

डी.एस. ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी महिला कर्मचारी को विषयजनित (Sensuous) पत्र भेजना, उससे प्रेम प्रकट करना, उसकी खूबसूरती तथा कुशलता की प्रशंसा (Admire) करना तथा उससे अनचाही मदद प्रकट करना यौन शोषण की श्रेणी में आता है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि- महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण-

(1) कोई व्यापार, उपजीविका या पेशा करने का मूल अधिकार कामकाज के सुरक्षित वातावरण पर निर्भर करता है। विधायिका और कार्यपालिका का यह दायित्व है कि ऐसी सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने और इसके प्रवर्तन के लिए तंत्र का निर्माण करें।

(2) जब तक श्रमजीवी महिलाओं (Working Women) के विरुद्ध कार्य स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विधि का निर्माण नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये मार्गदर्शक सिद्धांत काम करेगा। **अनुच्छेद 32** के तहत मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए तथा **अनुच्छेद 141** के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के रूप में अनुपालनीय हैं। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं-

(i) सभी नियोक्ता या अन्य दायित्वाधीन व्यक्ति जो कार्यस्थल के प्रभारी हैं उनका यह दायित्व होगा कि वे महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं,

(ii) लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं-

(a) यौन-संबंध के लिए मांग या प्रार्थना करना,

(b) शारीरिक स्पर्श और उसके लिए आगे बढ़ना,

(c) अश्लील साहित्य दिखाना,

(d) यौन संबंधी छींटाकशी करना या

(e) कोई अन्य शारीरिक या मौखिक यौन आचरण करना इत्यादि।

● टेप रिकॉर्डर/सी.डी.में रिकॉर्ड की आवाज

जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रिजमोहन रामदास मेहरा के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टेप रिकॉर्ड कै साक्ष्य की गाह्यता के मार्गदर्शक सिद्धांत-टेप रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया गया-

(i) बोलने वाले व्यक्ति की आवाज को सम्यक् रूप से पहचानना चाहिए,

(ii) रिकॉर्ड की गई आवाज की वास्तविकता को साबित करना चाहिए,

(iii) समर्थनकारी साक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है,

(iv) रिकॉर्ड की आवाज विषय-वस्तु को साक्ष्य अधिनियम में वर्णित सुसंगतता के नियमों के अनुसार सुसंगत होना चाहिए।

● हत्या के संबंध में निर्णय

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि- भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय खंड में हत्या की कोटि में लाने के लिए निम्न तत्त्वों को साबित किया जाना आवश्यक है-

(i) कोई शारीरिक क्षति कारित की गई हो,

(ii) ऐसी शारीरिक क्षति दुर्घटनाजन्य न हो,

(iii) ऐसी शारीरिक क्षति, क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो,

(iv) ऐसी क्षति की प्रकृति ऐसी हो जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो।

● साइबर अपराध से बचाव के संबंध में निर्णय

जनमंच बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

(i) पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को बंद करने के संबंध में राज्य प्राधिकारियों को कोई निर्देश न्यायालय नहीं दे सकता है,

(ii) ऐसे वेबसाइटों को बंद करने के संबंध में व्यथित व्यक्ति राज्य प्राधिकारियों को आवेदन दे सकते हैं,

(iii) वेबसाइट का संचालन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आता है,

(iv) व्यथित व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।

जयेश एस.ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) पोर्नोग्राफी तक पहुंच से बच्चों को दूर रखने के लिए वेबसाइट को बंद नहीं किया जा सकता है,

(ii) किसी मार्गदर्शन के बिना किसी साइट को रोकना असीमित अवरोध के अधीन है,

(iii) इंटरनेट एक आधुनिक तकनीक है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है,

(iv) समाज के विकास के लिए आधुनिक तकनीक आवश्यक है।

साइबर अपराध को रोकने में भारत सरकार के प्रयास-इस संबंध में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए हैं-

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (सेवादाता के लिए दिशा-निर्देश) नियम, 2011

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशा-निर्देश) नियम, 2011 आदि।

● रिश्वत के संबंध में निर्णय

सी.एम.शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के स्पष्टीकरण में निम्न तत्त्वों से अपराध गठित होता है-

(i) अवैध परितोषण की मांग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध गठित करता है,

(ii) करेंसी नोटों की रिकवरी मात्र कोई अपराध गठित नहीं करता है जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने रिश्वत जानते हुए स्वेच्छायन से प्राप्त किया था।

अखंड प्रताप सिंह बनाम सी.बी.आई. के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सी.बी.आई. (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन मामले में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी अन्वेषण में कार्यवाही कर सकता है।

● मृत्युकालिक घोषणा के संबंध में निर्णय

कलावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि

(i) मृत्युकालिक कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है,

(ii) यदि मृत्युकालिक कथन सत्य एवं स्वेच्छा से किया गया है और न्यायालय उसकी सत्यता में विश्वास करता है, तो मात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है।

● जमानत के संबंध में निर्णय

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रतन मलिक के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) जमानत के आवेदन पर सुनवाई अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष समर्पण करने के बाद ही किया जा सकता है,

(ii) जमानत की सुनवाई के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर देना चाहिए।

स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम साजिद हुसैन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते समय न्यायालय को निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है-

(i) अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति,

(ii) आवेदक का पूर्व इतिहास,

(iii) अभियोग का उद्देश्य आवेदक की ख्याति को अपमानित करना।

● राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में निर्णय

केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है। इस शक्ति के अंतर्गत वह मामले के गुणावगुण (Merits) पर विचार कर सकता है। भले ही न्यायालय ने चाहे जो निर्णय दिया हो,

(ii) दांडिक मामले में राष्ट्रपति साक्ष्य का परीक्षण करते हुए निर्णय ले सकता है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं।

● वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय में गवाही तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में निर्णय

स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल बी.देसाई के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

(i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है,

(ii) चूंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है।

अमिताभ बाग्ची बनाम इना बाग्ची के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वैवाहिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य लेने की अनुज्ञा तभी दी जाएगी जब पति एवं पत्नी दोनों भारत के बाहर निवास करते हैं।

● सामान्य आशय के संबंध में निर्णय

बारेन्द्र कुमार घोष के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह जो केवल खड़ा रहता है तथा प्रतीक्षारत है, वह भी सेवारत है। अर्थात मामलों में दायी होगा।

ऋषिदेव पाण्डेय के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्य आशय ऐन मौके पर भी उपलब्ध हो सकता है।

महबूबशाह बनाम इंपरर के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्य आशय, समान आशय या सदृश आशय से भिन्न है।

सदोष मानववध तथा हत्या के संबंध में निर्णय

आर. बनाम गोविंदा के वाद में न्यायमूर्ति Melville ने प्रेक्षण किया कि हत्या तथा सदोष मानववध में भेद सूक्ष्म है किंतु वह परखे जाने योग्य है। हत्या और सदोष मानववध में मात्र डिग्री का अंतर है।

● संविधान के संबंध में निर्णय

बेरूबारी प्रकरण के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

(i) प्रस्तावना (उद्देशिका) संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है,

(ii) प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

शंकरी प्रसाद के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि **अनुच्छेद 13(2)** में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं।

सज्जन सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को दोहराया अर्थात **अनुच्छेद 13(2)** में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं।

गोलकनाथ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां भी शामिल हैं।

केशवानंद भारती के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस निर्णय में निम्न बातें स्पष्ट की हैं-

(i) **शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह** के प्रकरणों में दिए गए निर्णय सही थे। गोलकनाथ के प्रकरण में दिया गया निर्णय दोषपूर्ण था। अर्थात **अनु. 13(2)** में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं।

(ii) संसद मूलाधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है किंतु वह **संविधान की आधारिक संरचना को नष्ट करने वाला संशोधन नहीं कर सकती।**

(iii) प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः यह भी संशोधनीय है। बेरूबारी के प्रकरण को अमान्य कर दिया गया।

☞ निम्नलिखित को आधारभूत संरचना (Basic Structure) घोषित किया गया (केशवानंद भारती एवं अगले मामले के कई निर्णयों में)-

(i) न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति;

(ii) संविधान की सर्वोच्चता तथा उसका संघीय स्वरूप;

(iii) राष्ट्र की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता;

(iv) स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव;

(v) राष्ट्र की पंथ-निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक तथा प्रजातांत्रिक स्वरूप;

(vi) शक्तियों का पृथक्करण (विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य);

(vii) कल्याणकारी राज्य की स्थापना;

(viii) विधि का शासन;

(ix) व्यक्ति की गरिमा;

(x) संसदीय शासन प्रणाली आदि।

के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

(i) शब्द तथा हाव-भाव गंभीर तथा अचानक प्रकोपन कारित कर सकता है,

(ii) घातक प्रहार, प्रकोपन से उत्पन्न भावावेश के प्रभाव में होना चाहिए। ऐसा प्रहार जो भावावेश के शिथिल पड़

जाने के बाद किया गया हो, वह अचानक प्रकोपन नहीं है। अतः अचानक प्रकोपन का लाभ लेकर दंड की मात्रा कम नहीं होगी।

● नारको, ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में निर्णय

सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के वाद में उच्चतम न्यायालय ने नारको विश्लेषण, पॉलीग्राफ एवं बी.ई.ए.पी. के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि-

(i) नारको टेस्ट भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 20(3)** में निहित आत्म अभिशंसा के अधिकार का अतिक्रमण करता है, अतः असंवैधानिक है।

(ii) नारको टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कथन करता है।

(iii) नारको टेस्ट किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करते हैं, इसलिए यह अनुमान्य नहीं है।

(iv) नारको टेस्ट सदैव संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही किया जाना चाहिए।

● कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के वाद में शाह बानो बेगम की जीत हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम वैयक्तिक विधि के विरुद्ध होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शाह बानो बेगम को अपने पति मो. अहमद खान से तलाक हो जाने के बाद भरण-पोषण देने का आदेश दिया।

एस. आर.बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में मनमानेपन का प्रयोग नहीं करें। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में कई दिशा-निर्देश जारी किए।

बेस्ट बेकरी प्रकरण के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्याय की हत्या हुई थी। बड़ी संख्या में गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। उच्चतम न्यायालय ने इसे विरल से विरलतम मामला मानते हुए गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया। जहां 17 में से 9 अभियुक्त दोषी पाए गए।

जेसिका लाल हत्या प्रकरण- उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

निठारी सीरियल हत्याकांड- विशेष सेशन न्यायालय ने सुरिंदर कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

आरुषि तलवार हत्याकांड- सत्र न्यायाधीश ने आरुषि के पिता एवं माता राजेश तलवार तथा नुपुर तलवार को आजीवन कारावास सुनाया।

मो. अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह के जुर्म में अजमल कसाब को मृत्युदंड सुनाया।

NOTA Judgement, 2013 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने मतदान करने में नकारात्मक अधिकार प्रदान किया। मतदान करने में कोई मतदाता यदि किसी उम्मीदवार को मतदान नहीं करना चाहता है तो वह NOTA (None of The Above) बटन दबाकर नकारात्मक मतदान कर सकता है।

लिली थामस बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई सांसद या विधान सभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य दो साल के सजा से दंडित किए जाते हैं, तो तुरंत प्रभाव से उनकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

निर्भया मामला, 2014 में बलात्कार के 5 में से 4 अभियुक्त को मृत्युदंड सुनाया गया है। इस प्रकरण ने विधि में कई संशोधन करा दिया। जैसे- **आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013**। इस संशोधन द्वारा **भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम** तथा **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम** में बलात्कार की परिभाषा बदल दी गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने हिजड़ा को तृतीय लिंग (Third Gender) के रूप में मान्यता दे दिया। सरकार को आदेश दिया कि उसे अल्पसंख्यक समझे और नौकरी, शिक्षा एवं अन्य संस्थान में आरक्षण दे।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह धारा इंटरनेट पर कोई आपत्तिजनक चित्र को पोस्ट करने पर गिरफ्तारी करने से संबंधित थी।

याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2015 के वाद में मुंबई में 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट के अभियुक्त याकूब मेमन को मृत्युदंड सुनाया गया।

Dance Bars Functional Again, 2015 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मुंबई में डांस बार पर लगी रोक को हटाने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. उच्च न्यायालय का आसीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने-

(a) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो

(b) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो

(c) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(a)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक के अनुसार किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जा सकेगा जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में परामर्श कर लें।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं?

(a) एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य

(b) एक अध्यक्ष सहित पांच सदस्य

(c) एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य

(d) एक अध्यक्ष एवं आठ सदस्य

उत्तर—(d)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य होते हैं। इन आठ अन्य सदस्यों में से 4 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा 4 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य निम्न होते हैं-

(i) अध्यक्ष - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

(ii) अध्यक्ष - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(iii) अध्यक्ष - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(iv) अध्यक्ष - राष्ट्रीय महिला आयोग

3. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का विस्तार कहां तक है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) जनजाति क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत

(c) नक्सल प्रभावित क्षेत्र

(d) संपूर्ण भारत परंतु जम्मू-कश्मीर के संबंध में वहां लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में दी गई प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है।

उत्तर—(d)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 1 इसके विस्तार, संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ के विषय में है। धारा 1 (2) के अनुसार, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है परंतु जम्मू-कश्मीर राज्य में केवल वहां तक लागू है जहां तक इसका संबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची प्रथम या तृतीय में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से हो।

4. मानवाधिकार की परिभाषा निम्न में से किसमें दी गई है?

(a) धारा 2 (क) (b) धारा 2 (ख)

(c) धारा 2 (ग) (d) धारा 2 (घ)

उत्तर—(d)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) में 'मानव अधिकार' की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं, या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

5. मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कौन हटा सकता है?

(a) केंद्रीय सरकार (b) राष्ट्रपति

(c) प्रधानमंत्री (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(b)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का उपबंध दिया गया है। इसके अनुसार अध्यक्ष या सदस्य को केवल साबित कदाचार के या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी करेगा जबकि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश के आधार पर की जांच के पश्चात रिपोर्ट में इनको पद से हटाए जाने की अनुशंसा की हो।

6. मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है, जब वह?

(a) अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित कर दिया गया है

(b) लाभ का पद धारण किया है

(c) दिवालिया घोषित कर दिया गया है

(d) सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है

उत्तर—(d)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत आयोग अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है, जब वह सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है।

7. मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आधार क्या है?

(a) दिवालिया होना

(b) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्त्तव्यों से बाहर किसी लाभ के पद पर रहना

(c) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अयोग्य होना

(d) विकृत चित्तता या सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता भी अन्तर्वलित है

(e) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(e)

'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अंतर्गत उपर्युक्त सभी आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जा सकता है।

8. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन निम्नलिखित में से किन सदस्यों से मिलकर बनेगा?

(a) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;

(b) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है तथा एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है,

(c) दो ऐसे सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान एवं अनुभव है

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कही गई है। धारा 3 उपधारा (2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्न के सभी विकल्पों में दिए गए सदस्यों से मिलकर आयोग का गठन होता है।

9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है?

(a) राष्ट्रपति

(b) केंद्र सरकार

(c) राज्य सरकार

(d) उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

उत्तर—(a)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने तथा धारा 23 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है।

10. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है?

(a) राज्यपाल (b) राष्ट्रपति

(c) (a) एवं (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है।

11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री

(c) राज्यपाल (d) भारत के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर—(a)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र द्वारा की जाती है।

12. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

(a) केंद्रीय सरकार (b) राज्य सरकार

(c) राष्ट्रपति (d) राज्यपाल

उत्तर—(d)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22 यह स्पष्ट करती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र द्वारा करता है।

13. राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है-

(a) जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है
(b) जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है
(c) जो जिला न्यायाधीश रह चुका है
(d) राज्यपाल है

उत्तर—(a)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के विषय में है। इसमें एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, होता है।

14. राज्य मानवाधिकार का सदस्य होता है-

(a) जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है
(b) जो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है
(c) एक ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो
(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न से मिलकर होगा-
(i) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो;
(ii) एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है;
(iii) एक सदस्य, जिसे मानवाधिकार विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है;
(iv) एक सचिव, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

15. राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है-

(a) सचिव (b) अध्यक्ष
(c) उपाध्यक्ष (d) महासचिव

उत्तर—(a)

'सचिव' राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करता है जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे (धारा 21)।

16. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है?

(a) 5 वर्ष तक
(b) 70 वर्ष की अवधि तक
(c) (a) तथा (b) में जो भी पहले हो
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार- अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करता है।

17. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे है?

(a) केंद्रीय सरकार को (b) राज्य सरकार को
(c) (a) तथा (b) दोनों को (d) उच्चतम न्यायालय को

उत्तर—(c)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 40 में तथा राज्य सरकार को नियम निर्माण की शक्ति धारा 41 में उपबंधित है।

18. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां है?

(a) मुंबई (b) कोलकाता
(c) दिल्ली (d) चेन्नई

उत्तर—(c)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 3 उपधारा (5) के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

19. मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?

(a) लोक सभा का अध्यक्ष
(b) उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

(c) प्रधानमंत्री

(d) लोक सभा में विपक्ष का नेता

उत्तर—(c)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के पश्चात् करने की बात कहती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। धारा 22 के अधीन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिशें करने वाली समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

20. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रवर्तन में आया?

(a) 18 अगस्त, 1993 (b) 28 सितंबर, 1993

(c) 28 सितंबर, 1994 (d) 10 दिसंबर, 1993

उत्तर—(b)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 28 सितंबर, 1993 से लागू हुआ है। अधिनियम में कुल 8 अध्याय तथा 43 धाराएं हैं।

21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?

(a) पद पर न रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा

(b) वह 70 वर्ष बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता

(c) वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार कथन (a), धारा 6(1) के अनुसार कथन (b) तथा धारा 6(2) के अनुरूप कथन (c) सत्य है। अतः उपरोक्त सभी कथन व विकल्प सही हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है।

22. निम्न में कौन-सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन है?

(a) महासचिव आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है

(b) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा

(c) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति केवल समिति में कोई रिक्ति होने के कारण अमान्य नहीं होगी

(d) आयोग में राज्य सभा का सभापति सदस्य होता है

उत्तर—(d)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथन (d) को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। राज्य सभा का सभापति आयोग का सदस्य नहीं होता है [धारा 3(2)]। उल्लेखनीय है कि आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में राज्य सभा का उप-सभापति एक सदस्य होता है।

23. राज्य मानवाधिकार आयोग संपरीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष किसे भेजता है?

(a) राज्य सरकार (b) केंद्रीय सरकार

(c) उच्च न्यायालय (d) राज्यपाल

उत्तर—(a)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 28 (1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट (वार्षिक) राज्य सरकार को भेजी जाती है। आयोग अत्यावश्यक व महत्त्वपूर्ण विषय के संबंध में विशेष रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भेजता है।

24. राज्य आयोग का अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है-

(a) पांच वर्ष की अवधि तक

(b) सत्तर वर्ष की आयु तक

(c) उपर्युक्त (a) एवं (b) दोनों में जो पूर्ववत् हो

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु या 70 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते हैं। (इनमें से जो भी पहले हो)।

25. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है-

(a) 3 वर्ष (b) 4 वर्ष

(c) 5 वर्ष (d) 10 वर्ष

उत्तर—(c)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक होता है।

26. मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन (अंतरराष्ट्रीय) किस देश में आयोजित किया गया था?

(a) वियना (b) तेहरान

(c) वाशिंगटन डी सी (d) बगदाद

उत्तर—(b)

मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन (अंतरराष्ट्रीय) तेहरान, ईरान में अप्रैल-मई, 1968 के दौरान मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था।

27. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?

(a) उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश

(b) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

(c) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश

(d) प्रधानमंत्री

उत्तर—(a)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। वर्तमान में पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू इस आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई थी।

28. थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे?

(a) उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे

(b) यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे

(c) उक्त (a) व (b) दोनों

(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन किया जाना चाहिए तथा यदि मानवाधिकार की टीम आए तो उसका पूरा सहयोग करना चाहिए।

29. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा?

(a) राज्यपाल (b) मुख्यमंत्री

(c) प्रधानमंत्री (d) राष्ट्रपति

उत्तर—(d)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।

30. लोकहित वाद दायर किया जा सकता है-

(a) किसी भी व्यक्ति द्वारा

(b) जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है

(c) किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा

(d) सरकार द्वारा

उत्तर—(c)

भारत में लोकहित अथवा जनहित याचिका (वाद) में न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है।

31. जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है?

(a) जन-कर्त्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति

(b) संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई जनक्षति

(c) कानून के उल्लंघन से हुई जनक्षति

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(a)

जो भी मामला निजी न होकर व्यापक जनहित से जुड़ा हो उसके संदर्भ में दाखिल याचिका को जनहित याचिका के तौर पर देखा जाता है। जनहित याचिका डालने वाले व्यक्ति या संस्था को यह बताना होता है कि कैसे उस मामले में आम लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। दायर की गई याचिका 'जनहित' है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट ही करता है।

32. जनहित याचिका का जन्म कहां हुआ?

(a) इंग्लैंड (b) अमेरिका

(c) फ्रांस (d) भारत

उत्तर—(b)

जनहित याचिका का विचार अमेरिका में जन्मा। वहां इसे 'सामाजिक कार्यवाही याचिका' कहते हैं। 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों से काफी विस्तार हो गया था। इसके द्वारा वह कमजोर, पिछड़े एवं उपेक्षित लोगों के मुद्दों को न्याय-व्यवस्था के समक्ष रखते थे। यह मुद्दे केवल निर्धन और मजबूर व्यक्तियों के ही नहीं होते थे बल्कि इसमें देश के साधारण व्यक्तियों की समस्याएं भी शामिल होती थीं।

33. भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी?

(a) न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर

(b) न्यायमूर्ति अहमदी

(c) न्यायमूर्ति एच. एस. कपाड़िया

(d) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती

UPSI 18 July 2017

उत्तर—(d)

भारत में सर्वप्रथम जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने प्रारंभ किया था। जनहित याचिका न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है।

34. जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है?

(a) उच्च न्यायालय (b) उच्चतम न्यायालय

(c) विकल्प (a) & (b) (d) जिला न्यायालय

उत्तर—(c)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

35. जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है?

(a) केंद्र सरकार

(b) राज्य सरकार

(c) नगरपालिका परिषद एवं सरकारी विभाग

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

जनहित याचिका सरकार एवं सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती। परंतु यदि किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे- कानुपर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे-

1. उत्तर प्रदेश राज्य/भारत संघ जो आवश्यक हो अथवा दोनों भी हो सकते हैं।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. निजी कारखाना।

36. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पत्र लिखकर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है?

(a) एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1982 एस.सी.

(b) पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, 1982 एस. सी.

(c) वी. पुरुषोत्तम राय बनाम भारत संघ, 2002, एस.सी.

(d) डॉ. बी. सिंह बनाम भारत संघ, 2004 एस.सी.

उत्तर—(a)

एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1982 के मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति 'पत्र लिखकर' भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है। उसे रिट-पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। इसी कड़ी में आगे चलकर पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, 1982 के मामले में पत्र द्वारा जनहित याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दें।

37. कोई वाद जनहित/लोक हित वाद कब माना जाएगा जब वह-

(a) सद्भावनापूर्ण हो

(b) उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना न हो

(c) वह राजनीति से प्रेरित न हो

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

उच्चतम न्यायालय ने डॉ. बी. सिंह बनाम भारत संघ, 2004 सु.को. के मामले में यह प्रेक्षित किया कि जनहित याचिका की यथार्थता का पता लगाने हेतु न्यायालय याचिका के 'जनहित के आवरण' (Veil of Public interest) को हटाकर यह देख सकता है कि उसके पीछे अभ्यर्थी का कोई व्यक्तिगत हित या दुराशय तो छिपा हुआ नहीं है।

38. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता?

(a) शीला बारसे बनाम भारत संघ व अन्य, 1986

(b) उपेंद्र बक्शी बनाम भारत संघ

(c) चेरियन बनाम भारत संघ

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(a)

शीला बारसे बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि जनहित याचिका दायर हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता।

39. उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए?

(a) रामशरण बनाम भारत संघ

(b) रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(c) उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

उपर्युक्त दोनों वाद में न्यायालय ने प्रक्रिया की औपचारिकताओं से दूर रहने के लिए कहा ताकि पीड़ित पक्ष को बिना किसी परेशानी के त्वरित न्याय मिल सके।

40. जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है?

(a) जब लोगों के सामूहिक हितों के खिलाफ सरकार की योजना या फैसला हो

(b) किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर

(c) विकल्प (a) तथा (b) दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

मौलिक अधिकार के हनन होने पर तथा आम जन के विरुद्ध जब सरकार का कोई निर्णय हो तब जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

41. जनहित याचिका एक पत्र द्वारा कौन दायर कर सकता है?

(a) व्यथित व्यक्ति द्वारा

(b) सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा

(c) विकल्प (a) तथा (b) दोनों

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है लेकिन यह तभी मान्य होगी जब उपर्युक्त भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया जाए।

42. जनहित याचिका की सुनवाई के लिए क्या वकील जरूरी है?

(a) वकील जरूरी है

(b) राष्ट्रीय/राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का प्रावधान है

(c) विकल्प (a) तथा (b) दोनों

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

जनहित याचिका दायर होने के बाद न्यायालय में उसकी सुनवाई किसी वाद की तरह ही होती है, अतः अधिवक्ता होना आवश्यक है एवं अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का ही काम है क्योंकि याचिका किसी गरीब के लिए होती है।

43. प्रदूषण को रोकने के संबंध में निम्न में से कौन जनहित वाद है?

(a) दामोदर राव बनाम एस.ओ. कॉर्पोरेशन हैदराबाद, 1987 एस. सी.

(b) तरुण भगत सिंह बनाम भारत संघ, 1992 एस.सी.

(c) मुरली एस. देबरा बनाम भारत संघ, 2001 एस.सी.

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

दामोदर राव मामले में सार्वजनिक उद्यान समाप्त कर आवास गृह बनाने से रोका गया। तरुण भगत मामले में वन प्रदेश में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई गई। मुरली डी. देबरा मामले में सार्वजनिक स्थान पर धूमपान निषिद्ध किया गया।

44. महिलाओं के कल्याण के लिए निम्न में से कौन जनहित वाद है?

(a) गौरव जैन बनाम भारत संघ

(b) उपेंद्र बक्शी बनाम भारत संघ

(c) डोमेस्टिक वर्किंग विमेन फोरम बनाम भारत संघ

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

गौरव जैन मामले में न्यायालय ने कहा कि राज्य, गैर-सरकारी संगठन और जनहित भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्त्तव्य है कि वे उन महिलाओं की सहायता के लिए आगे आएं जो रेड लाइट एरिया में रहती हैं। वे पुनः उसमें न जाएं, गरिमायुक्त जीवन जीने योग्य बनें। उपेंद्र बक्शी मामले में न्यायालय ने आगरा में महिलाओं के संरक्षण में महिलाओं को अमानवीय व्यवहारों से छुटकारा दिलवाने का निर्देश दिया तथा डोमेस्टिक वर्किंग विमेन के मामले में न्यायालय ने कई मापदंडों का निर्धारण किया ताकि मामले के विचारण एवं अन्वेषण में उन्हें प्रयुक्त किया जा सके।

45. न्यायालय ने किस जनहित वाद में दियासलाई बनाने में बच्चे को नियोजन से मना किया?

(a) एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, 1991 एस. सी.

(b) परमानंद कटारा बनाम भारत संघ

(c) कुंदनबाला बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर—(a)

एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, 1991 एस.सी. में न्यायालय ने निर्धारित किया कि दियासलाई बनाने वाले कारखाने में जहां तीली में ज्वलनशील मशाला लगाया जाता है, बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता।

46. स्वास्थ्य से संबंधित जनहित वाद कौन-सा है?

(a) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास

(b) शोभारानी बनाम मधुकर रेड्डी

(c) परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 सु. को.

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

उच्चतम न्यायालय ने परमानंद कटारा मामले में कहा कि प्रत्येक रोगी को चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जवान हो या बूढ़ा अथवा बच्चा तुरंत चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए।

47. किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया?

(a) केशवानंद भारती का वाद

(b) इन री बेरूबारी का वाद

(c) मेनका गांधी का वाद

(d) गोलकनाथ का वाद

उत्तर—(a)

भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख वाद इन री बेरूबारी का वाद तथा केशवानंद भारती का वाद है। **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। **बेरुबारी, 1960** के वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया तथा कहा गया कि यह विचारों को जानने की कुंजी मात्र है।

48. भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु वह-

(a) संविधान की प्रस्तावना का संशोधन नहीं कर सकती है

(b) संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है

(c) मूल कर्त्तव्यों में संशोधन नहीं कर सकती है

(d) संविधान के नीति निदेशक तत्त्वों में संशोधन नहीं कर सकती है

उत्तर—(b)

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है परंतु वह संविधान की **मूल/आधारभूत संरचना (Basic Structure) में संशोधन नहीं कर सकती**। न्यायालय ने कहा संविधान का 'आधारभूत ढांचा' संविधान की उद्देशिका में निहित है।

49. निम्नलिखित में से किस वाद में 'पंथनिरपेक्षता' को भारतीय संविधान का मूलभूत (आधारिक) लक्षण कहा गया है?

(a) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ

(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

(c) एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ

(d) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

उत्तर—(c)

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया था कि पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। पंथनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त समाजवादी और अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए।

50. उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात् संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए?

(a) टी. देवदासन बनाम भारत संघ

(b) डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत राज्य

(c) मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन

(d) एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य

उत्तर—(c)

चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य की सरकार के उस राजाज्ञा को असंवैधानिक करार दिया था जिसमें कुछ विशेष जातियों और समुदायों को राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ स्थान सुरक्षित किए गए थे।

उच्चतम न्यायालय ने स्थान सुरक्षित करने संबंधी राज्य सरकार की राजाज्ञा को **अनुच्छेद 15(1)** में दिए गए सामान्य नियम (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध) का अतिक्रमण किए जाने के आधार पर अवैध घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा उपुर्यक्त मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 15(4)** जोड़कर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को मान्यता प्रदान की गई।

51. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है?

(a) बालाजी बनाम मैसूर राज्य

(b) देवदासन बनाम भारत संघ

(c) इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ

(d) प्रदीप जैन बनाम भारत संघ

उत्तर—(a)

बालाजी बनाम मैसूर राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 68 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने को अविधिमान्य निर्धारित किया। पिछड़े वर्गों एवं अधिक पिछड़े वर्गों के मध्य किए गए उपवर्गीकरण को अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत न्यायोचित नहीं माना।

देवदासन बनाम भारत संघ, के वाद में उच्चतम न्यायालय ने लोक पदों के आरक्षण के लिए बनाए गए 'अग्रनयन नियम' (Carry forward rule) को असंवैधानिक घोषित करते हुए यह विनिश्चित किया कि प्रत्येक वर्ष के कोटे को उसी वर्ष तक सीमित रखना चाहिए तथा साथ ही पिछड़ी जातियों के लिए पदों का आरक्षण इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि एकाधिकार उत्पन्न कर दे या अन्य समुदाय के विधिक अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप करे।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने **बालाजी बनाम मैसूर राज्य** में दिए गए पूर्ववती विनिश्चय को उलटते हुए 'पिछड़े' तथा 'अधिक पिछड़े' वर्ग में वर्गीकरण को सांविधानिक माना। इसमें पिछड़े वर्ग में अधिक सम्पन्न वर्ग (creamy layer) का निर्धारण किया जाना आवश्यक माना। इस वाद में **देवदासन बनाम भारत संघ** में दिए गए विनिश्चय को उलटते हुए 'अग्रनयन के नियम' (Carry forward rule) को सांविधानिक ठहराते हुए यह व्यवस्था दी गई कि अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत के अंदर रहते हुए 'अग्रनयन का नियम' वैध होगा।

52. उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में किन्नर (ट्रांसजेंडर) को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है जिन्हें सभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त हैं-

(a) रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ

(b) नालसा बनाम भारत संघ

(c) नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली)

(d) बलजीत बनाम हरियाणा संघ

उत्तर—(b)

नालसा (नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी) बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने किन्नर (ट्रांसजेंडर) को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया गया है जिन्हें सभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त हैं।

53. संविधान की नौवीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्विलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले के विनिश्चय से अनुज्ञेय बनाया गया है?

(a) आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य

(b) एम. नागराज बनाम भारत संघ

(c) मिनर्वा मिल्स लि. बनाम भारत संघ

(d) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

उत्तर—(a)

उच्चतम न्यायालय ने **आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, 2007** के विनिश्चय से संविधान की नौवीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्विलोकन को अनुज्ञेय बनाया गया हैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत नौवीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए कानून अभी तक न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर थे। अब 9 सदस्यीय विशेष पीठ के निर्णय से यह स्थिति बदल गई है।

54. किस वाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की?

(a) मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

(c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

(d) इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण

उत्तर—(a)

मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन से अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 को शून्य घोषित कर दिया। खंड 4 में प्रावधान था कि संसद द्वारा कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। खंड 5 में संसद को असीम शक्ति का अधिकार दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों खंड को समाप्त कर न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review) को संविधान का 'मूल लक्षण' माना।

55. निम्नलिखित में से कौन-सा वाद दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है?

(a) आर.बनाम प्रिंस

(b) मैकनाटेन का वाद

(c) डी.पी.पी. बनाम बियर्ड

(d) आर. बनाम डडले एवं स्टीफेन

उत्तर—(a)

वादों से संबंधित विषय-

आर.बनाम प्रिंस- दुराशय और सांविधिक अपराध

मैकनाटेन का वाद- विकृत चित्तता से संबंधित (भा.दं.सं. धारा 84)

डी.पी.पी. बनाम बियर्ड- मत्तता से संबंधित (भा.दं.सं. धारा 85)

आर. बनाम डडले एवं स्टीफन- आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत की सीमाओं से संबंधित (भा.दं.सं. धारा 81) वाद है।

56. निम्न में कौन-सा वाद सामान्य आशय से संबंधित नहीं है?

(a) ऋषि देव पांडेय बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.

(b) आर. बनाम टॉल्सन

(c) महबूब शाह बनाम एंपरर

(d) बारींद्र कुमार घोष बनाम एंपरर

उत्तर—(b)

आर. बनाम टॉल्सन का वाद आपराधिक मनःस्थिति एवं सांविधिक अपराध से संबंधित है जबकि **ऋषिदेव पांडेय बनाम यू.पी., महबूब शाह बनाम एंपरर** तथा **बारींद्र कुमार घोष बनाम एंपरर** के वाद सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित वाद है।

57. निम्नलिखित किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था?

(a) रेग बनाम गोविंदा

(b) के. एम. नानावती बनाम बंबई राज्य

(c) आर. बनाम डुडले एंड स्टीफेन

(d) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉजिक्यूशन बनाम बियर्ड

उत्तर—(a)

रेग बनाम गोविंदा के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित 'सदोष मानव वध' तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। के.एम. नानावती बनाम बंबई राज्य के वाद में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित है।

58. एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद संबंधित है-

(a) भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए से

(b) भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए से

(c) भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, 1965 S.C. का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है। धारा 363 के अंतर्गत व्यपहरण (Kidnapping) के अपराध के लिए दंड का उपबंध करता है। व्यपहरण (Kidnapping) को धारा 359, 360 एवं 361 में परिभाषित किया गया है।

59. अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य निदर्शक वाद है-

(a) दुष्प्रेरण पर

(b) आपराधिक मनः स्थिति पर

(c) प्राइवेट प्रतिरक्षा पर

(d) आपराधिक प्रयास पर

उत्तर—(d)

अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में उल्लिखित आपराधिक प्रयत्न का एक महत्त्वपूर्ण निदर्शक वाद है।

60. वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य किस बचाव से संबंधित वाद है-

(a) मत्तता से

(b) तथ्य की भूल से

(c) सामान्य आशय से

(d) सामान्य उद्देश्य से

उत्तर—(a)

भारतीय दंड संहिता की धारा 86 पर आधारित स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित वाद है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, आई.टी. अधिनियम, साइबर अपराध

❑ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (The Right to Information Act, 2005)

☞ इस अधिनियम का नाम **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है**।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत** पर है।

☞ राष्ट्रपति की स्वीकृति **15 जून, 2005** को प्राप्त हुई।

☞ अधिनियम का कुछ महत्त्वपूर्ण भाग **15 जून, 2005** को ही लागू हो गया जबकि शेष भाग **15 जून, 2005 से 120वें दिन** लागू हुआ।

UPSI 17 July 2017

☞ प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए** यह अधिनियम लागू किया गया है।

☞ **लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए** इसे बनाया गया है।

UPSI 21 July 2017

☞ नागरिकों के सूचना के अधिकार की **व्यावहारिक शासन पद्धति** स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया है।

☞ सूचना के अधिकार को संविधान की धारा **19 (1)** के तहत मूलाधिकार का दर्जा दिया गया है।

☞ अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-

समुचित सरकार (Appropriate Government)- केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार समुचित सरकार हैं।

☞ **सक्षम प्राधिकारी में निम्नलिखित आते हैं-**

(i) किसी राज्य की विधान सभा की दशा में **अध्यक्ष या लोक सभा का अध्यक्ष** एवं राज्य सभा या विधान परिषद की दशा में **सभापति**।

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में **भारत का मुख्य न्यायमूर्ति**।

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति**।

(iv) संविधान द्वारा गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में **राष्ट्रपति या राज्यपाल**।

(v) **संविधान द्वारा** नियुक्त प्रशासक।

सूचना (Information):- **'सूचना'** से किसी रूप में कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ई-मेल, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, आंकड़े संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी कोई सूचना सम्मिलित है, जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है **[धारा 2 (च)]**।

UPSI 18 July 2017

लोक प्राधिकारी (Public Authority):- लोक प्राधिकारी से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) संविधान द्वारा या उसके अधीन,

(ii) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

(iii) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

(iv) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा कोई प्राधिकारी।

अभिलेख (Record)- अभिलेख में सम्मिलित हैं-

(i) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल,

(ii) माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच एवं प्रतिकृति प्रति, तथा

(ii) किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

☞ **सूचना का अधिकार** से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना से मतलब है, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है।

☞ **तीसरा पक्षकार** से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

☞ इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए **सभी नागरिकों को** सूचना का अधिकार होगा [धारा 3]।

☞ **धारा 4** के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी

(i) सम्यक रूप से अपने **सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखें**।

(ii) इस अधिनियम के अधीन सूचना **सुलभ (Facilitate)** बनाएं।

(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न

प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर (सुलभ) बनाया जा सके।

(iv) प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह स्वप्रेरणा से संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, नियमित अंतरालों पर जनता को सूचना उपलब्ध कराए।

(v) प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

☞ कोई व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, **लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से** उचित फीस के साथ आवेदन करेगा।

☞ **आवेदन** केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाएगा।

☞ आवेदक से **सूचना का किसी कारण को देने की अपेक्षा नहीं** की जाएगी।

☞ यदि आवेदन के अंतरण (Transfer) की आवश्यकता है, तो यथाशीघ्र किया जाएगा जो **आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात** नहीं होगा।

☞ अधिनियम की **धारा 7** के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से किसी भी **दशा में 30 दिन के भीतर** उचित फीस देने पर सूचना उपलब्ध कराएगा।

☞ परंतु यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह अनुरोध प्राप्त होने से **48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा।**

☞ निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना प्रकट नहीं की जाएगी-

(i) ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से **भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।**

(ii) ऐसी सूचना जिससे **न्यायालय, संसद** या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हैं।

(iii) ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो।

● केंद्रीय सूचना आयोग

☞ **केंद्रीय सरकार,** केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी [धारा 12]।

☞ केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(i) मुख्य सूचना आयुक्त और

(ii) सूचना आयुक्त अधिकतम 10 (जितने आवश्यक समझे जाएं)।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा** निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी-

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

☞ केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा।

☞ केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय **दिल्ली** में होगा।

☞ केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से **भारत के अन्य स्थानों में भी** कार्यालय स्थापित किया जा सकता है।

☞ सूचना आयुक्त पद ग्रहण की तारीख से **5 वर्ष के लिए** पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा परंतु **65 वर्ष** की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा।

☞ मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त **राष्ट्रपति के समक्ष** शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

☞ मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित कर **पद त्याग** कर सकता है।

☞ मुख्य सूचना आयुक्त को **वेतन और भत्ते** वही मिलेगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है,

☞ सूचना आयुक्त को वेतन और भत्ते वही मिलेगा जो **निर्वाचन आयुक्त का** है।

☞ मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा **साबित कदाचार या असमर्थता (Misbehaviour or Incapacity)** के आधार पर हटाया जाएगा।

☞ राष्ट्रपति निम्नलिखित आधार पर भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटा सकता है-

(i) दिवालिया होने पर,

(ii) दोषसिद्ध ठहराए जाने पर,

(iii) पदावधि के दौरान सवैतनिक नियोजन में लगा रहना,

(iv) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता।

● राज्य सूचना आयोग

☞ प्रत्येक राज्य सरकार, **राज्य सूचना आयोग** का गठन करेगी [धारा 15]।

☞ राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(i) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा

(ii) अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त (जितने आवश्यक हों)।

☞ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति **राज्यपाल** निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर करेगा।

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता तथा

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री।

☞ राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निदेशन और प्रबंधन **राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा**।

☞ **राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त** विधि, विज्ञान, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन एवं प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

☞ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण की तारीख से **5 वर्ष तक पद** धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। परंतु **65 वर्ष की आयु** के बाद पद धारण नहीं करेंगे।

☞ प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण से **5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु** जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे।

☞ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय **राज्यपाल को संबोधित कर** अपना पद त्याग सकता है।

☞ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन-भत्ते वही होंगे जो **भारत के निर्वाचन आयुक्त** के हैं।

☞ राज्य सूचना आयुक्त के वेतन-भत्ते राज्य के **मुख्य सचिव के समतुल्य** होंगे।

☞ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा **साबित कदाचार या असमर्थता** के आधार पर हटाया जा सकता है।

☞ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को निम्नलिखित आधार पर भी हटाया जा सकता है-**दिवालिया होने, सिद्धदोषी आदि के आधार पर**।

● सूचना आयोग की कृत्य, शक्तियां, अपील तथा शास्ति

☞ **केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्त्तव्य होगा** [धारा 18] कि निम्नलिखित से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे-

(i) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है।

(ii) जिसे विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है।

(iii) जिससे ऐसी फीस की रकम की अपेक्षा की गई है, जो अनुचित है।

(iv) जिसे यह विश्वास है कि अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है इत्यादि।

☞ **जब केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग** को यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, तो जांच आरंभ करेगा।

☞ आयोग को जांच करते समय निम्नलिखित मामलों में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल न्यायालय को प्राप्त है-

(i) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर साक्ष्य दिलाना आदि,

(ii) दस्तावेजों को निरीक्षण करने की अपेक्षा,

(iii) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना तथा

(iv) अन्य कोई उचित विषय।

☞ **ऐसा कोई व्यक्ति** जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस विनिश्चय के तारीख से 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

☞ अपील ऐसे अधिकारी को करेगा जो **प्रत्येक लोक प्राधिकरण में** लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ऊपर के पंक्ति का है।

☞ विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील **नब्बे दिन के भीतर** केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी।

☞ केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग, जैसी भी स्थिति हो, **का विनिश्चय आबद्धकर होगा**।

☞ **शास्ति (Penalties) [धारा 20]**- किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि-

(i) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्ति कारण के आवेदन लेने से इंकार किया है, या

(ii) निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है; या

(iii) असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है, या

(iv) जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है; आदि तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया है या सूचना दी गई है **250 रुपये** की शास्ति (अर्थदंड) अधिरोपित होगी परंतु कुल राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

● प्रकीर्ण (Miscellaneous)

☞ **सद्भावनापूर्ण की गई किसी कार्यवाही को** संरक्षण प्रदान किया गया है अर्थात अभियोजन नहीं चलेगा।

☞ **कोई न्यायालय** इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी

आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा।

☞ किसी आदेश को किसी अपील के रूप को छोड़कर **अन्य रूप में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।**

☞ **केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग** वर्ष के अंत में कार्य के संबंध में निगरानी कर एक रिपोर्ट सरकार को भेजेगा।

☞ **धारा 27** के अधीन केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है।

☞ **धारा 28** के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियम बना सकते हैं।

❑ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (The Information Technology Act, 2000)

☞ अधिनियम का नाम **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है।**

☞ अधिनियम का विस्तार **संपूर्ण भारत** में है।

☞ कुछ परिस्थितियों में यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन के लिए भी लागू होगा।

☞ अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति **9 जून, 2000** को प्राप्त हुई।

☞ अधिनियम **17 अक्टूबर, 2000** से लागू है।

UPSI 20 July 2017

☞ **अधिनियम के अधीन कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं [धारा 2]**-

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी (Certifying Authority)- प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उसे कहते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक (Electronic Signature) प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है।

कंप्यूटर (Computer)- कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, चुम्बकीय, प्रकाशीय या अन्य डाटा संसाधन से युक्त प्रणाली है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के काम लिए जाते हैं।

कंप्यूटर नेटवर्क (Computer Network):- कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटर प्रणालियों या संसूचना युक्ति का अंत:संबंध अभिप्रेत हैं।

कंप्यूटर साधन (Computer Resource):- कंप्यूटर प्रणाली से कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है।

साइबर कैफे (Cyber Cafe):- जहां कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है, साइबर कैफे कहा जाता है।

अंकीय चिह्नक (Digital Singnature):- किसी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणन अंकीय चिह्नक कहलाता है।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (Electronic Record):- इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित डाटा जाना जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक (Electronic Singnature):- इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक से इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणन है और इसके अंतर्गत अंकीय चिह्नक भी आता है।

हस्ताक्षरकर्ता (Subscriber):- हस्ताक्षरकर्ता से ऐसा व्यक्ति जाना जाता है जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

☞ कोई हस्ताक्षरकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने **अंकीय चिह्नक लगाकर** अधिप्रमाणित (Authenticate) कर सकेगा।

☞ कोई इस्तेमाल करने वाला किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को **ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा** अधिप्रमाणित कर सकेगा जो विश्वसनीय समझी गई हो।

☞ इस अधिनियम की **धारा 43** के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की जो किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भारसाधक है उसकी अनुमति के बिना निम्नलिखित में से कोई काम करेगा तो वह प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए दायी होगा जो 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(i) **ऐसे कंप्यूटर**, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुंचता है।

(ii) ऐसे कंप्यूटर में संचित कोई सूचना या आंकड़े निकालता है या प्रतिलिपि करता है।

(iii) ऐसे किसी कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करता है या करवाता है।

(iv) ऐसे कंप्यूटर से कोई आंकड़ा या किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचवाता है आदि।

☞ यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज, विवरणी अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की रिपोर्ट देने के लिए अपेक्षित है और ऐसा नहीं करता है तो प्रत्येक असफलता के लिए **एक लाख पचास हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा।**

☞ यदि कोई व्यक्ति जो फाइल, विवरणी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज निश्चित समय के भीतर देने के लिए अपेक्षित है परंतु देने में असफल रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए **पांच हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा।**

☞ कोई व्यक्ति जो लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखने के लिए अपेक्षित है परंतु असफल रहता है तो **प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये तक की** शास्ति का दायी होगा।

● साइबर अपील अधिकरण

☞ **केंद्रीय सरकार** एक या अधिक साइबर अपील अधिकरण की स्थापना करेगी [धारा 48]।

☞ केंद्रीय सरकार **एक अध्यक्ष और जितनी आवश्यक समझे उतने सदस्यों की नियुक्ति करेगी**।

☞ साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन **केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से** किया जाएगा।

☞ साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तभी होगी जब **वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है**।

☞ अधिकरण के सदस्यों की योग्यता में न्यायिक सदस्य के अतिरिक्त **सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग, प्रबंध, उपभोक्ता मामले आदि का विशेष ज्ञान** हो।

☞ अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से **5 वर्ष या 65 वर्ष तक परंतु दोनों में जो भी पहले हो,** तक पद धारण करेंगे।

☞ साइबर अपील अधिकरण के **अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित** कर अपना पद त्याग कर सकते हैं।

☞ अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को **साबित कदाचार या असमर्थता** के आधार पर हटाया भी जा सकता है।

☞ इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति या प्रतिकर नहीं देने पर **भू-राजस्व के बकाया के रूप में** वसूल की जाएगी।

● अपराध (Offence)

कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़छाड़ (Tampering with Computer Source Documents) [धारा 65]

☞ जब कोई कंप्यूटर, कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर साधन कोड को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हो, **जानबूझकर छिपाता है या नष्ट करता है अथवा छिपवाता है या नष्ट करवाता है**, तो वह अपराधी है।

☞ **उपर्युक्त अपराध के लिए** 3 वर्ष तक कारावास या दो लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

☞ अधिनियम की **धारा 66 के अधीन** यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी या कपटपूर्वक करता है, तो वह 5 वर्ष तक कारावास या पांच लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

☞ अधिनियम की **धारा 66- A** के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर साधन या किसी सूचना के माध्यम से संदेश निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भेजता है-

(i) कोई सूचना जो अत्यधिक आक्रमक या धमकाने वाली प्रकृति की है; या

(ii) कोई सूचना जिसे वह मिथ्या होना जानता है किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के लिए है, वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा।

☞ ऐसे अपराधी को **3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से भी** दंडित किया जाएगा।

☞ **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ,** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66-A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

☞ अधिनियम की **धारा 66-B** के अनुसार, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करते हुए कि कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति चोरी का है, बेइमानी से प्राप्त करता है वह सादा या कठिन 3 वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा।

☞ अधिनियम की **धारा 66-C** के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड आदि के पहचान का प्रयोग करेगा, वह सादा या कठिन कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

☞ धारा 66-D के अनुसार, जो कोई **किसी संचार साधन या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा,** वह सादा या कठिन 3 वर्ष तक के कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने से दंडित होगा।

☞ जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना प्रकाशित या पारेषित करेगा वह **3 वर्ष तक के कारावास और दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा** [धारा 66-E]।

☞ जो कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता में आतंक फैलाने के आशय से निम्नलिखित में से कोई काम करेगा तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा-

(i) कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इंकार करके या इंकार कराके या

(ii) अधिकार के बिना या अधिकार पहुंच से अधिक कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके या

(iii) कोई ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है या.

(iv) संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है।

(v) समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं का नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है, या

(vi) संरक्षित प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(vii) विदेशी संबंधों को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है।

☞ जो व्यक्ति उपर्युक्त साइबर आतंकवाद कारित या करने की कूट रचना करेगा वह ऐसे कारावास से जो **आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगा, दंडनीय होगा**।

☞ जो कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को प्रकाशित करता है या भेजता है जो **कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करता है** उसे-

(i) **प्रथम दोषसिद्धि** पर सादा या सश्रम (कठिन) कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(ii) **दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा** में सादा या सश्रम कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से 10 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा [धारा 67]।

☞ जो कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करता है या भेजता है या प्रकाशित करवाता है या भेजवाता है जिसमें **लैंगिक प्रदर्शन का आचरण होता है,** तो उसे-

(i) **प्रथम दोषसिद्धि पर** किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 लाख रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा।

(ii) **दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में** किसी भांति अर्थात सादा या सश्रम कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से 10 लाख रुपये तक की हो सकेगी दंडनीय होगा [धारा 67-A]।

☞ **कामवासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में** बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या भेजने के लिए दंड-

(ii) **प्रथम दोषसिद्धि पर** सादा या सश्रम करावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(ii) **दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर** सादा या सश्रम कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

☞ उपर्युक्त प्रयोजन में बालक का मतलब जो **18 वर्ष से कम आयु** का है।

● संरक्षित प्रणाली (Protected System)

☞ **समुचित सरकार**, किसी ऐसे कंप्यूटर संसाधन को जो प्रत्यक्षत: नाजुक सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) की सुविधाओं को प्रभावित करता है, उसे संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकता है [धारा 70]।

☞ जो कोई व्यक्ति **इस संरक्षित प्रणाली तक** पहुंच प्राप्त कर लेता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वह सादा या सश्रम कारावास से 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

☞ अधिनियम की धारा 77-A के अधीन न्यायालय **3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध** को शमन कर सकता है। शमन करने से तात्पर्य है वाद के दोनों पक्षकार मिल-बैठकर वाद (मामला) को समाप्त कर सकते हैं।

☞ न्यायालय **ऐसे अपराध का शमन नहीं करेगा** जो पूर्व दोषसिद्धि के कारण या वर्धित दंड के कारण किसी और प्रकार के दंड के लिए दायी हो।

☞ न्यायालय ऐसे अपराध का शमन नहीं करेगा जहां अपराधी **देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव** डालता है।

☞ न्यायालय ऐसे भी अपराध का शमन नहीं करेगा जो **18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किया** गया है।

☞ तीन वर्ष और अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध **जमानतीय** होंगे [धारा 77-B]।

☞ **धारा 78 के अधीन** ऐसे पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक (Inspector) हो वही अपराध का अन्वेषण करेंगे अर्थात पुलिस निरीक्षक से नीचे का अधिकारी अन्वेषण नहीं करेंगे [अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित]।

● प्रकीर्ण/विविध (Miscellaneous)

☞ **कोई पुलिस अधिकारी** जो निरीक्षक से नीचे का न हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी-

(i) किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा,

(ii) किसी व्यक्ति को **बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा** जो युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या कोई अपराध कर रहा है या किया है या करने वाला है [धारा 81]।

☞ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बिना आवश्यक विलम्ब के अधिकारिता वाले **मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी** के समक्ष ले जाया जाएगा।

☞ तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में **दंड प्रक्रिया संहिता** के उपबंध लागू होंगे।

● अधिनियम के पारित किए जाने का मुख्य उद्देश्य

☞ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सुकर बनाना तथा उसे **विधिमान्यता प्रदान करना**।

☞ **विधिक परिवर्तनों के लिए** आवश्यकता की पूर्ति करना।

☞ **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रस्तुतीकरण को** सुकर बनाना।

☞ **संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा** पारित किए गए संकल्प में की गई संस्तुति का क्रियान्वयन करना।

☞ **विश्व व्यापार संघ के कार्यक्रमों** को सुकर बनाना।

☞ **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से संव्यवहारों के दुरुपयोग को निवारित करना।

☞ **इलेक्ट्रॉनिक शासन (Electronic Governance)** को सुकर बनाना।

☞ कई साइबर अपराधों को **निवारित करने के लिए** कड़े दंड का प्रावधान करना।

☞ **अभियोजन से उन्मुक्ति (Exempt from prosecution):-** कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्ति प्राप्त है, वे निम्नलिखित हैं-

(i) भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल,

(ii) विदेशी राज्यों के राज्य प्रमुख,

(iii) संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी।

☞ **सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षरों का प्रयोग) नियम**- इसके द्वारा यह नियम बनाया गया है कि किसी आवेदन-पत्र, फॉर्म या दस्तावेज को सरकार द्वारा निर्दिष्ट साफ्टवेयर का प्रयोग करके ही दाखिल किया जा सकता है अन्यथा नहीं। ऐसे सॉफ्टवेयर के प्रयोग के संबंध में सरकार अनुज्ञा (Permit) देगी, अनुज्ञप्ति (License) जारी करेगी, संस्तुतियां (Sanctions) देगी और आवश्यकता पड़ने पर अनुमोदन (Approval) भी देगी। इन साफ्टवेयरों का प्रयोग निम्नलिखित चीजों को सुनिश्चित करेगा-

(i) यह कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से जुड़े सूचना स्पष्ट और पठनीय है;

(ii) यह कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उचित ढंग से संरक्षित किया गया है;

(iii) यह कि प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है;

(iv) यह कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रमाणिकता और अखंडता संपोषित है;

(v) यह कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्पष्टः पढ़ा जा सकता है; और

(vi) यह कि यदि अपेक्षित हो, तो इसको आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है।

❑ साइबर अपराध (Cyber Crime)

☞ **साइबर विधि क्या है? (What is cyber law):-** 'साइबर विधि' अंग्रेजी भाषा में दो शब्दों **'Cyber'** तथा **'Law'** से मिलकर बना है। Cyber का अर्थ-**संसूचना (Communication)** तथा Law का तात्पर्य है-विधि। अर्थात साइबर लॉ का सामान्य अर्थ है- **संसूचना से संबंधित विधि** (Law Concerning to Communication)।

☞ **संसूचना का अर्थ** किसी प्रकार की सूचना से है जिसका लोग आदान-प्रदान करते हैं।

☞ विधि का तात्पर्य आचरण के उन नियमों से है जो **संबंधित सरकार द्वारा अनुसमर्थित** हो।

☞ **साइबर लॉ** ऐसी विधि है जो साइबर स्पेस को शामिल करती है, जो बहुत विस्तृत है।

☞ **साइबर लॉ** में कंप्यूटर, नेटवर्क, डाटा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट, हार्ड डिस्क, ई-मेल, ए.टी.एम. मशीन तथा संचार युक्तियां जैसे-सेलफोन, फैक्स इत्यादि शामिल हैं।

साइबर लॉ का विस्तार क्षेत्र (Scope of Cyber Law)-

☞ साइबर लॉ के विस्तार क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है-

(i) संसूचनाओं का आदान-प्रदान,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख,

(iii) इलेक्ट्रॉनिक और अंकीय हस्ताक्षर,

(iv) साइबर अपराध,

(v) बौद्धिक संपदा,

(vi) डाटा संरक्षण और वैयक्तिकता आदि।

☞ साइबर लॉ की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं-

☞ **संसूचनाओं के आदान-प्रदान को** साइबर अपराध की जड़ माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से मात्र कुछ सेकंड में ही डेटा, सामान, सेवाएं इत्यादि का आदान-प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है।

☞ **साइबर स्पेस** एक अमूर्त विधा है, इसलिए इसको प्राचीन विधियों से नियंत्रित तथा विनियमित करना असंभव हो गया है।

☞ साइबर स्पेस किसी देश या **किसी व्यक्ति की वैयक्तिक संपत्ति नहीं है** यह सभी के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए है।

☞ साइबर स्पेस की **न तो कोई सीमा निश्चित** है और **न तो इसका विस्तार-क्षेत्र निश्चित** है।

☞ वर्तमान समय में आधुनिक उपकरणों जैसे- **इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेलफोन इत्यादि के द्वारा** अपने देश में बैठा हुआ व्यक्ति किसी अन्य देश से रुपया या अन्य सामान अपने देश में मंगा सकता है तथा किसी अन्य देश में भी अंतरित कर सकता है।

☞ वर्तमान समय में **इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर तथा स्टिगैनोग्राफिक उपकरणों के माध्यम से** संसूचनाओं को कोड में बदल कर और उन्हें ग्राफ में परिवर्तित कर आसानी से विश्व में कहीं भी छिपाया, चुराया या स्थानांतरित किया जा सकता है।

☞ अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से **करोड़ों डॉलर के सॉफ्टवेयर का व्यापार** बिना सरकार की अनुमति के और बिना कोई शुल्क या प्रभार अदा किए आसानी से किया जा सकता है।

☞ **सूचना और प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक विकास से** प्रतिदिन असीमित संख्या में **ई-मेल** भेजे जाते हैं और करोड़ों डॉलर का आदान-प्रदान किया जाता है।

साइबर अपराध आधुनिक युग में सूचना क्रांति के विस्तार के साथ ही कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए-नए आविष्कार हुए। इन आविष्कारों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना, वित्तीय लेन-देन, शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाओं को कम स्थान में सुरक्षित रखना सरल हो गया है। इन तकनीकों के द्वारा जहां क्रांतिकारी परिवर्तन आए, वहीं दूसरी ओर इनसे जुड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग से जहां पूरा विश्व '**Global Village**' के रूप में परिवर्तित हो गया है वहीं इसके दुरुपयोग से अपराध कृत्यों में भी वृद्धि हुई है, जिन्हें **साइबर क्राइम** कहा जाता है।

☞ इस प्रकार के अपराध में कंप्यूटर की अहम भूमिका होती है। कंप्यूटर एवं संचार युक्ति को एक साधन रूपी औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है।

☞ इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसे **Information Technology Act, 2000** के नाम से जाना जाता है।

☞ साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से **आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीद-फरोख्त, जुआ खेलना, जालसाजी, दुष्प्रचार** आदि अपराध आए दिन किए जाते हैं।

☞ इन सब अपराधों के अलावा **पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी आदि** बढ़ती जा रही है।

☞ साइबर अपराध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

1. **वित्तीय अपराध (Financial Crime)**- ऐसे अपराध सामान्यत: आनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं।
2. **बौद्धिक संपदा अपराध (Intellectual Property Crime)**- ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा (जैसे-कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन इत्यादि) से संबंधित होते हैं।
3. **साइबर कूटरचना (Cyber Forgery)**- जब कूटरचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है, तो इसे साइबर कूटरचना के नाम से जाना जाता है।
4. **साइबर मानहानि (Cyber Defamation)**- जब कभी मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो यह साइबर मानहानि कहलाता है।
5. **ई-मेल बमबाजी (E-mail Bombing)**- ई-मेल बमबाजी ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति के ई-मेल खाते में बहुत बड़ी संख्या में ई-मेल भेजा जाता है जिससे उसका संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाता है।
6. **अवैध वस्तुओं का विक्रय (Sale of Illegal Articles)**- ऐसी वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है जिसका विक्रय सामान्यत: प्रतिबंधित होता है।
7. **ऑनलाइन जुआ (Online Gambling)**- यह एक ऐसा अपराध है जिसमें जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है।
8. **साइबर अश्लील लेखन (Cyber Pornography)**- साइबर अश्लील लेखन वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है। महिलाओं या लड़कियों का कामुक और अश्लील चित्र वेबसाइट पर जारी करना, स्त्रियों की नंगी तस्वीर की वेबसाइट बनाना और ब्लू फिल्म बनाना आदि साइबर अश्लील लेखन के अंतर्गत आते हैं।
9. **ई-मेल स्पूफिंग (E-mail Spoofing)**- जब किसी व्यक्ति या संस्था को ई-मेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है, तो इसे ई-मेल स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है।
10. **ट्रोजन्स (Trojans)**- ट्रोजन एक अप्राधिकृत प्रोग्राम है जो इस तरह जारी किया जाता है कि यह बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम जैसा लगे।
11. **की लॉगर्स (Key-Loggers)**- यह अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है।
12. **ई-मेल कपट (E-mail fraud)**- जब कपट का अपराध कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता तो इसे ई-मेल कपट के नाम से जाना जाता है।

13. **वेब जैकिंग (Web Jacking)**- तरंग (वेब) जैकिंग किसी वायुयान के हाइजैकिंग या अपहरण की तरह का अपराध है। साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे मुक्त करने में फिरौती की मांग की जाती है।
14. **सलामी आक्रमण**- इसमें साइबर अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को ऐसी हेराफेरी का आभास ही नहीं हो पाता है।
15. **सेवा से इंकार आक्रमण (Denial of Service Attack)**- साइबर अपराधी किसी कंप्यूटर की सामान्य क्षमता से अधिक मात्रा में निवेदन प्रवेश करा देता है जिससे उस कंप्यूटर में Overflow की स्थिति पैदा हो जाती है।
16. **वायरस आक्रमण (Virus /Worm attack)**- कंप्यूटर वायरस सामान्यत: एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजकर उसे बाधित करने के लिए बनाया जाता है।
17. **डेटा डिडलिंग (Data Diddling)**- शब्द Diddling का अर्थ है ऐंठना या तोड़-मरोड़ करना। अत: डेटा डिडलिंग का तात्पर्य है- डेटा को तोड़-मरोड़ करना।
18. **वेब डिफेसमेंट (Web Defacement)**- यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी कंप्यूटर की वेबसाइट के Original Home page को हटा कर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश करा दिया जाता है।
19. **साइबर स्टाकिंग (Cyber Stalking)**- इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना होता है।
20. **इंटरनेट टाइम चोरी (Internet Time Theft)**- ऐसा अपराध सामान्यत: तब किया जाता है जब इंटरनेट का प्रयोग किया जाना रहता है।
21. **साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)**- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि साइबर अपराध संपूर्ण विश्व को सख्ती से चोट पहुंचा रहे हैं।
22. **हैकिंग (Hacking)**- आपस की प्रतियोगिता अथवा होड़ के कारण कंपनी के लोगों द्वारा परस्पर एक-दूसरे की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हैकर्स की सेवाएं ली जाती हैं।

● मोबाइल फोन नेटवर्क से प्राप्त होने वाली जानकारियां

☞ मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे <u>व्यक्ति की गतिविधियां</u>।
☞ मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे <u>व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति/ उपस्थिति की जानकारी</u> जिसमें सम्मिलित है-
(i) संभावित ठिकाना/चलायमान स्थिति
(ii) सेल की परिधि
(iii) मोबाइल फोन का अंतिम बार कब प्रयोग किया अथवा किस टॉवर से अंतिम बार सिग्नल प्राप्त किया गया।
(iv) किसी घटना के बाद या पूर्व की जाने वाली फोन कॉलों को समय के अध्ययन से अपराध करने वाले के संगठन आदि की जानकारी प्राप्त होती है।

● अन्वेषण की दृष्टि से मोबाइल फोन नेटवर्क में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

☞ सेल्युलर नेटवर्क में उपलब्ध साक्ष्य [<u>सेवाप्रदाता द्वारा प्राप्त</u>]।
☞ सिम कार्ड में उपलब्ध साक्ष्य [<u>उपभोक्ता के हैंडसेट में लगे सिम से प्राप्त</u>]।
☞ मोबाइल फोन हैंडसेट में उपलब्ध [<u>हैंडसेट से प्राप्त</u>]।
☞ <u>सेल्युलर नेटवर्क</u> पुलिस अन्वेषण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
☞ सेल्युलर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से <u>अपराध की तह तक</u> जाया जा सकता है।
☞ <u>कॉल डिटेल रिकॉर्ड-एक परिचय</u> सेल्युलर नेटवर्क के हृदय [Main Switching Centre (MSC)] द्वारा किसी मोबाइल फोन उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली तथा प्राप्त की जाने वाली फोन कॉलें SMS,MMS,Voice call आदि का समय तथा प्रयोग समय का संपूर्ण विवरण रहता है जिसे <u>कॉल डिटेल रिकॉर्ड</u> कहते हैं।
☞ किसी भी <u>अपराध के अन्वेषण में</u> कॉल डिटेल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
☞ जहां अपराध के संबंध में कोई सूत्र-सुराग न मिल रहे हों तो ऐसी स्थिति में कॉल डिटेल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
☞ कॉल डिटेल का रख-रखाव <u>सेल्युलर सेवादाता</u> करता है।

● कॉल डिटेल रिकॉर्ड से प्राप्त होने वाली जानकारी

☞ मोबाइल फोन <u>सेवादाता की जानकारी</u>।
☞ <u>मोबाइल फोन</u> का कनेक्शन।
☞ मोबाइल फोन के <u>नेटवर्क का सेल नंबर</u>।
☞ मोबाइल फोन से की जाने वाली अथवा प्राप्त करने वाली (Outgoing and Incoming Calls) समस्त <u>फोन कॉलों का पूर्ण विवरण</u>।
☞ जिस नंबर पर कॉल की गई है अथवा काल प्राप्त हुई है उसका भी <u>पूर्ण विवरण</u>।
☞ इनकमिंग तथा आउटगोइंग फोन कॉल्स की <u>अवधि (बात करने का समय)</u>।
☞ <u>समय</u> (किस समय बात हुई) तथा <u>दिनांक</u> (किस तारीख को बात हुई)।
☞ <u>कितनी बार</u> फोन कॉल की गई या प्राप्त की गई।
☞ क्या फोन करने में <u>किसी PCO का प्रयोग</u> किया गया आदि।
☞ भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले में जांच एजेंसी ने <u>कॉल डिटेल रिकॉर्ड से</u> पाया कि आतंकवादियों का प्लान पूर्व नियोजित

था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सजा देते समय कॉल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में माना।

☞ किसी भी मोबाइल फोन उपभोक्ता की अपनी पहचान होती है जिसे **Caller ID** अर्थात Caller Identification या Calling Number Identification (CNID) कहते हैं।

☞ **उपभोक्ता के संबंध में सारी जानकारी** सेल्युलर नेटवर्क सेवादाता के पास उपलब्ध रहती है।

☞ मोबाइल फोन से अपराध में साक्ष्य के स्रोत-

(i) मीडिया उपकरण,
(ii) सिम कार्ड,
(iii) मेमोरी कार्ड तथा
(iv) मोबाइल फोन सेवाप्रदाता

☞ **हैकिंग** किसी कंप्यूटर के अंदर अनधिकृत प्रवेश को कहते हैं। एक कंप्यूटर का विशेषज्ञ ही हैकिंग जैसे अपराध को अन्जाम दे सकता।

☞ **कंप्यूटर/संचार युक्ति की हैकिंग के आवश्यक तत्त्व निम्न हैं-**

(i) दोषपूर्ण क्षति करने का उद्देश्य;
(ii) पूरी जानकारी के साथ दोषपूर्ण क्षति करने का उद्देश्य;
(iii) ऐसी क्षति कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क से ही संबंधित हो; तथा
(iv) ऐसी क्षति से स्टोर की हुई सूचना हटा दी गई हो/मिटा दी गई हो/नष्ट कर दी गई हो/छेड़छाड़ कर दी गई हो/ बदल दी गई हो/ मूल्यार्थ घटा दिया गया हो।

☞ **कंप्यूटर/संचार युक्ति की हैकिंग करने में निम्न टूल का प्रयोग किया जाता है-**

(i) पोर्ट स्कैनर;
(ii) वल्नरेबिलिटी स्कैनर;
(iii) रूट किट;
(iv) पैकट स्निकर।

☞ **हैकर** एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जो कुछ भी करने में सक्षम होता है।

☞ **क्रैकर** कंप्यूटर तथा कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में विशेष निपुण होता है।

☞ **साइबरपंक्स** क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ होता है।

☞ **फ्रीर्कस** सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है।

☞ हैकर निम्न प्रकार की सूचना को हैक या प्राप्त करना चाहता है-

(i) ऑपरेटिंग सिस्टम;
(ii) डेटा सेंटर तथा टेलीफोन सेंटर का पता;
(iii) खुली तकनीक तथा प्रयोग किया जा रहा सिस्टम;
(iv) हैक कर साक्ष्यों को मिटाना;
(v) सेवा से इंकार; तथा
(vi) किसी राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा प्रभुता को ठेस पहुंचाना।

☞ **स्टेगनोग्राफी-** किसी डेटा/ऑडियो/वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा/ऑडियो/वीडियो फाइल में छुपाना स्टेगनोग्राफी कहलाता है।

☞ स्टेगनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी से भिन्न होती है।

☞ स्टेगनोग्राफी स्वयं में एक साइबर अपराध नहीं है लेकिन इसका दुरुपयोग एक अपराध है।

☞ स्टेगनोग्राफी का प्रयोग बहुत से वैध कार्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे फोटो की वाटरमार्किंग, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, गुप्त डेटा प्रोटेक्शन आदि।

☞ यदि कोई पोर्नोग्राफिक्स फाइल को किसी फाइल के साथ छुपाकर भेजा जा रहा हो, तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की **धारा 67 के अंतर्गत** अपराध होगा।

☞ साइबर आतंकवाद के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

(i) दो राष्ट्रों के मध्य नेट वार (Net war);
(ii) आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना;
(iii) ई-मेल, MMS एवं फोन कॉल का प्रयोग करना, इंक्रिप्शन, प्रोग्राम तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रयोग करना;
(iv) सेटेलाइट फोन सेवा का प्रयोग करना; तथा
(v) वायरस, वार्म तथा ट्रोजन हार्स नेट पर छोड़ना।

☞ **कुछ प्रमुख साइबर हमले-**

(i) भारत तथा पाकिस्तान के बीच साइबर हमला;
(ii) टाइटन रेन;
(iii) मूनलाइट मेज;
(iv) मिडल-ईस्ट का साइबर हमला;
(v) यूगोस्लाविया में चीनी दूतावास पर अमेरिकी बॉम्बर द्वारा हमला;
(vi) तमिल टाइगर का साइबर हमला आदि।

☞ यदि आपको कोई व्यक्ति जबरदस्ती अथवा बन्दूक की नोक पर ए.टी.एम. मशीन से पैसा निकालने को कहता है तो क्या करें-

(i) आप उसके साथ ए.टी.एम. पर जाएं।
(ii) अपना ए.टी.एम. कार्ड डालें परंतु सदैव ये याद रखें कि उस समय आपको अपना PIN नंबर उल्टा डालना है।
(iii) जैसे आपका PIN-1234 है तो आपको PIN 4321 डालना होगा।
(iv) मशीन द्वारा उस उल्टे PIN को स्वीकार किया जाएगा तथा मशीन द्वारा पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा जिससे पुलिस वहां पहुंच जाएगी।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है?

(a) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना

(b) सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी

(c) सूचना, जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी तथा सूचना, जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा आदि सभी को सूचना के प्रकटीकरण से छूट है।

2. सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा?

(a) सभी नागरिकों को

(b) शहरी नागरिकों को

(c) सरकारी कर्मचारियों को

(d) ग्रामीण नागरिकों को

उत्तर—(a)

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

3. मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है?

(a) 5 वर्ष (b) 6 वर्ष

(c) 3 वर्ष (d) 2 वर्ष

उत्तर—(a)

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

4. सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 20

(c) अनुच्छेद 16 (d) अनुच्छेद 10

उत्तर—(a)

सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 'स्वतंत्रता का अधिकार' के अंतर्गत आता है।

5. जन सूचना अधिकार भारत में कहां लागू नहीं है?

(a) नगालैंड (b) झारखंड

(c) जम्मू-कश्मीर (d) सिक्किम

उत्तर—(c)

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार, इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है?

(a) प्रधानमंत्री (b) केंद्र सरकार

(c) भारत का राष्ट्रपति (d) सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर—(b)

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 30 के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होता है-

(a) संपूर्ण भारतवर्ष में

(b) जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में

(c) जम्मू-कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होता है।

8. सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है?

(a) 30 दिन (b) 45 दिन

(c) 60 दिन (d) कभी भी

उत्तर—(a)

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र किंतु 30 दिन के भीतर विहित शुल्क के भुगतान पर या तो सूचना देगा अथवा धारा 8 और 9 के अंतर्गत विहित कारणों के आधार पर इंकार कर देगा। किंतु जहां सूचना किसी व्यक्ति के प्राण एवं स्वतंत्रता से संबंधित है उसे आवेदन के पश्चात 48 घंटे के भीतर प्रदान कर दिया जाना चाहिए।

9. निम्न में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है?

(a) ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े

(b) राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े

(c) रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत ऐसी सूचना प्रदान करने की मनाही है जिससे राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना होने वाली सूचना हो।

10. 'सूचना का अधिकार अधिनियम' 2005 का उद्देश्य क्या है?

(a) सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो

(b) सूचना की पहुंच आसान और विषद हो

(c) नागरिकों को सामान्य हितों (निजी हित अथवा सार्वजनिक हित) से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

'सूचना का अधिकार अधिनियम' 2005 का उद्देश्य है कि सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विषद हो साथ ही नागरिकों को सामान्य हितों (निजी हित अथवा सार्वजनिक हित) से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो।

11. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कब अधिनियमित हुआ?

(a) 26 नवंबर, 2000

(b) 5 जून, 2000

(c) 9 जून, 2000

(d) 17 अक्टूबर, 2000

उत्तर—(c)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, 9 जून, 2000 को अधिनियमित हुआ।

12. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कब लागू हुआ?

(a) 3 जून, 2000

(b) 5 जून, 2000

(c) 11 अक्टूबर, 2000

(d) 17 अक्टूबर, 2000

उत्तर—(d)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 17 अक्टूबर, 2000 से लागू हुआ।

13. भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है?

(a) साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात अध्युपाय का

(b) साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रिया-कलापों के समन्वय का

(c) साइबर आपात का पूर्वानुमान करने और चेतावनियां देने का

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 ख (4) के अनुसार, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल निम्नलिखित कृत्यों का पालन करता है-

(i) साइबर आपात संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रयास;

(ii) साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान और चेतावनियां;

(iii) साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात अध्युपाय;

(iv) साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रिया-कलापों का समन्वय

(v) साइबर आपात की सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, निवारण, प्रतिक्रिया और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत, सलाह, अतिसंवदेनशील टिप्पणी और श्वेत पत्र जारी करना; तथा

(vi) साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

14. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहां तक है?

(a) जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत पर

(b) संपूर्ण भारत पर

(c) केवल कुछ राज्यों पर

(d) केवल कंप्यूटर अपराधों पर

उत्तर—(b)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इसके अतिरिक्त यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन पर भी लागू होगा।

15. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था?

(a) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संव्यवहारों को विधितः मान्यता देने के लिए

(b) इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुकर बनाने के लिए

(c) भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

(d) उपर्युक्त सभी के लिए

उत्तर—(d)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया था-

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संव्यवहारों को विधितः मान्यता देने के लिए;

(ii) सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाने को सुकर बनाने के लिए; तथा

(iii) भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए आदि।

16. सुरक्षित प्रणाली से अभिप्रेत है-

(a) अप्राधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त सुरक्षित

(b) साधारणतः स्वीकार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है

(c) विश्वसनीय और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर उपबंधित करता है

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2(z e)/(य ङ) के अनुसार, 'सुरक्षित प्रणाली' से कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं, जो-

(क) अप्राधिकार प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित है;

(ख) विश्वसनीयता और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर उपबंधित करता है;

(ग) आशयित कृत्य करने के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है;

(घ) साधारणतः स्वीकार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है।

17. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र को कौन जारी करता है?

(a) प्रमाणन अधिकारी

(b) नियंत्रक

(c) उपनियंत्रक

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(a)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र को प्रमाणन अधिकारी जारी करता है।

18. साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है?

(a) उच्चतम न्यायालय (b) केंद्रीय सरकार

(c) भारत का मुख्य न्यायाधीश (d) राष्ट्रपति

उत्तर—(b)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 48(1) के अनुसार, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा साइबर अपील अधिकरण नामक एक या अधिक अपील अधिकरणों की स्थापना करेगी।

19. अपराधों का अन्वेषण आई.टी. एक्ट में कौन कर सकता है?

(a) पुलिस सब-इंस्पेक्टर

(b) पुलिस इंस्पेक्टर से अनिम्नपंक्ति का कोई अधिकारी

(c) पुलिस अधीक्षक

(d) कोई कांस्टेबल

उत्तर—(b)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के हुए भी, कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा।

20. संतोष, वीना के ई-मेल एकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हुआ। वह नियमित रूप से वीना के ई-मेल एकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक को पढ़ता रहा है। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए-

(a) संतोष आई.टी. एक्ट के अंतर्गत हैकिंग के लिए दायी है

(b) संतोष आई.टी. एक्ट के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए दायी है

(c) संतोष आई.टी. एक्ट के अंतर्गत अधिकृत पहुंच के लिए दायी है

(d) संतोष भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अतिचार के लिए दायी है

उत्तर—(b)

प्रस्तुत समस्या में संतोष, वीना के ई-मेल एकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हुआ। फलस्वरूप वह नियमित रूप से वीना के ई-मेल एकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक (संदेश) को पढ़ता रहा। यहां संतोष सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए दायी होगा।

21. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेत है-

(a) दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र तक अप्राधिकृत पहुंच
(b) दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को समाप्त करना
(c) दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को या आशय समाप्त करना
(d) दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर या साशय समाप्त करना

उत्तर—(d)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत हैकिंग का तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर या साशय समाप्त करने से है।

22. अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है-

(a) भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में
(b) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में
(c) (a) और (b) दोनों में
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

अश्लील पदार्थों का प्रकाशन, भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में दंडनीय अपराध है।

23. आई.टी.एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए शास्ति है-

(a) तीन वर्ष तक का कारावास
(b) दो लाख रुपये तक का जुर्माना
(c) तीन वर्ष का कारावास एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
(d) उपर्युक्त सभी सही हैं

उत्तर—(c)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के अधीन हैकिंग के लिए कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

24. साइबर अपराध निम्न में से किससे मूलतः संबंधित होता है?

(a) कंप्यूटर से
(b) इंटरनेट से
(c) संचार युक्तियों से
(d) उपर्युक्त सभी से

उत्तर—(d)

संयुक्त राष्ट्र संघ के अपराध नियंत्रण और निवारण मैनुअल के अनुसार साइबर क्राइम ऐसा अपराध होता है जिसमें ठगी, जालसाजी और अनाधिकृत प्रवेश कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार युक्तियों व अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। ई-मेल, बमबाजी, साइबर अश्लील लेखन, SMS स्पूफिंग, वेब जैकिंग, सलामी आक्रमण, साइबर स्टाकिंग, साइबर आतंकवाद, वायरस अटैक इत्यादि साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण हैं।

25. किसी दूसरे के कंप्यूटर इत्यादि को क्षति पहुंचाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंड की व्यवस्था है-

(a) केवल कारावास
(b) केवल जुर्माना
(c) प्रतिकर
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(c)

किसी दूसरे के कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क प्रणाली को स्वामी के अनुज्ञा बिना नुकसान पहुंचाना अधिनियम की धारा 43 के अधीन 'प्रतिकर' के रूप में दंडनीय है। प्रभावित व्यक्ति को अपराधी से 1 करोड़ रुपये तक की हुई नुकसानी के लिए प्रतिकर दिलाया जा सकेगा।

26. अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन किस धारा के अधीन दंडनीय है?

(a) धारा 65
(b) धारा 66
(c) धारा 67
(d) धारा 67-ख

उत्तर—(c)

किसी कामोत्तेजक या कामुकता की अपील करने वाली सामग्री को प्रकाशित या पारेषित (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) जो करेगा वह धारा 67 के तहत दंडित किया जाता है। दंड के रूप में पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक के कारावास तथा 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का तथा दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 5 वर्ष तक के कारावास तथा 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था है।

27. पद 'कंप्यूटर' में क्या शामिल है?

(a) संसाधन प्रणाली
(b) आगत प्रणाली
(c) संसूचना प्रणाली
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

एक कंप्यूटर में संसाधन प्रणाली (Processing Unit), संसूचना प्रणाली (Communicating Unit), आगत प्रणाली (Input Unit), निर्गत प्रणाली (Output Unit) इत्यादि सभी होती हैं। कंप्यूटर की परिभाषा आई.टी. अधिनियम, 2000 की धारा 2 (झ) में दी गई है।

28. साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है?

(a) संबंधित राज्य सरकार द्वारा
(b) केंद्रीय सरकार द्वारा
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा
(d) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा

उत्तर—(b)

आई.टी. अधिनियम, 2000 के अधीन साइबर अपील अधिकरण की स्थापना धारा 48 में केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। अधिकरण के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से धारा 49 के तहत की जाती है।

29. साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की परिसीमा कितनी है?

(a) 30 दिन (b) 60 दिन
(c) 45 दिन (d) 90 दिन

उत्तर—(c)

धारा 57 अपील अधिकरण को अपील किए जाने की परिसीमा निर्धारित करती है। अपील, आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। जहां आदेश पक्षकारों की सहमति से किया जाता है वहां कोई अपील नहीं हो सकेगी।

30. साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है?

(a) सर्वोच्च न्यायालय
(b) उच्च न्यायालय
(c) अपील नहीं होगी
(d) केंद्रीय सरकार को

उत्तर—(b)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 62 के अनुसार साइबर अपील अधिकरण के किसी निर्णय, आदेश से पीड़ित व्यक्ति उसके खिलाफ अपील 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय के पास की जाएगी।

31. पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है?

(a) 1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
(b) 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
(c) आजीवन कारावास
(d) 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

उत्तर—(b)

अधिनियम की धारा 66-ग पहचान चोरी के लिए दंड की व्यवस्था देती है। इस धारा के अधीन 3 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना दंड रूप में दिया जा सकता है। धारा किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान का प्रयोग करने को दंडनीय बनाती है।

32. कितने वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध इस अधिनियम के अधीन जमानतीय होते हैं?

(a) 3 वर्ष तक के
(b) 1 वर्ष तक के
(c) 6 माह तक के
(d) सभी अपराध गैर-जमानतीय हैं

उत्तर—(a)

आई. टी. अधिनियम, 2000 की धारा 77-ख के तहत 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानतीय होते हैं। 3 वर्ष से या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय है।

33. अधिनियम में अवशिष्ट शास्ति (Residuary Penality) कहां दी गई है?

(a) धारा 65 (b) धारा 45
(c) धारा 55 (d) धारा 85

उत्तर—(b)

अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन जिसके लिए अलग से कोई शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, प्रभावित व्यक्ति को 25,000 रुपये तक का प्रतिकर या दोषी व्यक्ति पर 25,000 रुपये तक का अर्थदंड आरोपित किया जा सकेगा, यह प्रावधान धारा 45 में उपबंधित है।

34. किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करना कहा जाता है-

(a) सलामी आक्रमण

(b) साइबर मानहानि

(c) साइबर स्टाकिंग

(d) वेब डिफेसमेंट

उत्तर—(c)

उपर्युक्त परिभाषा 'साइबर स्टाकिंग' की है।

35. इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अधिकतम कितनी फीस का भुगतान करना होता है?

(a) 10,000

(b) 5,000

(c) 25,000

(d) निःशुल्क प्रदान किया जाता है

उत्तर—(c)

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा नियत फीस जो 25,000 से अधिक नहीं होगी, भुगतान की जाएगी।

36. साइबर अपराध हेतु आई.टी. अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन <u>असत्य</u> है?

(a) अपीलार्थी, अधिकरण के समक्ष स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है

(b) अपीलीय अधिकरण अपना विनिश्चय बहुमत से देगी

(c) सिविल न्यायालय में भी वाद या कार्यवाही उपचार हेतु संस्थित की जा सकती है

(d) परिसीमा विधि लागू होती है

उत्तर—(c)

अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विकल्प (c) में दिए गए कथन को छोड़कर अन्य सभी कथन सत्य हैं। धारा 61 के अनुसार उन सभी बातों तथा विषयों हेतु, जिनके संबंध में अधिनियम में नियुक्त कोई न्याय निर्णयन अधिकारी या प्राधिकारी, अवधारण हेतु सशक्त है, सिविल न्यायालय को वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

37. अधिनियम के अधीन दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति कहां दी गई है?

(a) धारा 69

(b) धारा 70

(c) धारा 72

(d) धारा 71

उत्तर—(d)

जहां कोई व्यक्ति लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कोई दुर्व्यपदेशन करता है तो वह धारा 71 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

38. अधिनियम के अधीन किसी स्थान में प्रवेश व तलाशी के लिए कौन प्राधिकृत है?

(1) निरीक्षक रैंक का

(b) उपनिरीक्षक रैंक का

(3) अधीक्षक

(d) नियुक्त विशेष प्राधिकारी

(a) 1 तथा 2 (b) 1 तथा 4

(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(b)

कोई पुलिस अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। [धारा 80]

39. कामवासना भड़काने वाले क्रिया-कलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया जा सकता है?

(a) 1 लाख (b) 5 लाख

(c) 10 लाख (d) 3 लाख

उत्तर—(c)

प्रश्नगत अपराध के लिए धारा 67-ख के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर दस लाख रुपये तक का अर्थदंड तथा 5 वर्ष तक कारावास एवं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दस लाख तक का अर्थदंड और 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जाने का उपबंध है।

40. किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में मेल सर्वर या ई-मेल भेजना जिससे उसका संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाए, कहलाता है-

(a) वेब जैकिंग (b) ई-मेल बमबाजी

(c) ट्रोजन्स (d) डेटा डिडलिंग

उत्तर–(b)

उपर्युक्त अपराध 'ई-मेल बमबाजी' कहलाता है। डेटा डिडलिंग किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में अवैध डाटा प्रवेश करा दिया जाता है। साइबर अपराधी द्वारा बलपूर्वक किसी वेबसाइट को अपने नियंत्रणाधीन कर लेना वेब जैकिंग कहलाता है जबकि ट्रोजन्स वास्तविकता को छुपाने वाला अप्राधिकृत प्रोग्राम होता है।

41. साइबर अपराध में क्या शामिल है?

(a) कंप्यूटर के माध्यम से छल

(b) कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार

(c) इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर–(d)

कोई भी आपराधिक कृत्य जो कंप्यूटर अथवा संचार साधनों से जुड़ा है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, हैकिंग, अश्लील संदेश संप्रेषण, टेलीफोन तकनीक का दुरुपयोग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, वायरस का फैलाव, कंपनी नीति के विरुद्ध गतिविधि, कंप्यूटर नेटवर्क पर आक्रमण, पोर्नोग्राफी को प्रोत्साहन, आंतरिक और गुप्त सूचनाओं की चोरी, बौद्धिक संपदा की चोरी आदि गतिविधियां व कार्यकलाप साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

42. साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है?

(a) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

(b) सूचना का अधिकार अधिनियम

(c) भारतीय दंड संहिता

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर–(a)

साइबर अपराध में दंड का प्रावधान 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act), 2000' के अंतर्गत दिया गया है।

43. क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है?

(a) हां

(b) नहीं

(c) सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है।

(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(a)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (ज क) में मोबाइल की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है- ''संचार युक्ति (Communication Device) से अभिप्रेत है, मोबाइल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट (PDA) या दोनों अर्थात् मोबाइल फोन और पी.डी.ए. जो किसी फोटो, आवाज, वीडियो आदि को भेजने/प्राप्त करने (Upload/Download) के लिए उपयोग में लाया जाता है।

44. ई-मेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है?

(a) नेटवर्क सर्विसदाता द्वारा दिया गया आई.पी. एड्रेस

(b) साइबर कैफे की दुकान से

(c) निकटतम पुलिस थाने से

(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(a)

ई-मेल को जारी किए जाने का स्थान नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए आई.पी. एड्रेस से पता लगता है।

45. ए.टी.एम. मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है?

(a) क्लोज्ड सर्किट टी.वी. (CCTV)

(b) वेब कैम (Web Cam)

(c) टेलीविजन (T.V.)

(d) उक्त में से कोई नहीं

उत्तर–(a)

ए.टी.एम. मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्लोज्ड सर्किट टी.वी. (CCTV) से की जाती है।

आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

❑ आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961)

- आयकर अधिनियम **1 अप्रैल, 1962** से लागू है।
- यह अधिनियम **संपूर्ण भारत पर** प्रभावी है।
- अधिनियम में कुल **23 अध्याय, 298 धाराएं तथा 14 अनुसूचियां** हैं।
- अधिनियम की **धारा 2** में महत्त्वपूर्ण पदों की परिभाषा दी गई है।
- "**कृषि आय**" में कृषि भूमि से प्राप्त लगान या राजस्व, कृषि द्वारा आय, खेतिहर उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त आय या ऐसी उपज को बेचने से प्राप्त आय, लगान या राजस्व प्राप्तिकर्ता के स्वामित्व या अधिभोग की भूमि या भवन से प्राप्त आय शामिल हैं **[धारा 2 (क)]**।
- "**निर्धारिती**" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसके द्वारा कोई कर या अन्य धनराशि संदेय है **[धारा 2 (7)]**।
- '**निर्धारण वर्ष**' 12 माह की वह अवधि है जो प्रत्येक साल **1 अप्रैल** को प्रारंभ होती है **[धारा 2 (9)]**।
- "**निर्धारण अधिकारी**" में सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक या आयकर अधिकारी जिनमें धारा 120 के अधीन जारी आदेशों या निदेशों से अधिकारिता निहित है, शामिल हैं **[धारा 7 (क)]**।
- धारा 2(10) के अनुसार '**आय-कर की औसत दर**' कुल आय पर परिकलित आय-कर को कुल आय से विभक्त करके निकाली जाती है।
- "**आस्ति (Asset) समूह**" में मूर्त आस्तियां जैसे भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर या अमूर्त आस्तियां जैसे व्यवहार - ज्ञान, पेटेंट, कापीराइट, लाइसेंस, व्यापार चिह्न, फ्रेंचाइज या अन्य कोई कारोबारी वाणिज्यिक अधिकार आते हैं [धारा 2 (11)]।
- "**बही या लेखा बही**" में खाता, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही और अन्य बहियां भी हैं चाहे वो लिखित रूप में या किसी फ्लॉपी, डिस्क, टेप में संग्रह डाटा के प्रिंटआउट के रूप में या इलैक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइस के किसी अन्य रूप में रखी गई हों, शामिल हैं [धारा 2(12) (क)]।
- धारा 2 (13) के अनुसार "**कारबार**" किसी व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण या किसी प्रोद्यम या समुत्थान को इंगित करता है।
- अधिनियम के अंधीन किसी व्यक्ति की संतान में सौतेली और दत्तक संतान भी शामिल होती है [धारा 2(15) (ख)]।
- **धारा 2(24) में आय की परिभाषा दी गई है।**
- "**आय**" में **लाभ और अभिलाभ** (Benefit or Gains), **लाभांश** तथा **पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या भागतः सृजित किसी न्यास द्वारा आय, करधेय कोई परिलब्धि या वेतन के बदले में लाभ का मूल्य कोई भत्ता** या **फायदा या कोई ऐसी राशि जो धारा** 41, 59, 28 के खंड (ii) (iii), (iii क), (iii ख), (iii ग), (iv) या (v) के अधीन कर से प्रभार्य है, लाटरी से या किसी अन्य प्रकार के जुए या दांव से जीती हुई, भविष्य निधि या अन्य किसी निधि में अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई राशि, कीमैन पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई धनराशि इत्यादि।
- '**पूर्व वर्ष**' की परिभाषा **धारा 3** में दी गई है।
- निर्धारण वर्ष से **ठीक पहले का वित्तीय वर्ष** 'पूर्व वर्ष' होता है।
- **धारा 5** के अनुसार '**कुल आय की परिधि**' में अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति की, जो निवासी है, किसी पूर्व वर्ष की कुल आय के अंतर्गत किसी भी स्रोत से प्राप्त आय, जो उसके द्वारा भारत में प्राप्त या प्रोद्भूत हो, समझी जाए।
- कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाता है जबकि वह

  (i) उस वर्ष में कुल मिलाकर **182 या अधिक दिनों** तक भारत में रहा हो,

  (ii) उस वर्ष के पूर्व के चार वर्षों में **365 या अधिक दिनों तक** रहते हुए **उस वर्ष 60 या अधिक** अवधि तक भारत में रहा हो [धारा 6]।
- किसी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगम, भारत का निवासी किसी पूर्व वर्ष में कहा जाएगा यदि उस वर्ष उसके कामकाज का **नियंत्रण और प्रबंध** संपूर्णतः भारत के बाहर स्थित रहा है।
- **कृषि आय**, किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय संगणित करने में **शामिल नहीं होती** है [धारा 10]।

☞ **धारा 11** के अनुसार **पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों** के लिए धारित संपत्ति से आय किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

☞ पूर्त प्रयोजनों हेतु संचित आय जो उस संपत्ति की कुल आय के **15 प्रतिशत** से अधिक न हो, ही **धारा 11** के अधीन संरक्षित है।

☞ **धारा 12**, अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय को कुल आय से विरत करने से संबंधित है।

☞ किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन **प्रधान आयुक्त** के समक्ष किए जाते हैं [धारा 12 क क]।

☞ **धारा 13** उन स्थितियों की विवेचना करती है जिनमें **धारा 11** लागू नहीं होती है।

☞ **धारा 13 (क)** के अनुसार किसी **राजनैतिक दल की आय** जो ''गृह संपत्ति से आय'', अन्य स्रोतों से आय या ''पूंजी अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय को, राजनैतिक दल की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

☞ निर्वाचन न्यास द्वारा स्वैच्छिक प्राप्ति को पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता **[धारा 13 ख]**।

☞ आयकर प्रभार तथा आय की संगणना हेतु आय के निम्न शीर्ष होते हैं - **वेतन, गृह संपत्ति** से आय, **करोबार या वृत्तिक लाभ और अभिलाभ, पूंजी अभिलाभ** तथा **अन्य स्रोतों से आय** [धारा 14]।

☞ **धारा 15** के अनुसार आयकर से प्रभार्य वेतन शीर्ष के अधीन आय में शामिल है-

(i) वेतन चाहे संदत्त (Paid) हो या नहीं;

(ii) देय न होते हुए भी या उसे देय होने से पूर्व संदत्त या अनुज्ञात (Allowed) कोई वेतन;

(iii) संदत्त या अनुज्ञात वेतन का बकाया यदि किसी पूर्व वर्ष में आयकर से प्रभारित न हुई हो।

☞ वेतन शीर्ष के अधीन आय की गणना में निम्न की **कटौती** की जाएगी-

(i) सरकारी भत्ते इत्यादि के बाबत कटौती जो वेतन के **5वें भाग या 5000 रु.** से अधिक न होगी;

(ii) किसी विधि द्वारा उद्ग्रहणीय किसी कर के मद्दे, संदत्त की गई राशि की कटौती।

''वेतन'', ''परिलब्धि'' तथा ''वेतन के बदले में लाभ'' की परिभाषा **धारा 17** में वर्णित है।

☞ वेतन के अंतर्गत - मजदूरी, वार्षिकी या पेंशन, कोई उपदान, (Gratuity) अतिरिक्त फीस, कमीशन, परिलब्धियां या लाभ, वेतन का **कोई अग्रिम संदाय**, अवकाश उपभोग न करने हेतु संदाय, भविष्य निधि के माध्यम से जमा अतिशेष में हुई वार्षिक वृद्धि, पेंशन स्कीम के अधीन खाते में अभिदाय।

☞ वार्षिक मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया **धारा 23** में दी गई है।

☞ **धारा 44 (क ख)** के अनुसार वृत्तिक या कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों के लेखाओं की संपरीक्षा **लेखपाल** द्वारा की जाती है।

☞ **धारा 35 (ग ग घ)** के अनुसार कौशल विकास परियोजना पर **व्यय के डेढ़ गुना के बराबर** राशि की कटौती अनुज्ञेय होती है।

☞ धारा 64 के अनुसार किसी व्यक्ति की आय में **पति या पत्नी, अवयस्क संतान** की आय शामिल होती है।

☞ निर्धारिती की बहियों में **अस्पष्टीकृत रोकड़** जमा को उसकी पूर्व वर्ष की आय के रूप में आयकर से प्रभारित किया जाएगा [धारा 68]।

☞ जहां पूंजी अभिलाभ से भिन्न आय के किसी स्रोत के लिए निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है तो निर्धारिती ऐसी **रकम का मुजरा** उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत **से होने वाली आय के प्रति करा सकेगा [धारा 70]**।

☞ **धारा 69 (घ)** के अनुसार हुंडी पर उधार ली गई या लौटाई गई रकम, उधार लेने या लौटाने वाले व्यक्ति की आय समझी जाएगी।

☞ **धारा 80 (प)** के अनुसार प्रमाणित **निःशक्त व्यक्ति** की कुल आय संगणना करने में **50,000 रु.** तथा **गंभीर रूप से निःशक्त** के संबंध में **75,000 रु.** की कटौती की जा सकती है।

☞ केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम या जीवन बीमा निगम की **वार्षिकी योजना** में निक्षिप्त या भुगतान की गई रकम की; जो उस पूर्व वर्ष में 20,000 रु.से अधिक नहीं होगी, कटौती की जाएगी [धारा 80 ग ग क]।

☞ **धारा 80 (ग ग छ)** यह कहती है कि केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में नियोजित रकम की कटौती, कर्मचारी की दशा में पूर्व वर्ष में **वेतन का 10%** तक तथा अन्य दशा में पूर्व वर्ष उसकी **सकल आय के 10% तक** अनुज्ञात है।

☞ **धारा 80 (ग ग ड़)** के अनुसार जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा केंद्रीय पेंशन स्कीम के अधीन किए निवेश हेतु **कटौती की कुल रकम किसी दशा में 1,50,000 रु** से अधिक नहीं है।

☞ उच्चतर शिक्षा के लिए उधार ली गई रकम पर **ब्याज की बाबत कटौती धारा 80 ड़** में है।

☞ किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूर्व वर्ष में किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन न्यास को अभिदाय (गैर-नकद) की गई राशि की कटौती कुल आय की संगणना में की जाएगी [धारा 80छ छ ख]।

☞ **धारा 87 (क)** यह कहती है कि जिन व्यक्तियों की आय 5 लाख रु. से अधिक नहीं है वे अपनी कुल प्रभार्य आय पर आय-कर की रकम के **शत प्रतिशत या दो हजार रु. के** जो भी कम हो, कटौती के हकदार हैं।

☞ **धारा 88** के अनुसार जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि आदि अभिदाय हेतु रिबेट अध्याय 6 क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व निर्धारित होती है।

☞ जहां सकल आय **1.5 लाख या कम** है तो कटौती **20%** के बराबर होगी।

☞ जहां सकल आय **1.5 लाख से 5 लाख के** मध्य है वहां **15% के बराबर कटौती** का हकदार होगा।

☞ यदि सकल आय **5 लाख से अधिक** है तो किसी कटौती का लाभ **नहीं** दिया जाएगा।

☞ अध्याय 9 "**दोहरे कराधान से राहत**" से संबंधित है।

☞ **धारा 90** के अनुसार विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों से दोहरे कराधान, कर अपवंचन, आय कर की वसूली हेतु **करार केंद्रीय सरकार** द्वारा किया जाता है।

☞ किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से होने वाली आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाती है **[धारा 92]**।

☞ असन्निकट कीमत का निर्धारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन की जाती है।

☞ **अध्याय 10** कर के परिवर्जन के संबंध में विशेष उपबंध करता है।

☞ **अध्याय 10 (क)** सामान्य परिवर्जनरोधी नियम की व्यवस्था देता है।

☞ **धारा 115 (ण)** यह स्पष्ट करती है कि देशी कंपनियों पर प्रभार्य आयकर के अतिरिक्त **वर्ष 2003** या पश्चात से उसके लाभांशों पर **15% की दर** से अतिरिक्त कर प्रभारित किया जाएगा।

☞ धारा **115 (ण)** के अधीन कर न देने वाली देशी कंपनी ऐसी कर राशि पर **प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए 1% की दर से** ब्याज देने के लिए दायी होगी।

☞ **धारा 115 (ण)** के अधीन वितरित लाभों पर कर न देने वाली कंपनी **व्यतिक्रमी** मानी जाती है।

☞ अध्याय 12 **अनुषंगी फायदों पर आयकर** से संबंधित है।

☞ आयकर प्राधिकारियों के वर्ग **धारा 116** में दिए गए हैं।

☞ **धारा 117** के अनुसार आय कर प्राधिकारी **केंद्रीय सरकार** द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

☞ **धारा 120** के अनुसार सभी आयकर प्राधिकारी बोर्ड के निदेशों के अधीन अपनी शक्तियों व कृत्यों का पालन करेंगे।

☞ **धारा 129** यह बताती है कि किसी पद का उत्तरवर्ती, कार्यवाही को उस प्रक्रम से जारी रख सकेगा जहां पूर्वाधिकारी द्वारा छोड़ी गई थी।

☞ साक्ष्य के प्रकटीकरण, निरीक्षण, दस्तावेजों के पेश करने को विवश करने या कमीशन निकालने हेतु प्रधान मुख्य आयुक्त, या आयुक्त या निर्धारण अधिकारियों, समाधान पैनल को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी **[धारा 131]**।

☞ **धारा 136** यह कहती है कि किसी आय कर प्राधिकारी के अधीन की गई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की **धारा 193, 228** तथा **196** के तहत **न्यायिक कार्यवाही** समझी जाएगी।

☞ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की **धारा 195** प्रयोजनों के लिए वह सिविल न्यायालय समझा जाता है।

☞ **स्थायी खाता संख्यांक** का उपबंध **धारा 139 क** में किया गया है।

☞ किन्ही वर्ग या वर्गों के लोगों द्वारा दस्तावेजों, विवरणी, रसीदों इत्यादि को प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति देने की शक्ति बोर्ड में निहित है **[धारा 139 ग]**।

☞ **धारा 154** अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित की गई सूचनाओं के भूल सुधार, संशोधनों से संबंधित है।

☞ **धारा 159** के अनुसार किसी निर्धारिती की मृत्यु पर उसका **विधिक प्रतिनिधि** किसी राशि के संदाय के, जो मृतक के जीवित रहने पर करता, के दायित्वाधीन होगा।

☞ **प्रतिनिधी निर्धारिती** को संदत्त कर उन धनों में से जो उसकी प्रतिनिधिक हैसियत में उसके कब्जे में हो या उसके पास आए, प्रतिधारित/वसूल करने का अधिकार होता है **[धारा 162]**।

☞ **धारा 163** के अनुसार किसी अनिवासी का नियोजित व्यक्ति, उससे कारोबारी संबंध रखने वाला, उससे आय प्राप्त करने वाला, उसका न्यासी या उसकी भारत में पूंजी अंतरण के माध्यम से प्राप्त करने वाला व्यक्ति 'अभिकर्त्ता' कहा जाता है।

☞ किसी कंपनी का समापक या रिसीवर निर्धारण अधिकारी को **30 दिनों के भीतर** अपनी नियुक्ति की सूचना देगा **[धारा 178]**।

☞ निर्धारण अधिकारी द्वारा **3 माह के भीतर** समापक को वह रकम अधिसूचित करेगा जो संदेय कर का उपबंध करने के लिए पर्याप्त होगी।

☞ **अध्याय 17 कर संग्रहण और वसूली के संबंध** में है।

☞ जहां किसी आय पर नियमित निर्धारण किसी वाद के निर्धारण वर्ष में किया जाना है तो ऐसी आय पर कर यथास्थिति स्रोत पर कटौती द्वारा संग्रहण द्वारा या अग्रिम संदाय द्वारा संदेय होगा **[धारा 190]**।

☞ धारा 191 प्रत्यक्ष भुगतान के विषय में है।

☞ 'रिफंड' के संबंध में अध्याय 19 है।

☞ धारा 237 के अनुसार व्यक्ति रिफंड का हकदार होगा यदि वह निर्धारण अधिकारी को समाधान करा देता है कि उसके द्वारा अदा की गई राशि उचित रूप से प्रभार्य राशि से अधिक है।

☞ धारा 239 के अनुसार रिफंड हेतु आवेदन की परिसीमा **निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से 1 वर्ष के भीतर** है।

☞ जहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारण मास के अंत से **3 मास के भीतर प्रतिदाय (रिफंड)** मंजूर नहीं करता वहां 3 मास के ठीक बाद की तारीख से रिफंड के आदेश होने की तिथि तक **15% प्रति वर्ष की दर** से साधारण ब्याज देय होगी [धारा 243]।

☞ धारा 244 क यह कहती है कि जहां किसी रकम का रिफंड निर्धारिती को देय हो जाता है वहां उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर **1/2% की दर से साधारण ब्याज** भी निर्धारिती प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

☞ संदेय करों के प्रति रिफंड का मुजरा **धारा 245 में** किया जाता है।

☞ **समझौता आयोग,** धारा 245 ख के अधीन **केंद्रीय सरकार** द्वारा गठित किया जाता है।

☞ समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य **केंद्रीय सरकार** द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

☞ उच्चतम न्यायालय को मामले का कथन **धारा 257 में** है।

☞ **धारा 263** में राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण किया जाता है।

☞ **धारा 263 के** अधीन पुनरीक्षण की परिसीमा आदेश की तारीख से **2 वर्ष** है।

☞ अन्य दशाओं में पुनरीक्षण **धारा 264** के अधीन **1 वर्ष के भीतर** किया जाएगा।

☞ अधिनियम के अधीन किसी सूचना या निदेश का पालन करने में असफल रहने पर प्रत्येक असफलता के लिए **10,000 रु. शास्ति** का संदाय किया जाएगा।

☞ अपनी आय के या अनुषंगी फाइल के विवरण को छुपाने या गलत विशिष्टयां देने वाले व्यक्ति पर ऐसी राशि की शास्ति जो अपवंचन का प्रयास की जाने वाली कर राशि से **कम नहीं** होगी, किंतु उसकी **तिगुनी से अधिक नहीं** होगी। [धारा 271]

☞ **धारा 271 क** के अधीन लेखा बहियां, दस्तावेज आदि बनाए रखने या रखने की असफलता पर **शास्ति 25,000 रु.** होगी।

☞ किसी अंतरराष्ट्रीय या देशी संव्यवहार की बाबत गलत रिपोर्ट या दस्तावेज देने या बनाए रखने में असफल रहने पर शास्ति संव्यवहार के मूल्य के **दो प्रतिशत** के बराबर होगी।

☞ लेखाओं की संपरीक्षा कराने में असफल रहने पर कारबार के कुल विक्रय आवर्त या सकल प्राप्तियों के **1/2%** की रकम के बराबर शास्ति या **1 लाख 50 हजार; जो भी कम हो,** देय होगी [धारा 271 ख]।

☞ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व आय की विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति **5,000 रु.** होगी। [धारा 271च]

☞ धारा 200 (3) तथा धारा 206 (ग) (3) के परंतुक के अधीन अभीष्ट कोई विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहने पर शास्ति **10,000 से 1 लाख तक** की हो सकेगी [धारा 271 ज]।

☞ धारा 272 क के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने; जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण की अनुज्ञा देने में असफल रहने पर प्रत्येक असफलता या व्यतिक्रम पर **10,000 रु.** की शास्ति देय है।

☞ शास्ति आदि घटाने या अधित्यजन करने की शक्ति **धारा 273 (क)** में **प्रधान आयुक्त या आयुक्त** को प्राप्त है।

☞ **शास्ति से उन्मुक्ति** प्रदान करने की **प्रधान आयुक्त या आयुक्त** की शक्ति **धारा 273 (क क)** में दी गई है।

☞ **अध्याय 22** अपराध और अभियोजन के संबंध में है।

☞ **धारा 132 (1) (iib)** के अधीन किसी आदेश के उल्लंघन पर दंड **दो वर्ष तक का कठोर कारावास** हो सकेगा **और जुर्माना भी [275 B]**।

☞ **कर वसूली को विफल करने** हेतु संपत्ति को कपटपूर्वक हटाने, छिपाने, अंतरित करने या परिदान करने पर दंड 2 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना होगा **[धारा 276]**।

☞ **धारा 276 (ख ख)** के अनुसार संग्रहित कर को केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहने पर दंड कठोर कारावास, जिसकी अवधि **3 मास से 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का होगा।**

☞ जानबूझकर **25 लाख से अधिक रकम में कर अपवंचन पर कठोर कारावास जो 6 मास से 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।**

☞ समझौता आयोग की न्यायपीठ पीठासीन अधिकारी (आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष) तथा 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनती है **[धारा 245 ख क]**।

☞ एक न्यायपीठ से किसी दूसरे न्यायपीठ में मामले को अंतरित करने की शक्ति **अध्यक्ष** को दी गई है।

☞ कोई भी विनिश्चय न्यायपीठ के **बहुमत द्वारा** किया जाएगा।

☞ आयोग द्वारा दिया गया राजस्व संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की का आदेश, **आदेश की तिथि से 6 मास तक** प्रभावी रहता है।

☞ **समझौता आयोग** की **शक्तियां या प्रक्रिया** धारा 245 (च) में दी गई हैं।

☞ **अभियोजन और शास्ति से उन्मुक्ति** देने की आयोग की शक्ति धारा 245 (ज) में उल्लिखित है।

☞ समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के उपशमन का प्रावधान धारा 245 (ज क) में दिया गया है।

☞ धारा 245 (झ) यह स्पष्ट करती है कि समझौता आयोग का प्रत्येक आदेश **निश्चायक** (Conclusives) होगा।

☞ धारा 245 ञ के अनुसार समझौता आदेश के अधीन शोध्य राशि की वसूली **निर्धारण अधिकारी** द्वारा की जा सकती है।

☞ समझौता आयोग के समक्ष की गई कोई भी कार्यवाही धारा 193, 196 तथा धारा 228 भा.द.सं. के तहत न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है **[धारा 245 ठ]**।

☞ अध्याय 20 '**अपील तथा पुनरीक्षण**' के संबंध में है।

☞ अपीलीय आदेशों की सूची **धारा 246** में दी गई है।

☞ अपील कर संदाय की तारीख से या जहां किसी शास्ति या निर्धारण के लिए अपील है, तो ऐसे निर्धारण या शास्ति की मांग की सूचना तामील होने की तारीख से **30 दिनों के भीतर** की जाएगी **[धारा 249]**।

☞ अपील के साथ देय फीस **धारा 249** में दी गई है।

☞ यदि संगणित निर्धारिती की कुल आय **1 लाख 50 हजार** या उससे कम है तो **फीस 250 रु.** देय होगी।

☞ दो लाख से कम किंतु 1 लाख से अधिक पर **500 रु.** तथा आय दो लाख रुपये से अधिक है तो फीस **1000 रु.** देय होगी।

☞ अपील हेतु प्रक्रिया **धारा 250** तथा आयुक्त (अपील) की शक्तियां **धारा 251** में दी गई हैं।

☞ **अपीलीय अधिकरण का गठन केंद्रीय सरकार** द्वारा किया जाता है **[धारा 252]**।

☞ अपीलीय अधिकरण में **न्यायिक सदस्य** तथा **लेखा सदस्य होते** हैं।

☞ अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष **केंद्रीय सरकार द्वारा** नियुक्त किसी उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त **(7 वर्ष की सेवा के साथ) न्यायाधीश** या अपील अधिकरण का **ज्येष्ठ उपाध्यक्ष** हो सकता है।

☞ अपीलीय अधिकरण, आदेश की तारीख से **4 वर्ष के भीतर** पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकता है [धारा 254]।

☞ अपील अधिकरण से कोई निर्देश उच्च न्यायालय को करने की अपेक्षा करने वाले आवेदन की परिसीमा **60 दिन** (आदेश की सूचना तामीली से) है।

☞ अपील अधिकरण **120 दिन के भीतर** मामले का कथन तैयार कर उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

☞ अन्य अवस्था में किसी रकम के कर अपवंचन हेतु **3 मास से 2 वर्ष तक के कठोर कारावास** और जुर्माने के दंड का प्रावधान है [धारा 276 ग]।

☞ सत्यापन में कोई मिथ्या कथन या मिथ्या लेखा या विवरणी देना **धारा 277** में दंडनीय है।

☞ आपराधिक मनःस्थिति के बारे में न्यायालय द्वारा **उपधारणा** धारा 278 (क क) में है।

☞ विशेष न्यायालयों का गठन केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् करती है [धारा 280 क]।

☞ विशेष न्यायालय, **प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट** के न्यायालय होते हैं।

☞ विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का विचारण **समन मामलों के विचारण** की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

☞ अधिनियम के अधीन सूचना की तामील **डाक या कुरियर द्वारा या सी.पी.सी. के अधीन विहित रीति से या दस्तावेजों के पारेषण** से की जा सकेगी।

☞ किसी बंद किए गए कारोबार की दशा में सूचना की तामील बंद किए जाने के समय रहे किसी सदस्य पर, कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी [धारा 284]।

☞ **धारा 289** के अनुसार अधिनियम के अधीन अदा किए गए किसी धन की **रसीद** दी जाएगी।

☞ अधिनियम के अधीन **अभियोजन से उन्मुक्ति** देने की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है [धारा 290]।

☞ उन्मुक्ति दिए जाने की शर्त यह होगी कि आय छिपाने या आय पर कर की चोरी से जुड़ी सभी परिस्थितियों को पूरी और सच्ची तरह प्रकट किया जाएगा।

☞ अधिनियम के अधीन **प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट** या **प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट** के न्यायालय के स्तर तक के न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा **[धारा 292]**।

☞ दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 360** तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की कोई बात केवल **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के किसी अपराध की दोषसिद्धि को लागू होगी।**

☞ **धारा 293 सिविल** न्यायालयों में **वादों या कार्यवाही के वर्जन** से संबंधित है।

☞ **धारा 295 केंद्रीय** सरकार की **नियम बनाने की शक्ति** के विषय में है।

☞ अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सत्र, जबकि वह सत्र में हो; में **30 दिनों के लिए** रखवाएगी [धारा 296]।

☞ इस अधिनियम द्वारा भारतीय **आय-कर अधिनियम, 1922** निरसित किया गया है **[धारा 297]**।

☞ **कठिनाइयों को दूर करने** हेतु साधारण या विशेष आदेश धारा 298 के तहत **केंद्रीय सरकार** द्वारा किए जाते हैं।

☞ आयकर अधिनियम में **फॉर्म 16** को टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो आपके लिए नियोक्ताओं द्वारा करों में कटौती करने के बाद जारी किया जाता है। जब नियोक्ताओं द्वारा वेतन पर कर की कटौती की जाती है, तो उन्हें आयकर अधिनियम द्वारा आपको एक टी.डी.एस. प्रमाण -पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण-पत्र में कर कटौती और जमा करने का पूरा विवरण दिया होता है।

UPSI 24 July 2017

❑ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (The Prevention of Corruption Act,1988)

☞ **अधिनियम की उद्देशिका**:- यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने से संबंधित है।

☞ इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** है।

☞ इस अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है। यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू होता है।

☞ इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति **9 सितंबर, 1988** को प्राप्त हुई।

☞ यह अधिनियम **12 सितंबर, 1988** से प्रवर्तित अर्थात लागू है।

☞ **धारा 2. परिभाषाएं (Definition)** - इस धारा में कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों एवं पदों को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है-

(क) **निर्वाचन (Election):**- निर्वाचन से अभिप्राय है संसद या किसी विधान-मंडल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोग प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन, किसी भी माध्यम से कराया गया निर्वाचन है।

(ख) **लोक कर्त्तव्य (Public Duty)**- यह एक ऐसा कर्तव्य है जिसके निर्वहन जनता या समस्त समुदाय का हित होता है।

(ग) **लोक सेवक (Public Servant)**- लोक सेवक से निम्नलिखित व्यक्ति अभिप्रेत है।

(i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्त्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन रूप में पारिश्रमिक पाता है;

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है;

(iii) कोई व्यक्ति जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है;

(iv) कोई न्यायाधीश;

(v) कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है जिसके अंतर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है परिसमापक (Liquidator), प्रापक (Receiver) या आयुक्त (Commissioner) भी है;

(iv) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा या कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है;

(vii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त है;

(viii) कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्त्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है;

(ix) कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है;

(x) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है;

(xi) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन का संचालन के संबंध में किया गया है;

(xii) कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है।

● विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Special Judges) [धारा 3]

☞ **केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार** निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी-

(i) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए; और

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों में से किसी को करने के लिये **षड्यंत्र करने या करने का प्रयत्न या किसी दुष्प्रेरण के लिए**।

☞ वही व्यक्ति विशेष न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन **सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश हैं या रहे हैं**।

☞ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, उस अपराध का षड्यंत्र करने के लिए, उस अपराध का प्रयत्न करने के लिए या दुष्प्रेरण के लिए आदि मामले का विचारण **विशेष न्यायाधीश द्वारा** किया जाएगा।

☞ **किसी मामले का विचारण करते समय** विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न, किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकती है जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

☞ विशेष न्यायाधीश, अपराध का विचारण **दिन-प्रतिदिन के आधार पर करेगा**।

☞ विशेष न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में मजिस्ट्रेटों द्वारा **वारंट मामलों** के लिए दी हुई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

☞ विशेष न्यायाधीश **अभियुक्त के विचारार्थ** सुपुर्द किए बिना भी संज्ञान कर सकता है।

☞ विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायाधीश के समक्ष **अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति,** लोक अभियोजक समझा जाएगा।

☞ विशेष न्यायाधीश **दोषसिद्ध व्यक्ति को** कोई भी दंडादेश दे सकता है जो उस अपराध के लिए विधि में प्राधिकृत है।

☞ विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण करते समय **जिला न्यायाधीश** द्वारा प्रयोग सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा।

● अपराध और शास्तियां (Offence and Penalties)

लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाना (Public servent taking gratification other Than legal remuneration in respect of official act) [धारा 7]-

☞ जो कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए **वैध पारिश्रमिक से भिन्न** किसी प्रकार का कोई भी पारितोषण उस बात को करने के लिए या कुछ परिस्थितियों में नहीं करने के लिए किसी व्यक्ति से लेगा तो यह माना जाएगा कि उसने अपराध किया है।

☞ दंड के रूप में अपराधी को **कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा**।

☞ **पंजाब राज्य बनाम मदन मोहन लाल वर्मा** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अभियुक्तों द्वारा धनराशि की मात्र प्राप्ति अवैध परितोषण के रूप में धनराशि की मांग तथा स्वीकृति के संबंध में किसी साक्ष्य के अभाव में दोष अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

☞ **युवराज बनाम महाराष्ट्र राज्य** के वाद में बम्बई हाइकोर्ट ने अभिनिर्धारित कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन यथा-दंडनीय भ्रष्टाचार के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन से यह साबित करना अपेक्षित है कि परिवादी द्वारा रिश्वत के स्वैच्छिक संदाय और अभियुक्त द्वारा अवैध परितोषण की स्वीकृति के साथ अभियुक्त द्वारा की गई मांग थी।

☞ जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई परितोषण किसी लोक सेवक को देता है **भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा कोई काम करने के लिए उत्प्रेरित करता है** और वह लोकसेवक वैसा करता है, वह अपराधी माना जाएगा।

☞ उपर्युक्त अपराधी को कम से कम **6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा**।

☞ जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को देता है।

अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा किसी कृत्य को करने के लिए उत्प्रेरित करता है और वह लोक सेवक वैसा करता है, तो वह अपराधी माना जाएगा।

☞ उपर्युक्त अपराधी को **कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष तक कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा**।

☞ जो कोई लोक सेवक होते हुए अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार **संपृक्त (Concerned) व्यक्ति से हितबद्ध है या नातेदारी रखता है**, उससे मूल्यवान वस्तु को किसी प्रतिफल के बिना प्राप्त करता है, तो दोषी माना जाएगा।

☞ उपर्युक्त अपराधी को **न्यूनतम दंड छह मास और अधिकतम दंड पांच वर्ष तक का कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा**।

लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार (Criminal misconduct by a pubilc servant):- कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराधी करने वाला कहा जाता है-

(i) यदि अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण ऐसे हेतु या इनाम के रूप में धारा 7 में वर्णित किसी व्यक्ति से **अभ्यासतः** प्राप्त करता है, अथवा

(ii) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति से **अभ्यासतः** प्राप्त करता है या ऐसा प्रयत्न करता है, अथवा

(iii) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए **बेईमानी से कपटपूर्वक दुर्विनियोग** (Fraudulently misappropriate) करता है,

(iv) लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी फायदा प्राप्त करता है, अथवा

(v) यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी संपत्ति है जो उसके पद के कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका वह लोक सेवक, समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता है।

☞ जो कोई लोक सेवक **आपराधिक अवचार करेगा** वह न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दोषी होगा।

☞ **धारा 17 अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (Person authorised to investigate)**- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी-

(a) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में, **पुलिस निरीक्षक**;

(b) मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में **सहायक पुलिस आयुक्त**;

(c) अन्यत्र, **उपपुलिस अधीक्षक या समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी**। इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है।

☞ **बैंककारी बहियों के निरीक्षण की शक्ति (Power to inspect banker's books)** पुलिस अधीक्षक को प्राप्त होती है।

☞ मामला **केंद्र सरकार से** संबंधित हो, तो केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी होनी चाहिए।

☞ यदि मामला **राज्य सरकार से** संबंधित हो, तो राज्य सरकार द्वारा मंजूरी होनी चाहिए।

☞ किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है।

☞ इस अधिनियम के **धारा 21** के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा।

☞ **रिश्वत देने वाले को** उसके कथन पर अभियोजित नहीं किया जाएगा।

● अपील और पुनरीक्षण (Appeal and Revision) [धारा 27]

☞ **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन** अपील और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय को जो शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, वह उसी शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रयोग इस अधिनियम में अपील तथा पुनरीक्षण में करेगा मानों विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय हो।

☞ उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला **विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय समझा जाएगा**।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. आयकर अधिनियम की किस धारा में 'गृह संपत्ति से आय' पर आयकर प्रभार्य होता है?

(a) धारा 20 (b) धारा 32

(c) धारा 17 (d) धारा 22

उत्तर—(d)

धारा 22 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन आयकर देयता के संबंध में है। इसके अनुसार निर्धारिती द्वारा अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी कारोबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए अधिभोगित तथा उससे प्राप्त लाभ पर आयकर देय होने को छोड़कर किन्हीं भवनों या साथ में लगी भूमियों के रूप में ऐसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन आयकर प्रभार्य होगा।

2. पुनर्वास मोक के रूप में कितनी राशि की कटौती अनुमन्य है?

(a) 20% (b) 30%

(c) 60% (d) 50%

उत्तर—(c)

अधिनियम की धारा 33ख के अनुसार जहां बाढ़, तूफान, भूकंप, सिविल उपद्रव इत्यादि के कारण भारत में चालू कोई औद्योगिक कारोबार या उपक्रम बंद कर दिए जाने के पश्चात् 3 वर्ष की समाप्ति से पूर्व पुनः चालू किया जाता है तो 'पुनर्वास मोक' के रूप में उतनी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी इस नुकसानग्रस्त भवन, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि की बाबत धारा 32(1) (iii) में अनुज्ञेय कटौती के रकम के साठ प्रतिशत (60%) के बराबर हो।

3. किसी व्यक्ति की आय में किस-किस की आय शामिल मानी जाती है?

(a) पति (b) पत्नी

(c) अवयस्क संतान (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

अधिनियम की धारा 64 के अनुसार किसी व्यक्ति की आय में उसके पति-पत्नी तथा अवयस्क संतान की आय सम्मिलित होती है। किसी प्राकृतिक निःशक्तता से पीड़ित अवयस्क संतान इसमें सम्मिलित नहीं है।

4. कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय हेतु अधिनियम में कितनी कटौती की जा सकती है?

(a) व्यय के 5 गुना के बराबर

(b) व्यय के 3 गुना के बराबर

(c) व्यय के डेढ़ गुना के बराबर

(d) व्यय के 10 गुना के बराबर

उत्तर—(c)

अधिनियम की धारा 35 ग ग घ कहती है कि किसी कंपनी द्वारा कौशल विकास परियोजना पर कोई व्यय उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के $1\frac{1}{2}$ गुना रकम के बराबर कटौती अनुमन्य है।

5. अपराधों का संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है?

(a) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

(b) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(c) महानगर मजिस्ट्रेट

(d) (a) तथा (b)

उत्तर—(d)

अधिनियम की धारा 292 के अनुसार प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचली श्रेणी का कोई न्यायालय अपराध का विचारण नहीं करेगा।

6. विशिष्टियों का मिथ्या प्रकटन करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का क्या प्रावधान है?

(a) 6 मास तक का कारावास

(b) 2 वर्ष तक का कारावास

(c) 5 वर्ष तक का कारावास

(d) 1 वर्ष तक का कारावास

उत्तर—(a)

अधिनियम की धारा 280 के अधीन धारा 138(2) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देता है या दस्तावेज पेश करता है तो वह 6 मास तक के कारावास से तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा के अभियोजन हेतु केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

7. आयकर अधिनियम की धारा 276 में क्या उपबंध है?

(a) जानबूझकर कर आदि का अपवंचन

(b) आय की विवरणी प्रस्तुत करने की असफलता

(c) कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाना, छिपाना या अंतरण या परिदान

(d) परिसीमा विधि का वर्जन

उत्तर—(c)

धारा 276 कर वसूली को विफल करने हेतु संपत्ति को हटाने, छिपाने, अंतरित करने या परिदान करने का उपबंध देती है। आय की विवरणी न देने के लिए शास्ति का प्रावधान धारा 271 च में, परिसीमा का वर्जन धारा 275 में तथा जानबूझकर कर आदि का अपवंचन का प्रयास धारा 276 ग में उपबंधित है।

8. अधिनियम के अधीन विहित क्षेत्र में 5 लाख से अधिक विहित मूल्य की संपत्ति का अंतरण किए जाने से कितने समय पूर्व अंतरक तथा अंतरिती में करार होना चाहिए?

(a) 1 मास (b) 15 दिन
(c) 4 मास (d) 2 मास

उत्तर—(c)

अधिनियम की धारा 269 प ग स्थावर संपत्ति के अंतरण पर निबंधन लगाती है। यह धारा अंतरण की आशयित तारीख से चार (4) मास पूर्व अंतरक तथा अंतरिती में अंतरण हेतु करार का निबंधन आरोपित करती है।

9. घुड़दौड़ से कितनी रकम जीत में संदाय करना आयकर के अधीन कटौती योग्य होगा?

(a) 5,000 से अधिक
(b) 10,000 से अधिक
(c) 25,000 से अधिक
(d) 1 लाख से अधिक

उत्तर—(a)

अधिनियम की धारा 194 ख ख के अनुसार बुकमेकर या विधि के अधीन सरकार द्वारा घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ के लिए या सट्टा या दांव लगाने की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस धारक होते हुए किसी व्यक्ति को घुड़दौड़ से 5,000 रुपये से अधिक रकम की जीत के रूप में आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसका संदाय करने के समय उस जीत की रकम पर प्रवृत्त दरों से आयकर की कटौती करेगा।

10. 'दोहरे कराधान से राहत' किस अध्याय में दिया गया है?

(a) अध्याय 8
(b) अध्याय 9
(c) अध्याय 9-क
(d) अध्याय 10

उत्तर—(b)

दोहरे कराधान से राहत अध्याय 9 में उपबंधित है। इस अध्याय में तीन धाराएं 90, 90 क तथा 91 हैं।

11. आयकर अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि है-

(a) 1 अप्रैल, 1962 (b) 30 जनवरी, 1961
(c) 30 जनवरी, 1962 (d) 1 अप्रैल, 1962

उत्तर—(a)

अधिनियम की धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ के लिए है। अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय है।

12. आयकर अधिनियम के अधीन रिबेट संबंधी राहत किस अध्याय के अधीन प्रदान की जाती है?

(a) अध्याय 4 (b) अध्याय 3
(c) अध्याय 5 (d) अध्याय 8

उत्तर—(d)

अधिनियम की धाराएं 87-89 तक अध्याय 8 में रिबेट संबंधी राहत का उपबंध करती हैं।

13. आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया गया है?

(a) 116 (b) 115
(c) 117 (d) 118

उत्तर—(a)

अधिनियम की धारा 116 आयकर प्राधिकारियों के वर्ग से संबंधित है। इनके वर्ग निम्नलिखित हैं-
(क) केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड;
(ख) महानिदेशक या आयुक्त;
(ग) निदेशक या आयुक्त (अपील);
(घ) आयकर अधिकारी;
(ङ) कर वसूली अधिकारी;
(च) आयकर निरीक्षक।
महानिदेशक तथा आयुक्त व निदेशक कई उपवर्गों यथा प्रधान, अपर, संयुक्त में भी बंटे हैं।

14. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति, बैंककार, बहियों के अवलोकन का अधिकार किस धारा के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं?

(a) धारा 2 व 3 (b) धारा 3 व 4
(c) धारा 7 व 8 (d) धारा 17 व 18

उत्तर—(d)

इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 17 में अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तथा धारा 18 में बैंककार बहियों के निरीक्षण की शक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है।

15. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है?

(a) धारा 5 (b) धारा 15

(c) धारा 18 (d) धारा 19

उत्तर—(d)

इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत लोक सेवक पर अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने हेतु अभियोजन के लिए समुचित सरकार (यथा केंद्रीय या राज्य) से पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है।

16. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत धारा 7-11 तक में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड की क्या व्यवस्था है?

(a) कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष और आर्थिक दंड

(b) दो वर्ष का सश्रम कारावास

(c) एक वर्ष का सश्रम कारावास

(d) आर्थिक दंड

उत्तर—(a)

अधिनियम के धारा 12 के अधीन दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान है। संशोधन अधिनियम, 2014 में इसके दंड में वृद्धि की गई है जो विकल्प (a) में प्रावधानित है।

17. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए विचार में लिए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित किए गए हैं?

(a) धारा 14 (b) धारा 15

(c) धारा 16 (d) धारा 17

उत्तर—(c)

अधिनियम की धारा 16 में जुर्माना नियत करने के विषय को दिया गया है। इसमें अपराध करके प्राप्त संपत्ति भी शामिल है।

18. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है?

(a) केंद्रीय सरकार को (b) राज्य सरकार को

(c) (a) एवं (b) दोनों को (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार दोनों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है।

19. वागीश ने रवींद्र से कहा कि वह उसके भतीजे को नौकरी दिलवा देगा लेकिन 'लोभित' को देने के लिए एक लाख रुपये दे दे। वागीश ने किस धारा में अपराध किया है?

(a) धारा 7 (b) धारा 8

(c) धारा 9 (d) धारा 10

उत्तर—(b)

इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अपराध किया है। लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना अपराध है।

20. रवि नाम का लोक सेवक श्याम से उसके बेटे को नौकरी देने के लिए दो लाख रुपये की मांग करता है। रवि ने किस धारा में अपराध किया है?

(a) धारा 10 (b) धारा 11

(c) धारा 12 (d) धारा 25

उत्तर—(a)

इस अधिनियम की धारा 10 में लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के लिए दुष्प्रेरण का अपराध है और यही अपराध रवि ने किया है।

21. सेना, नौसेना (जल सेना) और वायु सेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम कि किस धारा में वर्णित है?

(a) धारा 20 (b) धारा 22

(c) धारा 25 (d) धारा 27

उत्तर—(c)

अधिनियम की धारा 25 सेना, जल सेना, वायु सेना या अन्य विधि प्रभावित न होना उपबंधित करता है।

22. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का अधिनियम संख्यांक है-

(a) 10 (b) 20

(c) 37 (d) 49

उत्तर—(d)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर, 1988 को प्राप्त हुई। इस अधिनियम का संख्यांक 49 है।

23. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 कब अधिनियमित हुआ?

(a) 9 अगस्त, 1988 (b) 10 अक्टूबर, 1988

(c) 9 सितंबर, 1988 (d) 10 दिसंबर, 1987

उत्तर—(c)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर, 1988 को प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही अधिनियम को अधिनियमित माना जाता है।

24. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के उपबंध प्रवर्तनीय नहीं हैं-

(a) संपूर्ण भारत पर

(b) भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर

(c) जम्मू कश्मीर राज्य पर

(d) केवल ग्रामीण क्षेत्रों में

उत्तर—(c)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 1 के अनुसार, यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय है अर्थात् लागू है और इसके साथ-साथ भारत के बाहर किसी भी देश में भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू है। इस प्रश्न का सही उत्तर (c) है। अगर यही प्रश्न सकारात्मक रूप में होता तो विकल्प (a) और (b) दोनों सही होते।

25. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं-

(a) सत्र न्यायाधीश

(b) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

(c) सहायक न्यायाधीश

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार, विशेष न्यायाधीश वही नियुक्त किए जा सकते हैं जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश हैं। सेशन न्यायाधीश को ही सत्र न्यायाधीश तथा अपर सेशन न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।

26. वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है?

(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1948

(b) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1977

(c) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1999

उत्तर—(c)

इस प्रश्न का सही विकल्प (c) है क्योंकि अधिनियम की धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार को प्रावधानित किया गया है। इस धारा के अनुसार, इस अधिनियम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 कहा गया है।

27. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार होगा-

(a) संपूर्ण भारत पर

(b) जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर

(c) जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर

(d) संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू-कश्मीर राज्य एवं जनजाति क्षेत्र

उत्तर—(c)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का विस्तार धारा 1 में दिया गया है। इसके अनुसार इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू है।

28. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विभाजित है-

(a) V अध्यायों एवं 31 धाराओं में

(b) VI अध्यायों एवं 31 धाराओं में

(c) IV अध्यायों एवं 17 धाराओं में

(d) V अध्यायों एवं 20 धाराओं में

उत्तर—(a)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 5 अध्याय हैं तथा कुल 31 धाराओं का समावेश किया गया है।

29. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य है-

(a) रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करना

(b) भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकना

(c) भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन एवं संशोधन करना तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(c)

किसी अधिनियम का उद्देश्य उस अधिनियम के प्रारंभ में ही उद्देशिका के रूप में दिया रहता है। अत: इस अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियम है अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि को एक साथ संग्रह करना उसका समय-समय पर संशोधन करना ताकि समयोचित बना रहे तथा इससे संबंधित विषयों को regulate करना है।

30. जो कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार करेगा तो, वह दंडित किया जाएगा-

(a) जुर्माने से

(b) चार वर्ष से कम नहीं किंतु दस वर्ष तक के कारावास से

(c) दस वर्ष तक के कारावास से

(d) उपरोक्त सभी से

उत्तर—(b)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार के बारे में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा वह कम से कम चार वर्ष किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा।

31. रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजन ....

(a) हां, किया जाएगा

(b) नहीं किया जाएगा

(c) स्पष्ट प्रावधान नहीं है

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान किया गया है कि रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजित न किया जाएगा।

32. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का अभियुक्त क्या बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है?

(a) हां, यदि वह निवेदन करे

(b) नहीं

(c) हां, यदि सरकार चाहे

(d) हां, यदि न्यायालय चाहे

उत्तर—(a)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 21 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना प्रावधानित करता है। अत: किसी अपराध का अभियुक्त बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है। परंतु यह तब होगा जब बचाव पक्ष उसे निवेदन करे।

33. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन-सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत है?

(a) सब-निरीक्षक (उप-निरीक्षक)

(b) पुलिस उप-अधीक्षक

(c) सहायक उप-निरीक्षक

(d) कोई भी पुलिस अधिकारी

उत्तर—(b)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17, अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राधिकृत करता है। इसके अनुसार निम्नलिखित प्रकार के पुलिस अधिकारी अंवेषण करेंगे-

(i) दिल्ली में पुलिस निरीक्षक,

(ii) मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में सहायक पुलिस आयुक्त,

(iii) अन्यत्र उप-पुलिस अधीक्षक,

(iv) अन्यत्र पुलिस निरीक्षक तभी अन्वेषण कर सकते हैं, जब उन्हें महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त हो।

34. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 तथा 9 किसको लागू होती है?

(a) सभी लोक सेवकों को

(b) सभी व्यक्तिगत लोगों को

(c) (a) या (b) दोनों को

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(a)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 में लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण (Gratification) लेना प्रावधानित है तथा धारा 9 में लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना प्रावधानित है।

35. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है?

(a) धारा 5 (b) धारा 15

(c) धारा 19 (d) धारा 18

उत्तर—(c)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति धारा 19 में अनिवार्य किया गया है।

36. भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है?

(a) राजपत्रित अधिकारी (b) अराजपत्रित अधिकारी

(c) उपर्युक्त दोनों (d) शासकीय अधिवक्ता

उत्तर—(a)

भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार राजपत्रित अधिकारी को है।

यातायात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

❑ यातायात नियम

मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor vehicle Act, 1988)

- ☞ मोटर यान अधिनियम में कुल **217 धाराएं** हैं।
- ☞ इस अधिनियम की **धारा 3** में मोटर चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है, का उल्लेख है।
- ☞ मोटर यान अधिनियम की **धारा 4 (1)** के तहत **18 वर्ष से कम** आयु के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चलाने पर प्रतिबंध है।
- ☞ **धारा 4 (1)** के अंतर्गत **16 वर्ष** की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर **50 सी.सी. इंजन से अनधिक** क्षमता धारण करने वाली मोटर साइकिल पर प्रतिबंध नहीं है।
- ☞ मोटर गाड़ी पर 3 सवारी बैठाना मोटर यान अधिनियम की **धारा 128/177** के तहत अपराध है।
- ☞ गोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट न पहनना मोटर यान अधिनियम की **धारा 129/177** के तहत अपराध है।
- ☞ इस अधिनियम की **धारा 134** में दुर्घटना और किसी व्यक्ति को क्षति की दशा में ड्राइवर के कर्त्तव्यों का वर्णन है।
- ☞ **धारा 5** में '**यातायात संकेतों**' का उल्लेख किया गया है।
- ☞ चलती गाड़ी के फुट बोर्ड पर यात्रा करना धारा 123 का उल्लंघन है।
- ☞ **धारा 119** में वाहन चालकों द्वारा चिह्नों के पालन करने का उल्लेख किया गया है।
- ☞ **धारा 112** में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान **धारा 183** में किया गया है।
- ☞ **धारा 112** में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटर गाड़ी चलाने पर **400 रुपये** तक का जुर्माना किया जा सकता है।
- ☞ राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर गाड़ी को किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करना **धारा 189** के अंतर्गत दंडनीय (1 माह तक के कारावास या 500 रु. तक का जुर्माना या दोनों) अपराध है।
- ☞ खतरनाक तरीके से मोटर गाड़ी चलाना **धारा 184** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- ☞ अनुज्ञेय वजन से अधिक वजन वाले यान को चलाने पर **धारा 194** के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।
- ☞ इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर **धारा 177** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- ☞ जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस हद तक है या श्वास विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण में 100 एम.एल. में 30 एम.एल. अल्कोहल पाए जाने पर **धारा 185** के अधीन दंडनीय (6 माह तक के कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों) अपराध है।
- ☞ रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र या परमिट के बिना उपयोग किए गए वाहनों को निरुद्ध करने का उल्लेख **धारा 207** में किया गया है।
- ☞ किसी ड्राइवर का श्वास परीक्षण कराए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख **धारा 203** में किया गया है।
- ☞ किसी मोटर चालक द्वारा उसका लाइसेंस या गाड़ी के कागजात मांगने पर पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना **धारा 130/177** के तहत दंडनीय अपराध है।
- ☞ **धारा 202** के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है।
- ☞ रोडवेज की बस में बिना टिकट यात्रा करना **धारा 124/178** के अंतर्गत अपराध है।
- ☞ किसी मोटर चालक की अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद भी गाड़ी चलाते रहना **धारा 3/181** के अंतर्गत दंडनीय (3 माह तक के कारावास या 500 रु. तक के जुर्माने या दोनों से) अपराध है।
- ☞ **धारा 206** के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को दस्तावेज परिबद्ध करने का अधिकार है।
- ☞ **धारा 113/194** के अंतर्गत चालक द्वारा अपनी पिछली सीट पर 2 सवारी बैठाना दंडनीय अपराध है।
- ☞ **धारा 43** में अस्थायी रजिस्ट्रेशन का उपबंध किया गया है।
- ☞ परमिट का नवीकरण आवेदन समापन की तिथि से 15 दिन पूर्व दे दिया जाना चाहिए।
- ☞ **धारा 87** के अंतर्गत **4 माह** के लिए अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है।
- ☞ बिना बीमा कराए गाड़ी चलाने से **धारा 146/196** का उल्लंघन है।

☞ एक मोटर गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी एक ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वह **धारा 5/181** का उल्लंघन करता है।

☞ एक मोटर ड्राइवर एक स्कूटर सवार को टक्कर मारकर भाग जाता है। वह **धारा 134/179** का अपराधी है।

❑ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980)

☞ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार **जम्मू और कश्मीर** राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।

☞ **27 दिसंबर, 1980** को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी प्रदान की।

☞ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में **कुल 19 धाराएं** हैं।

☞ राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की **धारा 3** के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है।

☞ **धारा 4** के अनुसार, निरोध आदेश भारत में किसी भी स्थान पर उसी रीति से निष्पादित किया जा सकेगा जो **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973** के अधीन गिरफ्तारी के अधिपत्रों के निष्पादन के लिए उपबंधित है।

☞ **धारा 9** के अनुसार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार जब कभी जरूरी हो, एक या उससे अधिक परामर्शदात्री परिषदों का गठन करेगी।

☞ प्रत्येक ऐसी परिषद **3 ऐसे व्यक्तियों की होंगी** जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या रह चुके हों या इस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह हो और ऐसे व्यक्तियों को समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

☞ **धारा 13** में 'निरोध की अधिकतम अवधि' का उल्लेख किया गया है जो निरोध के दिनांक से **12 माह** होगी।

☞ **धारा 14 क** के अनुसार, आतंकवादी और विध्वंसात्मक क्रियाकलापों का मुकाबला करने के प्रयासों में व्यतिक्रम उत्पन्न करने के लिए किसी भी रीति से-

(क) भारत की प्रतिरक्षा; या

(ख) भारत की सुरक्षा; या

(ग) राज्य की सुरक्षा; या

(घ) लोक व्यवस्था बनाए रखने; या

(ङ) समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के प्रतिकूल कोई कार्य करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को निरोध की तिथि से **3 महीने से अधिक लेकिन 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए बगैर सलाहकार परिषद** का विचार लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 का विस्तार होगा-

(a) जम्मू-कश्मीर के सिवाय भारत पर

(b) संपूर्ण भारत पर

(c) केवल संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत पर

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर—(b)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 1 में विस्तार के बारे में प्रावधान है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सभी शामिल हैं।

2. यह अधिनियम कब लागू हुआ?

(a) 14 अक्टूबर, 1938 (b) 31 जुलाई, 1988

(c) 31 दिसंबर, 1988 (d) 1 जुलाई, 1989

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम, 1988 1 जुलाई, 1989 से लागू हुआ। इस अधिनियम को 14 अक्टूबर, 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।

3. माल के अंतर्गत सम्मिलित है-

(a) केवल जीवित व्यक्ति

(b) जीवित व्यक्ति के सिवाय ले जाने वाला पशु धन

(c) मोटर कार या मोटर कार से संबद्ध किसी ट्रेलर में वहन किए जाने वाला कोई चीज जिसमें यात्रियों का निजी सामान नहीं है

(d) (b) और (c) दोनों

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम की धारा 2 (13) में माल को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार 'माल' शामिल करता है पशु धन

और कोई वस्तु (सामान्यतया गाड़ी के साथ प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों से अन्यथा) जो गाड़ी द्वारा जीवित व्यक्तियों को छोड़कर लाई गई है, किंतु किसी मोटर कार या मोटर कार से संबद्ध किसी ट्रेलर में लाई गई गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत सामान को शामिल नहीं करता है।

4. भारी यात्री मोटर यान से अभिप्रेत है-

(a) कोई लोक सेवा यान

(b) प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस

(c) ऐसी मोटर जिसका वाहन रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम की धारा 2 (17) में 'भारी यात्री मोटर यान' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, 'भारी यात्री मोटर यान' से अभिप्रेत है ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस या कोई ओमनी बस जिसका सकल यान भार, या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है।

5. हल्का मोटर यान से अभिप्रेत है-

(a) ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक हो

(b) ऐसा कोई यान या बस जिसका लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो

(c) ऐसा कोई ट्रैक्टर या मोटर कार या रोड रोलर जिसमें 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो भार

(d) उपर्युक्त (b) और (c) दोनों

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 (21) में 'हल्का मोटर यान' (Light Motor Vehicle) को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है- 'हल्का मोटर यान' से एक परिवहन यान या ओमनी बस अभिप्रेत है जिसमें से किसी का या एक मोटर का कुल वजन या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का गैर-लदान (Unladen) वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है।

6. कितने आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है?

(a) 18 वर्ष से अधिक

(b) 16 वर्ष से अधिक

(c) 21 वर्ष से अधिक

(d) किसी भी आयु के व्यक्ति को

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम की धारा 4 मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा को निर्धारित करता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान नहीं चलाएगा।

7. 50 सी.सी. तक के इंजन वाले वाहन को चला सकेगा-

(a) 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति

(b) 16 वर्ष से कम आयु का भी व्यक्ति

(c) 12 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अधिक न हो, चला सकेगा।

8. मोटर यानों को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learner's licence) कितने समय तक चालू रहती है?

(a) 1 वर्ष तक (b) 2 मास तक

(c) 6 मास तक (d) सदैव के लिए

उत्तर—(c)

मोटर यान अधिनियम की धारा 14 में मोटर यान को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learner's licence), इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से छः मास की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

9. कोई व्यक्ति कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास-

(a) प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति हो

(b) कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है

(c) (a) और (b) दोनों

(d) कोई नहीं

उत्तर—(c)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 19 में कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के बारे में प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है।

10. कब कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इंकार किया जाता है?

(a) यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है

(b) आवेदक के चिकित्सा प्रमाण-पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है

(c) आवेदक द्वारा धारित पहले कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत (revoked) की गई है

(d) उपर्युक्त में से सभी दशाओं में

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 31 में परिचालक (Conductor) अनुज्ञप्ति देने हेतु निशक्तताएं (Disqualifications) संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति परिचालक का लाइसेंस नहीं धारण करेगा।

इसके अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी एक परिचालक लाइसेंस जारी करने से इंकार कर सकेगा-

(i) यदि आवेदक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को धारण नहीं करता है;

(ii) यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रकट करता है कि वह एक परिचालक के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य है; और

(iii) यदि आवेदक द्वारा धारित किसी परिचालक लाइसेंस का पूर्व में प्रतिसंहरण कर लिया गया था।

11. कब रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा?

(a) जब मोटर यान नष्ट हो गया हो या उपयोग लायक नहीं रह गया हो

(b) जब वाहन के उपयोग से उसकी परीक्षा के बाद यह साबित हो कि उसके उपयोग से साधारण जनता को खतरा है

(c) यदि वाहन को भारत से बाहर ले जाया जाता है

(d) उपरोक्त सभी स्थिति में

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का आधार दिया गया है। इसमें कुल 9 रद्द करने का आधार दिया गया है जिसमें से इस प्रश्न में दिए गए तीनों आधार शामिल हैं।

12. किसी मोटर यान की आयु सीमा कौन नियत कर सकेगा?

(a) केंद्रीय सरकार

(b) राज्य सरकार

(c) न्यायालय

(d) परिवहन विभाग

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम की धारा 59 में केंद्र सरकार किसी मोटर यान की आयु सीमा नियत कर सकता है।

13. चुराए गए और बरामद किए मोटर यानों से संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे दी जाएगी?

(a) राज्य सरकार को

(b) पुलिस महानिरीक्षक को

(c) राज्य परिवहन प्राधिकरण को

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

मोटर यान अधिनियम की धारा 62 में चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में प्रावधान करता है। राज्य परिवहन प्राधिकारी को पुलिस द्वारा चोरी किए गए या बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

14. किस धारा में परमिटों के आवश्यकता का उपबंध किया गया है?

(a) धारा 65 (b) धारा 66

(c) धारा 67 (d) धारा 68

उत्तर—(b)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 में परमिटों की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है।

15. परमिटों के लिए संबंधित आवेदन किया जाता है-

(a) राज्य परिवहन प्राधिकरण को

(b) प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को

(c) परिवहन विभाग को

(d) राज्य सरकार को

उत्तर—(b)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69 में परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध किया गया है। परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाना प्रस्थापित है।

16. अस्थायी रूप से परमिट किन अवस्थाओं में दिया जा सकेगा?

(a) यात्रियों को विशेष अवसरों, मेले या धार्मिक सम्मेलनों में जाने हेतु

(b) मौसमी कारबार हेतु या विशेष अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति हेतु

(c) परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक

(d) उपरोक्त सभी स्थिति में

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 में 'अस्थायी परमिट' (Temporary permits) का उपबंध है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक से चार माह की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेंगे, अर्थात-

(क) यात्रियों को विशेष अवसरों पर जैसे मेला और धार्मिक सम्मेलनों में ले जाने और वहां से लाने के लिए; या

(ख) मौसमी कारबार के प्रयोजनों के लिए; या

(ग) किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए; या

(घ) परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक के लिए,

और ऐसे किसी परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेंगे जो वे ठीक समझते हैं।

17. यातायात चिह्नों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य उपबंधित है-

(a) धारा 119 में (b) धारा 118 में

(c) धारा 120 में (d) धारा 121 में

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 119 में यातायात चिह्नों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य उपबंधित है।

18. कब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा, जबकि-

(a) उसने यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति ली है,

(b) उसने यान में ब्रेक लगा दिए हैं,

(c) उसने वो सारे प्रबंध कर लिए हैं, जिससे यह उपाय हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार चल नहीं सकेगा

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 126 खड़े यान (Stationary Vehicles) को उपबंधित करता है। कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा करने की आज्ञा न देगा जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है, जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति लिया है अथवा उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है या ऐसे अन्य उपाय कर लिए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता।

19. यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटर साइकिल पर सिर्फ दो व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं?

(a) धारा 126 (b) धारा 127

(c) धारा 128 (d) धारा 129

उत्तर—(c)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 128 में ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय से संबंधित उपबंध हैं। इस धारा के अनुसार, दो पहिए वाले मोटर साइकिल का ड्राइवर मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठ कर ही ले जाया जाएगा अन्यथा नहीं।

20. हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है?

(a) धारा 127 (b) धारा 129

(c) धारा 130 (d) धारा 131

उत्तर—(b)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 में सुरक्षात्मक टोप (हेलमेट) के पहनना के बारे में उपबंध किया गया है।

21. कोई सिक्ख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल चलाते समय पगड़ी पहना है, वह हेलमेट न पहनने के लिए क्या दंडित हो सकेगा?

(a) हो सकेगा धारा 129 के तहत

(b) नहीं हो सकेगा धारा 129 के परन्तुक के अनुसार

(c) उसे जुर्माना ही केवल देना पड़ेगा

(d) राज्य सरकार उस पर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी

उत्तर—(b)

मोटर यान अधिनियम की धारा 129 के परन्तुक के अनुसार, यह धारा सिक्खों पर लागू नहीं होती है।

22. मोटर यान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग्स से गुजरते समय समुचित सावधानी बरतें?

(a) धारा 129 (b) धारा 130

(c) धारा 131 (d) धारा 140

उत्तर—(c)

मोटर यान अधिनियम की धारा 131 के अनुसार, वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग्स से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते।

23. बीमा प्रमाण-पत्र से वह प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है-

(a) जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147(3) में दिया गया हो

(b) इसके अंतर्गत कवर नोट भी हैं

(c) किसी पॉलिसी के संबंध में एक या अधिक प्रमाण-पत्र

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 147 में पॉलिसियों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमाएं से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। इस धारा में प्रश्न से संबंधित सभी विकल्प प्रावधानित हैं।

24. टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किया गया है-

(a) धारा 161 के तहत (b) धारा 162 के तहत

(c) धारा 163 के तहत (d) धारा 164 के तहत

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 में टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध हैं। धारा 162 में धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर का कतिपय मामलों में प्रतिदाय है। धारा 163 में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकर के संदाय के लिए योजना है तथा धारा 164 में केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति प्रावधानित है।

25. टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के घोर उपहति पर राशि दी जाएगी-

(a) 25,000 रु.

(b) 10,000 रु.

(c) 12,500 रु.

(d) जो स्कीम में 20,000 रु. नियत हो

उत्तर—(c)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 में टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध हैं। टक्कर माकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की घोर उपहति के बारे में 12,500 रुपये का दंड का प्रावधान है।

26. यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है, तो वह दंडित होगा-

(a) धारा 184 के अंतर्गत 6 माह तक के कारावास या 1000 रु. जुर्माने से

(b) धारा 185 के अंतर्गत 6 माह तक के कारावास या 2000 रु. जुर्माने से

(c) धारा 186 के अंतर्गत 200 रु. जुर्माने से

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184 में खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना उपबंधित है। इस धारा के अनुसार, यान चलाना साधारण जनता के लिए खतरनाक है, तो वह प्रथम अपराध पर कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के अंदर किया गया है, तो दो वर्ष तक कारावास या 2000 रुपये तक के जुर्माना से दंडित होगा।

27. किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाए जाने पर दंड है-

(a) धारा 185 के तहत प्रथम बार अपराध पर 6 माह तक का कारावास, या 2000 रु. जुर्माना

(b) धारा 185 के तहत द्वितीय बार 3 वर्ष के भीतर अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 3000 रु. जुर्माना

(c) (a) और (b) दोनों सही हैं

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 में किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना पर दंड का प्रावधान करता है दंड इस प्रकार हैं- प्रथम अपराध के लिए छह माह करावास या 2000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। पश्चातवर्ती अपराध के लिए जो पूर्ववर्ती अपराध से तीन वर्ष के भीतर किया गया हो दो वर्ष तक कारावास या 3,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

28. कौन-सी धारा मोटर यान अधिकारियों के नियुक्ति का प्रावधान करती है?

(a) धारा 213 (b) धारा 216

(c) धारा 214 (d) धारा 215

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 213 में मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 214 में आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव है। धारा 215 में सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां हैं तथा धारा 216 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रावधानित है।

29. मोटर यान अधिकारियों की नियुक्त कौन कर सकेगा?

(a) राज्य सरकार (b) केंद्रीय सरकार

(c) न्यायालय (d) सक्षम प्राधिकारी

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 213 में मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए एक मोटर यान विभाग स्थापित कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उसके अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे।

30. मोटर यान अधिनियम, 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है?

(a) धारा 202 (b) धारा 206

(c) धारा 205 (d) धारा 204

उत्तर—(a)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 202 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है।

31. वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्न में से किनसे प्राप्त होती है?

(a) दृश्य टायर मार्क्स

(b) स्किड मार्क्स, ग्लास, पेंट

(c) ब्रेकिंग पाट्र्स

(d) उक्त सभी

उत्तर—(d)

वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी दृश्य टायर मार्क्स, स्किड मार्क्स, ग्लास, पेंट तथा ब्रेकिंग पाट्र्स से प्राप्त होती है।

32. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का विस्तार कहां पर है?

(a) संपूर्ण भारत पर

(b) जम्मू-कश्मीर तथा नगालैंड को छोड़कर संपूर्ण भारत पर

(c) जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर

(d) जम्मू-कश्मीर राज्य तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाले राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर

उत्तर—(c)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।

33. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की?

(a) 31 दिसंबर, 1981

(b) 30 दिसंबर, 1981

(c) 28 दिसंबर, 1980

(d) 27 दिसंबर, 1980

उत्तर—(d)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर, 1980 को अपनी मंजूरी प्रदान की।

34. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं?

(a) 18 (b) 20

(c) 24 (d) 23

उत्तर—(a)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में कुल 18 धाराएं हैं।

35. राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की किस धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है?

(a) धारा 4 (b) धारा 6

(c) धारा 3 (d) धारा 5

उत्तर—(c)

यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है।

36. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार परामर्शदात्री परिषदों का गठन करती है?

(a) धारा 9 (b) धारा 5

(c) धारा 14 (d) धारा 13

उत्तर—(a)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 9 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार या प्रत्येक राज्य सरकार जब कभी आवश्यक हो, एक या उससे अधिक परामर्शदात्री परिषदों का गठन करेगी।

37. निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 13 में है। इस धारा के अनुसार, निरोध की अधिकतम अवधि क्या है?

(a) निरोध के दिनांक से 9 माह

(b) निरोध के दिनांक से 6 माह

(c) निरोध के दिनांक से 3 माह

(d) निरोध के दिनांक से 12 माह

उत्तर—(d)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि निरोध के दिनांक से 12 माह होगी।

38. सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रोके जाने वाली परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की किस धारा में किया गया है?

(a) धारा 14 (b) धारा 14-क

(c) धारा 18 (d) धारा 19

उत्तर—(b)

सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रोके जाने वाले परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 14-क में किया गया है।

39. निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है?

(a) गुजरात (b) जम्मू और कश्मीर

(c) महाराष्ट्र (d) तेलंगाना

उत्तर—(b)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। यह देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश (शक्ति) देता है।

40. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है?

(a) बारह महीने (b) छः महीने

(c) तीन महीने (d) तीस दिन

उत्तर—(a)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 13 के अंतर्गत यदि गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण साबित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से एक साल (बारह महीने) तक हिरासत में रखा जा सकता है। समयावधि पूरी होने से पहले न तो सजा समाप्त की जा सकती है और न ही उसमें फेरबदल हो सकता है।

भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान

❑ भूमि सुधार

(U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950)

जमींदारी प्रथा अंग्रेजी राज्य की देन है। भारतीय परंपरागत सिद्धांतों और विचारों के विरोध में यह प्रथा रही। अतः देश के विद्वानों एवं नेताओं ने सदैव इसकी आलोचना की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब किसानों में जागृति आई, तो उन्होंने जमींदारी प्रथा को दमन, अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के अस्त्र के रूप में देखा। यह असंतोष ही किसान आंदोलन का मुख्य कारण था। किसान आंदोलन के परिणामस्वरुप ही वर्ष 1921 में अवध रेंट (संशोधन) अधिनियम तथा वर्ष 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। परंतु किसानों के कष्टों का निवारण ये अधिनियम नहीं कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 में लखनऊ अधिवेशन में राज्य में जमींदारी - उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार किया। वर्ष 1937 में जब प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तो इसने भूमि-सुधार कार्य शुरू किया और यू.पी. काश्तकारी अधिनियम, 1939 पारित कर किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया।

8 अगस्त, 1946 राज्य की भूमि-विधि में एक स्मरणीय तिथि बनी रहेगी, क्योंकि इसी दिन राज्य की विधान सभा ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के सिद्धांतों को स्वीकार कर यह प्रस्ताव पास किया-

''यह विधान सभा इस प्रांत में जमींदारी - प्रथा जो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से युक्त है, के उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार करती है तथा यह निश्चय करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजा देकर अर्जित कर लिए जाएं और सरकार एक समिति की नियुक्ति करे जो इस उद्देश्य के लिए योजना तैयार करे।''

कई अवस्थाओं से गुजरता हुआ यह विधेयक संशोधित रूप में 10 जनवरी, 1951 को विधान सभा द्वारा तथा 16 जनवरी, 1951 को विधान परिषद द्वारा पारित हुआ। **24 जनवरी, 1951** को **राष्ट्रपति** ने इस अधिनियम पर अपनी **स्वीकृति** दी। 26 जनवरी, 1951 को यह अधिनियम भूमि-विधि का भाग बन गया।

☞ यह अधिनियम **उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950** कहलाता है।

☞ अधिनियम **26 जनवरी, 1951** से लागू है।

☞ **अधिनियम शहरी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा।**

☞ राज्य सरकार ने भूमि-विधि में **निहित होने का दिनांक (Date of vesting) 1 जुलाई, 1952** को घोषित किया अर्थात इस तिथि से जमींदारों के सभी स्वत्व राज्य सरकार में निहित हो गए।

● अधिनियम की विशेषताएं

अधिनियम का नाम ही ऐसा है जिससे यह पता चलता है कि अधिनियम दो भागों में है। पहला भाग **जमींदारी उन्मूलन** से संबंधित है और दूसरा भाग **भूमि सुधार** से संबंधित है। अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

(i) जमींदारी प्रथा की समाप्ति;
(ii) मुआवजा का भुगतान;
(iii) पुनर्वास अनुदान का भुगतान;
(iv) सभी के खेती के अधिकार सुरक्षित रखे गए;
(v) नवीन जोतदारी व्यवस्था;
(vi) भूमि को लगान पर उठाने का प्रतिबंध;
(vii) अलाभकर जोतों के निर्माण पर रोक;
(viii) अधिक भूमि के जमाव पर रोक;
(ix) समान उत्तराधिकार;
(x) ग्राम जनतंत्र की स्थापना आदि।

● अधिनियम के उद्देश्य

किसी अधिनियम के उद्देश्यों का पता अधिनियम में दी गई प्रस्तावना से या उद्देश्यों और कारणों के विवरण (Statement of Objects and Reasons) से या पूरे अधिनियम को एक साथ मिलाकर पढ़ने से चलता है।

अधिनियम की प्रस्तावना से निम्नलिखित उद्देश्य निकलते हैं-

(i) कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन।
(ii) जमींदारों के अधिकार, आगम और हित का अर्जन करना।
(iii) जमींदारी उन्मूलन के परिणामस्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना।

(iv) जमींदारी उन्मूलन के परिणामस्वरूप तत्संबंधी अन्य विषयों की व्यवस्था करना। इन अन्य विषयों की व्यवस्था में सम्मिलित हैं- भूमि का आवंटन, अर्जित की गई भौमिक संपत्ति का पर्यवेक्षण, संरक्षा, सुरक्षा एवं मालगुजारी की वसूली आदि।

- 10 जून, 1949 को सरकारी गजट में इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का विवरण प्रकाशित हुआ था उसका सारांश इस प्रकार है-

(i) जमींदारी प्रथा का उन्मूलन;

(ii) मुआवजा देकर जमींदारों के अधिकार, आगम एवं हित का अर्जन;

(iii) साधारण एवं समरूप जोतदारी व्यवस्था स्थापित करना तथा चालू, क्लिष्ट व भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना;

(iv) शिकमी पर भूमि उठाने पर रोक;

(v) सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना;

(vi) गांव-सभा में सामान्य उपयोगिता की सभी भूमियों को निहित करना और भूमि-प्रबंधनार्थ वृहद शक्तियां इसे सौंपना;

(vii) ग्राम-स्वायत्त शासन का विकास;

(viii) अलाभकर जोतों की उत्पत्ति को रोकना एवं अधिक भूमि के जमाव पर रोक आदि।

- **उद्देश्य की सफलता**

जमींदारी उन्मूलन हुए लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं। यह अधिनियम अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ फिर भी अधिनियम की सफलता को निम्नलिखित रूप में बताया जा सकता है-

(i) मध्यवर्तियों की समाप्ति;

(ii) सरल जोतदारी व्यवस्था;

(iii) लगान पर भूमि उठाने पर रोक;

(iv) भूमि के अधिक जमाव पर रोक;

(v) अलाभकर जोतों के निर्माण पर रोक;

(vi) ग्राम-स्वायत्त शासन का विकास;

(vii) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन।

- **जोतदारी की किस्में**

उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के पूर्व हमारे प्रदेश में 14 किस्म की भ्रामक एवं जटिल जोतदारी (काश्तकारी) थी, जो निम्न हैं-

1. शरह - मुअम्यन काश्तकार,
2. गतस्वामित्व काश्तकार,
3. अवध के विशेष शर्तों वाला काश्तकार,
4. मौरुषी काश्तकार,
5. दखीलकार काश्तकार,
6. गैर- दखीलकार काश्तकार,
7. बागदार,
8. माफीदार,
9. दखीलकार,
10. जोतदार के बंधकी,
11. गुजारेदार,
12. शिकमी काश्तकार,
13. सीर का काश्तकार, और
14. रियायती लगान वाला अनुग्रही।

☞ उपर्युक्त 14 किस्म के काश्तकारों में से कोई भी ऐसे काश्तकार नहीं थे जिनके अधिकार एक जैसे रहे हों।

☞ कुछ किस्म के जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे।

☞ अधिकांश जोतदारों के अधिकार बहुत ही निम्न कोटि के थे तथा उनके अधिकार अस्थायी और असंक्राम्य (Non-transferable) थे।

☞ यह आवश्यक समझा गया कि वर्तमान में भ्रामक एवं जटिल अनेक जोतदारियों के स्थान पर एक सरल एवं एकरूप योजना रखी जाए।

☞ उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ने जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ इस प्राचीन जोतदारी की सब किस्मों को समाप्त कर दिया और उन्हें **4 श्रेणियों में बांट दिया**-

1. भूमिधर,
2. सीरदार,
3. असामी तथा
4. अधिवासी।

☞ जिन जोतदारों के अधिकार उच्च किस्म के थे या जिन्हें संक्राम्य (Transferable) अधिकार प्राप्त थे, वे सब भूमिधर बन गए।

☞ जिन्हें संक्राम्य अधिकार प्राप्त नहीं थे वे सीरदार कहलाए।

☞ ऐसे जोतदार जो अस्थिर और अस्थायी खेती करने वाले थे या ऐसी भूमि के जोतदार, जिन्हें कि स्थायी अधिकार नहीं दिए जा सकते, असामी कहलाए।

☞ कुछ विशेष किस्म के काश्तकार थे, जिन्हें भूमि में स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जमीदारों या क्षेत्रपति (Landholder) की मर्जी पर जोतों (खेतों) पर कब्जा रखते थे। ऐसे काश्तकार बहुसंख्यक थे और वास्तव में काश्तकार थे। ऐसे बहुसंख्यक

कृषकों के हितों की रक्षा करना आवश्यक समझते हुए उन्हें 'अधिवासी' बना दिया गया। इस वर्ग में सीर के काश्तकार, शिकमी काश्तकार और दखीलकार (Occupant) शामिल किए गए।

☞ 'अधिवासी' जोतदार सीरदार से तुच्छ और असामी से श्रेष्ठतर था। यह एक अंतरकालीन (Transitional) किस्म थी, जिन्हें अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाना था।

☞ अधिनियम बनाने वालों की मंशा यह थी कि 'अधिवासी' जोतदार लगान का 15 गुणा जमा करके भूमिधर बन सकते हैं।

☞ विधानमंडल ने परिपक्व समय अर्थात 5 वर्ष से पूर्व ही अधिवासी पर कृपा की और **उ.प्र. भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1954** पारित किया। इसने सब अधिवासियों को सीरदारी अधिकार दे दिए। इस प्रकार अधिवासी सीरदार हो गए।

☞ उ.प्र. भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 - यह अधिनियम 28 जनवरी, 1977 से लागू है। इस अधिनियम ने सभी सीरदारों को भूमिधर बना दिया। भूमिधर को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया- (1) संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर (Bhumidhar with transferable rights) और (2) असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर (Bhumidhar with non-transferable rights) पहले जो असामी थे उन्हें वैसे ही रहने दिया गया। अतः 28 जनवरी, 1977 से अब भूमि-विधि में तीन प्रकार के जोतदार हैं-

1. संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर,
2. असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, और
3. असामी

● **1. संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर (Bhumidhar with transferable rights) [धारा 130] -**

☞ यह भूमिधर तीनों जोतदारों में **श्रेष्ठतम किस्म का** है।

☞ भूमि में उसके अधिकार **स्थायी, वंशानुगामी एवं संक्राम्य** हैं।

☞ इसके अधिकार भूतपूर्व ''**शरह-मुअम्यन काश्तकार**'' जैसे हैं।

☞ अधिनियम की **धारा 130** में ऐसे भूमिधर तीन तरह के बताए गए हैं।

● **2. असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर (Bhumidhar with non-transferable rights) [धारा 131] -**

☞ वर्तमान भूमि - विधि में यह दूसरा मुख्य जोतदार है।

☞ भूमि में इसका स्वत्व **स्थायी और वंशानुगामी** तो है किंतु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संक्राम्य (Transferable) नहीं है।

☞ अधिनियम की धारा 131 तथा धारा 131- क में असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर पांच किस्म का बताया गया है।

● **3. असामी (Asami) [धारा 133] -**

☞ जोतदार की यह तुच्छ किस्म है।

☞ यह कृषकों के एक छोटे समूह के प्रति लागू होती है।

☞ असामी के अधिकार **वंशानुगामी तो हैं परंतु स्थायी या संक्राम्य (Transferable) नहीं हैं।**

☞ जब कोई अक्षम भूमिधर अधिनियमानुसार अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को लगान पर देता है, तो लगान पर लेने वाला ऐसा व्यक्ति **असामी** कहलाता है।

☞ असामी की हैसियत **शिकमी काश्तकार (उपकाश्तकार)** के समान है।

☞ अधिनियम की **धारा 132** कुछ ऐसी भूमियों का वर्णन करती है जिनमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। ऐसी भूमि में किसी व्यक्ति का यदि दाखिला किया गया तो वह 'असामी' कहलाएगा।

☞ गांव सभा का असामी नियम **176-क** के अंतर्गत सीमित अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद गांव सभा असामी को पट्टे की भूमि से किसी भी समय बेदखल कर सकती है। इस प्रकार असामी गांव - सभा आदि का असामी होगा या वह किसी भूमिधर का असामी होगा।

☞ अधिनियम चार किस्म के असामी का वर्णन करता है।

● **सरकारी पट्टेदार (Government Lessee) [धारा 133-क]**

☞ वर्ष 1986 में उ.प्र. भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम द्वारा अधिनियम में नई धारा 133- क जोड़ी गई जो कि चौथा जोतदार सरकारी पट्टेदार था।

☞ सरकारी पट्टेदार को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि को पट्टे (Lease) की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन धारण करना है।

☞ सरकारी पट्टेदार को भूमि में अन्य जोतदारों के समान भूमिधरी, सीरदारी या असामी के अधिकार प्राप्त नहीं होता।

☞ ऐसे जोतदार पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते परंतु ऐसे पट्टेदारों को ग्राम सभा की भूमि की आवंटियों की भांति 'बेदखली (Ejectment) के विरुद्ध' संरक्षण प्रदान किया गया है।

☞ **भूमि जिनमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे [धारा 132]-** निम्नलिखित भूमि भूमिधरी - अधिकार जोतदार को नहीं मिलेंगे, बल्कि वह असामी ही होगा। भूमि-प्रबंधक समिति या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी इन भूमियों में किसी व्यक्ति का दाखिला (Admission) असामी के रूप में ही कर सकता है। ऐसी भूमि निम्नलिखित है-

1. चारागाह;
2. ऐसी भूमि जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो;
3 ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो;
4. राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर दी गई अस्थिर (Shifting) या अस्थायी (Unstable) खेती के भूखंड;
5. टौंगिया रीति से वन लगाने के लिए;
6. गांव-सभा या स्थानीय निकाय की बागभूमि;
7. सार्वजनिक अभिप्राय के लिए अर्पित अथवा अधिकृत भूमि आदि।

● **जोतदारों के अधिकार**

☞ वर्तमान भूमि-विधि में जिन तीन जोतदारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है, वे निम्नलिखित हैं -

A. संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर,
B. असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, और
C. असामी।

A. संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार : (Rights of Bhumidhar with transferable rights)

☞ तीन जोतदारों में संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार सर्वश्रेष्ठ हैं।

☞ इनके अधिकार संक्राम्य (Transferable), स्थायी (Permanent) तथा वंशानुगामी (Heritable) हैं।

☞ संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. भूमि का उपयोग (Use of Land);
2. घोषणा पाने का अधिकार (Right of get Declaration);
3. अंतरण का अधिकार (Right of Transfer);
4. विनिमय करने का अधिकार (Right of Exchange);
5. वसीयत करने का अधिकार (Right of Will);
6. विभाजन करने का अधिकार (Right to sue for Division);
7. बेदखल न होने का अधिकार (Right of non-ejectment)।

1. भूमि का उपयोग

☞ इस भूमिधर को अपनी जोत की भूमि पर अकेले कब्जे का अधिकार है।

☞ वह उस भूमि का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए कर सकता है।

☞ **इस अधिकार पर प्रतिबंध (Restruction on this right)-**

☞ **<u>12½ एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग</u>** कृषि आदि कार्यों के लिए ही किया जा सकता है।

☞ धारा 187-(क) कलेक्टर को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह भूमिधर की ऐसी भूमि को जो लगातार तीन वर्षों तक कृषि, बागवानी, पशु पालन (जिसमें मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं) के उपयोग में न लगाई गई हो और जिसका क्षेत्रफल 12.5 एकड़ से अधिक हो, पट्टे पर दे सकता है।

☞ किसी भूमिधर को अपनी भूमिधरी भूमि में से खनिज निकालने का अधिकार नहीं है।

2. घोषणा पाने का अधिकार [धारा 143]

☞ जब कोई संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके किसी भाग को कृषि, बागवानी या पशुपालन (जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं) से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं करता है, तो परगनाधिकारी (Assistant Collector Incharge of the sub-division) स्वतः या आवेदन पर इस आशय की घोषणा कर सकता है।

☞ घोषणा मिल जाने पर उक्त भूमि का उत्तराधिकार (विरासत) उस भूमिधर के वैयक्तिक कानून (Personal Law) से शासित होगा।

☞ इस धारा के उपबंध में संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को भूमि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

☞ यह आवश्यक नहीं है कि अकृषीय (Non-agricultural) भूमि आदि के उपयोग के लिए वह घोषणा प्राप्त करे।

☞ वह बिना घोषणा प्राप्त किए ही अपनी भूमि का उपयोग निवास, उद्योग आदि उपयोगों के लिए कर सकता है।

3. अंतरण करने का अधिकार

☞ संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को अपनी जोत भूमि का संक्रमण (अंतरण) का अधिकार है।

☞ वह अपनी भूमि जिसको चाहे बेच दे, दान कर दे या बंधक रख दे। यह उसका पूर्ण अधिकार है। चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह भूमि उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हो या अर्जित हो।

(a) संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के संक्रमण अधिकार पर प्रतिबंध -

i. साढ़े बारह एकड़ का प्रतिबंध [धारा 154]

क्रेता या दानग्रहीता के पास पहले की भूमि और ली जाने वाली भूमि कुल मिलाकर उसके और उसके परिवार के पास 12½ एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. विदेशी नागरिक द्वारा भूमि के अर्जन पर रोक

☞ कोई विदेशी नागरिक राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति

के बिना न कोई भूमि खरीद सकता है और न तो दान में ले सकता है।

☞ इस नियम का **उल्लंघन अंतरण को शून्य** बना देगा।

iii. अनुसूचित जाति के भूमि अंतरण पर प्रतिबंध -

☞ अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर (या असामी) अपनी जोतगत भूमि का विक्रय, दान, बंधक या पट्टा अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकता।

☞ **कलेक्टर की पूर्व आज्ञा (Prior permission) से** अंतरण अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किया जा सकता है।

iv. अनुसूचित जनजाति के भूमि-अंतरण पर प्रतिबंध -

☞ अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर (या असामी) की कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जनजाति का न हो विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा अंतरित करने का अधिकार न होगा।

☞ इस प्रावधान के **उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य** होगा।

☞ अनुसूचित जनजाति की भूमि **कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी** गैर-अनूसूचित जनजाति को अंतरित नहीं की जा सकती।

v. चक के टुकड़े करने पर रोक -

☞ जहां चकबंदी अंतिम हो चुकी है वहां कोई भी भूमिधर अपने चक के किसी टुकड़े का संक्रमण विक्रय, दान या विनिमय द्वारा नहीं कर सकता।

☞ चक के टुकड़े का विक्रय, दान या विनिमय ऐसे जोतदार से कर सकता है जिसका कोई प्लाट उक्त टुकड़े से सटा हुआ हो।

☞ इस नियम के **उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य** होगा।

vi. भोग बंधक पर रोक [धारा 155] -

☞ कोई भी भूमिधर अपनी जोतगत भूमि का ऐसा बंधक न कर सकेगा जिसमें बंधकी को भूमि का कब्जा दिया जाए।

☞ अधिनियम भोग बंधक (Usufructuary mortgage) और सशर्त विक्रय बंधक (Mortgage with conditional sale) को मना करता है। अतः भूमिधर अपनी जोतगत भूमि का केवल साधारण बंधक (Simple mortgage) ही कर सकता है।

☞ **vii. भूमि के पट्टे पर रोक [धारा 156- 157]-**

☞ जमींदारी प्रथा फिर से न उठ खड़ी हो, इसको रोकने के लिए केवल ऐसे लोगों को अपनी भूमि लगान पर उठाने का अधिकार दिया जाए जो असमर्थ हों।

☞ धारा 156 के अनुसार, कोई भी भूमिधर और असामी अपनी जोतगत भूमि को किसी भी अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता। अपवादस्वरूप निम्नलिखित को दिया जा सकता है-

(क) कृषि, बागवानी, या पशुपालन शिक्षा से संबद्ध किसी स्वीकृत शिक्षा संस्थान को, या

(ख) जब वह स्वयं धारा 157 में वर्णित अक्षम व्यक्ति हो।

4. विनिमय करने का अधिकार [धारा 161]-

☞ एक भूमिधर अपनी भूमि का विनिमय (अदला-बदली)

(क) किसी संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की भूमि से,

(ख) किसी असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की भूमि से,

(ग) ग्राम पंचायत की किसी भूमि से,

(घ) स्थानीय निकाय (जैसे नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया) की भूमि से कर सकता है।

☞ प्रतिबंध यह है कि सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की पूर्व आज्ञा लेनी पड़ेगी।

☞ विनिमय की आज्ञा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के विवेक पर है।

5. वसीयत (Will) करने का अधिकार [धारा 169] -

☞ कोई भी संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि की वसीयत कर सकता है।

☞ वसीयत पूरे खाते का हो सकता है या उसके किसी भाग का भी हो सकता है।

☞ वसीयत लिखित होना चाहिए।

☞ यह दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होना चाहिए।

☞ वसीयत को पंजीकृत होना चाहिए। संशोधन अधिनियम, 2004 के लागू हो जाने के पश्चात कृषि भूमि संबंधी वसीयत साक्षीकृत एवं बगैर रजिस्ट्री हुए **दिनांक 23/08/2004 के उपरांत प्रभावहीन है तथा कानून की दृष्टि से शून्य है।**

6. विभाजन का अधिकार [धारा 176 तथा 177]

☞ भूमिधर अपने खाते की भूमि का बंटवारा हेतु या अपने खातों की भूमियों का बंटवारा कराने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं।

☞ ऐसे हरेक मुकदमें के लिए संबद्ध गांव सभा को पक्षकार बनाया जाएगा।

☞ राजस्व न्यायालय (माल अदालत) में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के यहां वाद प्रस्तुत किया जाएगा।

7. बेदखल न होने का अधिकार [धारा 199]-

☞ कोई भी भूमिधर अपने जोत से बेदखल नहीं हो सकता।

☞ यह बात अलग है कि एक भूमिधर मालगुजारी न दे और मालगुजारी के वसूली में उसकी भूमिधरी भूमि बेच दी जाए किंतु वह बेदखली नहीं मानी जाएगी।

B. **असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार :**

अधिनियम के अंतर्गत असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. भूमि का उपयोग-

☞ असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को अपनी जोत का एकान्तिक कब्जे (Exclusive possession) का अधिकार है।

☞ उसे जोत का कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी (Social forestry) भी है आदि से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा।

☞ असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत का उपयोग आवास या औद्योगिक प्रयोजन के लिए नहीं कर सकता।

☞ यह अपनी भूमि का उपयोग जानवर बांधने, खाद एकत्र करने, चारा रखने, खलिहान बनाने, कोल्हू गाड़ने आदि के लिए कर सकता है क्योंकि ये प्रयोजन कृषि से संबंधित हैं।

2. विनिमय करने का अधिकार - संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की तरह सभी अधिकार होंगे।

3. विभाजन करने का अधिकार - संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की तरह सभी अधिकार होंगे।

4. संक्रमण संबंधी अधिकार (Right to transfer) -

☞ असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का <u>स्वत्व संक्राम्य नहीं</u> है, लेकिन स्थायी एवं वंशानुगामी है।

☞ समस्त असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के हितों की सुरक्षा एवं समान अंतरण का अधिकार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा नई धारा 131- ख जोड़ी गई।

☞ धारा 131- ख असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर होंगे। परंतु यह कई प्रतिबंध के अधीन है।

5. जोत के समर्पण का अधिकार -

☞ असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का यह अधिकार है कि वह अपनी जोत या किसी भाग का समर्पण कर दे का अर्थ है - इस्तीफा देना या भूमि से अधिकार छोड़ देना।

C. **असामी के अधिकार :**

☞ असामी तीसरे नंबर का जोतदार है।

☞ इसका अधिकार न तो स्थायी है और न तो संक्राम्य (Transferable) उसे वंशानुगामी (Heritable) अधिकार प्राप्त हैं।

☞ वास्तव में राज्य में सबसे कम भूमि असामी जोतदार के पास है।

असामी के अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. भूमि का उपयोग [धारा 146] -

☞ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए असामी को अपनी जोतगत भूमि पर 'अकेले कब्जे' का अधिकार है।

☞ वह अपनी भूमि को कृषि, बागवानी, पशुपालन (जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी है) से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकता है।

☞ **इस धारा के उल्लंघन के परिणाम निम्न होंगे -**

(i) **बेदखली** - यदि असामी भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन (जिसमें मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन भी आता है) के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करता है, तो यह क्षेत्रपति (भूमिधर) के वाद पर बेदखल हो जाएगा।

(ii) परित्याग - यदि कोई असामी <u>जोतगत भूमि का उपयोग निरंतर दो फसली वर्षों तक</u> कृषि, बागवानी या पशुपालन के प्रयोजनार्थ नहीं करता तो उनकी भूमि परित्यक्त समझी जाएगी।

2. पट्टा पर भूमि उठाने का अधिकार -

☞ सामान्यतया असामी अपनी भूमि का पट्टा नहीं कर सकता।

☞ धारा 157 के अंतर्गत अक्षम असामी अपनी जोत का पट्टा कर सकता है।

3. समर्पण करने (इस्तीफा देने) का अधिकार-

☞ असामी अपनी जोतगत भूमि का इस्तीफा दे सकता है।

☞ <u>समर्पण (इस्तीफा) संपूर्ण जोत का</u> होना चाहिए। किसी अंश का समर्पण प्रभावशाली नहीं होगा।

4. स्वत्व समाप्ति या बेदखली पर मौजूदा फसल आदि को हटा लेने का अधिकार -

☞ जब कोई असामी अपनी जोत से बेदखल हो जाएगा या उसके स्वत्व समाप्त हो जाएंगे तो उसे अधिकार है कि वह अपनी जोत में विद्यमान खड़ी फसल, वृक्ष तथा निर्माणों को हटा लें।

☞ डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय खड़ी फसल और पेड़ों आदि का मूल्यांकन करेगी।

● **बेदखली (Ejectment) -**

(a) **अतिक्रमणी की बेदखली (Ejectment of Trespasser) -** अधिनियम की धारा 209 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति -

☞ (i) तत्समय प्रचलित विधि के प्रावधान के खिलाफ किसी भूमि पर कब्जा कर ले या बनाए रखे रहे, और

☞ (ii) यह कब्जा या कब्जा का बनाए रखना तत्संबंधी जोतदार की बिना सहमति के है, तो वह - भूमिधर की भूमि से भूमिधर के वाद (Suit) पर, असामी की भूमि के वाद पर तथा ग्राम पंचायत की भूमि से ग्राम पंचायत के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा और क्षतिपूर्ति (Damages) का भी देनदार होगा।

(b) ग्राम पंचायत की भूमि से बेदखली -

☞ भूमि प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत की विशेष कार्यकारिणी होती है।

☞ ग्राम पंचायत में निहित सभी भूमियों, वनों, वृक्षों, बागों, मीनाशयों, पोखरों, आबादि स्थल आदि का सामान्य पर्यवेक्षण, सुरक्षा और नियंत्रण का भार भूमि-प्रबंधक समिति के ऊपर है।

☞ जब कोई अतिक्रमणी (Trespasser) ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर ले तो भूमि-प्रबंधक समिति -

(i) संपत्ति की क्षति और गबन के आधार पर क्षतिपूर्ति वसूली की और

(ii) भूमि के कब्जे की प्राप्ति हेतु तुरंत कार्यवाही करेगी।

(c) असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की बेदखली -

☞ असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की बेदखली सहायक कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है। यह बेदखल अंतरण के आधार पर होगा।

☞ सार्वजनिक उपयोग की भूमि से भी उसे बेदखल किया जा सकेगा।

(d) असामी की बेदखली

☞ यदि असामी इस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण करे।

☞ अपनी जोत का उपयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन (जिसमें मस्त्य पालन, कुक्कुट पालन भी है) से संबंधित प्रयोजनों के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए करे।

☞ **टौंगिया भूमि का असामी** यदि भूमि का उपयोग कृषि फसल उगाने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करे।

☞ यदि असामी के विरुद्ध बकाया लगान की डिक्री हो गई है और उसने डिक्री में दी गई धनराशि की अदायगी नहीं की है तो यह डिक्री बेदखली द्वारा निष्पादित की जा सकती है।

● **ग्राम पंचायत तथा भूमि प्रबंधक समिति**

☞ **1 जुलाई, 1952 को जमींदारी की समाप्ति हुई।** उस समय गांव में पहले से ही दो संस्थाएं- **(1) गांव-सभा** और **(2) गांव पंचायत** स्थापित थी और काम कर रही थी।

☞ इन दोनों संस्थाओं की स्थापना **यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947** के अंतर्गत हुई थी।

☞ जिन गांवों की आबादी 250 या उससे अधिक थी ऐसे सभी गांवों में गांव-सभा थी।

☞ गांव-सभा की कार्यकारिणी समिति को '**गांव पंचायत**' कहते हैं।

☞ जिन गांवों की आबादी 250 से कम थी, उन्हें दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर एक गांव-सभा बनाई गई और अधिक आबादी वाले गांव के नाम से गांव-सभा का नाम रखा गया।

☞ उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि - व्यवस्था अधिनियम द्वारा गांवों में दो और संस्थाओं की स्थापना की गई- (1) **गांव - समाज** और (2) **भूमि-प्रबंधक समिति।**

☞ प्रत्येक गांव के लिए एक गांव - समाज की स्थापना की गई। इस गांव समाज की कार्यकारिणी को 'भूमि प्रबंधक समिति' का नाम दिया गया।

☞ गांव - सभा में जितने गांव थे उतनी ही गांव-समाज की स्थापना हुई और उतने ही 'भूमि प्रबंधक समिति' की।

☞ जमींदारी उन्मूलन पर जमींदारी संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो गई जिसे राज्य सरकार ने गांव-समाज में निहित कर दिया।

☞ उ.प्र. क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 द्वारा गांव-समाज को समाप्त कर दिया गया। गांव-समाज में निहित भूमि गांव-सभा में निहित हो गई।

☞ गांव-सभा की तरफ से (On behalf of) निहित भूमि का सामान्य अधीक्षण, प्रबंध, संरक्षण और नियंत्रण का भार ''भूमि प्रबंधक समिति'' को सुपुर्द किया गया।

● **ग्राम सभा**

☞ **22 अप्रैल, 1994 से पूर्व -**

गांव-सभा की स्थापना - राज्य सरकार प्रत्येक गांव या गांव समूह के लिए गांव-सभा की स्थापना करेगी। जिन गांवों की आबादी कम से कम 250 थी ऐसे सभी गांवों में गांव-सभा की स्थापना की गई।

☞ प्रत्येक गांव-सभा को एक विधिक (कानूनी) व्यक्ति माना गया।

☞ जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक थी और जिसका नाम गांव-सभा की मतदाता सूची में दर्ज है वे सभी गांव-सभा के सदस्य समझे गए।

● **ग्राम सभा**

☞ **22 अप्रैल, 1994 से -**

उ.प्र. पंचायत राज विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 जो कि 22 अप्रैल, 1994 से प्रभावी है, ने ग्राम सभा की हैसियत को काफी तब्दील कर दिया है। गांव-सभा का नाम अब ग्राम सभा हो गया।

☞ पहले गांव-सभा (ग्राम सभा) एक सामान्य निकाय थी और इसकी कार्यकारिणी का नाम गांव पंचायत अब ग्राम पंचायत है।

☞ अब ग्राम पंचायत स्वयं में विधिक व्यक्ति है, सामान्य निकाय है और साथ-साथ कार्यकारिणी भी है।

☞ वर्तमान में ग्राम सभा के विधिक व्यक्तित्व को समाप्त कर ग्राम पंचायत को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, अतएव मुकदमें में जहां ग्राम सभा का नाम था अब वहां ग्राम पंचायत का नाम होगा।

☞ जो संपत्ति ग्राम सभा में निहित थी उन्हें ग्राम पंचायत में निहित कर दिया गया है।

☞ **ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या 250 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है।**

☞ ग्राम पंचायत की प्रति वर्ष दो सामान्य बैठकें होंगी, एक खरीफ फसल काटने के तुरंत पश्चात जिसे **खरीफ बैठक** कहा जाएगा और दूसरी रबी फसल काटने के पश्चात जिसे **रबी बैठक** कहा जाएगा। इनकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी।

● **ग्राम पंचायत**

☞ उ.प्र. पंचायत राज विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 में ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है जो इस प्रकार है-

(क) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत स्थापित की जाएगी;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी;

(ग) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्थिति में उसकी जनसंख्या इस प्रकार होगी-

(i) 1000 हो, तो 9 सदस्य होंगे ;

(ii) 1000 से अधिक किंतु 2000 तक हो, तो 11 सदस्य होंगे

(iii) 2000 से अधिक किंतु 3000 तक हो, तो 13 सदस्य होंगे

(iv) 3000 से अधिक हो, तो 15 सदस्य होंगे।

☞ इस प्रकार अब **ग्राम पंचायत में 9, 11, 13 या 15 सदस्य** होते हैं।

☞ ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक से **5 वर्ष** तक बनी रहेगी।

☞ ग्राम पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी-

(i) सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में शक्ति,

(ii) बाहरी संगठन या संस्था को चंदा देने की शक्ति,

(iii) कतिपय कर्मचारियों के अवचार (Misconduct) की जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति,

(iv) भूमि अर्जित करने की शक्ति,

(v) उधार लेने की शक्ति एवं

(vi) कर, शुल्क तथा फीस लगाने की शक्ति आदि।

● **भूमि प्रबंधक समिति**

☞ **भूमि प्रबंधक समिति का गठन** - उ.प्र. ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के लागू होने के पूर्व भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता था। जो व्यक्ति भूमि प्रबंधक समिति में चुन लिए जाते थे, वे ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रह जाते थे लेकिन वर्ष 1972 के इस संशोधन अधिनियम ने भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का अलग चुनाव बंद करा दिया और अब यह प्रावधान है कि - ''प्रत्येक ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति भी होगी।''

☞ **ग्राम पंचायत का प्रधान और उप-प्रधान** क्रमशः भूमि प्रबंधक समिति के सभापति एवं उप-सभापति होते हैं।

☞ भूमि प्रबंधक समिति को अलग से अपना **अध्यक्ष (सभापति)** बनाने का अधिकार नहीं है।

☞ एक व्यक्ति जो ग्राम सभा का प्रधान है, वही ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और वही भूमि प्रबंधक समिति का सभापति (अध्यक्ष) होता है। अतः गांव की तीनों संस्थाओं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रंबधक समिति में आसानी से मेल स्थापित रहता है।

☞ ग्राम पंचायत का लेखपाल पदेन (Ex-offico) भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री (सेक्रेटरी) होता है। इस प्रकार कानून ने ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति को अलग-अलग कर दिया। दोनों का प्रमुख एक व्यक्ति है किंतु दोनों संस्थाओं के मंत्री (सेक्रेटरी) अलग-अलग हैं।

☞ ग्राम पंचायत के रजिस्टर आदि कागजात रखने की जिम्मेदारी 'ग्राम पंचायत अधिकारी' की है जबकि भूमि प्रबंधन समिति के कागजात रखने की जिम्मेदारी क्षेत्र के लेखपाल के ऊपर होती है।

● **भूमि प्रबंधक समिति के कार्य और कर्त्तव्य-**

☞ उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत ग्राम सभा में निहित सभी भूमियों, वनों, वृक्षों, बागों, मीनाशयों, पोखरों, आबादी के स्थलों आदि का सामान्य

पर्यवेक्षण, प्रबंध, सुरक्षा एवं नियंत्रण ग्राम पंचायत के लिए और ग्राम पंचायत की ओर से भूमि प्रबंधक समिति करेगी जो इस प्रकार हैं-

(i) भूमि का प्रबंध तथा निबटारा,
(ii) कृषि का विकास और उन्नति,
(iii) सहकारी खेतों का विकास,
(iv) पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन का विकास,
(v) मीनाशयों तथा तालाबों की देखभाल तथा विकास,
(vi) कुटीर उद्योगों का विकास,
(vii) वन और वृक्षों की सुरक्षा, देखभाल तथा विकास,
(viii) हाट, बाजार और मेलों का प्रबंध, एवं
(ix) जोत चकबंदी में सहायता देना आदि।

☞ **भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियां-**

1. बेदखल करने की शक्ति,
2. भूमि आवंटन का अधिकार,
3. भूमि पर कब्जा करने का अधिकार,
4. ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति की क्षति, गबन या अतिक्रमण होने पर कार्यवाही का अधिकार,
5. मालगुजारी वसूल करने की शक्ति,
6. गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन।

☞ **ग्राम फंड (Gram Fund) -**

(i) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम फंड की स्थापना की जाएगी।
(ii) इस फंड में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्राप्त सभी रकमें जमा की जाएंगी।
(iii) उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत पारित हुआ ग्राम पंचायत के वार्षिक आय और व्यय बजट के प्रतिबंधों के अधीन ग्राम फंड की रकम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों को करने के लिए खर्च की जाएगी।

ग्राम फंड में निम्नलिखित रकमें जमा होंगी -

(i) पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए टैक्स से प्राप्त रकमें,
(ii) राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई रकमें,
(iii) जिला पंचायत या अन्य किसी स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया धन,
(iv) हाट, बाजार और मेलों से प्राप्त धन,
(v) तालाब, मीनाशयों से मछली आदि के ठेके से प्राप्त रकमें, एवं
(vi) राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धन राशियां।

● **मालगुजारी**

☞ मालगुजारी एक ऐसा कर (Tax) है जो भूमि पर या उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह **कर सरकार को इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपति (Lord paramount)** है।

☞ प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा भूमि की उपज का छठवां भाग भूमिकर (मालगुजारी) के रूप में लिया जाता था।

☞ मुस्लिम काल में राजाओं द्वारा यह हिस्सा बढ़ा दिया गया। अंत में टोडरमल बंदोबस्त द्वारा यह भूमिकर उपज का 1/3 रखा गया।

☞ उपज के बदले में यह मालगुजारी नकदी में निर्धारित की गई।

☞ अंग्रेजी राज्य में भूमि-नीति बदल गई।

☞ अंग्रेजों ने सरकार और जोतदारों के बीच एक नए वर्ग की स्थापना की। यह नया वर्ग मध्यवर्ती (बिचौलिया) या जमींदार का था।

☞ जमींदार जो भूमि कर जोतदारों से वसूलते थे उसे '**लगान**' (Rent) कहा गया और जो सरकार को देते थे उसे **मालगुजारी** (Land Revenue) कहा गया।

मालगुजारी देने की जिम्मेदारी -

(i) धारा 243 प्रावधान करती है कि ''किसी जोत में सभी भूमिधर संयुक्त रूप से और पृथक रूप से तत्समय निर्धारित मालगुजारी की अदायगी के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होंगे।''
(ii) अदायगी की यह जिम्मेदारी न केवल भूमिधर पर है वरन् उन सबों पर है जो भूमिधर के स्वत्व को उत्तराधिकार, क्रय, दान आदि तरीके से प्राप्त करते हैं।

☞ मालगुजारी दो किश्तों में देय होती है - (1) खरीफ-किस्त और (2) रबी - किस्त।

☞ मालगुजारी के लिए वर्ष **1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त** होता है अर्थात मालगुजारी **फसली वर्ष (कृषि वर्ष)** की ली जाती है।

☞ मालगुजारी की किस्तों की अदायगी की तिथि **राज्य सरकार** नियत करेगी।

☞ मालगुजारी के लगभग **1/2 भाग का भुगतान** पहली किस्त खरीफ किस्त में दिया जाता है और आधे भाग की दूसरी किस्त **रबी -किस्त** में दिया जाता है।

☞ जो मालगुजारी या उसकी किस्त नियत दिनांक पर या उसके पहले देने से रह जाएगी वह मालगुजारी का बकाया हो जाएगी और उसके देनदार व्यक्ति **बकाएदार (Defaulter)** हो जाएंगे।

☞ **तहसीलदार द्वारा** प्रमाणित हिसाब का लेखा इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि अमुक व्यक्ति के पास मालगुजारी बकाया है।

● **मालगुजारी की वसूली -**

☞ मालगुजारी की वसूली का दायित्व **राज्य सरकार** पर है।

☞ जिले की मालगुजारी वसूली की जिम्मेदारी **कलेक्टर** पर है।

☞ जिले की **प्रत्येक तहसील का तहसीलदार** अपनी तहसील की मालगुजारी की वसूली के लिए जिम्मेदार है।

☞ मालगुजारी की वसूली प्रत्येक तहसील में नियुक्त 'अमीन' द्वारा की जाती है।

☞ अमीनों का **पर्यवेक्षण (Supervision)** नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा होता है।

☞ यदि अमीन को दी गई रकम **अमीन द्वारा** गबन कर ली जाती है, तो जोतदार मालगुजारी को फिर से देने के लिए दायी नहीं होगा।

☞ जोतदार अपनी देय मालगुजारी को तहसील में भी जमा कर सकते हैं।

☞ **श्रीमती सुशीला देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य, 1996** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि बकाए राजस्व की वसूली हमेशा जीवित जोतदार से होनी चाहिए। मृत व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की नोटिस जारी नहीं की जा सकती।

● **मालगुजारी का बंदोबस्त** (Settlement of Land Revenue)-

☞ किसी भूमि के संबंध में सरकार को देय मालगुजारी के समय-समय पर निश्चित किए जाने को मालगुजारी का बंदोबस्त कहते हैं।

☞ जब किसी क्षेत्र में बंदोबस्त की कार्यवाही की जाती है, तो उसके प्रत्येक जोतदार द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए तय की जाती है।

☞ **बंदोबस्त अवधि** - अधिनियम के प्रारंभ से 20 वर्ष के बाद किसी समय राज्य सरकार किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी का बंदोबस्त करने का निर्देश दे सकती है।

☞ पहले वाले बंदोबस्त को **"मूल बंदोबस्त" (Original Settlement)** कहा जाता है। इस बंदोबस्त की अवधि 20 वर्ष की होगी।

☞ राज्य सरकार मूल बंदोबस्त से 20 वर्ष की अवधि के बाद किसी समय किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी के नए बंदोबस्त का निर्देश कर सकती है।

☞ दूसरे बंदोबस्त को **"पुनरीक्षण बंदोबस्त "(Revision Settlement)** की संज्ञा दी जाती है।

❑ भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013)

☞ इस अधिनियम का नाम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 है।

☞ अधिनियम का विस्तार **जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर है।

☞ अधिनियम को **26 सितंबर, 2013** को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

☞ अधिनियम बनाने का **उद्देश्य** - औद्योगीकरण, संरचनात्मक सुविधाओं के विकास, नगरीकरण आदि के लिए भू-स्वामियों को कम-से कम बाधा पहुंचाकर भूमि अर्जन करना।

● **कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं [धारा 3]-**

☞ **प्रशासक (Administrator)** - अधिनियम के अधीन प्रभावित कुटुम्बों (परिवारों) के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

☞ **प्रभावित कुटुम्ब (Affected Family)**- प्रभावित कुटुम्ब के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-

(i) ऐसा कोई कुटुम्ब (परिवार), जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है;

(ii) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किंतु ऐसे कुटुम्ब का या उनके कोई सदस्य कृषि श्रमिक, बटाईदार या कारीगर हो सकते हैं, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अर्जन से **तीन वर्ष पूर्व से** कार्य कर रहे हों ऐसे में उनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है;

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी भी हैं, जिन्होंने अपने किसी वन्य अधिकार को खो दिया है;

(iv) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक वनों या जलाशयों पर निर्भर है और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुई है, इत्यादि।

☞ **प्रभावित क्षेत्र (Affected Area)**- प्रभावित क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र को जाना जाता है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए।

☞ **कृषि भूमि (Agricultural Land)-** कृषि भूमि से निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए उपयोगं में लाई गई भूमि को जाना जाता है-

(i) कृषि या उद्यान कृषि,

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी-बूटियां,

(iii) फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पाद, एवं

(iv) पशुओं के चारागाह के लिए उपयोग में लाई गई भूमि।

☞ **अर्जन की लागत (Cost of Acquisition)-** इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-

(i) प्रतिकर की रकम,

(ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए दी जाने वाली क्षति,

(iii) विस्थापित तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुम्बों के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत आदि,

(iv) बुनियादे ढांचे तथा सुविधाओं के विकास हेतु खर्च,

(v) 'सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन' उपक्रम की लागत आदि।

☞ **विस्थापित कुटुम्ब (Displaced Family)-** विस्थापित कुटुम्ब से ऐसा कोई कुटुम्ब अभिप्रेत है जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है।

☞ **कुटुम्ब (Family)-** कुटुम्ब के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आश्रित उसकी पत्नी या उसका पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहनें आते हैं, किंतु विधवा, विवाह-विच्छेदित महिला और कुटुम्ब से निष्कासित महिला को कुटुम्ब में नहीं माना जाएगा।

☞ **भूमि (Land)-** भूमि के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती हैं।

☞ **भू-स्वामी (Land Owner)-** भू-स्वामी के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं-

(i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है, या

(ii) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी जिसे पट्टा का अधिकार दिया गया है, या

(iii) जिसे राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर वनाधिकार दिए जाने का हकदार है, या

(iv) जिसे न्यायालय के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है।

☞ **हितबद्ध व्यक्ति (Person Interested)-** हितबद्ध व्यक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) ऐसे सभी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं;

(ii) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने वन्य अधिकारों को खो दिया है;

(iii) भूमि पर प्रभाव डालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध कोई व्यक्ति;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी आजीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है।

☞ **परियोजना (Project)-** परियोजना से ऐसी कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए भूमि का प्रभावित व्यक्ति की संख्या को विचार में लिए बिना, अर्जन किया जा रहा है।

☞ **पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र (Resettlement Area)-** पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रभावित कुटुम्बों को जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरुप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यस्थापित किया जाता है।

● **लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के अवधारणा के लिए प्रारंभिक अन्वेषण [धारा 4]-**

☞ लोक प्रयोजन की आवश्यकता के लिए कभी भी समुचित सरकार को भूमि अर्जन की आवश्यकता हो सकती है।

☞ वह प्रभावित क्षेत्र (भूमि अर्जन वाले क्षेत्र) में ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति **पंचायत नगर पालिका या नगर निगम** के साथ परामर्श करेगी।

☞ उनके परामर्श से ऐसे रीति में और ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी सामाजिक तथा लोक प्रयोजन के निर्धारण हेतु अध्ययन कराएगी।

☞ समुचित सरकार सामाजिक एवं लोक प्रयोजन हेतु निर्धारण अध्ययन को उसके प्रारंभ की तारीख से **छह माह के भीतर** पूरा कराएगी।

☞ उपर्युक्त अध्ययन में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाएगा-

- इस बात का निर्धारण कि उस भूमि अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- प्रभावित कुटुम्बों का और उनमें से उन कुटुम्बों की संख्या का अध्ययन जिनके विस्थापित होने की संभावना है।
- ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों का ब्यौरा जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है।

- सरकार उपर्युक्त अध्ययन रिपोर्ट का प्रकाशन यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगी।
- उपर्युक्त अध्ययन रिपोर्ट सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- सामाजिक एवं लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन का अध्ययन रिपोर्ट की विशेषज्ञ समूह द्वारा जांच करवाई जाएगी।
- सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्तावों एवं सामाजिक तथा लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के अध्ययन रिपोर्ट की परीक्षा की जाएगी।

- **अधिसूचना और अर्जन (Notification and Acquisition) प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा उस हेतु अधिकारियों की शक्ति [धारा 11]-**

☞ जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में भूमि की किसी लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है तब -

- इस आशय की ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरों सहित एक अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।
- अधिसूचना राज-पत्र में, दो दैनिक समाचार-पत्रों में, यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तथा जिला कलेक्टर, आदि सरकारी कार्यालय में स्थानीय भाषा में प्रकाशित होगी।
- **सरकार की वेबसाइट पर अपलोड** किया जाएगा।
- भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
- भूमि के स्वामी को उस सर्वेक्षण के कम से कम 60 दिन पूर्व एक सूचना देकर सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित होने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दिया जाएगा।
- हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **60 दिन के भीतर** निम्नलिखित के प्रति आक्षेप कर सकता है-

(i) अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति,

(ii) लोक प्रयोजन के लिए दिए गए औचित्य के प्रति।

- **प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना [धारा 16]-**

☞ **कलेक्टर द्वारा** प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा।

☞ ऐसी भूमि और स्थावर संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा जिनका प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब से अर्जन किया जा रहा है।

☞ उन भूमि को खोने वाले और भूमिहीनों की खो गई भूमि जो उसी भूमि पर निर्भर थे।

☞ ऐसी सुख-सुविधाओं के ब्यौरे जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है।

☞ अर्जित किए जा रहे किसी सामान्य संपत्ति स्रोतों के ब्यौरे।

☞ प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान।

☞ प्रशासक, लोक सुनवाई के पूरा होने पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रारूप स्कीम लोक सुनवाई में किए गए दावों और आपत्तियों संबंधी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

- **पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन स्कीम का पुनर्विलोकन [धारा 17] -**

☞ **कलेक्टर** पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रारूप स्कीम जो प्रशासक द्वारा प्रस्तुत की गई है, का पुनर्विलोकन करेगा।

☞ कलेक्टर, प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों के साथ आयुक्त के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

☞ आयुक्त अनुमोदित स्कीम को सभी स्थानीय सरकारी कार्यालय में प्रकाशित करवाएगा।

- **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना की घोषणा और सार का प्रकाशन-**

☞ सरकार को जब रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, तो **सरकार के सचिव** उस बात की घोषणा करेंगे।

☞ कलेक्टर निर्दिष्ट घोषणा के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करेगा।

☞ कलेक्टर तदुपरांत उस भूमि को चिह्नांकित और उसकी माप कराएगा। यदि नक्शा तैयार नहीं है तो नक्शा तैयार करावाएगा।

☞ कलेक्टर, अपनी वेबसाइट पर एवं भूमि के पास लोक सूचना प्रकाशित कराएगा कि सरकार का आशय उस भूमि का कब्जा लेने का है।

☞ हितबद्ध व्यक्ति प्रतिकर और पुनर्वास एवं प्रतिस्थापन हेतु दावे प्रस्तुत करेगा।

- **कलेक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन निर्णय [धारा 23]-**

☞ कलेक्टर प्रतिकर, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों के बारे में जांच आरंभ करेगा और हस्ताक्षर सहित निर्णय देगा।

● **कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण-**

☞ कलेक्टर, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा -

(i) उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है भारतीय स्टाम्प अधिनियम में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य,

(ii) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत।

● **प्रतिकर के रकम का अवधारण -**

☞ कलेक्टर, भूमि का बाजार मूल्य अवधारित करके, भूमि से संलग्न सभी सामानों को सम्मिलित करके, भूमि के स्वामी (जिनकी भूमि अर्जित की गई है) दिए जाने के लिए प्रतिकर की संपूर्ण रकम की गणना करते हैं।

● **निर्णय का दिया जाना -**

☞ धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन से **12 माह के भीतर** कलेक्टर निर्णय देगा।

☞ निर्णय में कोई लिपिकीय या गणितीय भूल का सुधार निर्णय की तिथि से 6 माह के अंदर किया जाएगा।

● **अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की शक्ति [धारा 38]**

☞ धारा 30 के अनुसार, कलेक्टर को अर्जित की जाने वाली **भूमि का कब्जा लेने की शक्ति** है।

● **अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध [धारा 41]-**

☞ भूमि का कोई भी अर्जन यथासंभव अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा।

☞ अगर भूमि अर्जन किया जाएगा तो कई प्रतिबंधों के अधीन ही होगा।

● **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण की स्थापना-**

☞ समुचित सरकार 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण' नामक एक या अधिक प्राधिकरणों की स्थापना करेगी **[धारा 51]**।

● **सरकार द्वारा नियुक्त केवल एक व्यक्ति से जिसे पीठासीन अधिकारी कहा गया है प्राधिकरण का गठन होगा।**

पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की लिए योग्यताएं-

☞ कोई व्यक्ति किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होंगे जब वह-

(i) जिला न्यायाधीश है या रहा है, या

(ii) सात वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है।

☞ पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सरकार उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से** करेंगे।

☞ पीठासीन अधिकारी नियुक्ति की तारीख से **तीन वर्ष** तक या **65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो** पद धारण करेंगे।

☞ प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाही समझी जाएंगी और इसे सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

☞ प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय से **60 दिन के भीतर अपील** उच्च न्यायालय में फाइल किया जा सकेगा।

☞ अपील का निस्तारण उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव यथाशीघ्र **6 माह में** किया जाएगा।

● **दंड तथा शास्ति**

☞ झूठे दस्तावेज या सूचना देने/प्रस्तुत करने हेतु 6 माह तक के कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों का उपबंध है।

☞ प्रतिकर के भुगतान या पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन के किसी प्रावधान के उल्लंघन हेतु 6 माह से 3 वर्ष तक के कारावास या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है।

☞ अपराधों का **संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा** किया जाएगा।

☞ अधिनियम के अधीन **अपराध असंज्ञेय** समझे जाते हैं।

● **प्रकीर्ण (Miscellaneous)**

☞ जहां अर्जन हेतु प्रतिकर अर्जन की तिथि पर उसके पूर्व नहीं दे दिया जाता, तो प्रतिकर की राशि पर 9 प्रतिशत का ब्याज भी दिया जाएगा।

☞ भूमि अर्जन पूरा करना अनिवार्य नहीं है किंतु यदि अर्जन पूरा नहीं किया जाता है, तो प्रतिकर दिया जाएगा।

☞ **अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना** - अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से **5 वर्ष की अवधि तक** उपयोग में नहीं ली जाती है, तो उसे वापस की जाएगी।

☞ **धारा 109** के अंतर्गत समुचित सरकार नियम बना सकती है। इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है।

☞ धारा 110 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष **30 दिनों के लिए** रखा जाएगा।

☞ **धारा 111** के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

❑ भू-राजस्व संहिता

(U.P. Land Revenue Code, 2006)

☞ यह अधिनियम **उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006** कहा जाता है।

☞ अधिनियम का विस्तार **संपूर्ण उत्तर प्रदेश** में होगा।

☞ अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति **29 नवंबर, 2012** को प्राप्त हुई।

☞ अधिनियम **18 दिसंबर, 2015** से लागू है।

☞ अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में भू-खातेदारी (Land tenures) और भू-राजस्व (Land revenue) से संबंधित विधियों का समेकन एवं संशोधन करना साथ ही साथ उससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करना है।

● **महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं [धारा 4]-**

☞ **आबादी या ग्रामीण आबादी (Abadi or village abadi)-** 'आबादी' या 'ग्रामीण आबादी' का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। सहायक प्रयोजनों में हरे वृक्ष, कुआं आदि हेतु उपयोग आते हैं।

☞ **कृषि (Agriculture)-** 'कृषि' के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन आते हैं।

☞ **कृषि श्रमिक (Agriculture labourer)-** 'कृषि श्रमिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है।

☞ **भूमि प्रबंधक समिति** - 'भूमि प्रबंधक समिति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन गठित भूमि प्रबंधक समिति से है।

☞ **बाग भूमि (Grove land)-** 'बाग भूमि' का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी विशिष्ट भाग से है। जिसमें इस प्रकार वृक्ष लगें हो (जिसमें पपीता या केला के पौधे सम्मिलित नहीं हैं) कि वे भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने से रोकते हों या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे।

☞ **जोत (Holding)-** 'जोत' का तात्पर्य एक भू-खातेदारी, एक पट्टे या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से है।

☞ **भूमि (Land)-** 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि से संबद्ध प्रयोजनों के लिए है।

☞ **भूमिधारक (Land holder)-** 'भूमिधारक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे लगान देना होता है।

☞ **राजस्व न्यायालय (Revenue Court)-** 'राजस्व न्यायालय' से तात्पर्य निम्नलिखित प्राधिकारियों से है- परिषद और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार (न्यायिक) और नायब तहसीलदार।

☞ **राजस्व अधिकारी (Revenue Officer)-** 'राजस्व अधिकारी' से तात्पर्य निम्नलिखित अधिकारियों से है - आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप-जिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक), नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक।

☞ **उप-जिलाधिकारी (Sub-Divisional Officer)-** 'उप-जिलाधिकारी' का तात्पर्य तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर से है।

☞ **कृषि वर्ष (Agricultural Year)-** 'कृषि वर्ष' से तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो कैलेंडर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से आरंभ होकर जून के 30वें दिन समाप्त होता है। इसे **'फसली वर्ष' (Fasli Year)** भी कहा जाता है।

● **राजस्व मंडल (Revenue Division)**

☞ **राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन [धारा 5]** - इस संहिता के प्रयोजन के लिए राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।

☞ राज्य कई मंडल में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक जिले होंगे।

☞ प्रत्येक जिले में दो या अधिक तहसीलें होंगी।

☞ प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें होंगे।

☞ प्रत्येक परगना में दो या अधिक गांव हो सकेंगे।

☞ **राजस्व क्षेत्रों का गठन [धारा 6]** - राज्य सरकार निम्नलिखित रूप में राजस्व क्षेत्र का गठन करेगी-

(i) उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मंडल बनता है,

(ii) उन तहसीलों को जिनसे मिलकर कोई जिला बनता है,

(iii) उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील बनती है।

● **परिषद और राजस्व अधिकारी (Board and Revenue Officers) राजस्व परिषद (Board of Revenue)**

☞ उत्तर प्रदेश के लिए राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्ति की जाएगी **[धारा 7]**।

☞ राज्य सरकार इस परिषद में एक न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करेंगे जिन्हें न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा।

☞ **राजस्व परिषद वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण से संबंधित सभी मामले देखेंगे।**

- **आयुक्त और अपर आयुक्त (Commissioner and Additional Commissioner)**

☞ राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त नियुक्त करेगी।

☞ आयुक्त अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मंडल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

☞ राज्य सरकार मंडल में एक या अधिक अपर आयुक्त नियुक्त करेगी।

☞ अपर आयुक्त राज्य सरकार या मंडलायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।

- **कलेक्टर और अपर कलेक्टर (Collector and Additional Collector)**

☞ राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी।

☞ कलेक्टर राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा।

☞ राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकेगी।

☞ अपर कलेक्टर, राज्य सरकार या कलेक्टर के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर के सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

- **उप-जिलाधिकारी और अपर उप-जिलाधिकारी [Sub-Divisional Officers and Additional SDO]**

☞ राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितना आवश्यक समझे सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

☞ राज्य सरकार किसी जिले के एक या अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप-जिलाधिकारी कहा जाएगा।

☞ राज्य सरकार किसी जिले के लिए नियुक्त सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को जिले के एक या अधिक तहसीलों के लिए अपर उप-जिलाधिकारी पदाभिहीत सकती है।

- **तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक (Tahsildar and Tahsildar Judicial)-**

☞ राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितना आवश्यक हो तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है।

☞ तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार, राजस्व परिषद एवं कलेक्टर उन्हें निर्देश दे।

- **नायब तहसीलदार (Naib Tahsildar)-**

☞ राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितना वह उचित समझे नायब तहसीलदार नियुक्त करेगी।

☞ नायब तहसीलदार संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

- **राजस्व निरीक्षक और लेखपाल (Revenue Inspector and Lekhpal)-**

☞ कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण आदि के लिए तथा अन्य कर्त्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है।

☞ कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण आदि करने के लिए राज्य सरकार के सामान्य आदेश द्वारा आवश्यकतानुसार लेखपाल नियुक्त कर सकता है।

- **ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण (Maintenance of Village Records)**

☞ कलेक्टर एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें जिले के समस्त ग्रामों की सूची होगी **[धारा 29]**।

☞ सूची में निम्नलिखित का वर्णन होगा -

(i) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हो,

(ii) ऐसे क्षेत्र जिसमें अनिश्चित खेती होती हो, तथा

(iii) ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक हों।

☞ रजिस्टर का प्रत्येक **पांच वर्ष में पुनरीक्षण** किया जाएगा।

☞ कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए मानचित्र और खसरा रखेगा जिसका **प्रत्येक वर्ष** सर्वेक्षण होगा।

- **अधिकार अभिलेख (Record of Rights)** [धारा 31]-

☞ कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए **अधिकार अभिलेख (खतौनी)** रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा-

(i) समस्त खातेदारों (Tenure-holders) के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्या (Survey number) का गाटा संख्या (Plot number) तथा उनका क्षेत्रफल;

(ii) ऐसे व्यक्तियों के उनके हिस्सों सहित हितों का प्रकार या विस्तार और उससे संबद्ध दायित्व या शर्तें, यदि कोई हो;

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राजस्व या लगान, यदि कोई हो;

(iv) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित या उसमें निहित जोत से भिन्न समस्त भूमि का विवरण;

(v) अन्य आवश्यक विवरण।

☞ **कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उप-जिलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख (खतौनी), क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों और गलतियों को ठीक करेगा।**

- **उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण (Mutation in cases of succession)-**

☞ उत्तराधिकारी द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षक को उत्तराधिकार के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

☞ यदि मामला विवादग्रस्त नहीं हो, तो राजस्व निरीक्षक ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा।

☞ विवाद मामले में जांच करेगा और रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।

- **किसान बही (Kisan Bahi) [धारा 41]**

☞ हर बार जब <u>अधिकार अभिलेख (खतौनी)</u> तैयार की जाएगी कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान-बही देगा।

☞ किसान - बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धारित समस्त जोत के संबंध में समेकित जोत-बही होगी।

☞ जब कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को इस खाते के आधार पर ऋण प्रदान करता है, तो वह ऋण के ब्यौरे किसान-बही में पृष्ठांकित करेगा।

☞ खातेदार द्वारा बैंक आदि को दिए शपथ पत्र में गलत कथन करने के लिए 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

- **भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण [धारा 60]** - भूमि प्रबंधक समिति के कृत्य और कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-

(i) भूमि का बंदोबस्त और प्रबंधन;

(ii) वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास;

(iii) आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास;

(iv) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंधन;

(v) मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास;

(vi) कुटीर उद्योगों का विकास;

(vii) कृषि का विकास और उसमें सुधार;

(viii) ग्राम पंचायत द्वारा व उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन आदि।

☞ आबादी स्थलों का आवंटन करने में व्यक्तियों का वरीयता क्रम निम्न होगा-

(i) ग्राम सभा के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग के कृषि श्रमिक या कारीगर;

(ii) ग्राम सभा का कोई अन्य कृषि श्रमिक या ग्रामीण कारीगर;

(iii) ग्राम सभा के अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति या पिछड़ा वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति।

प्रत्येक वर्ग में विधवा और शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति को अधिमान (Preference) दिया जाएगा।

☞ आवंटी से भिन्न व्यक्ति के अधिभोग को बेदखल कराने के बाद पुनः अधिभोग में ले लेने पर 2 वर्ष तक के कारावास से जो <u>न्यूनतम 3 माह का</u> होगा और <u>3000 रु.</u> तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

- **गांव निधि (Gaon Fund) [धारा 68]**

☞ इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी।

- **समेकित गांव निधि (Consolidated Gaon Fund) [धारा 69]**

☞ प्रत्येक जिले में एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी।

☞ इसमें कलेक्टर द्वारा प्राप्त अंशदान जमा होंगे तथा ऐसी ही अन्य धनराशि जो विहित किए जाएं।

☞ समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

☞ प्रत्येक ग्राम पंचायत गांव निधि में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत (जो 25% से अधिक न होगा) धनराशि जमा कराएगी।

- **खाता (Tenure)-**

खातेदारी का वर्ग **[धारा 74]**

निम्नलिखित वर्ग/प्रकार के खातेदार होंगे-

(i) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;

(ii) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;

(iii) असामी; और

(iv) सरकारी पट्टेदार।

- **संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर (Bhumidhar with transferable right) [धारा 75]**

☞ संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को वे सब अधिकार होंगे जो इस संहिता के अधीन उसे दी जाएगी तथा सभी दायित्वों के अधीन भी होंगे।

☞ यह **सर्वश्रेष्ठ भूमिधर** है।

☞ संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर वे माने जाएंगे जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पहले संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था अथवा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लिया।

- **असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर (Bhumidhar with Non-transferable right) [धारा 76]**

☞ असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को **संक्रमण (Transfer) का अधिकार नहीं** है और सभी अधिकार संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की तरह है।

☞ असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर वैसे व्यक्ति कहे जाएंगे जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे।

☞ ऐसे भी व्यक्ति असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर माने जाएंगे जो संहिता के प्रारंभ के दिनांक को या उसके पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किए गए हों।

- **कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे-** कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा-

(i) खलिहान, खाद के गड्ढों, चारागाह, कब्रिस्तान या श्मशान के लिए प्रयुक्त भूमि;

(ii) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो;

(iii) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा-कदा खेती के लिए किया जाता हो;

(iv) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धारित हो आदि।

- **असामी (Asami) [धारा 78]-** निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असामी कहा जाएगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता द्वारा प्रदत्त किया जाएगा।

☞ प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व असामी थे।

☞ प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात किसी भूमि पर असामी स्वीकार किया गया हो।

☞ प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि के भूमिधर द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया हो।

- **अंतरण (Transfer)**

भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता [धारा 88]

☞ संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का हित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय (Transferable) होगा।

☞ असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी का हित संक्रमणीय नहीं होगा।

- **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध [धारा 98]**

☞ अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को **कलेक्टर की लिखित पूर्व आज्ञा के बिना** कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे पर अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

☞ **अनुसूचित जनजाति** के किसी भूमिधर को विक्रय, दान, बंधक या पट्टा के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अंतरण करने का अधिकार न होगा।

- **सरकारी पट्टेदार (Government Lessee)**

☞ **सरकारी पट्टेदार की परिभाषा (धारा 147)** - प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो चाहे ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात दिया गया हो, ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार कहा जाएगा।

☞ **सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक (धारा 148)-** इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक सरकारी पट्टेदार को पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसी भूमि धारण करने का होगा।

- **भू-राजस्व का निर्धारण (Assessment of Land Revenue)**

भूमिधर द्वारा धारित भूमि पर भू-राजस्व के भुगतान का दायित्व [धारा 153]

☞ किसी भूमिधर द्वारा धारित भूमि पर चाहे वह कहीं भी स्थित हो और उसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, भू-राजस्व निर्धारित किया जाएगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जाएगा।

☞ किसी भूमि पर दीर्घकाल से बने रहने से वह **भूमि भू-राजस्व के भुगतान** के दायित्व से निर्मुक्त न होगी।

☞ निम्नलिखित भूमि को भू-राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी-

(i) सुधार से भिन्न भूमि जैसे भवन द्वारा आच्छादित भूमि;

(ii) कब्रिस्तान और श्मशान की भूमि।

● **भू-राजस्व में परिवर्तन**

☞ भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व में उसकी जोन के क्षेत्रफल में या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता में नदी द्वारा या अन्य प्राकृतिक कारण से वृद्धि या कमी हो जाने के आधार पर उचित रूप से परिवर्तन किया जा सकता है।

☞ किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में धारित **भूमि का क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर (3.126 एकड़) से अधिक न हो,** राज्य सरकार को **भू-राजस्व का भुगतान करने की छूट दी जाएगी।**

☞ राज्य सरकार, **कृषि संबंधी विपत्ति आने पर** जिससे किसी ग्राम या ग्राम के भाग की फसलों पर प्रभाव पड़े तो जोत के संपूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग को माफ कर सकती है या स्थगित कर सकती है।

☞ भू-राजस्व का निर्धारण संबंधी **राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा** और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

● **भू-राजस्व का संग्रह (Collection of Land Revenue)**

☞ भू-राजस्व किसी जोत पर प्रथम प्रभार होगा (Land revenue to be the first charge) **[धारा 163]** ।

☞ किसी जोत का निर्धारित भू-राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान, लाभ या उपज पर भी प्रथम प्रभार होगा।

☞ भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के संबंध में **राज्य सरकार के दावे को** समस्त दावों पर वरीयता दी जाएगी।

☞ भूमिधर संयुक्त रूप से या अलग-अलग भू-राजस्व के लिए दायी होगें।

☞ राज्य सरकार भू-राजस्व के संग्रह के लिए ऐसा प्रबंध कर सकती है और ऐसा अभिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

☞ **मांग पत्र (Writ of demand)-** जैसे ही भू-राजस्व की बकाया देय हो जाए वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी।

☞ **बकाए की वसूली हेतु प्रक्रिया** - मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान न किए गए भू-राजस्व का बकाया निम्नलिखित तरीकों से वसूल की जा सकती है-

(i) व्यतिक्रमी (जिसने भू-राजस्व नहीं दिया है) की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करके,

(ii) उसकी जंगम संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, कुर्की और विक्रय करके,

(iii) व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लॉकर की कुर्की करके,

(iv) ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो, कुर्की करके,

(v) ऐसी भूमि को जिसके संबंध में बकाया देय हो, पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री करके,

(vi) व्यतिक्रमी की किसी स्थावर या जंगम संपत्ति का रिसीवर की नियुक्ति करके।

☞ **जुर्माना आदि की वसूली की रीति** - राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय अधिकारी को देय या उनके द्वारा वसूली योग्य किसी फीस, जुर्माना, लागत, व्यय, शास्ति या मुआवजा आदि इस प्रकार वसूल किया जाएगा मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

☞ **अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति (Penalty for encroachment etc) [धारा 226]** कोई व्यक्ति जो (i) गांव की किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है या (ii) उप-जिलाधिकारी द्वारा सीमा चिह्न आदेश का पालन करने में विफल रहता है या (iii) तहसीलदार द्वारा सुखाचार से संबंधित आदेश के पालन में विफल रहता है, तो जुर्माना से दायी होगा जो इस प्रकार होगा-

(i) निर्दिष्ट खंड (i) में के किसी मामले में न्यूनतम एक हजार और अधिकतम दस हजार होगा।

(ii) अन्य मामले में न्यूनतम पांच सौ रुपये और अधिकतम पांच हजार होगा।

☞ **अपील (Appeal)**

(i) प्रथम अपील की परिसीमा 30 दिन तथा द्वितीय अपील की परिसीमा 90 दिन है।

(ii) अधिनियम के अधीन पुनर्विलोकन (Review) की शक्ति परिषद को प्राप्त है।

(iii) अपील से तृतीय अनुसूची (Third Schedule of Act) संबंधित है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 कब लागू हुआ?

(a) 24 जनवरी, 1951 (b) 26 जनवरी, 1951
(c) 1 जुलाई, 1952 (d) 8 अगस्त, 1946

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 को 24 जनवरी, 1951 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् 26 जनवरी, 1951 को लागू किया गया।

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अधिनियम संख्यांक कितना है?

(a) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01, 1951
(b) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05, 1951
(c) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1951
(d) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1951

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संख्यांक 01,1951 है।

3. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का उद्देश्य क्या है?

(a) कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन;
(b) जमींदारों के अधिकार, आगम और हित का अर्जन करना;
(c) जमींदारी उन्मूलन के परिणामस्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना;
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

अधिनियम की प्रस्तावना में उपर्युक्त तीनों उद्देश्य शामिल हैं।

4. यह अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा?

(a) शहरी क्षेत्रों में (b) ग्रामीण क्षेत्रों में
(c) नोटीफाइड एरिया (d) कैंटनमेंट एरिया

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। शहरी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हैं।

5. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी?

(a) 10 (b) 12
(c) 14 (d) 16

उत्तर—(c)

इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व प्रदेश में 14 प्रकार की भ्रामक एवं जटिल जोतदारी (काश्तकारी) थी। इन चौदह किस्म के काश्तकारों में कोई भी ऐसे काश्तकार नहीं थे जिनके अधिकार एक-जैसे रहे हों। कुछ किस्म के जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे। अधिकांश जोतदारों के अधिकार बहुत ही निम्न कोटि के थे।

6. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 129 में कितने प्रकार की जोतदारी है?

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

उत्तर—(c)

इस अधिनियम की धारा 129 में 4 प्रकार की जोतदारियां हैं-
1. संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर;
2. असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर;
3. असामी तथा
4. सरकारी पट्टेदार- यह प्रकार उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा धारा 129 में जोड़ा गया है।

7. संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को कौन-कौन अधिकार प्राप्त हैं?

(a) संक्रमणीय (अंतरणीय) (b) स्थायी
(c) वंशानुगामी (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर सर्वश्रेष्ठ भूमिधर हैं। उसे उपर्युक्त तीनों अधिकार प्राप्त हैं।

8. अधिनियम के अंतर्गत असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं?

(a) स्थायी (b) वंशानुगामी
(c) विकल्प (a) एवं (b) दोनों (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन असंक्राम्य वाले भूमिधर को अंतरण का अधिकार नहीं है किंतु स्थायी एवं वंशानुगामी अधिकार है।

9. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन असामी को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं?

(a) अंतरण (b) स्थायी
(c) वंशानुगामी (d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन असामी को बहुत ही कमजोर अधिकार प्राप्त हैं। इसे सिर्फ वंशानुगामी अधिकार प्राप्त हैं।

10. अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है?

(a) हां (b) नहीं
(c) कतई नहीं (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर अपनी जोतगत भूमि का विक्रय, दान, बंधक या पट्टा अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है। किंतु कलेक्टर की आज्ञा से अंतरण अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किया जा सकता है।

11. अनुसूचित जनजाति का भूमिधर (या असामी) अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है?

(a) हां (b) नहीं
(c) कतई नहीं (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन अनुसूचित जनजाति के भूमिधर (या असामी) अनुसूचित जनजाति से अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा। इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य होगा। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी गैर-अनुसूचित जनजाति को अंतरित नहीं की जा सकती।

12. संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है?

(a) हां
(b) नहीं
(c) कुछ परिस्थितियों में कर सकता है
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत का समर्पण नहीं करेगा क्योंकि जब उसे अंतरण का अधिकार है तो समर्पण क्यों करे।

13. असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है?

(a) हां (b) नहीं
(c) जोत का कोई अंश (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी पूरी जोत या उसका कोई अंश समर्पण कर सकता है।

14. असामी क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है?

(a) हां (b) नहीं
(c) जोत के अंश का (d) पूरी जोत का

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन असामी अपनी पूरी जोत का समर्पण कर सकता है उसका कोई अंश नहीं।

15. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 में क्या है?

(a) निजी भूमि (b) सीर भूमि
(c) खुदकाश्त भूमि (d) कुछ भूमियों की सूची

उत्तर—(d)

धारा 132 में उन भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

16. अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है?

(a) हां (b) नहीं
(c) जोत के अंश का (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अनुसार विधि के अनुरूप पट्टा कर सकता है किंतु किसी और तरीके से नहीं।

17. 14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन-से जोतदार असामी बने?

(a) गैर-दखीलकार काश्तकार (b) गुजारेदार
(c) जोतदार के बंधकी (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के लागू होने से पहले 14 प्रकार की जोतदारियां थीं। जिसमें से उपर्युक्त तीन जोतदारों को मिलाकर (अधिनियम बनने के पश्चात) असामी जोतदार बनाया गया।

18. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 199 में किस आधार पर भूमिधर को बेदखल किया जा सकता है?

(a) गलत पट्टा करने पर

(b) गलत अंतरण करने पर

(c) सार्वजनिक उपयोगिता की जमींदारी पर कब्जा

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 199 भूमिधर को संरक्षण भी करता है परंतु उपर्युक्त आधारों पर बेदखल भी करता है।

19. अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है?

(a) धारा 155 (b) धारा 156

(c) धारा 157 (d) धारा 158

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157 में अक्षम व्यक्ति को भूमि पट्टे पर देने से संबंधित प्रावधान है। धारा 155 में भूमिधर का भूमि को बंधक रखना, धारा 156 में भूमि को पट्टे पर दिया जाना तथा धारा 158 में पट्टे का निबंधन से संबंधित उपबंध है।

20. भूमिधर के पास कितने एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए?

(a) $12\frac{1}{2}$ एकड़ (b) 10 एकड़

(c) 15 एकड़ (d) 20 एकड़

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अनुसार क्रेता या दानग्रहीता के पास पहले की भूमि और ली जाने वाली भूमि कुल मिलाकर $12\frac{1}{2}$ एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

21. अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो कितने भूमि से अधिक होने पर ही अंतरण वैध होगा?

(a) 2 एकड़ (b) 3 एकड़

(c) 3.125 एकड़ (d) 5 एकड़

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अनुसार बिना कलेक्टर के अनुमति के अंतरण नहीं होगा परंतु कलेक्टर अनुमति तभी देंगे जब विक्रेता के पास 3.125 एकड़ से अधिक भूमि हो।

22. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

(a) 26 सितंबर, 2013 (b) 1 जनवरी, 2014

(c) 5 मार्च, 2015 (d) 10 अप्रैल, 2016

उत्तर—(a)

इस अधिनियम को 26 सितंबर, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अर्थात इसी तिथि को यह अधिनियम अधिनियमित हुआ। 1 जनवरी, 2014 से यह अधिनियम लागू है।

23. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का विस्तार क्षेत्र कहां तक है?

(a) संपूर्ण भारत

(b) जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत

(c) अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति कुछ अलग ढंग की है इसलिए इस राज्य को छोड़ दिया गया है।

24. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का संख्यांक कितना है?

(a) 2012 का अधिनियम संख्यांक 12

(b) 2013 का अधिनियम संख्यांक 15

(c) 2013 का अधिनियम संख्यांक 30

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(c)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 है अर्थात 2013 में 30वें क्रम में यह अधिनियम अधिनियमित हुआ।

25. अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है-

(a) किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार

(b) संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केंद्रीय सरकार

(c) एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में संबंधित राज्य सरकार

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 3 (ङ) में समुचित सरकार के बारे में उपबंध है जिसमें उपर्युक्त सभी विकल्प शामिल हैं।

26. सीमांत कृषक (Marginal farmer) किसे कहेंगे?

(a) ऐसा खेतिहर जो दो हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है

(b) ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है

(c) दोनों विकल्प (a) एवं (b)

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 3 (न) में सीमांत कृषक को परिभाषित किया गया है। 'सीमांत कृषक' से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जो एक हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या आधे हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है।

27. लघु कृषक (Small farmer) किसे कहते हैं?

(a) ऐसा खेतिहर जो दो हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है

(b) ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है

(c) विकल्प (a) एवं (b) दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(a)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 3(य ङ) में 'लघु कृषक' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लघु कृषक ऐसा खेतिहर है जो दो हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है, किंतु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धारण करता है।

28. सामाजिक समाधान निर्धारण (Social impact assessment) अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में उपबंधित है?

(a) धारा 4 (b) धारा 5

(c) धारा 6 (d) धारा 7

उत्तर—(a)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 4 में सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना उपबंधित है। जब कभी समुचित सरकार का किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन का आशय हो, तो वह प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन कराएगी।

29. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है?

(a) धारा 10 (b) धारा 11

(c) धारा 12 (d) धारा 14

उत्तर—(b)

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा अधिकारियों की शक्ति दी गई है।

30. भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में प्रावधानित है?

(a) धारा 7 (b) धारा 12

(c) धारा 14 (d) धारा 15

उत्तर—(b)

अधिनियम की धारा 12 में भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण करने की शक्ति अधिकारियों को दी गई है।

31. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कौन तैयार करता है?

(a) कलेक्टर (b) तहसीलदार

(c) लेखपाल (d) प्रशासक

उत्तर—(d)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 16 में प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार किया जाता है। प्रशासक प्रत्येक भू-स्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टियां तैयार करता है जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है।

32. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को सार्वजनिक कौन करता है?

(a) कलेक्टर (b) सरकार

(c) सहायक कलेक्टर (d) आयुक्त

उत्तर—(d)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 18 में आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा तथा प्रकाशित कराएगा एवं सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

33. हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना कौन देगा?

(a) आयुक्त (b) कलेक्टर

(c) तहसीलदार (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(b)

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 21 में कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर लोक सूचना प्रकाशित करेगा।

34. किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किया जाता है?

(a) तहसीलदार (b) सरकार

(c) कलेक्टर (d) आयुक्त

उत्तर—(c)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 26 में कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करते हैं। अवधारण इन आधारों पर होता है, प्रथम विक्रय-विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या द्वितीय निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत।

35. प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन करता है?

(a) आयुक्त (b) कलेक्टर

(c) सरकार (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 27 में प्रतिकर की रकम का अवधारण है। कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य अवधारित कर, भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को सम्मिलित करके, भूमि के स्वामी (जिनकी भूमि अर्जित की गई है) के संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की संपूर्ण रकम की संगणना करेगा।

36. प्रतिकर के रकम का अंतिम अधिनिर्णय कौन करता है?

(a) आयुक्त (b) सरकार

(c) तहसीलदार (d) कलेक्टर

उत्तर—(d)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 30 में **तोषण का दिया जाना** (Award of solatium) है। कलेक्टर दिए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर, अंतिम अधिनिर्णय करेगा और शत-प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य ''तोषण'' की रकम अधिरोपित करेगा।

37. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों से होता है?

(a) एक (b) दो

(c) तीन (d) चार

उत्तर—(a)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 52 में इससे संबंधित प्रावधान है। प्राधिकरण, समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केवल एक व्यक्ति से बनेगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा।

38. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे?

(a) पांच वर्ष

(b) तीन वर्ष

(c) तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु में जो भी पहले हो

(d) सात वर्ष

उत्तर—(c)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 54 के अनुसार, किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले हो, पद धारण करता है।

39. प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहां होगी?

(a) उच्च न्यायालय (b) उच्चतम न्यायालय

(c) दोनों (a) एवं (b) (d) अपील नहीं होगी

उत्तर—(a)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 74 के अनुसार, अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन के अंदर होगी।

40. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का विस्तार कहां तक है?

(a) संपूर्ण भारत (b) संपूर्ण उत्तर प्रदेश

(c) सिर्फ अवध में (d) सिर्फ बुंदेलखंड में

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एक प्रांतीय संहिता है और इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर है। यह पुरानी भू-राजस्व संहिता 1901 के स्थान पर लाई गई है। नई राजस्व संहिता में बहुत कुछ बदल गया है।

41. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संख्यांक क्या है?

(a) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012

(b) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2012

(c) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2014

(d) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016

उत्तर—(a)

संहिता का नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 है परंतु इसे सन् 2012 में स्वीकृति मिली। यह सन् 2012 में 8वें क्रम का अधिनियम है, इसलिए इसका संख्यांक 8 सन् 2012 है।

42. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 कब स्वीकृत हुई?

(a) 25 अक्टूबर, 2012 (b) 10 दिसंबर, 2015

(c) 12 जनवरी, 2016 (d) 29 नवंबर, 2012

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर, 2012 को प्राप्त हुई।

43. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 किस तिथि से लागू है?

(a) 18 दिसंबर, 2015

(b) 20 नवंबर, 2012

(c) 15 अक्टूबर, 2014

(d) 25 मार्च, 2013

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 233 एवं 234 के लागू होने की तिथि 18 दिसंबर, 2015 है तथा शेष धाराएं 11 फरवरी, 2016 से लागू हुईं।

44. आबादी का तात्पर्य है-

(a) किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए

(b) हरे वृक्षों के लिए

(c) कुओं के लिए

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 (1) में 'आबादी' या 'ग्रामीण आबादी' को परिभाषित किया गया है। आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों जैसे हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिए किया जा रहा हो।

45. जोत का तात्पर्य है-

(a) भू-खातेदारी

(b) पट्टे

(c) वचनबद्ध या अनुदान के अधीन भूमि

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 (12) में जोत परिभाषित है। जोत का तात्पर्य एक भू-खातेदारी, एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से है।

46. टौंगिया रोपवनी (Taungya Plantation) कहा जाता है-

(a) वनरोपण प्रणाली को

(b) वृक्षारोपण तथा कृषि साथ-साथ

(c) प्रारंभ में फसल का भी विकास हो

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 (19) में टौंगिया रोपवनी के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार है- टौंगिया रोपवनी का तात्पर्य ऐसे वनरोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ-साथ किया जाता है। इसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है।

47. सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी तल आदि पर हक दिलाना होता है-

(a) संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का

(b) असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का

(c) असामी का

(d) राज्य सरकार का

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 54 में समस्त भूमि आदि में राज्य का हक संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, नदी तल, झरना, नालों, झीलों, तालाब आदि जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हों समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है।

48. लगान की गणना कौन करता है?

(a) तहसीलदार (b) सहायक कलेक्टर

(c) कलेक्टर (d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 141 लगान की गणना (Commutation of rent) के बारे में बताती है जहां किसी जोत के संबंध में नकद से भिन्न रूप में लगान देय हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसको लगान देय हो के आवेदन पर लगान की गणना कर सकता है।

49. खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा में उपबंधित है?

(a) धारा 144 (b) धारा 145

(c) धारा 146 (d) धारा 150

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 में खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद का प्रावधान है। कोई व्यक्ति, जो कि किसी जोत या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या असामी होने का दावा करे, ऐसी जोत के लिए घोषणाात्मक वाद ला सकता है।

50. इस संहिता के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होगा?

(a) अध्यक्ष, राजस्व परिषद

(b) आयुक्त

(c) कलेक्टर

(d) राज्य सरकार

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 162 में आदेशों का अंतिम होना उपबंधित किया गया है। राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

51. भू-राजस्व के बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा में हैं?

(a) धारा 171 (b) धारा 172

(c) धारा 170 (d) धारा 169

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 171 में गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसने भू-राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम चूक किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे पन्द्रह दिन तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, जब तक बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाए।

52. जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री किस धारा में है?

(a) धारा 172 (b) धारा 175

(c) धारा 180 (d) धारा 190

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 172 में जंगम संपत्ति की कुर्की और ब्रिकी का प्रावधान है। उप-जिलाधिकारी व्यतिक्रमी (जिसने भू-राजस्व नहीं दिया है) की जंगम संपत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित हैं, कुर्की और बिक्री कर सकता है। किसी व्यतिक्रमी के पत्नी, बच्चों के परिधान, बर्तन, व्यक्तिगत आभूषण (महिला के), जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक औजार या उपकरण, या धार्मिक विन्यास हेतु वस्तुएं कुर्क नहीं की जा सकेंगी।

53. जोत की कुर्की किस धारा में प्रावधानित है?

(a) 175 (b) 174

(c) 180 (d) 179

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 174 में जोत की कुर्की उपबंधित है। कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके संबंध में भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, कुर्की कर सकता है।

54. रिसीवर (प्रापक) कौन नियुक्त कर सकता है?

(a) आयुक्त (b) तहसीलदार

(c) सरकार (d) कलेक्टर

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 178 में रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान है। जहां किसी व्यतिक्रमी से भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहां कलेक्टर आदेश द्वारा व्यतिक्रमी की किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का उचित अवधि के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है।

55. स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन देता है?

(a) कलेक्टर (b) नायब तहसीलदार

(c) लेखपाल (d) सरकार

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 182 में स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया जा सकता है।

56. स्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जा सकता है?

(a) आयुक्त द्वारा

(b) सरकार द्वारा

(c) परिषद द्वारा

(d) कलेक्टर और सहायक कलेक्टर द्वारा

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 186 में विक्रय का प्रावधान है। स्थावर संपत्ति का प्रत्येक विक्रय कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

57. ग्राम के सीमा चिह्नों के नाश के लिए नुकसानी का प्रावधान किस धारा में है?

(a) धारा 226 (b) धारा 225

(c) धारा 227 (d) धारा 203

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 227 के अनुसार- यदि कोई व्यक्ति ग्राम के सीमा चिह्नों आदि को जान-बूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है तो तहसीलदार 1,000 रुपये तक का अर्थदंड लगा सकता है।

58. राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में है?

(a) धारा 211 (b) धारा 220

(c) धारा 225 (d) धारा 210

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 211 के अनुसार स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना पर अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है।

59. संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है?

(a) आयुक्त (b) कलेक्टर

(c) राज्य सरकार (d) राजस्व परिषद

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 233 के अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।